(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] पंचम् विधान सभा के अष्टम सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

शुक्रवार,

9 मई, 1975

विधान सभा को बैठक म. पू. 8 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, शिक्षा, अकाल सहायता, राजस्व, उद्योग, सामान्य प्रशासन, विधि-विभाग]

प्रश्न संख्या 26

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री दीपंकर ! (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रद्युम्नसिंह !

एस. टी. सी., ट्रेनिंग का क्रेश प्रोग्राम

27. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) [श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) की अनुपस्थिति में] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने एस. टी. सी. ट्रेनिंग का एक क्रेश प्रोग्राम चलाया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष की ट्रेनिंग भी दी गयी थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति को सरकार इस आधार पर नौकरी नहीं दे रही है कि उन्होंने दो वर्ष की ट्रेनिंग पूरी नहीं की ?

(4) क्या सरकार इस संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : यह आप पूछ रहे हैं । आपके पास अथोरिटी है क्या ?

श्री केदारनाथ : उन्होंने मुझे अथोरिटी दी है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा ।

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । किन्तु ऐसे आशार्थियों को द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा पूरा करना आवश्यक था ।

(3) जी नहीं ।

(4) कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश क्यों नहीं निकाल देती कि जब तक दो साल का पत्राचार

(श्री केदारनाथ)

का कोर्स पूरा नहीं कर ले तब तक उन्हें प्रोविजनल एपॉइन्टमेन्ट तो दे दिया जाना चाहिये और चाहे उनका कन्फर्मेशन आप जब करें तबकि वह दो साल का कोर्स पूरा कर ले।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही आदेश जारी किये गये हैं। एक साल ट्रेनिंग किये हुए हैं उनको एपॉइन्टमेन्ट दे दिया जाता है। उन्हें टेम्परेरी एपॉइन्टमेन्ट दे दिया जाता है। दूसरे साल के पत्राचार के कोर्स करने के बाद उनका कन्फर्मेशन कर दिया जाता है।

श्री केदारनाथ : आप उन्हें पहले एपॉइन्टमेन्ट दे दें। चाहें तो आप यह कन्डीशन उसमें एड कर दें कि कन्फर्मेशन तब हो जब कि वह दो साल का कोर्स पत्राचार का पूरा कर ले।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे टीचर हैं जिन्होंने पहला साल का कोर्स तो कर लिया है लेकिन दूसरे साल का पत्राचार का कोर्स नहीं करने के कारण कई अध्यापक बेरोजगार हैं और इधर-उधर घूम रहे हैं। उनके लिये एपॉइन्टमेन्ट के आदेश होने चाहिये।

श्री खेतसिंह : मैंने माननीय सदस्य को बता दिया कि यही आदेश निकाले हैं कि एक साल का कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें एपॉइन्टमेन्ट दे दिया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्रेश प्रोग्राम के तहत जो टीचर्स एक साल की अवधि की ट्रेनिंग लेकर पूरी कर चुके लेकिन अभी तक दूसरा साल पत्राचार से पूरा नहीं कर सके हैं उनको आप प्रोविजनल टीचर एपॉइन्ट कर दीजिये चाहे आप उन्हें कन्फर्म दो साल का पत्राचार का कोर्स कम्पलीट करने के बाद करें। लेकिन आप उन्हें एक साल कम्पलीट करने के बाद कम से कम एपॉइन्टमेन्ट तो दे दें ताकि वह लोग बेरोजगार नहीं रहें।

श्री अध्यक्ष : यही मन्त्री महोदय कह रहे हैं। यही हो रहा है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि यही आदेश हैं अभी।

श्री राजेन्द्रसिंह : यह आदेश नहीं हैं। आप गलत कह रहे हैं। लोग कई बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं।

श्री केदारनाथ : क्या मन्त्री महोदय यह बता सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि एक साल का कोर्स पास कर लिया और उसके बाद उन्हें आपने एम्प्लॉय कर लिया है ? क्या आपके पास उनकी संख्या है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, अधिकांश को एम्प्लॉय कर लिया है। कई लोगों को ले लिया है जो ट्रेण्ड थे।

श्री केदारनाथ : उनकी संख्या क्या है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, सन् 73-74 में पंचायत राज के अन्तर्गत 3 हजार 695 टीचर्स को एपॉइन्टमेन्ट दिया गया। और इसी प्रकार कई टीचर्स

(श्री खेतसिंह)
को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी गयी है। और इसमें कोई बाधा नहीं आ रही है।

(प्रश्न संख्या 28)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ! श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी !

अध्यापकों के स्थानान्तरण

29. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने पन्द्रह वर्ष से एक स्थान पर रहने वाली अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण का निर्णय ले लिया है ?

(2) अगर हां, तो क्या सरकार इस पर मानवता तथा पारिवारिक प्रश्न के वृहद रूप में पुनः विचार करने को तैयार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) अभी राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मन्त्री सदन को आश्वासन देंगे कि राज्य सरकार इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेगी ?

श्री खेतसिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो ऐसा निर्णय लिया नहीं गया है लेकिन इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है कि जिन अध्यापिकाओं को शहर में या और कहीं पर 15 साल से अधिक एक ही जगह पर हो गया है उन्हें वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय। लोगों में इसके लिये भारी असन्तोष है क्योंकि जो लोग शहर में बैठे हैं वह शहर में ही रहना चाहते हैं और जो बाहर हैं वह बाहर से शहर में आना पसन्द करते हैं। यह तो कहां का न्याय है कि कुछ लोग शहर की फैसीलिटीज भुगतें और दूसरे लोग बेचारे गांवों में पड़े रहें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): इसके लिये आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी: क्या मन्त्री महोदय जोइन्ट परिवार को तुड़वाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष: श्रीमती नगेन्द्रबाला !

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का यह कहना कि राज्य सरकार के यह प्रश्न विचाराधीन है अगर इस प्रकार का निर्णय राज्य सरकार ले लेगी तो कई छोटे छोटे टीचर्स का ट्रान्स-फर हो जाने से परिवार के टुकड़े हो जायेंगे और इससे असर यह पड़ेगा कि एक घर के दो-दो चूल्हे हो जायेंगे। इस-लिए मेरा निवेदन है कि जो गरीब टीचर्स हैं उनके खिलाफ में ऐसा निर्णय नहीं लें तो अच्छा रहेगा ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): यह जल्दी हो जाना चाहिये।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो महिलाओं का प्रश्न है इसलिए थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लें तो ठीक रहेगा।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, परिवार तोड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि आज जो शहर में बैठे हैं वह शहर में ही रहना चाहते हैं और गांव में नहीं जाना चाहते और जो गांव में रहते हैं वह शहर में आना चाहते हैं। आखिर शहर के लोग शहर में कब तक बैठे रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री केदारनाथ : इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं जो असिस्टेन्ट टीचर्स हैं उन्हें उनके जिले में ही रखा जाय। उनका तबादला जिले से बाहर नहीं किया जाय जिले में ही रखा जाय।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मामला है कि जिसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अलग-अलग लोगों के अलग इन्ट्रेस्ट होने की वजह से स्थिति ऐसी है कि जो बाहर बैठे हैं वह नजदीक आना चाहते हैं और जो शहर में हैं वह शहर से जाना नहीं चाहते हैं। जहां तक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है जितनी भी सुविधायें दी जा सकती हैं वह देते हैं। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। मैं आपको उदाहरण दूं कि आपके भरतपुर के कई टीचर्स जो कि असिस्टेन्ट टीचर्स हैं थर्ड ग्रेड जो टीचर्स हैं उन्होंने जब नौकरी लेने का बात थी तो उन्होंने पहले तो एपॉइन्टमेंट ले लिया, हमारे बांसवाड़ा जिले में लोगों को एपॉइन्टमेंट मिला और वह भी इन्टीरियर में पीपलखूंट तक में टीचर्स की नियुक्तियां हुई। लेकिन उन टीचर्स ने जोइन करने के दूसरे दिन ही एक काम करना शुरू कर दिया कि उनके ट्रान्सफर्स उनके गावों में या गांवों के नजदीक कर दिये जायं तो यह कहां तक पोसिबल है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिवली पोसिबल होता है उतनी सुविधा राज्य सरकार देती है। और देती रहेगी लेकिन यह वायदा नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों को 15 साल से अधिक हो गया है उनके ट्रान्सफर्स नहीं होंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके लिए आपको नियम बनाने चाहिये। किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं होना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : नियम तो सारे के सारे फेल हो गये। कहां तक नियम बनायें। कई बार इसके लिये नियम बनाये गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि क्या हमारे यहां पर ऐसा भी है कि कई टीचर्स का तो ट्रान्सफर 15-20 साल से नहीं हुआ और वह एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और दूसरी जगह ऐसा भी हुआ है कि एक व्यक्ति को 6 महीने में 6 जगह स्थानान्तरण कर दिया गया है?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यहां तो बात अध्यापिकाओं की चल रही है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 15

(श्री हरिदेव जोशी)
साल से एक जगह पर बैठे हुए हैं वह लोग वहां से निकलना नहीं चाहते हैं और दूसरा तरफ जो गांवों में बैठे हैं वह बाहर से शहरों में आना चाहते हैं क्योंकि वह लोग शहरों की सुविधा से वंचित क्यों हों।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक आदमी तो 15 साल तक शहर में रहे और दूसरा गांवों में पड़ा रहे--यह क्यों?

श्री खेतसिंह : इसीलिए तो उन्हें हटाने की सोच रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप हटाइये उन्हें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भानुकुमार शास्त्री!

विधायक निवास से डकैत की गिरफ्तारी

30. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है दिनांक 4 अप्रेल, 1975 को रात्रि को 2.30 बजे पुलिस अधिकारियों ने एक डकैत को श्री रामकुमार, सपोटरा के विधायक निवास, जयपुर के कमरा नम्बर 75 से गिरफ्तार किया?

(2) क्या यह सही है कि श्री रामकुमार डकैतों को आश्रय देते रहते हैं और इसी प्रकार के आरोप गत विधान सभा में इनके विरुद्ध लगाये गये थे?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नियमानुसार डकैत को आश्रय देने के आरोप में श्री रामकुमार, सपोटरा को गिरफ्तार भी नहीं किया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त डकैत की गिरफ्तारी श्री रामकुमार सपोटरा की उपस्थिति में हुई थी?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आज वक्तव्य भी है इसलिये चाहें तो आप अभी बोल लें या चाहें तो आप स्टेटमेन्ट हो जाय तब बोल लें तो ठीक रहेगा। एक दफा में दोनों ही हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा जवाब तो आना चाहिये।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आज राज्य सरकार की तरफ से स्टेटमेन्ट भी है इसलिये शास्त्री जी चाहें तो अभी बोल लें या फिर स्टेटमेन्ट हो तब बोलें तो ठीक रहेगा। समय की बचत हो जाये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज चूंकि सत्र का अन्तिम दिन है कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी भी यह प्रश्न नहीं आये और बाद में डिबेट समाप्त कर स्टेटमेन्ट होने के पहले ही सदन को स्थगित कर दें। और यह सदन में डिस्कस नहीं हो सके।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। आज का बिजनेस समाप्त होने के बाद ही सदन स्थगित होगा।

(श्री हरिदेव जोशी)
जहां तक प्रश्न का सवाल है अगर वह चाहें तो अभी पूछ लें, नहीं तो जब स्टेटमेन्ट हो तब सूचना ले लें।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या ख्याल है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो ठीक है साहब।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बाद में ले लेंगे। नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल भार्गव !

रवीन्द्र मंच की व्यवस्था

31. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर स्थित रवीन्द्र मच की व्यवस्था राज्य सरकार ने अपने अधिकार में लेकर मैनेजर (व्यवस्थापक) की नियुक्ति कर दी है ? यदि हां, तो किस कारण से और नियुक्ति किस तिथि से की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने रवीन्द्र मंच में पहले से कार्यरत कर्मचारियों को शिक्षा मन्त्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार सेवा में ले लिया है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) जी नहीं। रवीन्द्र मंच को और अधिक सुचारु रूप से चलाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति शीघ्र नियुक्त किया जाएगा। इस बीच तुरन्त कार्य शुरू करने के लिए योग्य व्यक्ति की तदर्थ नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा भवन की मरम्मत कर दी गई है और शीघ्र ही शिक्षा विभाग रवीन्द्र मंच का चार्ज ले रहा है। तत्पश्चात् नियमानुसार पूर्व में कार्य कर रहे कर्मचारियों का स्क्रीनिंग किया जायगा तथा जो भी राज्य सेवाओं के अन्तर्गत उपयुक्त पात्रता व योग्यता रखते हैं, उन्हें राज्य सेवा में लिया जा सकेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने आश्वासन सदन के अन्दर दिया था कि 31 मार्च, 1975 तक रवीन्द्र मंच का निर्माण कार्य पूरा होकर कार्य प्रारम्भ हो जावेगा। क्या रवीन्द्र मंच का स्टेज, जो महत्वपूर्ण अंग है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है और न ही बिजली व माइक की व्यवस्था हुई है ? कुर्सियां भी टूटी हुई हैं और आवश्यक सामान खरीदने का राज्य सरकार ने प्रावधान कर दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार बिजली, स्टेज, माइक आदि की व्यवस्था नहीं हुई है। आपने कहा था कि 31 मार्च तक पूरा हो जावेगा। अब यह कब तक पूरा हो जावेगा, यह बताइयेगा ?

साथ साथ जो वहां के अनुभवी कर्मचारी हैं, मुझे भय है उनको नहीं रखा जावेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को हजार-हजार रुपया देने पर भी उतना अनुभव नहीं होगा, इसलिए क्या माननीय मंत्री महोदय सदन के अन्दर यह आश्वासन देंगे ? इसमें देर क्यों हो रही है और कब तक रवीन्द्र मंच का कार्य पूरा हो जावेगा और यह कार्य करने लगेगा ?

श्री खेतसिंह : यह सही है कि मैंने यह कहा था कि 31 मार्च तक यह कार्य पूरा हो जावेगा, पी डब्ल्यू. डी. ने कहा था उसके अनुसार मैंने यह कहा था । लेकिन कार्य अधिक होने से यह कार्य पूरा नहीं हो सका । भवन का कार्य पूरा हो चुका है । लाइटिंग है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्टेज आदि पूरा नहीं हुआ है ।

श्री खेतसिंह : जी हां । वे पूरा हुआ है । उनको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जिन व्यक्तियों को सेवाओं से पृथक् किया गया है उनका स्क्रीनिंग किया जावेगा । उनमें जो योग्य हैं, योग्य का मतलब टैक्निकल अनुभव आदि, उनको निश्चित रूप से रखा जावेगा और इसी के लिये स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखी गयी है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्क्रीनिंग का क्या आधार होगा ? कर्मचारी आपसे और मुख्य मंत्रीजी से भी मिले हैं। उनको 8-9 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है । स्क्रीनिंग क्या होगा ? पुराने कर्मचारी हैं। उनका बकाया वेतन उनको क्यों नहीं दिया गया है ? पांच महीने से नौकरी से पृथक् करने की बात शिक्षा मंत्रीजी ने कही है। उन्होंने पहले कहा था कि नौकरी में रखेंगे अब उनको पांच महीने से वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ? स्क्रीनिंग का क्या आधार होगा ? कब तक रवीन्द्र मंच पूरा हो जावेगा ? इसके लिये निश्चित तारीख की आप घोषणा कर दें कि कब तक मुकम्मिल तौर पर बिजली, स्टेज आदि का कार्य पूरा हो जावेगा। इसके साथ-साथ यह भी घोषणा करेंगे कि पुराने नौकरी में थे उनको नौकरी में पुनः ले लिया जावेगा । मुझे भय है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको नहीं रखना चाहते हैं । अकादमी का वर्गीकरण भी नहीं हो रहा है । रिओर्गेनाइजेशन होना चाहिये था वह भी नहीं हो रहा है । 8-9 महीने से तो उनको अब वेतन मिला है । बाकी पांच महीने से मिल नहीं रहा है । नोटिस दे दिया है । पांच महीने से नहीं दिया था । आपने आश्वासन दिया था कि उन कर्मचारियों को रखेंगे ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया था कि जितने इसके लिये उत्सुक आप हैं उतना ही मैं भी उत्सुक हूं कि जल्दी से जल्दी रवीन्द्र मंच का कार्य पूरा हो और यहां पर कार्यक्रम ठीक प्रकार से चलने लगे । टेक्निकल अनुभवी लोगों को नौकरी में लेने का जहां तक सवाल है जहां तक, मैंने निवेदन कर दिया था कि बहुत जल्दी स्क्रीनिंग करके वापिस रख लेंगे अकादमी का जो प्रश्न किया वह भिन्न है और इससे ताल्लुक नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि ललित कला अकादमी के भटनागर साहब से शिक्षा मंत्रीजी प्रभावित हैं उनको चार्ज न देकर रजिस्ट्रार ललित कला अकादमी को दिया जा रहा है। हिम्मत सिंहजी को रखा नहीं जा रहा है । मुझे यह भी भय है कि रवीन्द्र मंच शुरू नहीं होने वाला है भविष्य अन्धकारमय है ।

श्री अध्यक्ष : इतने ही सप्लीमेन्ट्री काफी हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जवाब नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपका भय नहीं निकलेगा, वह तो बना ही रहेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक सांस्कृतिक केन्द्र था राजस्थान में वह भी बन्द हो गया। ठप्प हो गया। राजस्थान का नाम भारत में और विदेशों में नहीं रहा। यह बड़े ही खेद का विषय है। मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : भाषण हो गया साहब यह तो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं पूछना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी। यह रवीन्द्र मंच कब शुरू हो जायेगा। स्टेज वगैरह का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा और इसका कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा? दूसरा, कर्मचारियों को पांच महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। निलम्बन के नोटिस दे रहे हैं। स्क्रीनिंग की बात करके उनके भविष्य को अन्धकार में डाल दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : दूसरा भाषण रिपीट कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य को भय नहीं रखना चाहिये। ललित कला अकादमी से ले लिया गया है। भटनागर साहब इसके व्यवस्थापक नहीं रहे। स्क्रीनिंग कर रहे हैं। निश्चित तारीख मैं नहीं दे सकता। वरना फिर प्रश्न पूछेंगे कि उस तारीख तक आपने कहा और मुकम्मिल नहीं हुआ। जितने इसके लिये आप आतुर हैं उतने ही हम हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह तैयार हो जाय और सुचारु रूप से काम करने लगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर, श्री मीठालाल!

लघु उद्योग संस्थान केन्द्र,
जोधपुर में पकड़े गये व्यक्ति

32. **श्री दीपंकर (लाडनूं) एवं श्री मीठालाल मीणा (लालसोट)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जोधपुर में लघु-उद्योग संस्थान केन्द्र भवन में कुछ लोग रंग-रेलियां करते हुए पकड़े गये थे? अगर हां, तो वे व्यक्ति कौन हैं और उनका नाम क्या-क्या है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अध्यक्ष : इसमें भी स्टेटमेंट के वक्त हो जाय।

श्री दीपंकर : जो भी प्रश्नकर्ता हैं उनको उस समय, समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय मिलेगा।

नेक्स्ट। श्री रामसिंह कुडी!

नागौर जिले में अकाल राहत कार्य

33. **श्री रामसिंह कुडी (जायल)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) नागौर जिले में कब-कब कौन-कौन से अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये एवं ऐसे अकाल राहत कार्य मौके पर

(श्री रामसिंह कुडी)
मजदूर लगाकर कब-कब चालू किये गये एवं अब उन पर कितने-कितने मजदूर प्रत्येक पर लगे हुए हैं ?

(2) क्या नागौर सब-डिवीजन का उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्र जो इस सब-डिवीजन का लगभग दो तिहाई भाग है व अधिकतर दक्षिणी भाग में भी कोई अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है ?

राज्य मन्त्री, अकाल राहत (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक तहसील में कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या यह सही है कि नागौर जिला ऐसा जिला है जो कि अकाल से प्रभावित है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह नहीं है।

श्री रामसिंह कुडी : जो सूची दी है उसमें मजदूरों की जो संख्या बताई गई है वह 21-4-75 तक की ही बताई गई है तो नागौर मेड़ता रोड पर जो मजदूरों की संख्या बताई गई है वह काम पर लगे हुओं की संख्या है अथवा काम की संख्या है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नागौर जिले में अब तक जो काम स्वीकृत किए गए हैं वहां पर तीन तारीख तक कुल संख्या है, जिलाधीश और विभिन्न एजेन्सियों द्वारा लगाये गये लोगों की, 5532 5532 आदमी वहां पर काम कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूर है या जनरल लेबर इसमें शामिल है ? कॉन्ट्रेक्टर की लेबर भी क्या उसमें शामिल है ?

श्री दीपंकर : सरकार का यह निश्चय था कि त्वरित गति से मई मास में अकाल के कार्य शुरू कर दिए जावेंगे। तो, क्या सरकार ने उसके मुताबिक, साढ़े बारह सौ गांवों में से 1000 गांव अकाल ग्रस्त हैं और इतनी बड़ी आबादी अकाल ग्रस्त है, वहां पर काम प्रारम्भ किया है ? और जितने काम प्रारम्भ किये गये हैं उनको क्या आप सफिसियेन्ट मानते हैं और जो जिला अकाल राहत कमेटी ने काम प्रस्तावित किये हैं वे अभी यही विचाराधीन पड़े हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिला अकाल राहत कमेटी द्वारा जो प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं उनके 21-4-75 को ऑर्डर जारी किये जा चुके है जिनमें सड़कों का काम है, लघु सिंचाई के काम हैं, फेमिन के अधूरे काम भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार कुल 20 कामों की स्वीकृति 21-4-75 को दी गई है। मैंने सूची सदन की मेज पर रख दी है। आप चाहें तो मैं उसको पढ़ देता हूं।

श्री दीपंकर : अभी तक काम शुरू नहीं हुये हैं, यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो काम 21-4-75 को स्वीकृत किये गये हैं वे

Page No 10

(10)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
अगर अभी तक नहीं हुये हैं तो मैं एक्जीक्यूटिव एजेन्सी को और आदेश दे दूंगा।

श्री दीपंकर : एक तरफ तो आप फर्मा रहे हैं कि आदेश दे दिये गये हैं और दूसरी तरफ आप फर्मा रहे हैं कि अगर काम शुरू नहीं हुये हैं तो मैं एक्जीक्यूटिव एजेन्सी को और कह दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको शंका है और यदि कोई काम शुरू नहीं हुआ है तो

श्री भोमाराम (डीडवाना) : नागौर तहसील में और डीडवाना तहसील में अभी काम शुरू नहीं हुये हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसको फिर से देखने की आवश्यकता रह सकती है। क्या सेंक्शन दी गई है और क्या इम्पलीमेंट हुई है। उन पर लेवर कितना लगा है, कितना और लगना चाहिये इसको टेक-अप करके जो भी उस जिले के ज्यादा पोकेट्स खराब हैं उनको फिर से देख लेंगे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : थोड़े से मजदूर लगे हैं और बहुत बड़ा जिला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहरसिंह !

चूरू काण्ड के सिलसिले में निलम्बित पुलिस कर्मचारी

34 श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चूरू काण्ड के सिलसिले में सस्पेण्डेड श्री सांवर मल आदि पुलिस कर्मचारियों को वापिस बहाल कर दिया गया है ?

(2) अगर हां, तो क्या यह कदम सर्वथा जन विरोधी नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही नहीं है कि बीकानेर जेल में (विगत दिनों) राजगढ़ सत्याग्रहियों पर भंयकर हमला कराने वाले जेलर श्री भगवानसिंह को भी सस्पेन्शन से बहाल किया जाने वाला है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) श्री भगवानसिंह जेलर को जांच चालू रखते हुये बहाल किया गया है।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं कि 7 आदमियों के साथ इतनी जबरदस्त ज्यादती हुई है जिसमें हूजा साहब को लगाया गया है। जो मुलजिम हैं और दोषी पाये गये हैं फिर उनको कैसे बहाल कर दिया गया ? इस सिलसिले में कॉफी हाउस में कुछ हो चुका है। मुख्य मंत्रीजी ने कुछ कहा है फिर भी उन आदमियों को बुरी तरह परेशान किया जा रहा है। तीसरा सप्लीमेन्ट्री मेरा यह है कि बीकानेर जेल में 174 सत्याग्रहियों को पीटा गया है और इसके फलस्वरूप टोटली बीकानेर बन्द रहा है। कलेक्टर ने प्रोमिस किया था। डी. आई. जी. ने जांच की और उन्होंने भगवानसिंह पर इल्जाम लगाया और दोषी बताया फिर कैसे बहाल कर दिया गया। इन तीनों का जवाब चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जहां तक सस्पेन्सन के केसेज का सवाल है पहली इन्फॉर्मेशन के आधार पर और विशेषकर यहां पर माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं उस आधार पर किया गया है। सस्पेन्शन ज्यादा-लम्बे समय तक उस समय रखा जाता है जब मेजर पेनेल्टी दी जाती है वरना री-इन्स्टेट होना ही है तो उन्हें अधिक सस्पेण्ड रखना ठीक नहीं है इसलिये री-इन्स्टेट किया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या यह सही है कि विधान सभा के पटल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं यह कहा है कि पुलिस वालों ने उन्हें अपनी कस्टडी में ठोका है और जिनको पुलिस कस्टडी में ठोका है उनके पास मेडीकल सर्टिफिकेट है। इस तरह बेरहमी से पिटाई करना और आश्वासन होते हुये भी चालान किया जाय तो मैं समझता हूं क्या यह पुलिस को प्रश्रय देना नहीं होगा ? क्या नागरिकों को इसी प्रकार कुचलने का सरकार ने रवैया अपनाया है ?

श्री मोहर्रसिंह (चूरू) : क्या यह सही है कि इस मामले में अदालत में इस्तगासा पेश किया जा चुका है और मामला विचाराधीन है ?

श्री मोहर्रसिंह (सादुलपुर) : उन पर इस्तगासा किया हुआ है फिर भी उनको री-इन्स्टेट किया गया है और हूजा साहब की रिपोर्ट है....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि काफी हाउस में चर्चा हो चुकी है तो कॉफी हाउस में तो हुई नहीं है, विधान सभा में हुई थी....

श्री भानुकुमार शास्त्री : कॉफी हाउस के लिए मैंने कब कहा है। मैंने तो विधान सभा में चर्चा हुई थी उसके बारे में कहा है....

श्री हरिदेव जोशी : आपने (श्री मोहरसिंह की ओर इशारा) कहा है कि कॉफी हाउस में चर्चा हो चुकी है तो कॉफी हाउस में तो चर्चा हुई नहीं है, विधान सभा में हुई है....

श्री मोहर्रसिंह (सादुलपुर) : मैंने यह नहीं कहा था। लेकिन क्योंकि सी.पी.एम. का मामला है न, इसलिए आपको तो यह कहना पड़ता है और मेरे लिए तो जरूर कहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनका मतलब सफिसियेन्ट डिस्कशन से है।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी हर बात को हम फेस वेल्यू पर लेने की कोशिश करते हैं।

श्री मोहर्रसिंह (सादुलपुर) : जैसे आप लेते हैं वैसे ही मैं लेने की कोशिश करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अच्छी बात है। तो मैंने निवेदन किया गवर्नमेंट जिन्हें मेजर पेनेल्टी मिल सकती है उन्हें ही लम्बे समय तक सस्पेन्शन में रखना उचित समझती है और मेजर पेनेल्टी में ही यह ज्यादा होता है। जहां री-इन्स्टेट करना होता है वहां उनको बहाल कर दिया जाता है। अब रह गया सवाल XXX तो मैं

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री हरिदेव जोशी)
इसमें देखूंगा यदि कोई गुंजाइश होगी तो करने की कोशिश करेंगे ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : XXX क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : ये शब्द एक्सपन्ज कर दिए जायं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री प्रतापसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : मेरे तीसरे सप्लीमेन्ट्री का जवाब दीजिये । बीकानेर जिले के अन्दर जो सत्याग्रही जेल गये और डी. आई. जी. (प्रिजन्स) ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें भगवानसिंह जेलर को दोषी पाया गया है फिर उसको कैसे री-इन्स्टेट किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : पेन्डिंग एन्क्वायरी है ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : जेल के अन्दर बन्द करके किसानों की पिटाई करना क्या उचित है ? यह किसानों के लिए बहुत बुरी बात है । सरकार को दुबारा गौर करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री प्रतापसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर नहीं कर रहे हैं इस पर । श्री भगवानसिंह को दोषी पाया गया है फिर भी उसको री-इन्स्टेट किया गया है । यह कैसे किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह !

अजमेर जिले में भू-अभिलेख संशोधन का कार्य

35. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्व मन्त्री ने 1972 के बजट सत्र में यह आश्वासन दिया था कि जुलाई, 1972 के पूर्व अजमेर जिले में भू-संशोधन रेकार्ड प्रभावशील हो जायेगा ? यदि हां, तो इस आश्वासन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : भू-अभिलेख संशोधन कार्य शीघ्र पूरा कराने की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था जो पूरा कर लिया गया है परन्तु जिला अजमेर में पुनः बन्दोबस्त कार्य प्रारम्भ किया गया है । अतः पर्चा खतौनी व असेसमेंट पर्चे नहीं बांटे जा सके ।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां तक सवाल है भू-संशोधन पहले हुआ है उसमें माल गुजारी अंकित नहीं है । क्योंकि भू-संशोधन का काम पूरा न होने से लेवी में दिक्कतें आ रही हैं इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा इसको जल्दी करवा दीजिए । काफी किसानों में इस बात का झगड़ा है ।

श्री प्रतापसिंह : निवेदन है कि किशनगढ़ में भू-संशोधन का अभी प्रश्न ही नहीं आता है । जो पर्चे खतौनी और असेसमेंट के बंटने हैं उसमें क्यों विलम्ब किया जाता है

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले ग

श्री परसराम मदेरणा : जो एरिया अर्स्टवाइल अजमेर स्टेट का नहीं है वहां पर री-सेटलमेन्ट नहीं हो रहा है चाहे किशनगढ़ का एरिया हो, चाहे तहसीलों में जो अलग-अलग वंट गये हों लेकिन वहां पर री-सेटलमेन्ट नहीं हो रहा है। री-सेटलमेन्ट केवल उसी एरिया में हो रहा है जो कि अर्स्टवाइल अजमेर स्टेट के खालसा और इस्तमरारी क्षेत्र थे। इन्टरमीडियरीज समाप्त होने के बाद में अलग-अलग लेण्ड रेवेन्यू वसूल करके सरकार को देते थे वह 1/4 ऑफ दी फिक्स्ड रेन्ट रेट था इसलिए इस रेन्ट रेट को यूनीफॉर्मली एप्लाई करने के लिए हम केवल खालसा क्षेत्र में और इस्तमरारी क्षेत्र में हा री-सेटलमेन्ट करवा रहे हैं। बाकी किशनगढ़ क्षेत्र की बात कहते हैं वहां री-सेटलमेन्ट नहीं हो रहा है इसलिए वहां पर पास-बुक वितरण हुई हैं और होने जा रही हैं।

श्री शंकरसिंह रावत : री-सेटलमेन्ट करना जरूरी है। यह कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री परसराम मदेरणा : पहले सर्वे, और करेक्शन का रेकार्ड भी कलेक्टर के अन्तर्गत था और सेटलमेन्ट ऑफिसर की पावर्स कलेक्टर को दी गई है और री-सेटलमेन्ट की पावर्स और कलेक्टर को दी हैं और कलेक्टर वन्दोबस्त अधिकारी की हैसियत से भी काम करता है और एक सीनियर आर. ए. एस. ऑफिसर को कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए लगाया है। उसकी नियुक्ति जल्दी की जा रही है। बाकी काम प्रारम्भ कर दिया गया है। मैं आपको निर्धारित अवधि तो नहीं दे सकता लेकिन ऐसी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह पूरा हो जाये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सवाल पूछना है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि बारबार सरकार अपनी स्कीम्स बदलती है। पहले सेटलमेन्ट कमिश्नर के पास काम था और अब फाइलों को कलेक्टर के पास भेजा गया है और काश्तकार इस बात से परेशान हैं। आप नई-नई नीतियां बनाते हैं, नये नये आफिसर्स बनाते हैं और जब भी हाउस चलता है आप नई-नई नीतियां बताते हैं लेकिन वस्तु स्थिति में काम नहीं होता है। तीन दफा बूंदी में सेटलमेन्ट हो चुका है लेकिन आज तक लेण्ड रेवेन्यू रेकार्ड का क्लेरीफिकेशन नहीं होता और किसानों को राहत नहीं मिलती और सरकार कहती है कि हम ड्राइव कर रहे हैं। वहां आज तक पास-बुकें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं और बूंदी जिले में किसी तरह का काम नहीं हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : आपका प्रश्न अप्रासंगिक भी है और कोई रिलेवेन्ट नहीं है.... ...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : कैसे ?

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि बूंदी के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सेटलमेन्ट का जनरल पॉलिसी का सवाल है।

श्री परसराम मदेरणा : कोई गवर्नमेन्ट की पॉलिसी चेन्ज नहीं हो रही है। लैण्डरेकार्ड के करेक्शन का काम

Page No 14

(श्री परसराम मदेरणा)
कलेक्टर को दिया गया है। यह गवर्नमेंन्ट की नीति संबधी बात है। बूंदी का बहुत डिफरेन्ट मामला है ··

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : बूंदी में कोई काम नहीं हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : वहां सेटलमेन्ट क्लोज हो गया है और पर्चे-लगान के वितरण हो गये हैं। यहां पर लैण्ड रिकार्ड का करेक्शन का काम हुआ है लेकिन यूनीफॉर्मली रेन्ट रेट एप्लाई नहीं हुई हैं इसलिए राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 142 और 145 के नीचे यह शक्तियां कलेक्टर को दी गई हैं और उनको इसके लिए स्टाफ भी दिया गया है ताकि पास-बुकें वितरण कर दी जायें।

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सेटलमेन्ट के बारे में जैसा आपने कहा कि कोई अवधि नहीं दे सकते लेकिन कोई अनुमान तो बता सकते हैं कि इतने अर्से के बाद सेटलमेन्ट क्लोज हो जायेगा और रेकार्ड लैण्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दिया जायेगा। मैं उदाहरण के तौर पर चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील का बताता हूं कि सेटलमेन्ट सम्वत् 2022 में हुआ था और आज सम्वत 2032 चल रहा है। आज दस साल हो गए हैं लेकिन आज तक रेकार्ड नहीं दिया गया है। हजारों काश्तकारों के खातेदारी खसरे हैं और वह दूसरे और तीसरे के नाम कर दिये गये और आज झगड़े हो रहे है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इसका कोई अन्त भी होगा या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह भी अलग से प्रश्न है। लेण्ड रेकार्ड का करेक्शन पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। यह सोचा गया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यूनीफार्म रेन्ट रेट एप्लाई की जा सके। लॉ डिपार्टमेंट की ऐसी ओपीनियन आई कि री-सेटलमेन्ट नहीं होने के अभाव में इस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से यूनिफार्म रेन्ट रेट एप्लाई नहीं हो सकते। इसलिए री-सेटलमेन्ट के ऑर्डर्स कलेक्टर को दिये गये हैं। इन्होंने ही पहले भू-अभिलेखों का संशोधन किया था इसलिए संशोधन तो हो चुका है लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। आपके वहां पर सुजानगढ़ का सेटलमेन्ट क्लोज हो चुका है। आप कह रहे हैं कि बन्दोबस्त वगैरह या जो भी सेटलमेन्ट के पास रेकर्ड है वह रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रान्सफर नहीं किया गया है। यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है। पर जल्दी इसको ट्रान्सफर करा देंगे।

श्री रावतराम : आपको लिखित में दिया है। 10 साल के बाद लोगों के ट्रान्सफर्स हुए हैं और रजिस्ट्रियां हुई हैं—वह सारे रेकार्ड्स अंधेरे में पड़े हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने सन 1972 में आश्वासन दिया था कि लैण्ड रेकार्ड प्रभावशील हो जायेंगे। अब सन् 1975 है क्या मैं यह जान सकता हूं कि अभी तक लैण्ड रेकार्ड जैसी चीज प्रभावशील नहीं हो पाई सरकार के द्वारा, इसके क्या कारण हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कारण मैंने अभी बता दिये। कारण यह है कि पहले

(श्री परसराम मदेरणा)
केवल राज्य सरकार का निर्णय यह था कि लैण्ड रेकार्ड का करेक्शन करना है जो कि खालसा एरिया में सेटलमेन्ट हुआ और डिफरेन्ट सोइल के लिए रेन्ट रेट प्रेस्काइब हुई। इस्तमरारी एरिया में सेटलमेन्ट हुआ। दोनों किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से एप्लाई हो जायेंगे। जो भूतपूर्व राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लैण्ड रेकार्ड का करेक्शन हो जायेगा लेकिन हम बिना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के यूनिफॉर्म रेन्ट रेट एप्लाई नहीं कर सकते। केवल 142 में नोटीफिकेशन निकाल करके सेटलमेंट ऑफिसर के पावर्स जब तक कलेक्टर को इसके लिए सक्षम नहीं बना सकते हैं तब तक यह खामियां रहेंगी इसलिए रेवेन्यू मिनिस्टर का आश्वासन तो पूरा हो गया लेकिन रेन्ट रेट के पर्चे इसलिए नहीं मिले कि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बिना एप्लाई नहीं कर सकते।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह ढिलाई है इसको दूर किया जाये और जल्दी से जल्दी कार्यवाही मुकम्मिल की जाये।

श्री परसराम मदेरणा : जनवरी, 1975 के अन्दर कलेक्टर अजमेर को सेटलमेंट ऑफिसर के पावर्स दे दिये गये हैं और धारा 145 के नीचे उसको सेटलमेंट ऑफिसर बना दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

सीमावर्ती क्षेत्र के व्यक्तियों को हथियारों के लाइसेन्स

36. **श्री वेगाराम चौहान** (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अक्टूबर, सन् 74 में पाकिस्तान के सीमावर्ती तहसालों के लोगों मे नाजायज असला जमा करा लिया गया था ?

(2) अगर हां, तो क्या सीमावर्ती लोगों को इमरजेन्सी में ही हथियारों का लाइसेन्स दिया जाना आवश्यक है ?

(3) अगर हां, तो कितने लाइसेन्स दिए गए ?

(4) क्या यह सही है कि श्री पन्नालाल बारूपाल को हथियार जमा कराने के कुछ दिनों बाद ही लाइसेन्स इश्यू करके दे दिया गया ?

(5) अगर हां, तो अन्य किसानों को जिनके रिकार्ड साफ हैं (सीमावर्ती क्षेत्र वालों) को लाइसेन्स दिए जाने में हिचक क्यों है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसे स्थगित करने के लिए अनुरोध है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : यह बहुत जरूरी सवाल है और बार-बार टाला जा रहा है और सदन का आज आखिरी दिन है और गंगानगर जिले के साथ बहुत बुरा बर्ताव है। वहां पर लोगों को लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं इसलिए इसका उत्तर आना जरूरी है।

(16)

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आवश्यक सूचना के अभाव में स्थगित इसको पिछले सत्र में भी कर दिया गया और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से ऐसा उत्तर आये कि इसकी सूचना नहीं है यह खेदजनक बात है।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आप लिखित में भिजवा दें।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं अभी सीमावर्ती क्षेत्र में गया था और यह प्रश्न मेरे सामने आया था। सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसा करना उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं इसलिए गवर्नमेन्ट सोच समझ कर इस अधिकार का उपयोग करना चाहती है किन्तु कुछ डिटेल्स ऐसी हैं कि जिनका वेरीफिकेशन जरूरी है इसलिए इसको पोस्टपोन करने की बात कही गई है लेकिन जैसे ही इसका उत्तर आ जायेगा हम माननीय सदस्य को भेज देंगे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। जब सरकार ने यह निश्चय कर लिया ....।

श्री अध्यक्ष : बिना सवाल के ही सवाल पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

मैं कहता हूं कि बिना सवाल ही सवाल पूछने की बात है क्या ?

श्री गुरदयालसिंह संधु : जब सरकार ने अभी तक निश्चय नहीं किया तो सरकार ने किस आधार पर कह दिया कि 1974 में जिन लोगों के पास नाजायज हथियार थे वे रजिस्टर्ड करा दें ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट जिन केसेज में सेटिस्फाइड होगी उनको हथियार देने के लिए प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या यह सही है.......

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं कहता हूं कि सिवाय पन्नालाल बारूपाल के कोई लाइसेंस नहीं बना सका है। एक पन्नालाल बारूपाल एम. पी. का ही लाइसेंस बना है इसका क्या कारण है ?

(प्रश्न संख्या 37)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बनवारी लाल, श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री राजेन्द्रसिंह !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : यह प्रश्न कई बार सदन के सामने आ चुका है। गोटेवाला जी अभी तो मौजूद थे, अभी बाहर चले गए हैं। इस प्रश्न का रिप्लाई दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जान बूझ कर चले गए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : गोटेवाला साहब ने घोटाला कर दिया।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

Page No 17

श्री अध्यक्ष : इतने शोर की जरूरत नहीं है। जो माननीय सदस्य सदन में मौजूद ही नहीं है उन प्रश्नों को नहीं लिया जा सकता है। जो प्रश्नकर्त्ता यहां मौजूद हैं उसके प्रश्न पहले लिए जायेंगे उसके बाद समय मिलता है तो औरों को लिया जा सकता है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : प्रश्न की अहमियत को तो मुलाहिजा फर्माइये।

श्री अध्यक्ष : यह आपने ही परम्परा डाली है कि जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हों उनके प्रश्न पहले लिए जावें, उसके बाद समय बचेगा तो उनको भी लिया जायेगा। पहले तो उन्हीं को लिया जाएगा जो मौजूद हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज तो गोटेवाला ने घाटाला कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

अकाल के समय की गई सामान की खरीद

38. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) सन् 1967-68 से सन् 1971-72 तक विभिन्न जिलों में कितने रुपयों का कितना फोडर, व्हीट एवं आटा अकाल के समय खरीदा गया ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो माल बचा रह गया वह अकाल के खतम होने पर राज्य सरकार द्वारा बेचा नहीं गया जिससे राज्य सरकार को 6 लाख 47 हजार का नुकसान उठाना पड़ा ?

(3) क्या यह सही है कि माल जानवर व ह्यूमन कंजम्प्शन के योग्य न रहा था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

राज्य मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में 1967-68 से 1971-72 तक की सूचना चाही गई है ऐसी विस्तृत सूचना जिलाधीशों से अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। इसलिए इसको स्थगित करने की प्रार्थना है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अकाल के समय खरीदे गए सामान में गबन और घोटाला है जिसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हर साल हर सत्र में यह प्रश्न आता रहा है और हर बार राज्य सरकार इस प्रकार की मांग करती रही है कि इसको स्थगित किया जावे। मैं कहता हूं कि अगर सरकार उत्तर देना नहीं चाहती तो वैसा कह दे, हम नहीं पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम !

नीम-का-थाना सब-डिविजन के लिए आवंटित कोयला

39. श्री मालाराम (नीम-का-थाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) नीम-का-थाना सब-डिवीजन में कितनी इण्डस्ट्रीज व भट्टे चालू हालत में

(श्री मालाराम)
हैं ? और इनमें कितना कोयला प्रतिदिन व प्रति माह खपत होता है ?

(2) उक्त क्षेत्र के लिए कितने वेगन कोयला प्रति माह दिया जाता है तथा प्रति उद्योग व भट्टे को कितना कोयला प्रति माह व प्रतिदिन के हिसाब से प्रदान किया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में कोयले की खपत कम है और कोयले का ब्लैक किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले राज्य सरकार की जानकारी में आये हैं ? उक्त क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों के नाम से कितने-कितने उद्योग चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) नीम-का-थाना सब-डिवीजन में 14 इण्डस्ट्रीज व भट्टे चालू हालत में हैं। इनकी 1-10-1973 से 30-9-1974 तक कोयले की खपत की तथा 1975 में आवंटन की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। प्रतिदिन व प्रति माह की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) कोयले का आवंटन प्रतिदिन व प्रति माह के हिसाब से नहीं किया जाता परन्तु उनकी क्षमता को देखते हुए किया जाता है।

(3) ऐसी कोई शिकायत इस क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मालाराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से भट्टे किन-किन के नाम हैं और दूसरी चीज यह कि कितने कोयले का किस महीने में आवंटन हुआ है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नाम बता देता हूं। मैसर्स ओरियन्टल टॉल्क प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. नीम-का-थाना, (2) मैसर्स वेस्ट केमीकल लाईम स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., बाउन्डा, (3) मैसर्स श्री मोदी सेमीगेटेड कंजोलिन प्रा. लि., नीम-का-थाना, (4) मैसर्स दी वेस्ट केमीकल लाईम इण्डस्ट्रीज, माउन्डा, (5) मैसर्स श्री मोदी मिनरल प्राईसिंग जिन्स प्रा. लि., (6) मैसर्स जयनारायण लाईम इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन के पास, नीम-का-थाना। ये तो इण्डस्ट्रीज हैं बाकी भट्टे हैं जिनके नाम पर चूने के भट्टे हैं।

श्री मालाराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। आप यह पूरी जानकारी करके मंगवा लें। इसमें बहुत ही घोटाला है। इसकी आप पूरी जानकारी मंगायें।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : आप जानकारी दे दीजिए उसके आधार पर और मंगवा लेंगे।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : जिन भट्टों को कोयला दिया गया और उन्होंने जो ईंटें बनाईं तो उन ईंटों के भावों पर आप कण्ट्रोल करते हैं या नहीं, जिन भट्टों को आप कोयला देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कोला नहीं कोयला !

Page No 19

(19)

श्री गुरदयालसिंह संधु : कोयला ही कह रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिए नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गफ्फारअली !

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : मुझे जानकारी है नीम-का-थाना के बारे में कि जिन मोदी मिनरल को यह कोयला दिया गया है बाद में वह सारा कोयला नीम-का-थाना रेल्वे स्टेशन पर रिसीव ही नहीं हुआ। क्या उद्योग विभाग ने जानकारी करके दुबारा आवंटन किया है या बिना जानकारी के ही कर दिया है ? मेरा आरोप है कि वह कोयला रास्ते में ही रह गया, नीम-का-थाना उतरा ही नहीं है और उद्योग विभाग ने कोयला दुबारा आवंटित कर दिया।

श्री हरिदेव जोशी : न तो इस प्रकार की सूचना है और न ही प्रश्न में इसका उल्लेख है इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है।

श्री गोपालसिंह : मेरा आराप है इसके लिए कि कोयला लदान होने के बाद रेल्वे स्टेशन पर उतरा ही नहीं है जहां उतरना चाहिये था। इसकी जानकारी किए बिना ही दुबारा कोयला आवंटित कर दिया। क्या सरकार इस स्थिति में जानकारी करना चाहेगी, इसका आश्वासन देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : आप स्पेसिफिक बात कहिए।

श्री गोपालसिंह : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ही है।

श्री हरिदेव जोशी : मेहरबानी करके विराजिये। जब तक माननीय सदस्य स्पष्ट बात नहीं कहें वेग बातों को लेकर कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। आप स्पेसिफिकली बताइये कि किस-किस महीने में यह हुआ, इस बारे में क्या शिकायत थी, वह बताइये तो जांच करा लेंगे।

श्री गोपालसिंह : मैसर्स मोदी मिनरल को अलॉट हुआ है और वह सारा कोयला नीम-का-थाना नहीं पहुंचा। क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जरूर, किन्तु अब आपको भ्रम है कि किसी को उस तरह से अलॉट करते हैं। अब पहले की तरह से अलॉट नहीं करते हैं क्योंकि अब स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ही सारा कोयला मंगवाता है और फिर अलॉट करता है इसलिए इस प्रकार का डायवर्शन होने का प्रश्न नहीं है।

श्री गोपालसिंह : यह बात सही है.....

श्री हरिदेव जोशी : आप सुनिये। आप कहते हैं तो इसकी जांच करवा लेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब कोई प्राइवेट पार्टी उस तरह से मंगवा कर डाईवर्ट नहीं कर सकती है। अब तो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के स्तर पर ही किया जाता है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उद्योग मंत्री महोदय ने फर्माया है, उद्योग विभाग की नॉलेज में

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)
होना चाहिए कि कितना कोटा कोयले का दिया गया है। और आया वह वहां पर उतरा है या नहीं। और जब दूसरा कोटा दिया जावे तो यह उद्योग विभाग की नॉलेज की बात है। अब आप यह कहते हैं कि यह परमिट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन करता है तो यह कब से दिया गया है और यह केस कब का है और उद्योग विभाग ने कब परमिट दिया है ? जरा स्पष्टीकरण करने की महरबानी करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गफ्फारअली !

पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि का मामला

40. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पेन्शनर्स यूनियन के प्रतिनिधियों से पेंशन वृद्धि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को मेमोरेण्डम/रिप्रेजेन्टेशन आदि प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इनकी मांगें राज्य सरकार उचित समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार राजस्थान के पेन्शनर्स को केन्द्र के पेन्शनरों की भांति पेंशन में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार पिछले दो वर्षों में बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो पेंशनर्स की पेंशन में कब से कितनी-कितनी वृद्धि करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का सम्बन्ध वित्त विभाग से है इसलिए उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, आप पहले भी आदेश जारी कर चुके हैं कि जिस विभाग का सम्बन्ध हो उसके अन्दर वह सवाल भेज दिया जावे। यहां जो इस प्रकार का प्रोटेक्स्ट लिया जाता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने पहले भी फर्माया था कि सवालात अगर उनसे सम्बन्धित नहीं हों तो जो मिनिस्टर कंसर्न हैं उनके पास भिजवा दें। इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): उसी हिसाब से भेजा है। यह चूंकि शोर्ट सैशन है इसलिए अभी यह पोसिबल नहीं था कि वह आज ही जवाब दे देते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उत्तर नहीं देना चाहते हैं यह बता दें कि हम इतने प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : असल में यह पॉलिसी मैटर है। चीफ मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद हैं। इस सवाल में कोई आंकड़े नहीं पूछे गए हैं, यह सवाल ऐसा नहीं है कि जिसका कहीं से जवाब आना हो। मैं यह चाहता हूं कि जब चीफ मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद हैं और यह पॉलिसी मैटर है आप अपनी पॉलिसी फर्मा दें सन् 74 के बाद जो रिटायर हो चुके हैं उनको फैसीलिटी दे दी गई है लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत मरने वाले हैं उनको

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

थोड़ी बहुत फैसीलिटी दे दी जावे तो वह आराम से मर सकें। यह तो पॉलिसी डिक्लेरेशन का प्रश्न है पेंशनर्स के बारे में, इसमें कोई आंकड़े हासिल नहीं करने हैं।....

श्री हरिदेव जोशी : यह ठीक है कि ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दो शब्द आप हमदर्दी के भी कह दें तो जो बूढ़े लोग बिस्तरे मर्ज पर मौत की सांसें गिन रहे हैं उनको थोड़ी तसल्ली हो सके।

श्री हरिदेव जोशी : आपका फर्माना तो वाजिब है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वही तो जानकारी देंगे जिनको देनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मुख्य मंत्री जवाब तो दे ही सकते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : जिनको बोलना है वे ही तो बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप से शिष्टमण्डल मिला था।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस पर और किसी के बोलने की अहमियत नहीं है। इस पर तो आपके बोलने की ही अहमियत है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : आप कोई घोषणा करना चाहें तो कर दें। आपने कहा था विचार करने के बाद घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब ! एक निवेदन कर दूं। यह परम्परा रही है जो प्रश्न यहां पर नहीं लिया जा रहा है उस पर ज्यादा वाद-विवाद नहीं किया जाता है। इस पर डिस्कशन चला तो आपके और सवाल रह जायेंगे मैं तो समय दे दूंगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों पर आप कम से कम समय का उपयोग कीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हम समय नहीं चाहते हैं। हमारे नेता महोदय कोई डिक्लेरेशन करना चाहें तो कर दें। ऐसा डिक्लेरेशन सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आज सदन का तीन दिन का सत्र समाप्त होने जा रहा है। कोई घोषणा कर दें, तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम !

श्री हरिदेव जोशी : कोई घोषणा करनी होती तो कर देते।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम !

नीम-का-थाना क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

41. श्री मालाराम (नीम-का-थाना) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम-का-थाना पंचायत समिति में अकाल राहत व क्रेश प्रोग्राम के तहत कितने कार्य सरकार द्वारा जनता को राहत देने के लिए खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मालाराम)

(2) उक्त कार्यों पर क्या सरकार द्वारा अमल करना प्रारंभ कर दिया गया है ? अगर नहीं तो कब तक कर दिया जायेगा तथा कितने-कितने मजदूर किस-किस काम पर लगाये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत : (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) अकाल राहत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री मालाराम : मंत्री महोदय ने कोई तथ्यपूर्ण जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

होमगार्ड्स ट्रेनिंग सांचोर

42. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर, जिला जालोर में होम गार्ड्स ट्रेनिंग सेन्टर का हैड क्वार्टर है ? अगर हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अब उक्त ट्रेनिंग सेन्टर को किसी और स्थान पर स्थानान्तरण करने का विचार किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या पाकिस्तान बॉर्डर के बिलकुल नजदीक होने के कारण उक्त ट्रेनिंग सेन्टर सांचोर में ही रखना राज्य सरकार उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। बॉर्डर होम गार्ड्स, बाड़मेर का कम्पनी मुख्यालय सांचोर, जिला जालोर में दिनांक 26-3-68 से है।

(2) कम्पनी मुख्यालय सांचोर से सेडवा परिवर्तित करने का प्रस्ताव बटालियन कमान्डेन्ट, बाड़मेर से माह मार्च 1974 में होम गार्ड्स, मुख्यालय जयपुर में प्राप्त हुआ था, जो विचाराधीन है।

(3) मामला विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, वे भी यहां पर बिराजे हुए हैं। वहां पर जवान है और 47 माइल का बॉर्डर है, इसको स्ट्रेंग्थन किया जाना चाहिये। इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? क्या इसको उठायेंगे ? कहां सांडवा और कहां सांचोर। यह क्या उपयुक्त होगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं सांचोर गया था, माननीय सदस्य ने इस बात को कहा था और बटालियन हैडक्वार्टर्स का जो सुझाव दिया है उसको इम्पलीमेंट नहीं किया गया है, इसके भी कुछ मायने हैं। हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि बॉर्डर होम गार्ड्स को

(श्री हरिदेव जोशी)
और अधिक स्ट्रेंग्थन किया जाये और इसके बारे में अधिक सक्रियतापूर्वक हम सोच रहे हैं। परन्तु कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर हमें दूसरे लोगों की राय लेनी पड़ती है और उनकी राय को वक्त भी देना पड़ता है। ऑफ हैण्ड मैं यहां पर कुछ नहीं कह सकता।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक इम्पॉर्टेन्ट सवाल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी होम गार्ड की यूनिट है वह एक इम्पोर्टेन्ट यूनिट है। इसमें जो काम करने वाले हैं वे भूतपूर्व सैनिक हैं और उनको डिप्टी कमान्डेन्ट का रैंक दे रखा है और पुलिस में क्राइटेरिया के मुताबिक इनका डी. वाई. एस. पी. का रैंक है। परन्तु उनको टेम्परेरी लिया जाता है और उनको नहीं लेकर घर भेज दिया जाता है। इस प्रकार ये लोग अधर में लटके हुए हैं। क्या सरकार इन की इस स्थिति पर विचार करेगी और निर्णय लेगी? ये लोग जनता की रक्षा में लगे हुए हैं और इनके जीवन को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इनका क्या स्टेटस मानते हैं—पुलिस के अन्तर्गत आपने उनको क्या स्टेटस दिया है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): माननीय अध्यक्ष, यह माननीय सदस्य का भाषण हो रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कमान्डेन्ट को सांचोर के अन्दर ही रखने का प्रस्ताव है। इसके इम्प्लीमेन्टेशन में दिक्कत आ रही है। होम गार्ड्स में ट्रेन्ड होकर हमारे जवान तैयार होते हैं। इसके लिए सांचोर को ही रिकमण्ड किया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है....

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : कांग्रेस के सदस्य ही आश्वासन चाहते हैं तब फिर हमारे आश्वासन कब पूरे होंगे?

श्री हरिदेव जोशी : जिनका काम आश्वासन से पूरा हो जाता है उनको आश्वासन दे देते हैं और जिनका काम काम से पूरा होता है उसको काम करके दे देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : आपकी दुकान की अलग-अलग ग्रेड हैं?

श्री हरिदेव जोशी : यह ग्रेड तो आपकी पार्टी का भी है। आपकी पार्टी में एक सेक्रेटरी है और एक मेम्बर है। हर आदमी सेक्रेटरी नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह प्रश्न इससे रिलेवेन्ट नहीं है। मूल प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। किन्तु एक स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। होम गार्ड्स के अन्दर जिस केटेगरी के लोग जाते हैं, उनका स्टेटस गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के कन्सल्टेशन से तय हो चुका है। उसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु इसका कोई स्पेसिफिक प्रश्न मेरे सामने नहीं आया है। आपके रेफरेन्स से इसको देखूंगा और कार्यवाही करूंगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैंने उसका जवाब दिया है। आपको यूं लगता है कि जवाब नहीं दे सके हैं तो मैंने यह कहा है कि जहां पर आज जो भी यूनिट्स हैं वहां पर रहें और हम अधिक यूनिट्स को बढ़ाना चाहते हैं। इस रूप में कार्यवाही चल रही है किन्तु हमें अन्तिम तौर पर जो आँथोरिटीज हैं उनकी राय लेनी होगी। उसके बाद ही यह होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मीठालाल!

जयपुर जिले में अकाल सहायता कार्य

43. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य के अन्य अकाल ग्रस्त जिलों के मुकाबले जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य कम खोले जा रहे हैं?

(2) क्या यह सच है कि जयपुर जिलाधीश द्वारा भेजी गई अकाल राहत कार्यों की सूची को राज्य सरकार जान बूझ कर स्वीकृति नहीं दे रही है?

(3) क्या यह सच है कि जयपुर जिले के लिए केवल 6 हजार मजदूरों की स्वीकृति ही दी जा रही है?

(4) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील में केवल दो तीन कार्यों को ही स्वीकृति दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जिलाधीश की सिफारिश के आधार पर ही कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जी नहीं। मई में 10 हजार मजदूरों को कार्य पर लगाने की स्वीकृति दी गई है।

(4) जिलाधीश की सिफारिश के अनुसार ही कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार ने उत्तर देने में सावधानी नहीं बरती है। जिला परिषद् की अकाल परामर्शदात्री समिति ने 11-4-75 को सिफारिश करके भेज दी थी और उसमें से आपने गत 30 तारीख को ही 41 काम स्वीकृत किये हैं। जो भी तालाब हैं उन पर काम होगा। इस बीच में 4/5 बार जिलाधीश ने सरकार को रिमाइण्ड किया था। इतनी देर बाद स्वीकृति दी गई है और आपने बताया है कि 6 हजार मजदूरों के लिए स्वीकृति दी है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दस हजार मजदूरों की स्वीकृति दी है।

श्री मीठालाल मीणा : 41 तालाबों पर काम होगा और जो दूसरे अन्य काम हैं वे वन विभाग या भू-संरक्षण के हैं। इन कामों को कराया जाये तो प्रति काम पर 250 से अधिक मजदूर नहीं लगाये जा सकते हैं। तो फिर किस तरह से यह काम

(श्री मीठालाल मीणा)
पूरा हो सकता है जुलाई के पहले कैसे पूरे होंगे ? यह मेरा प्रश्न है। दूसरे आपके पास जिलाधीश जयपुर ने आपको जो सिफारिश की है उसमें विराट नगर लालसोट को स्वीकृत नहीं किया। इन दो तहसीलों को क्यों रखे रखा ? अब आपने इनकी स्वीकृति कर दी है। इसका क्या कारण है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक स्वीकृत कार्यों पर मजदूर लगाने का प्रश्न है यद्यपि जयपुर जिले में मजदूरों की सीमा मई के महीने में 10 हजार निर्धारित की है, लेकिन यह समय जून से आगे बढ़ने वाला है इसलिए जो भी कार्य स्वीकृत किये गये हैं उन पर आवश्यकतानुसार मजदूर लगाकर कार्य पूरे कराये जा सकेंगे।

लालसोट तहसील में सिंचाई कार्य स्वीकृत किये गये हैं और दौसा-सवाई माधोपुर सड़क के कार्य की स्वीकृति दी गई है। विराटनगर तहसील और दौसा तहसील से सिंचाई कार्यों के प्रस्ताव और आये हैं जो कि राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और जिन पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मीठालाल मीणा : जयपुर जिले की अन्य तहसीलों में एक तारीख से काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन विराटनगर और दौसा तहसीलों में कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। सड़क का काम अलग है दौसा से सवाई माधोपुर का।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अलग से नहीं है फेमिन रिलीफ के तहत उसकी स्वीकृति दी गई है।

श्री मीठालाल मीणा : ग्रामीण क्षेत्रों में काम देने की बात है। उसको महत्व देने की बात है। लालसोट तहसील में जो स्वीकृति कार्यों की दी गई थी वह स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं मिली ? जिले में पूरी जगहों पर स्वीकृति नहीं देते तो बात अलग थी, लेकिन केवल दो तहसीलों को क्यों नहीं दी गई ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : इन कामों के बाबत कुछ टेक्निकल स्वीकृति का झगड़ा था, कुछ विवाद था इसलिए रोकी गई है, किन्तु कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बैठकर एक-दो दिन में सफाई कर देंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मैं यह सूचना चाहूंगा कि जब आप पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे तब आपने कुण्डलपुर, दौसा तहसील में रोड के लिए आश्वासन दिया था उसको क्या आप पूरा करेंगे ? वह अधूरा काम है उसको पूरा कराने का आश्वासन दे सकते हैं या आप करवा सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आप विराजिये। अगर मैंने ऐसा कहा था तो मैं अपनी याददास्त को ताजा करके यह देखने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या कहा है, लेकिन जो भी यूटिलिटी वर्क्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के फ्रेम वर्क्स में आ सकते हैं उन सब को फेमिन रिलीफ के अन्दर प्रायोरिटी देना चाहते हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : माननीय अध्यक्ष एक प्रश्न।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, आज आखरी दिन है इस लिए समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : आखरी दिन है यह मुझे मालूम है। यह आपको भी मालूम है कि आज कई महत्वपूर्ण विषय हैं और समय थोड़ा सीमित है उसके अन्दर मैं आगे जाकर निवेदन करने वाला हूं इन सब को देखते हुए। इसलिए इसको यहीं समाप्त करना उचित है।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

26. श्री दीपंकर (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बहुत से जनप्रतिनिधियों ने राजस्थान के विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून व व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाये रखने हेतु लिखित रूप में अनेक पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु मांग की थी? क्या यह भी सही है कि आपने जनप्रतिनिधियों की राय से सहमति जाहिर करते हुए महानिरीक्षक पुलिस को आदेश दिये हैं परन्तु उन आदेशों की परिपालना अभी तक नहीं हो सकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि गृह मंत्री के निर्देश महानिरीक्षक के कार्यालय में कोल्ड स्टोरेज (रद्दी की टोकरी) में रख दिये जाते हैं और महानिरीक्षक, उनकी परिपालना आवश्यक नहीं समझते? अगर हां, तो सरकार इस प्रकार के मामलों में अवज्ञा रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है? जनप्रतिनिधियों की मांग को ठुकराया जाना क्या सरकार की निगाह में लोकतंत्र का मखौल नहीं है? अगर हां, तो लिखित आदेश महानिरीक्षक के कार्यालय में क्यों पड़े हैं? कृपया सम्बन्धित अधिकारियों की सूची मय पद व स्थान के जहां लगाया जाना प्रस्तावित था सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जनप्रतिनिधियों से कभी-कभी अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिन्हें विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजे जाते हैं।

(2) जी नहीं।

बैंक से फर्जी नाम से ली गई राशि का मामला

28. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):— क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दौसा शाखा से वर्तमान राज्य मंत्री श्री मुन्शीलाल महावर ने धोखा देकर लगभग 3,000/- रुपये का भुगतान फर्जी व्यक्ति के नाम से लिया? क्या उक्त बैंक ने थाना दौसा में इस बारे में रिपोर्ट पेश की? यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? कृपया एफ. आई. आर. की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले को श्री महावर अपने पद का दुरुपयोग कर उसमें एफ. आर. दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ? यदि नहीं तो उक्त मामले में अब तक किन-किन मुलजिमों को कब-कब गिरफ्तार किया गया व उन्हें पुलिस अथवा न्यायालय द्वारा कब व कितने की जमानत व मुचलके लेकर छोड़ा गया ?

(3) क्या यह सही है कि श्री महावर धारा 420, 467, 469 व 120 (बी.) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में मुलजिम हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे अपराधी का राज्य मंत्री बना रहना उचित है और क्या ऐसे मामले में इसकी निष्पक्ष जांच होना सम्भव है ?

उत्तर

(1) इसकी एफ. आई. आर. दिनांक 23-7-74 को पेश हुई थी। प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं। मुकदमे की तफतीश जारी है। अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(3) मुकदमे की तफतीश के बाद ही अपराध का निश्चय किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

राज्य में स्थापित उद्योगों के पंजीकृत कार्यालय

37. श्री बनवारीलाल (धौलपुर), श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में स्थापित अनेक बड़े-बड़े कारखाने अपने पंजीकृत कार्यालय राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों में रखे हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन कारखानों की जमीन, बिजली, पानी आदि की अनेक सुविधायें नाममात्र के मूल्य पर राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है परन्तु राज्य कोष को इन कारखानों से कोई लाभ नहीं हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि अकेले कोटा जयपुर व अलवर में ही अनेक इस प्रकार के कारखाने हैं जो राज्य में प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं परन्तु बिक्री कर के रूप में एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं चुकाते ?

(4) क्या यह सही है कि इन कारखानों का पंजीकृत कार्यालय राज्य से बाहर होने के कारण इनसे प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों की राशि में से भी राज्य को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता ?

(5) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के कारखानों द्वारा बिक्री कर व केन्द्रीय करों की राशि से वंचित करने के नियोजित प्रयास से राज्य कोष को होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाया है ? यदि हां, तो उसके परिणाम बताये जायें।

(6) इस प्रकार की हानि को भविष्य में रोकने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

Page No 28

(28)

(उद्योग मन्त्री)

(5) जी नहीं।

(6) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के स्तर पर विचार विनिमय चल रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला टोंक में डेयरी विकास कार्यक्रम

8. श्री अर्जुनसिंह (टोंक) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार द्वारा टोंक जिले में डेयरी विकास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है? यदि हां, तो इस की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

टोंक जिले के लिये कोई अलग से डेयरी विकास का कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। पर विश्व बैंक ने राजस्थान के पूर्वी 6 जिलों के लिये डेयरी विकास का जो कार्यक्रम स्वीकृत किया है, उसमें टोंक जिला भी शामिल है। इसके अन्तर्गत टोंक जिले के लिये जो कार्यक्रम लिया जायगा वह अभी निश्चित नहीं किया गया है।

नागौर, मेड़ता व परबतसर के पशु मेले

9. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर, मेड़ता व परबतसर के राज्य पशु मेलों पर पिछले तीन-तीन मेलों पर किस-किस मद पर कितना-कितना व्यय किया गया?

(2) नागौर, मेड़ता व परबतसर मेलों से पशुपालन विभाग व वाणिज्य कर विभाग को पिछले तीन-तीन मेलों पर कितनी-कितनी आमदनी हुई?

(3) मेला अधिनियम के अन्तर्गत व्यय नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) सूची (क) संलग्न है।

(2) पशुपालन विभाग को मेलों पर हुई आमदनी की सूची (ख) संलग्न है।

(3) मेला अधिनियम में व्यय हेतु कोई निर्देश नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राज्य में एस. टी. सी. केन्द्र

10. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विभाग द्वारा राज्य में एस.टी.सी. केन्द्र कहां-कहां पर नये खोले गये और कितने पुराने चल रहे हैं?

(2) इनमें छात्र संख्या कितनी रखी गई है?

(3) उक्त विद्यालयों से दो वर्षों में कितने छात्र-छात्रायें उत्तीर्ण हुए तथा इनमें से विभाग द्वारा कितनों को नौकरी पर लगा दिया गया?

(4) उक्त केन्द्रों पर प्रशिक्षण पाने के लिये चयन का आधार क्या रखा गया है?

उत्तर

(1) विभाग ने सत्र 73-74 में 11 नये एस.टी.सी. स्कूल खोले शेष 21 पहले से

(शिक्षा मन्त्री)

चल रहे थे। इस सत्र में निजी क्षेत्र में 2 और एस.टी.सी. स्कूल (सुरोठ व डीग) खोले गये।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 2 वर्षों में 4098 छात्र-छात्रायें उत्तीर्ण हुए। सूचना जिला शिक्षा अधिकारियों से संकलित की जा रही है।

(4) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन का आधार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जे. बी. हायर सेकेण्डरी स्कूल लाडनूं

11. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जे. बी. हायर सैकेण्डरी स्कूल, लाडनूं के मैनेजमेन्ट द्वारा श्री नवरत्नमल भोजक नामक एक अध्यापक को 6 साल पहले गबन और अनियमितताओं के आधार पर सेवा मुक्त किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक ने मैनेजमेन्ट के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर, जोधपुर के पास अपील की थी और उस अपील में मैनेजमेन्ट का फैसला बहाल रखा गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि डिप्टी-डायरेक्टर के फैसले के विरुद्ध समय पर नियमानुसार अपील राज्य सरकार के पास की जानी चाहिये थी परन्तु उक्त अध्यापक ने नियम विरुद्ध अपील डायरेक्टर के पास की और डायरेक्टर ने अनाधिकृत तौर पर मैनेजमेन्ट की एड बन्द करने की धमकी दी और सरकार को मुगालते में रखते हुए लगभग बीस हजार रुपयों का पेमेन्ट नागौर ट्रेजरी से स्कूल एड से मास्टर को करवा दी गयी जिससे स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ा गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने मैनेजमेंट की एड से मास्टर को पेमेन्ट न करने का आदेश दिया था फिर भी पेमेन्ट हो गया ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त राशि अध्यापक से वापिस वसूल करने और इस विषय की जांच करवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो जांच कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

(स्थगित किया गया।)

तहसील लालसोट में उच्च शिक्षण संस्थाओं का खोला जाना

12. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य में इस वर्ष खोले जाने वाले प्रा. उ. प्रा. मा. व उच्च मा. तथा इण्टर कॉलेज अथवा महाविद्यालय के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(2) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट त. में उ. प्रा., माध्यमिक उ. मा., इण्टर कॉलेज अथवा महाविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थाओं का अत्यन्त अभाव है ? यदि हां, तो सरकार इसी वर्ष से लालसोट त. में विभिन्न प्रकार के कितने स्कूल तथा इण्टर कॉलेज अथवा महाविद्यालय खोलने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार नैतिक आधार पर लालसोट तहसील में उच्च शिक्षण संस्थाओं के खोलने की आवश्यकता को महसूस करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। 15 मई तक ऐसे प्रस्ताव निदेशालय से मांगे गये हैं जहां उनका विश्लेषण होगा।

(2) लालसोट तहसील में शाला क्रमोन्नति के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकता निर्धारण करते हुए वित्तीय साधनों के अनुरूप नई शिक्षण संस्थायें खोलती हैं।

पोलिटैक्निक शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड

13. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पोलिटैक्निक शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड देने के बारे में शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात् भी वित्त विभाग राज्य सरकार पर वित्तीय भार बतला कर इस उचित मांग को अस्वीकार कर देता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग इसे बार-बार अस्वीकार कर रहा है जबकि राज्य के कॉलिज शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा व राज्य के अन्य विभागों में इससे भी अधिक वित्तीय भार पड़ने पर भी वे सलेक्शन ग्रेड के पद स्वीकार करता रहा है। जबकि पोलिटैक्निक विभाग में सलेक्शन ग्रेड प्रदान करने में राज्य सरकार पर सिर्फ दस से पन्द्रह हजार रुपयों का ही वित्तीय भार पड़ता है? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार इस पर क्यों विन्मुख हो रही है?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्री ने सदन की बैठक में यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार द्वारा टी.टी.टी.आई. डिप्लोमा को अन्य राज्यों द्वारा मान्यता दिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस डिप्लोमा को विधिवत पोलिटैक्निक शिक्षा में प्रवक्ता के पद हेतु आवश्यक मान्यता प्रदान कर देगी? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार को मान्यता संबंधी समस्त उत्तरीय भारत के राज्य जिनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश व अन्य राज्य जिनमें मणिपुर, आसाम व नागालैंड राज्यों द्वारा मान्यता संबंधी पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर भी इस डिप्लोमा को अब तक मान्यता क्यों प्रदान नहीं की गई है? क्या यह भी सही है कि राज्य के पोलिटैक्निक संस्थानों में कार्यरत टी. टी. टी. आई. योग्यता वाले इन्स्ट्रक्टर व डिमोन्स्ट्रेटर्स को अन्य राज्यों में इस योग्यता के आधार पर प्रवक्ता के पद पर 400-1000 तथा 550-1100 के वेतनमानों में नियुक्ति-पत्र मिलने पर भी राज्य सरकार की अनुबन्ध शर्तों के अनुसार उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है, जबकि इस योग्यता के आधार पर उनके लिये कोई भी पदोन्नति का प्रावधान नहीं है?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 95 दिनांक 5-2-74 के उत्तर में यह स्वीकार किये जाने पर कि पोलिटैक्निक में डिप्लोमा योग्यता वाले डिमोन्स्ट्रेटर्स व इन्स्ट्रक्टर्स का वेतनमान आई. टी. आई. के इन्स्ट्रक्टर्स

(श्री अमृतलाल गहलोत)

के समान ही है, जबकि उनकी योग्यता सिर्फ आई. टी. आई. प्रमाण पत्र ही होती है, जो डिप्लोमा योग्यता से बहुत ही कम स्तर की है। पोलिटैक्निक में डिप्लोमा योग्यता वाले शिक्षकों के लिये उच्च पदों पर पदोन्नति का क्यों प्रावधान नहीं है? जबकि आई. टी. आई. जिनमें भी उच्च पद जो प्रधानाचार्य, प्रशीक्षक व फोरमैन जिनके लिये भारत सरकार के डी.जी. ई.टी. द्वारा मान्यता योग्यता सिर्फ इंजीनियरिंग में डिग्री व डिप्लोमा ही है व पूरे भारत के सभी आई. टी. आई. संस्थानों में डिग्री व डिप्लोमाधारियों को ही इन पदों पर नियुक्त व पदोन्नति प्रदान कर रही है, जबकि तकनीकी शिक्षा में ही डिप्लोमा व डिग्री योग्यता वाले पोलोटैक्निक में उपलब्ध हैं? देश के अन्य राज्यों में जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल कर्नाटक व बिहार आदि राज्यों में डिप्लोमा योग्यता वाले शिक्षकों को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान करती है, तब राजस्थान के प्रावैधिक शिक्षा नियम, 1974 में इसका प्रावधान क्यों नहीं है?

(5) क्या यह सही है कि पोलिटैक्निक संस्थानों में कार्य कर रहे पी. टी. आई. व लाइब्रेरियन्स जिनके लिए पोलिटैक्निक संस्थानों में कोई पदोन्नति का प्रावधान नहीं है तथा शिक्षा मंत्री ने भी इसे स्वीकार किया था और उनकी सेवाओं को कॉलेज शिक्षा के साथ एन्केडर करवाने के लिये विचार व्यक्त किये थे? यदि हां, तो अब तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, जब कि पोलिटैक्निक के पी. टी. आई. व लाईब्रेरियन्स कॉलिज शिक्षा में अपने काउण्टर पार्ट्स के समान योग्यता का अनुभव रखते हैं?

(6) क्या यह सही है कि राज्य की तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत आने वाली पोलिटैक्निक संस्थानों के सभी राजपत्रित पदों के वेतन मानों में विगत 14 वर्षों से कोई रिवीजन नहीं हुआ है जबकि राज्य सरकार के अन्य सभी विभागों के वेतनमानों में समय-समय पर सुधार किया गया है? यदि हां, तो क्यों? जबकि राजस्थान की पोलिटैक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान सीमावर्ती राज्यों व केन्द्रीय सरकार द्वारा एक दशक पूर्व स्वीकृत वेतनमानों से भी कम है?

(7) राज्य सरकार द्वारा इस विभाग के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कॉलेजों के लिये क्या राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों को पोलिटैक्निक संस्थानों में लागू करने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पोलीटैक्निक शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड देने हेतु राज्य की वितीय स्थिति ठीक न होने के कारण वित्त विभाग ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

(2) जी हां। अन्य विभागों में इस बीच कहां कहां सलेक्शन ग्रेड के पद स्वीकृत हुए इसकी सूचना विभागों से एकत्रित की जा रही है।

(3) टी. टी. आई. डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में अन्य राज्य सरकारों से वांछित सूचना प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेना सम्भव होगा।

(शिक्षा मन्त्री)

टी. टी. आई, चण्डीगढ़ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के खर्चे पर डिप्लोमा देता है जो व्यक्ति उक्त डिप्लोमा प्राप्त करता है उसे एक बोण्ड लिखना पड़ता है कि उसे 3 साल तक राज्य सरकार के अधीन कार्य करना आवश्यक है। अतः किसी कन्स्ट्रेटर/डिमोन्स्ट्रेटर को अन्य राज्यों में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त होने पर अनुबन्ध शर्तों के आधार पर ही रोका जाता है। पोलीटेक्निकों में प्रवक्ता के पद के प्रमोशन के लिए स्नातक अभियांत्रिकी या समकक्ष योग्यता प्राप्त करने पर पदोन्नति दी जा सकती है।

(4) यह सही है कि पोलीटेक्निक के डिप्लोमा रखने वाले शिक्षकों का वेतन मान आई. टी. आई. के अनुदेशों के समान हैं जिनकी योग्यता आई. टी. आई. सर्टीफिकेट होती है। परन्तु अब सेवा नियम के अनुसार डिप्लोमा योग्यता रखने वाला अभ्यार्थी इस पद पर चयन किया जा सकता है। पोलीटेक्निक में कार्यरत डिप्लोमा योग्यता वाले अभ्यार्थियों का प्रवक्ता के पद पर किये जाने का प्रावधान सेवा नियमों में नहीं है। उसके लिए उनको अपनी योग्यता बढ़ानी आवश्यक है। पदोन्नति उन्हीं शिक्षकों की की जाती है जो स्नातक अभियांत्रिकी अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। प्रधानाचार्य, अधीक्षक का सवाल है डी. जी. ई. टी. के मैन्युल के मुताबिक उनकी सीधी भर्ती के लिए योग्यता डिग्री या डिप्लोमा ही रखा गया है। प्रधानाचार्य के पदों के लिए प्रमोशन के लिए डिप्लोमा रखा गया है।

(5) यह सही है कि पोलीटेक्निक में कार्यरत पी. टी. आई. एवं लाइब्रेरियन्स के पोलीटेक्निक संस्थान में पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। गुप्ता समिति की रिपोर्ट के पश्चात् शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक समिति का गठन अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन मानों में असंगतियों को दूर करने के लिए की गई है। जिसका निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। निर्णय प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

(6) यह सही नहीं है कि 14 वर्षों में कोई वेतन मानों का रिवीजन नहीं हुआ है। समय-समय पर वेतन मानों में सुधार हुआ है।

(7) पोलीटेक्निक में कार्यरत प्रवक्ताओं के एवं अन्य अधिकारियों के वेतनमानों यू. जी. सी. ग्रेड के समकक्ष वेतन मान देना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सार्वजनिक छात्रावास सांचोर

14. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक छात्रावास, सांचोर को कितनी अनुदान राशि कब तक मन्जूर कर दे दी जावेगी।

(2) सार्वजनिक छात्रावास, सांचोर के भवन की विशेष मरम्मत के लिये कितनी धनराशि कब तक मन्जूर कर मरम्मत करवा दी जावेगी ?

(3) सांचोर उच्च माध्यमिक पाठशाला का एक पुराना ब्लॉक अलग किया जाकर उच्च प्राथमिक पाठशाला पुराने ब्लॉक में कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) उच्च माध्यमिक पाठशाला, सांचोर के भवन निर्माण के लिये कितनी अनुदान राशि कब तक मन्जूर कर दी जावेगी ?

(5) उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला एवं सांचोर की ढाणी उच्च प्राथमिक पाठशाला के भवन की मरम्मत एवं नये कमरे के निर्माण हेतु कितनी कितनी धन-राशि कब तक मन्जूर कर उक्त कार्य करवा दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ऐसे समस्त प्रार्थना-पत्र एकत्रित होने पर उन पर विचार किया जायगा।

(2) इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ऐसे समस्त प्रार्थना-पत्र एकत्रित होने पर उन पर विचार किया जायगा।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर को इस विषय में अपनी विस्तृत टिप्पणी सुझावों सहित भेजने को लिखा जा रहा है।

(4) राज्य सरकार की नीति जन सहयोग की राशि की समकक्षता में भवन निर्माण हेतु सहायता देने की है इस प्रकार के प्रस्ताव इस विद्यालय के लिये यदि प्राप्त होंगे तो अन्य प्रस्तावों के साथ उन पर भी विचार किया जायगा।

(5) इन विद्यालयों के लिये भवन मरम्मत संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं बजट प्रावधान होने का दशा में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

तहसील सांचोर में प्राथमिक पाठशालाओं का खोला जाना

15. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांचोर में कहां-कहां पर उच्च प्राथमिक पाठशालाएं इस वर्ष खोलने का राज्य सरकार का विचार है तथा ये पाठशालाएं कब तक खोल दी जावेंगी ?

(2) तहसील सांचोर माध्यमिक पाठशालाएं कहां-कहां पर खोलने का सरकार का विचार है ? उक्त पाठशालाएं कब तक खोल दी जावेंगी ?

(3) पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कितने नये शिक्षक कब तक दे दिए जाएंगे ताकि कई बन्द स्कूलें दुबारा शुरू करवाये जा सकें ?

(4) क्या सरकार इस वर्ष पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कहां-कहां पर पाठशालाएं खोलने का निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) वर्तमान में तहसील सांचोर में उच्च प्राथमिक शालायें खोले जाने हेतु प्रस्ताव मांगे गये हैं। प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात् आगामी शिक्षा सत्र में शालायें खोली जायेंगी।

(2) अभी प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) पंचायत समिति, सांचोर की तरह अतिरिक्त अध्यापकों की मांग बहुत सी पंचायत समितियों द्वारा की जा रही हैं और यह सूचना विकास विभाग, जयपुर द्वारा संकलित की जा रही है वहां से पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर ही उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार आगे की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(4) इस वर्ष प्राथमिक शालाएं खोलने का सरकार का विचार नहीं है। फिर भी आवश्यकतानुसार विचार किया जा सकेगा।

जिला जालौर में अकाल राहत कार्य

16. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में दस मील की परिधि में कम से कम एक अकाल राहत कार्य के हिसाब से अभी तक कोई कार्य नहीं खोले गये हैं? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो तहसील सांचोर एवं तहसील भीनमाल में कहां-कहां, कितने कितने अकाल राहत कार्य खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि अकाल राहत कार्यों पर कुटुम्ब के सब सबल सदस्य नहीं लगाये जा रहे हैं? अगर हां, तो क्यों? प्रति कुटुम्ब कितने सदस्य राहत कार्यों पर किस आधार पर लगाये जा रहे हैं?

(3) क्या यह सत्य है कि अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों के लिए अकाल राहत कैम्पों पर जिला जालौर में अनाज एवं पीने के पानी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कब क्या व्यवस्था की गई है?

(4) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में अकाल ग्रसित ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की अभी तक माकूल व्यवस्था नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कितने टैंकरों द्वारा कब तक क्या व्यवस्था की गई है? प्रति व्यक्ति कितना पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है और पीने के पानी की पूरी व्यवस्था सब क्षेत्रों में कब तक कर दी जावेगी?

(5) क्या यह सत्य है कि असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता जिला जालौर में अभी तक नहीं दी गई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कितने व्यक्तियों को कब से सहायता प्रदान की जा रही है? बाकी बचे हुए असहाय व्यक्तियों को पिछले अकाल वर्षों की भांति

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सहायता कब तक दिलानी शुरू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । तहसील सांचोर और भीनमाल में खोले गये कार्यों की सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार श्रमिकों की अधिकतम संख्या जो सहायता कार्यो पर लगाये जावेंगे निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है:—

जिस परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से कम है उसके 2 सदस्य ।

जिस परिवार में 5 से अधिक किन्तु 8 तक सदस्य हैं उसके 3 सदस्य ।

जिस परिवार में 8 से अधिक किन्तु 12 तक सदस्य हैं उसके 4 सदस्य ।

जिस परिवार में 12 से अधिक सदस्य हैं तो कुल सदस्यों का 1/3 भाग काम पर लगाया जावेगा और इस नीति के अनुसार ही काम पर लगाया जा रहा है ।

(3) जिला जालौर में जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार आहोर तहसील के खारा, थुम्भा एवं मंडला ग्राम के तालाब जवाई नहर द्वारा भर दिये गये हैं तथा टेंक काथा एवं चूंदा को भरने के लिये मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग को लिखा गया है । जिला जालौर में दो टेंकर्स हैं जिससे आवश्यकतानुसार पेय जल परिवहन व्यवस्था की जा रही है । तथा वर्ष 1975-76 में जालौर जिले को 25,000) रुपये का आवंटन मरम्मत, परिवहन एवं पी.ओ.एल. के लिए किया गया है । पियाई के लिए 5,000) रुपये की धनराशि आवंटित की गई है । नल कूप से पानी की व्यवस्था के लिए तहसील भीनमाल में कुंडा नल कूप चालू करने की स्वीकृति जिलाधीश के प्रस्तावानुसार दी गई है । एवं सांचोर तहसील के ग्राम सरवाना, सेसवा, डूंगरी ग्रामों में जहां कि पानी की बहुत कमी है टेंकरों से पानी दिया जा रहा है । पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(4) जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार व्यवस्था की हुई है । सांचोर तहसील के सरवाना, सेसवा, डूंगरी गांवों में जहां पानी की बहुत कमी है टेंकरों से पानी दिया जा रहा है । पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(5) जी नहीं । जालौर जिले में जनवरी से ही असहाय सहायता शुरू कर दी है । जनवरी में 20 हजार, फरवरी में 25 हजार एव अप्रेल में 1 लाख रुपये दिये गये हैं जिससे व्यक्तियों को यह सहायता दी जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राज्य में निगम और मंडलों का गठन

17. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कुल कितने निगमों और मंडलों का गठन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
किया जा चुका है ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(2) इन निगमों/मंडलों का गठन किन उद्देश्यों के लिए किया गया है।

(3) इन निगमों/मंडलों के अध्यक्ष व प्रबन्ध संचालक पद पर इस समय कौन कौन काम कर रहे हैं ?

(4) इन अध्यक्षों व प्रबन्ध संचालकों को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है ? इनमें से कितने सरकारी सेवा के हैं तथा कितने गैर सरकारी ?

(5) क्या इन अध्यक्षों व प्रबन्ध संचालकों को मासिक वेतन अतिरिक्त अन्य भत्ते व सुविधाएं जैसे टेलीफोन, मकान, सवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि की सुविधा भी दी जाती है ? यदि हां, तो कृपया प्रत्येक का विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(6) कृपया प्रत्येक निगम/मंडल, संचालक मण्डल के सदस्यों के नाम भी बताएं। क्या संचालक मंडल सदस्यों को भी कोई भत्ता या सुविधाएं दी जाती हैं ?

(7) अध्यक्ष तथा संचालक मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

(8) कृपया निगम/मंडलवार यह भी बताने का कष्ट करें कि इनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं तथा उनमें से कितने सरकारी कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं या उनको मिलने वाले डेपुटेशन भत्ते की राशि क्या है ?

(स्थगित किया गया)

नागौर जिला इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट के द्वारा उद्योगों को सहायता

18. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिला इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट द्वारा इस साल किस-किस उद्योग को क्या-क्या और कितनी सहायता, लोन व कच्चा माल आदि दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस प्रकार के इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट की व्यवस्था गैर सरकारी जन प्रतिनिधियों के हाथों में संभलवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। क्योंकि परियोजना समिति में गैर सरकारी जन प्रतिनिधि भी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थाना बनो पार्क जयपुर में दर्ज मामले

19. श्री गणेशलाल पालिया (गंगरार) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थाना बनीपार्क, जयपुर में दर्ज मुकद्‌मा नम्बर 44 सन् 1971 धारा 406, 420 भा. द. सं. व मुकद्‌मा नम्बर 45 सन् 1971 अनुसंधान पर झूठे पाये गये थे ? यदि हां, तो इन मुकद्‌मों में शिकायत कर्त्ता कौन था और क्या उस पर क्या झूठे मुकद्‌मे बनाने के आरोप में धारा 182 व 211 भा. द. सं. के अन्तर्गत काई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उन पुलिस अधिकारियों (कर्मचारियों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने उक्त मामले में देरी की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि थाना बनीपार्क, जयपुर में मुकद्‌मा नम्बर 106 सन् 1972, धारा 452 भा. द. सं. व मुकद्‌मा नम्बर 108 सन् 1972 में दर्ज हुए थे ? यदि हाँ, तो यह मामले किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध थे और इसमें पुलिस अनुसंधान का क्या परिणाम निकला और इन मुकद्‌मों की वर्तमान स्थिति क्या है ? और यदि यह मुकद्‌में नस्तीबद्ध कर दिये गये हैं तो किस आधार पर ?

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग एक में वर्णित धारा 211 या 182 के मामले के संबंध में महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान ने लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को सूचना दी थी कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध चालान कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह सूचना किस आधार पर दी गयी थी और क्या यह सही है कि अभी तक उक्त व्यक्ति के विरुद्ध चालान पेश नहीं हुआ है ?

(5) क्या यह सही है कि श्री बन्सीधर ने वर्ष 1974 में प्राण रक्षा हेतु एक आवेदन-पत्र मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर एवं सी. बी. आई., राजस्थान शाखा को देते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कई मामलों में थाना बनीपार्क, जयपुर द्वारा कार्यवाही न करने का उल्लेख किया था और मुख्य मंत्री एवं सी. बी. आई. ने उक्त आवेदन-पत्र महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान जयपुर को भेजे थे ? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है और उक्त आवेदन-पत्र में वर्णित प्रत्येक केस की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(6) क्या यह सही है कि श्री चन्द्र प्रकाश चेला विजय दास ने भी माह फरवरी 1975, में थाना बनीपार्क, जयपुर पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का पक्षपात करने के संबंध में महानिरीक्षक आरक्षी को प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि श्रीमती सूजी का भी कोई प्रार्थना-पत्र महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

(गृह मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। इन दोनों ही मुकदमात संख्या 44 व 45/1971 थाना बनीपार्क, जयपुर में शिकायतकर्त्ता श्री हरी नारायण पुत्र लक्ष्मानारायण सैनिक निवासी नाहरी का नाका जयपुर थे। इन दोनों ही मुकदमों में अन्तिम प्रतिवेदन "अदल वकू" में क्रमशः दिनांक 16-10-71 व 25-3-71 को दिये जा चुके हैं। शिकायतकर्त्ता द्वारा झूठे मुकदमें पंजिबद्ध करवाने के सन्दर्भ में धारा 182 भा.द.स. के अन्तर्गत इस्तगासे अन्तिम प्रतिवेदनों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं। पुलिस द्वारा इस मामले में देरी नहीं की गई है।

(3) जी हां। मुकदमा नं. 106 व 108 सन् 1972 पुलिस थाना, बनीपार्क, जयपुर में क्रमशः हनुमानसिंह, मदन, प्रेम, बन्शीलाल व मुरारीलाल तथा हरीनारायण, प्रेम मदन, सैनी, बंशीलाल, हनुमान व रामकिशोर के विरुद्ध दर्ज हुये थे। दोनों ही मुकदमात में बाद तफतीश सबूत न मिलने के कारण क्रमशः दिनांक 28-7-72 व 31-8-72 को एफ. आर. "अदम सबूत" में दी जा चुकी है।

(4) पुलिस महानिरीक्षक महोदय, राजस्थान, जयपुर ने लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थानज, यपुर को सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध इस्तगासे धारा 182 ता. हि. पेश करने की सूचना दी थी क्योंकि इस्तगासे तैयार किये जाकर एफ. आर. के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

(5) जी हां। उक्त आवेदन-पत्र पर जांच करवाई गई। आवेदन-पत्र में वर्णित मु. नं. 341/73 थाना बनीपार्क में चालान पेश किया गया। दीगर मुकदमात में जो कार्यवाही की गई है जिनका ब्यौरा उपरोक्त पैरों में दिया जा चुका है।

(6) जी हां। उक्त आवेदन-पत्र अभियोग संख्या 89/75 धारा 420/406 ता. हि. थाना बनीपार्क, जयपुर से सम्बन्धित है जो विचाराधीन है।

(7) श्रीमती सूजी का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु श्री फूलचन्द कुमावत द्वारा प्रेषित परिवाद में उसका उल्लेख अवश्य था। पर जांच कराई जाने पर पाया गया कि उसका मकान श्री हरीनारायण सैनी ने हड़प लिया है जिसका दीवानी दावा अदालत में चल रहा है।

टोंक जिले का औद्योगिक सर्वे

20. **श्री अजीतसिह (टोंक)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने टोंक जिले की औद्योगिक सर्वे कराई है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

नागौर जिला मुख्यालय पर आवासीय भवन

21. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिला मुख्यालय में सरकारी अधिकारियों के लिये कितने आवासीय भवन हैं एवं कब-कब से कौन-कौन अधिकारी इन भवनों में रह रहे हैं ?

(2) क्या अन्य जिला मुख्यालयों की अपेक्षा नागौर में ऐसे आवासीय भवन कम हैं एवं ऐसे भवनों की संख्या बढ़ाने पर सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(3) नागौर जिला मुख्यालय पर आवासीय भवनों के आवंटन हेतु किस-किस अधिकारी के प्रार्थना-पत्र कब-कब से पेंडिंग चल रहे हैं ?

(स्थगित किया गया)

थाना रामगंज, जयपुर में दर्ज मामले

22. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) थाना रामगंज, जयपुर में सन् 1972 में विभिन्न न्यायालयों से कौन-कौन से इस्तगासा धारा 147, 447, 427 आई. पी. सी. के तहत आये और उनमें कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? सम्पूर्ण विवरणवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि न्यायालय एडीशनल मुंसिफ़ मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 3 जयपुर शहर से इस्तगासा उनवानी वे दामोदर बनाम मै. दीपचन्द वगैरह को वास्ते तफ्तीश जुर्म 147, 427, 447 का सन् 1972 में थाना रामगंज में आया ? यदि हां, तो इसकी अन्तिम तफ्तीश रिपोर्ट कब पेश की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त इस्तगासा 156 (3) सी. आर. पी. सी. थाना रामगंज के एस. एच. ओ. श्री चतरसिंह द्वारा मुकदमा नं. 51 अन्तर्गत धारा 147, 447, 427 आई. पी. सी. कायम की जाकर तफतीश श्री प्रहलादसिंह एस. आई. को दी गई ? यदि हां, तो उस पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मै. दामोदर ने दिनांक 26-11-71 को एक रिपोर्ट थाना रामगंज में श्री दीपचन्द वगैरह के विरुद्ध दर्ज कराई ? यदि हां, तो उस पर पुलिस द्वारा क्या इन्वेस्टीगेशन की गई ? इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त इस्तगासा 1972 की अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त इस्तगासा 1972 की अन्तिम रिपोर्ट पेश नहीं करने में अधिकारियों का हाथ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना रामगंज, जयपुर में सन् 1972 में केवल एक इस्तगासा

(गृह मन्त्री)

प्रार्थी श्री दामोदर माली निवासी गंगापोल, जयपुर का धारा 147,427,447 भा. द. सं. के अन्तर्गत न्यायालय ए. एम. एम. नं. 3 जयपुर से धारा 156 (3) जा. फौ. के तहत प्राप्त हुआ था जिस पर अभियोग संख्या 51, दिनांक 5-4-72 को पंजिबद्ध किया गया। अनुसंधान के पश्चात् दिनांक 21-8-72 को एफ आर. अदम सबूत में दी गई एवं पुनः अनुसंधान कर दिनांक 17-4-74 को एफ. आर. अदमबकू (सिविलनेचर) में दी गई है।

(2) जी हां। इस्तगासा श्री दामोदर का प्राप्त हुआ था जिसका विवरण पैरा नं. प्रथम में अंकित किया जा चुका है।

(3) जी हां। अभियोग भूतपूर्व थाना अधिकारी रामगंज श्री चतरसिंह ने पंजिबद्ध कर अनुसंधान के लिए श्री प्रहलाद सिंह उप निरीक्षक को दिया था जिन्होंने अनुसंधान के पश्चात् मुस्तगीस द्वारा सबूत "गवाहान" पेश न करने के कारण दिनांक 21-8-72 को एफ. आर अदम सबूत में दी थी।

(4) दिनांक 26-11-71 को प्रार्थी दामोदर द्वारा श्री दीपचन्द वगैरह के विरुद्ध कोई रिपोर्ट थाना रामगंज पर करना रेकार्ड से नहीं पाया गया।

(5) अभियोग संख्या 51/72 थाना रामगंज में एफ. आर. दी जा चुकी है जिसका विवरण पैरा नं. 1 में अंकित किया जा चुका है।

(6) इस अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन दिनांक 17-1-74 को दिया जा चुका है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 सितम्बर को चक 7 के थाना रायसिंहनगर में संतकौर नामक एक महिला को कुछ व्यक्तियों द्वारा गला घोंटकर मार देने तथा उसके जेवर, कपड़े आदि लूट लेने के विषय में,

2. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा, की ओर से पिछले कुछ दिनों से कोर्ट फीस के 50, 10 व 5 पैसे के टिकट जयपुर शहर में उपलब्ध न होने के विषय में,

3. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 10 जनवरी, 1975 को श्रीमती गंगा बेवा सानाराम साकिन 53 एन. पी. थाना रायसिंहनगर के साथ किये गये बलात्कार के विषय में,

4. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर में पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में,

5. श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा, की ओर से अजमेर जिले के कई शहरों के पेयजल के जल के अभाव के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): 6 महीने बाद जानकारी मालूम हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आपका काम हो जायगा थोड़ा बहुत ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : As we have got no legal force....

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : इनका जवाब माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाय तो अच्छा रहे ।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान किराया नियंत्रण व बेदखल कानून, 1950 में संशोधन के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट सरकार को गत 10 सितम्बर को पेश कर देने के बाद भी कोई कार्यवाही न करने के विषय में । यह प्रश्न हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है ।

7. श्री विठ्ठल भाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 24 अप्रेल, 1975 को थाना करनपुर के क्षेत्र में मुकन गांव के किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धनपतराम व उसकी पत्नी की पिटाई के विषय में । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है ।

8. सर्व श्री मालाराम व गोपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 5 मई, 1975 को श्रीमाधोपुर तहसील के भरोती व सेवली गांव के किसानों की फसल तहसीलदार तथा विकास अधिकारी द्वारा लेवी के दौरान कुर्क कर लेने के विषय में ।

9. श्री अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से डीग सब-डिवीजन में लेवी की वसूली में अनियमितताओं के विषय में ।

10. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील दूदू के ग्राम साली में जबरन लेवी वसूल करने के विषय में ।

राज्य में लेवी के वसूली के सम्बन्ध में सदन में सरकार की ओर से आज एक वक्तव्य दिया जा रहा है । माननीय सदस्य उस वक्त इस पर चर्चा उठा सकते हैं ।

11. श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहकारी समितियों व सहकारी संस्थाओं के चुनावों में अनियमितता, भ्रष्टाचार आदि बरतने के विषय में । इस प्रस्ताव में एक से अधिक आरोप हैं और यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है ।

12. श्री मोहरसिंह, सादुलपुर सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले में गत 7, 8 माह से जन कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विद्यार्थियों पर नये मुकदमें चलाये जा रहे हैं, इस विषय में । यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है ।

13. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 12 अप्रेल को मन्डी पदमपुर में वीरेन्द्रजीत सिंह पर किए गए एक घातक हमले के विषय में । यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है ।

14. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्रीय हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान में निदेशक तथा भाषा सम्पादक के पद पर

(श्री अध्यक्ष)
अनियमित नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

कार्यक्रम के लिए समय विभाजन

मुझे आप से इतना निवेदन करना है कि मैं आपसे सहयोग चाहूंगा इस मामले में कि आज कई महत्वपूर्ण विषय आने वाले हैं उनमें समय का ध्यान रखना पड़ेगा स्थगन प्रस्ताव जितने आये हैं उनका फैसला नहीं किया है। कई ऐसे थे जिन पर फैसले सुना सकता था। मैं यह समझकर कि आखिरी दिन है फैसला सुना दूं और फैसला सुना देता। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि 10 बजे तक यह मामले समाप्त हो जायं तो 10 बजे दूसरे मुद्दे आगे के ले सकेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : दो-दो, तीन-तीन पर एक साथ बोल लें क्योंकि 16-17 है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं दो मिनिट में ही खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त करने का आपने अभ्यास कर लिया है क्या?

श्री मूलचन्द सामरिया : दूदू तहसील....

व्यवस्था का प्रश्न
प्रश्न पूछने के पश्चात् प्रश्न वाले दिन सदस्य की गैर हाजिरी

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गोटेवाले ने....

श्री अध्यक्ष : वैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे पास समय सीमित है...

श्री रामकिशन : यह विषय आवश्यक है। माननीय श्री गोटेवाला ने 37 नम्बर का प्रश्न पूछा था। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि कोई सदस्य प्रश्न पूछे और सदन में होने वाली कार्यवाही में वह प्रश्न आ जाय और उस दिन वह गैर हाजिर रहे तो क्या यह मर्यादा का प्रश्न नहीं है। अगर कोई समुचित कारण हो कि बीमार हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछकर प्रश्न के नम्बर के टाइम पर गैर-हाजिर हो तो सदन क्या कॉग्नीजेन्स ले सकता है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सवाल पूछें तो उनको पूछने का अधिकार है। वह फिर सवाल फहरिस्त, प्रश्न सूची पर आये और उसको पूछे नहीं तो यह भी उनका अधिकार है। अब इसमें एक नैतिक बात जरूर है कि आम तौर से सवाल जो पूछे जायं उनको पूछना चाहिए, क्योंकि उसकी तहकीकात के अन्दर गवर्नमेंट का काफी पैसा सर्फ होता है, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता हूं, पूछने पर।

श्री रामकिशन : इतना ही सवाल है कि अगर नहीं पूछते हैं तो यह उनकी मर्जी है....

श्री अध्यक्ष : मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री रामकिशन : मजबूरी का सवाल ठीक है लेकिन आपकी व्यवस्था बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था बहुत स्पष्ट है । माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का हक है और प्रश्न सूची पर प्रश्न आने पर उसको नहीं पूछने का भी उनको हक है, लेकिन उचित और अनुचित की बात अलग है वह मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने ऐसी व्यवस्था दी है कि नहीं पूछना वह अनैतिक है । इस प्रकार से अगर ...

श्री अध्यक्ष : उचित यह है कि अगर प्रश्न पूछा है तो पूछें उसको । लीगल और प्रॉपर अलग-अलग होता है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने गागर से सागर भर दिया है व्यवस्था में ।

श्री अध्यक्ष : लीगल और प्रॉपर दोनों में डिस्टिंक्शन हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय ...

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : हाउस में हाजिर हो चला जाये तो और बात है । और हाउस में हाजिर होकर न पूछें तो और बात है ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : मैं ज्यादा डिबेट अलाऊ नहीं करता हूं ।

श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : हाउस इसको काग्नीजेंस में ले । यह लोक महत्व का प्रश्न है । अधिकतर ऐसे मेम्बर हैं । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये । अगर कोई मेम्बर इण्ट्रेस्टेड नहीं है किसी खास वजह से तो इस बारे में उत्तर आना चाहिए ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह खास वजह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह बात पहले भी आ चुकी है । दुबारा दुहरा देता हूं । हमारे सदन की यह परम्परा रही है, जो माननीय सदस्य मौजूद हैं, पहले उनके सवाल के जवाब होंगे । उनके बाद जो नहीं हैं, उनके बारे में ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूदू तहसील में साली ग्राम है । वहां पर पुलिस अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर आदि लेवी लेने के लिए पहुंचे । तो उन लोगों ने बन्दूकें दिखा कर ताले तोड़कर, औरतों से जबर्दस्ती करके अनाज की वसूली की है । अपने आप अनाज तोलकर लाये हैं । किसानों का उसमें कोई सहयोग नहीं था । सरकार ने पुलिस ऑफिसर और लेवी ऑफिसर को क्या यह अधिकार दे दिया है कि लेवी वसूली लूट कर की जा सकती है । क्या यह पुलिस को अधिकार दिया है कि गांवों में जाकर

(श्री मूलचन्द सामरिया)
लूट कर अनाज लिया जा सकता है। इस प्रकार से यह लेवी नहीं है। अगर सरकार इस प्रकार के तरीके अपनायेगी तो और इस प्रकार से करेगी तो उसके जो कन्सीक्वेंसेज होंगे ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सरकार को उनका सामना करना पड़ेगा। गांवों में घुसना मुश्किल होगा। लेवी वसूली का मामला प्रगति नहीं कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री केशरीमल : थोड़े में ही कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में पीने के पानी की कठिन समस्या है मन्त्री महोदय से जब इसके बारे में कहा गया तो वह कहते हैं कि हथेली पर सरसों उगाने की नहीं है। वहां पर अध्यक्ष महोदय, पानी का बहुत कमी है। 20 हजार गैलन पानी 4 लाख लोगों के लिए कितना होगा। कितने ही मुहल्लों में पानी ही नहीं पहुंचता है रात-रात भर लोग लाइन लगाये खड़े रहते हैं। जिन कुवों पर पानी ले सकते थे, वहां भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सारे अजमेर शहर में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर के लिए सरकार ने योजना अपने हाथ में ली थी। सरकार ने कहा था कि हम कोई रेट नहीं बढ़ायेंगे। पहले पानी का 3 रु. लिया जा रहा था। अब सरकार ने 9 रु. कर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री केशरीमल : अभी तो एक मिनिट भी नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, आपने घन्टी बजा दी। पीने का पानी ब्यावर में 4 गैलन एक आदमी को मिल रहा है। ब्यावर के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। कलेक्टर को कहा जाता है कि दो तीन टैंकर और बढ़ा लें। अजमेर में कुछ ऐसे कुवे खुदवा लें। लेकिन कलेक्टर इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो पैसा मिला है, उसका युटिलाईजेशन नहीं किया जा रहा है। कई लाख रुपया अजमेर के लिए मिला है। कई लाख रुपया ब्यावर के लिए मिला है। समस्या का कोई अस्थायी हल निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर तहसील में एक टाटगढ़ गांव है। वहां पर 8 आना और 12 आने में एक पानी की मटकी मिलती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

वहां के लिए जो योजना थी, वह भी बन्द पड़ी है। दो साल से मन्त्री महोदय कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जब भी मिलते हैं तो यही जवाब मिलता है कि हम कर रहे हैं। करेंगे। इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। करने के लिए एक साल, दो साल, तीन साल हो गये हैं। आखिर आप कब करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री अध्यक्ष : कभी लम्बा बोलते हैं तो कभी थोड़े में ही बोल लेना चाहिए।

श्री केशरीमल : तीन साल से कहा जा रहा है। ब्यावर, अजमेर के लिए पानी की योजना बना रहे हैं। अब मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी है। वह कब आयेगी। हर साल योजना पर खर्च होता रहा है। पर पानी नहीं मिलेगा। उधर योजना शुरू नहीं करेंगे। यह पैसे का का अपव्यय नहीं है तो और क्या है? घोटाले होते हैं। लेकिन मैं घोटाले में नहीं जाना चाहता हूं। वह तो तब तक रहेंगे, जब तक यह पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी। जब तक मुल्क में पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी। मैं चाहता हूं कि यह समाप्त हो और पानी की समस्या का हल करने के लिए, स्थायी और अस्थायी समस्या का हल करने के लिए सरकार उसकी व्यवस्था करे। वहां के लोगों को पानी मिले पानी के लिए तुरन्त व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय....

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रेन्ट कण्ट्रोल एक्ट, 1950 में संशाधन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने उसको री-कान्स्टीट्यूट किया है। उस कमेटी ने 10 सितम्बर को ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। माननीय मन्त्री महोदय घोषणा करें कि उसमें उनको क्या दिक्कत है। राज्य गृह मंत्री उस कमेटी के चेयरमैन हैं। हमारे पास बैठे जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य हैं। यह भी उस कमेटी के मेम्बर हैं। इसके कारण बेदखली के 35-40 हजार केसेज चल रहे हैं यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताया जाये कि कितने दिनों में फैसला हो जायेगा। अब तो लास्ट मीटिंग है। इसके बाद तो ऑर्डिनेन्स ही आ सकता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि हम जो अन्तर्राष्ट्रीय नारी वर्ष मना रहे हैं, उसको कलंकित करने के लिए काफी है। एक गंगा नाम की बेवा....

श्री अध्यक्ष : जरा थोड़े में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने मेरे अन्दाज से ही समझ लिया है?

श्री अध्यक्ष : उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 10 जनवरी की रात को 3 व्यक्तियों ने गंगा नाम की औरत के साथ बलात्कार किया। एफ. आई. आर. 11 तारीख को दर्ज हुई। जिन में श्री धूलाराम वहां की नगरपालिका का सदस्य है, धनवान व्यक्ति है। श्री मुल्कराज थिन्द जो राज्य के उपमंत्री रह चुके हैं। उनके खास आदमी हैं। इसलिए उस बलात्कार के किस्से को दबा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को यह मामला पेश किया गया, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने नोन-बेलेबल वारन्ट इश्यू कर दिये परन्तु वे सैशन जज से मिल-कर उसका स्टे ले आये। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव सब-ज्यूडिस के मामले

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
में नहीं है। मेरा स्थगन प्रस्ताव इसलिए है कि आज एक टेलिग्राम मुझे रायसिंहनगर से प्राप्त हुआ है कि वहां रायसिंह नगर के थाने में गंगादेवी को थानेदार ने अरेस्ट कर लिया है और वहां पर उसकी पिटाई की गई है और उसके साथ जुल्म हुआ है थानेदार ने वहां पर हर तरह से आतंक फैला रखा है उसने हर तरह की पावर को इस्तेमाल करके नगरपालिका के एक सदस्य थे श्री दूलाराम के विरुद्ध उन्होंने दवाव डालकर स्टेटमेन्ट उसके विरुद्ध करवाये और इसी तरह से गंगादेवी से उसके स्टेटमेन्ट बदलवाने के लिये प्रेमनाथ थानेदार ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको डरा धमकाकर उसके स्टेटमेन्ट बदल वाने की कोशिश की जा रही है। यह जो टेलिग्राम की कॉपी है इसको मैं सदन के पटल पर रखता हूं। थानेदार इस तरह से निर्ममता से पिटाई कर रहा है और तीन-चार वर्षों से गंगानगर, नगरपालिका के एक माननीय सदस्य की भी नाजायज रूप से अरेस्ट करके निर्ममता से पिटाई की। स्वयं मुल्कराज थिंद ने 15 मुरब्बा जमीन नाजायज रूप से वहां पर दबा रखी थी, उसका कुछ मुरब्बा बाद में कैन्सिल भी करवाया गया।

एक माननीय सदस्य : यह वास्तव में सही बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनके खिलाफ अभी बीसीयों मुरब्बों की जांच जारी है। रायसिंहनगर के थानेदार के साथ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं और ये लोग बड़ी निर्ममता से बयानात बदलना चाहते हैं और इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि किस प्रकार की अनियमितताएं मुल्कराज थिंद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका जो विषय है, उसी पर बोलिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय कुछ दिनों पहले जगजीवनराम के बारे में हुआ था, और यह घोषणा की गई कि 11 अप्रेल को आने वाले हैं परन्तु वह न तो 11 अप्रेल को ही पहुंचे और न 18 अप्रेल को ही जगजीवनरामजी वहां पर पहुंचे। इतना जरूर है कि दिल्ली के अन्दर मुल्कराजजी थिंद ने एक नई कार खरीदी और रायसिंहनगर और गंगानगर में खूब चलती-फिरती है। मैं इतना ही, अध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सामने भी उस मामले को पेश किया था कि रायसिंहनगर का थानेदार और वहां का पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट जनता के साथ भयंकर अत्याचार कर रहा है और इतनी ज्यादतियां हो रही हैं। मैं अर्ज करूंगा कि वहां के थानेदार को तुरन्त मोअत्तल किया जाय और उसके खिलाफ स्ट्रोंग एन्क्वायरी कराई जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु!

श्री बेगाराम (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह हमारे क्षेत्र का मामला है।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप कृपया बैठिये।

श्री बेगाराम : अध्यक्ष महोदय, इतना अन्याय हमारे साथ, एक मिनट आप।....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये, आप बैठिये (व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव एक महिला संतकौर नाम की, उसके सम्बन्ध में जिसको थाना रायसिंहनगर में 16-12-74 को कुछ व्यक्तियों द्वारा गला घोटकर मार दिया गया और अनूपसिंह और मोदलसिंह दोनों ने बरगलाकर उसको पहले घर ले गये और गला घोटकर उसको मार दिया गया। उसके पास से 3,700 रुपये और उसके जेवर वगैरह जो भी थे वह सब उसके हज्म कर गये। रात को नौकर से उसको डिग्गी में डालने के लिये कहा पर नौकर ने उससे इन्कार कर दिया। फिर मोदलसिंह स्वयं थाने पर गया और यह कहा कि कुछ व्यक्तियों ने घर पर आकर उसको मार दिया। वही थानेदार वहां पर था, प्रेमनाथ, जिसका कि स्थगन प्रस्ताव आया है, मैं उसके लिये कुछ नहीं करने वाला हूं, उसने कहा। वे लोग 1,500 रुपये कर्जा लेकर आये प्यारेसिंह से, 1,500 रुपये कर्जा लिया। कुछ दिन के लिये उनको बिठाये रखा और उसको समझाया कि बयान नहीं देना। फिर कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ दिया। उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। आमतौर पर रायसिंहनगर और गंगानगर जिले में इस तरह के केसेज हो रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त रायसिंहनगर के थाने में जो हालात हैं वह बयान करने के नहीं हैं, लम्बी कहानियां हैं उसका जिक्र मैं यहां पर नहीं करना चाहता और अपने मामले तक ही मैं सीमित रहना चाहता हूं। ऐसा भी कहा जाता है कि जयपुर से इशारे होते हैं इस तरह के केसेज बनाने के लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री बेगाराम !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, खास तौर से मुझे एक बात कहनी है....

श्री अध्यक्ष : बीच में ही कहना चाहते हैं ? आप कह चुके हैं।

श्री रामकिशन : मुझे इतना ही कहना है कि मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने केसेज बलात्कार के हो रहे हैं, इतने गम्भीर मामले होते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन कितना निष्क्रिय है या पुलिस उनकी मदद कर रही है, इतनी हत्याएं और बलात्कार के केसेज हमारे सामने आ रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी इन मामलों को किस दृष्टि से देखते हैं, यह मैं उन पर छोड़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बेगाराम !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा लगता है इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में पहले भी कई मामले आये हैं।

श्री बेगाराम : अध्यक्ष महोदय, प्रेमनाथ थानेदार ने लोगों को बहुत डरा दिया है। प्रेमनाथ के खिलाफ बहुत, बीसीयों दफा क्वेश्चन भी आये परन्तु उसका ट्रान्सफर नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गंगादेवी के साथ जो बलात्कार हुआ, और अभी सरदार जी ने और हांडा साहब ने भी कहा था, संतकौर महिला को मार

(श्री बेगाराम)
दिया। सात हजार रुपये ले लिये और उसका कोई केस दर्ज नहीं किया। उसके घरवाले बेचारे भटकते फिरते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उसको तुरन्त सस्पेन्ड किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इतनी हमारे रायसिंहनगर के थाने में गुण्डागर्दी और अन्धेरगर्दी हो रही है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी का कत्ल और हत्या हो जाती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सस्पेन्ड किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। मोहम्मद गफ्फार-अली!

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसका ताल्लुक जुडीशियरी से है। मेरा निवेदन है कि पिछले बहुत दिनों से, बल्कि एक महीने से ऐसा हो रहा है कि आठ आने के, पांच पैसे के और दस पैसे के टिकिट जयपुर में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या कठिनाई है राज्य सरकार के सामने? अंग्रेजों से हमको हुकूमत मिली उसके बाद भी आठ-दस साल तक अंग्रेजों के टिकिटों को हम काम में लेते रहे और उन पर अपनी मोहर लगाकर काम चलाते रहे। जो इन्कम का जरिया है उसमें भी यह राज्य सरकार निष्क्रिय रही है। इसके कारण से लिटिगेन्ट्स को और पब्लिक को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और यह संकट तमाम राजस्थान में हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह के हालात क्यों पैदा किये जा रहे हैं और उनका निराकरण क्यों नहीं किया जाता। आज पांच पैसे, दस पैसे और पचास पैसे के टिकट के बजाय लिटिगेंट, पब्लिक को एक रुपया लगाना पड़ता है। वह समझता है कि वकील ज्यादती कर रहा है, वह पैसा खा जाता है। कल मुझे कई दरख्वास्त पर आठ आने की जगह एक रुपया लगाना पड़ा। विधि मन्त्री जी यहां मौजूद हैं, यह जुडिशियरी की इम्पॉर्टेन्ट ब्रांच है, आप इस पर तवज्जह फर्मायें। वैसे यह फाइनेन्स से ताल्लुक रखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम इस कमी को सुबह से शाम तक एक्सपीरियेन्स करते हैं।

इसके अलावा आपने एक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज दौसा में कायम किया, यह सराहनीय है। मेरा निवेदन है कि यहां पर भी एक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि केसेज मुंतकिल हो जायेंगे। यह सही है कि दौसा में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया है, तो जयपुर में भी होना चाहिए। लेकिन आप इस जरूरत को नजर अन्दाज करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जुडिशियरी की कठिनाई है। आज आपने हमको एक जंगल में बैठा दिया है। सारे बार एसोसियेशन के लोग आपकी इस ओर तवज्जह दिलाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, मुख्य मन्त्री से कि आप फाइनेन्स मिनिस्टर से फर्मायें कि टिकट उपलब्ध हों। और जनता से जो ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, उसकी अदायगी की जिम्मेदारी किस पर है। आपका यह नैतिक काम है। आप समझते हैं कि इससे गवर्नमेंट को फायदा होता है तो आप इस राय का इजहार कर दीजिये। हम कह देंगे कि पांच पैसे की जगह एक रुपया लगाना

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
पड़ेगा, दस पैसे के बजाय एक रुपया लगाना पड़ेगा। मैं अर्ज करूंगा कि जुडिशियरी की कठिनाई हम अनुभव करते हैं उनके बारे में मुख्य मन्त्री जी तवज्जह फर्मायें। आखिर हमारी लिटिगेंट पब्लिक के लिए कुछ जिम्मेदारी है, और हमारे कुछ हकूक हैं। मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी, यह कमी वाकयी हो रही है राजस्थान में सारे किस्म के टिकटों की, उस कमी की पूर्ति मेहरबानी करके करें ताकि जनता को, लिटिगेंट पब्लिक को दिक्कत पैदा नहीं हो।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, यह तीन चार महीने से देखते हैं कि गंगानगर के लोग यहां आते हैं और नॉन-जुडिशियरी स्टाम्प ले जाते हैं तब उनका काम चलता है।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला): पिछली 6 मई, 1975 को श्री माधोपुर तहसील के भरोली व सेवली गांव के किसानों की फसल तहसीलदार तथा विकास अधिकारी द्वारा लेवी के दौरान कुर्क कर लेने के विषय में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है....

श्री अध्यक्ष: उसमें निवेदन किया कि लेवी का क्वेश्चन आये उस वक्त कह दीजिये। दो वक्त क्यों कहें।

श्री गोपालसिंह: बहुत थोड़े में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: दो वक्त क्यों कहें। लेवी पर बहस करें उस वक्त बोल लीजिये।

श्री गोपालसिंह: उस वक्त मुझे टाइम दे दें।

श्री अध्यक्ष: दे देंगे। क्यों नहीं देंगे। आप बोल लीजिये।

श्री गोपालसिंह: उस वक्त टाइम दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष: टाइम दे देंगे।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): मेरा निवेदन है......

श्री अध्यक्ष: तीन केसेज हैं, मैंने कहा, लेवी के वक्त बोल लीजिये।

श्री विट्ठल भाई: 24-4-75 को धनपतराम व उसकी धर्म पत्नी खेत में काम कर रहे थे और पानी का कोई झगड़ा था, उस झगड़े में तीन चार व्यक्तियों ने, जिनके नाम हैं गंगाबिशन, मानी, छोटूराम भोलूराम-जाकर पिटाई की, औरत और आदमी की। वह हरिजन हैं। उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। पुलिस में उनकी रिपोर्ट की गई। लेकिन पुलिस ने कोई उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की और आज तक पुलिस ने जांच पड़ताल भी नहीं की है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन व्यक्तियों ने यह गुनाह किया है और जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मुझे तो यह भी मालूम हुआ है कि मुख्य मंत्री जी 4 मई को दौरे पर पहुंचे थे, वहां पर पुलिस से इनका कहना है कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाय क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेसी भी हैं और कई तरह के ऐसे खोटे खरे धन्धे करते हैं। और डी. आई. आर. में उनका नाम दर्ज है पुलिस में, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जो व्यक्ति

Page No 50

(श्री विट्ठल भाई)
दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। एक हरिजन औरत और आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना सरकार के लिए शोभाजनक नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में पूरी तरह कार्यवाही की जाय यही मेरा निवेदन है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी, आपने उसको अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं माना है। यह प्रश्न व्यक्ति विशेष का नहीं है, आज इस जनतन्त्र के अन्दर सरकार का जो यह रवैय्या है कि विरोधियों को कैसे कुचला जाय, उनको कैसे विक्टीमाइज किया जाय पुलिस के माध्यम से, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे माननीय सदस्य गुरदयालसिंह संधु। आश्चर्य है, गुरदयालसिंह संधु के खिलाफ 376 का इस्तगासा दर्ज कराया है, हिस्ट्रीशीटर कहा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: माननीय, बुजुर्ग के खिलाफ 376 का इस्तगासा पुलिस ने दर्ज कराया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री: जितने मुकदमे दर्ज कराये हैं वह सारे के सारे खारिज हुए हैं....

श्री दीपंकर (लाडनूं): सरदार जी मूड में आ गये होंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री: वीरेन्द्रसिंह, जब 12-4-75 को पेशी करने के लिए मण्डी पदमपुर बस स्टेन्ड पर आये तो तीन व्यक्तियों ने, कुन्दनलाल ....

श्री गुरदयालसिंह संधु: श्रीमान जी ने क्या फर्माया

श्री दीपंकर: ऐसी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: आदत है दीपंकर जी की।

श्री दीपंकर: मैंने निवेदन किया कि शायद सरदार जी मूड में आगये होंगे।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों तकलीफ करते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री: वीरेन्द्रसिंह जब पेशी करने के लिए मण्डी पदमपुर के बस स्टेण्ड पर आये और खड़े थे तब तीन व्यक्तियों ने हमला किया, लोहे की छड़ों से उनको लहु-लुहान कर दिया। वहां पुलिस के थाने में जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा। वहां पर जो ए. एस.पी. है, उसने ठान ले ली है गुरदयालसिंह संधु का पुत्र हो, भाई हो अन्य रिश्तेदार हो, उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा। साढे आठ बजे तक वीरेन्द्रसिंह की हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की और थाने में बन्द कर दिया। वह लहु-लुहान शरीर को दिखाते हुए तीन व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गया, लेकिन उसको थाने में बन्द कर दिया। और ए. एस. पी. ने उसके विरोध में जो दूसरे व्यक्ति थे, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता था, जिन्होंने मारपीट की थी, उनकी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाकर और मर्डर का, केस, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना दिया और जेल में बन्द कर दिया। आज तक वह जेल में बन्द है। यह उसका रवैय्या है।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, स्वयं इन स्थितियों में से निकले हुए हैं, इस फील्ड में रहे हैं, इस जीवन में रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं. जनतन्त्र में स्वस्थ परम्परा को मिटाने के लिए ग्राप विरोधियों को खत्म करना चाहें, या विरोधियों को पुलिस के माध्यम से कुचलना चाहें, तो मैं समझता हूं कि जनतंत्र नहीं रहेगा। मेरा इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है, इस तरह के मामले में ए. एस. पी. इस प्रकार की कार्यवाही करके एक व्यक्ति को, उसके नाम निशान को मिटाने के लिए कटिबद्ध हैं - उसके खिलाफ जांच बैठाइ जाय, इसकी जाच करें ग्रौर जो इनके खिलाफ फर्जी मुकदमे हैं उनको हटाने का प्रयास करें।

श्री रामकिशन : ग्रध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में एकाध वार मिला हूं। मैं मुख्य मन्त्री से चाहता हूं कि यह इतना गम्भीर मामला बन गया है कि वह व्यक्तिगत तौर पर इसमें दखल नहीं करेंगे तब तक इस मामले का निराकरण नहीं होगा। ए. एस. पी. की इतनी हिम्मत हो जाय कि वह कह दे, गुरदयाल-सिंह संधु या उनका कोई ग्रादमी ग्रा गया तो टांग तोड़ दूंगा। यह सदन के सोचने का सवाल है, व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। राजनैतिक कायकर्त्ताग्रों पर ग्रपहरण चोरी, डकैती के मामले पुलिस बना दे ग्रौर 376 की ग्रौर हीनिग्रस दफा लगा दी जाय, मैं समझता हूं कि सदन को इसकी चिन्ता होनी चाहिए। माननीय दीपंकर जी इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, सरदार जी मूड में ग्रा गये होंगे। ग्रापको जंचता है कि सरदार जी मूड में ग्रा सकते हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात कह कर इस मामले को हल्का बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ग्रापको मदद करनी चाहिए। इस तरह की बात ग्रस्सी वर्ष के व्यक्ति के लिए कहना उचित नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, इस सदन में जवाब ग्राये या नहीं, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस ए. एस. पी. का ग्राचरण नहीं सुधारा गया तो राजनैतिक कार्य-कलाप बन्द हो जायेंगे। मैं इस ए. एस. पी. के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी मूव कर रहा हूं जो ग्रा जायगा।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मैं ग्यारह तारीख को मौके पर गया, वहां ए. एस. पी. शाम के वक्त थे। वीरेन्द्रसिंह लड़का है, ग्राप ताज्जुब करेंगे, खुद इनकी गुण्डा एन्ट्रीज करना, दानों लड़कों का चालान करना, गुरदयालसिंह के लड़कों का मैं कहना नहीं चाहता था, गुरदयालसिंह फ्रीडम फाइटर रहे हैं, 1936 में गंग केनाल मूवमेंट राजा के खिलाफ शुरू हुग्रा, वह ग्रापने शुरु किया। ए. एस. पी. इनकी इन्टेग्रिटी के खिलाफ बोलता रहा, कहता रहा। वह मौके पर मौजूद था। मैंने कहा, इन लोगों ने 11 तारीख को वीरेन्द्रसिंह को पीटा है, इनको पुलिस पकड़ लेती तो सुबह की वार-दात कुन्दनलाल के साथ हुई, वह न होती। 12 ग्रप्रेल को ढाई बजे की वारदात है गुरुदयालसिंह जी का लड़का रपट दर्ज करने जाते हैं, रपट होती है 8।। बजे, ग्रौर उसको हिरासत में ले लेते हैं, मेडिकल रिपोर्ट बाद में ग्राती है क्योंकि ए.एस.पी. ने कन्स्प्रेसी की है ग्रौर ए. एस. पी. ने लगातार इनको 302 के मुल्जिम की हैसियत से कई बार हिरासत में रखा था। इसलिए सीरि-ग्रस मामला है। मैंने ए. एस. पी. ग्रौर

(श्री केदारनाथ)

आई. जी. पी. को भी एप्रोच किया । ऐसे केसेज में जहां फ्रीडम फाइटर हो, विधायक का लड़का हो, उसमें सरकार को कुछ करना चाहिये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह पहली घटना नहीं हैं, आपके सामने प्रिविलेज मोशन पहले सत्र में भी आया था और आपने उसको प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जिसमें पुलिस अधिकारी ने माननीय संधु के लिए लिखा है कि बदकिस्मती की बात है कि ऐसा गुन्डा शख्स चुनकर एम. एल. ए. बन गया है जिसके कारण से वह और उसका लड़का गुन्डागर्दी कर रहा है, यह प्रिविलेज मोशन आपके यहां पेंडिंग है प्रिविलेज कमेटी में । इस बीच में इस प्रकार की रेकरेंस होना, ऐसा लगता है कि पहले ही साजिश थी और लगातार ऐसी बातें वहां पर हो रही है । वैसे तो यह स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न है । इसलिए इस पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं लेकिन मुख्य मन्त्री स्वयं यहां पर हैं और इसकी गम्भीरता का अहसास उन्होंने अवश्य किया होगा । यदि मेरा अनुमान सही है तो मुख्य मन्त्री जी एक्शन लेते कि ऐसी घटनाओं की रेकरेंस न हो । ऐसे पुलिस अधिकारी घोषणा करते हैं कि हम उनके पुलिस थाने पर दांत तोड़ेंगे, इससे बढ़कर हीन स्थिति नहीं हो सकती । यह हीन स्थिति संधु जी में नहीं है, साधारण विधायक हैं । मुख्य मन्त्री जी स्वयं सोचें कि उनके मुख्य मन्त्रीत्व काल में इस प्रकार का दुःसाहस पुलिस अधिकारी कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय रामकिशन जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, असल में वह विचारणीय है । आज तीन इश्यूज उठाये गये हैं । हम जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार की नीति क्या है । गंगानगर में इतनी घटनायें होती हैं वहां कोई खास किस्म के लोग जो जालिम हैं, बदमाश हैं वे ही रखे जाते हैं । यह असेम्बली के सदस्य का मामला है, यह बहुत ही विचारणीय विषय है और मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी इस सिलसिले में अपनी नीति स्पष्ट करें कि इस तरह से अगर चुने हुये नुमाइंदों की दुर्गति होगी तो कल आप हुकूमत में नहीं होंगे तो आपकी भी हो सकती है । सब इश्यूज को ठंडे दिल से सोच कर नीति का स्पष्टीकरण करना चाहिये और जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनकी एनक्वायरी करें । अगर उन्होंने जुल्म किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिये, कोई प्रोटेक्शन नहीं हो । बिला वजह से विधायक को बदनाम करें उसको हैंग किया जाए । जिस अधिकारी पर ऐसे आरोप हैं कम से कम उनको अलग तो करें ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं यह परमावश्यक समझता हूं कि एक ऐसा सवाल जो सदन की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है, एक माननीय सदस्य इस सदन के हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं जो निष्ठावान और सज्जन पुरुष हैं, भले आदमी हैं, अगर उन पर पुलिस आतंक करती है, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन यह विषय मेरे ख्याल से मुख्य मन्त्री जी को ध्यान में लेने योग्य है । यहां पर यह भी आरोप लगाया कि पुलिस संभवतः विरोधियों को दबाने की कुचेष्टा करती है । अगर यही है तो इस सम्बन्ध में भी मुख्य मन्त्री जी को गहराई से विचार करना चाहिये और मैं यह नहीं कहता कि किसी को प्रोटेक्ट

(श्री लक्ष्मणसिंह)

किया जाए। जो गुनहगार होगा अवश्य उसको सजा दी जाए लेकिन जांच की जाए, यह प्रिविलेज का सवाल है, सदन के प्रिविलेज का सवाल है। जांच करके निर्णय जो कुछ हो वह किया जाए और अगर पुलिस ने ज्यादती की है तो सरकार का इस बारे में उचित कदम उठाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : मैं कितनों को मौका दूंगा? समय मेरे पास कम है, गफ्फार-अली बोल चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह फैक्ट्स नहीं जानते। मैं एक मिनिट लूंगा। जो यहां कहा गया कि मुख्य मन्त्री जी का इशारा है, मैं नहीं मानता और वह गलत बात है क्योंकि सरस्वती कांड हुआ, मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं ने आदेश दिए, चौकी बैठी, सरस्वती की रक्षा की। यह बात दूसरी है कि वहां की लोकल पुलिस, खुद यहां के ए. एस. पी इस केस के अन्दर कम से कम 50,000) रुपया खा गए बल्कि जो चौकी बैठी है उसका हैड कान्सटेबल पैसे खा गया। यह गंगानगर भू-पतियों का इलाका है, दूसरी तरफ गरीब हैं, दोनों के बीच में गहरी खाई है। भू-पति पुलिस को करप्ट करते हैं, पोलिटिकल वर्कर्स पर अत्याचार किया जाता है, गरीबों पर अत्याचार किया जाता है। मैं मुख्य मन्त्री जी से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आज गंगानगर में सबसे ज्यादा हरिजन पॉपूलेशन है। आप वहां कलेक्टर और एस पी. हरिजन क्यों नहीं लगाते ताकि गरीब हरिजनों को प्रोटेक्शन मिले। अधिक से अधिक कर्मचारी हरिजन क्यों नहीं लगाते जबकि वह सबसे बड़ा हरिजन जिला है। 1952 से लेकर आपकी संसद की सीट रिजर्व्ड चली आ रही है और मैं कह सकता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा हरिजन पॉपूलेशन यदि है तो वह गंगानगर में है। अगर गरीब लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो आप वहां भू-पतियों, ठाकुरों और सामंतों को नहीं भेजें उनसे वहां गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको समय दिया जायेगा अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलना और इस पर भी बोलना।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय सदस्य के प्रिविलेज का सवाल है, मैं भी बोलना....

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव है, इस पर ...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : एक मिनट के लिए बोलूंगा। दूसरों को भी आपने इजाजत दी।

श्री अध्यक्ष : पहले स्थगन प्रस्ताव रखने वालों को तो बोलने दूं।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : जहां तक सरदार गुरदयालसिंह के बारे में स्थगन प्रस्ताव का सवाल है, इनके खानदान के साथ और इनके साथ काफी दिनों से इस प्रकार का जुल्म होता रहा है और इसलिए भी ज्यादा महत्व की बात है कि विरोधी

(श्री मोहरसिंह)

पक्ष में वे कार्य करते रहे हैं वर्षों से और आज भी विरोधी पक्ष के वे विधायक हैं, इसलिए शासन के मालिकों और प्रशासन कर्त्ताओं को उस ओर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं सरदार गुरदयालसिंह को वर्षों से जानता हूं। बीकानेर जिले में राजनैतिक आंदोलन में किस प्रकार से बहादुरी के साथ लड़ते आए हैं, जैसा केदारनाथजी ने बताया, पुराने फ्रीडम फाइटर, हैं उनके साथ में किस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं ज्यादतियां हो रही हैं। उनका एक ही कसूर है। यह शख्स हिम्मत वाला है, निर्भय होकर लड़ा है, जुल्म का मुकाबला करने वाला है। अगर यह पुलिस को नहीं सुहाता तो वह दूसरी बात है लेकिन मुख्य मंत्री को विचार करना चाहिए। गंगानगर के पुलिस अधिकारी यूं ही इन पर इनके खानदान पर अत्याचार करते रहेंगे तो शोभा की बात नहीं है।

साथ में मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि चूरु जिले में लगातार 6-7 महीने से किस प्रकार से कार्यकर्त्ताओं पर, पत्रकारों पर और विद्यार्थियों पर मुकदमे दायर करते रहे हैं। कोई पर्टीक्यूलर केस तो नहीं लेकिन ये हालात हैं जिनको हम बताना चाहते हैं ताकि मंत्रीजी और मुख्य मंत्री जान सकें कि हमारे पुलिस प्रशासन का राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। यह इस प्रकार के मुकदमात से जाहिर होता है।

अध्यक्ष महोदय, 12 वें महीने की 12 तारीख को डोकवा गांव में उप-सरपंच के खिलाफ में अविश्वास का प्रस्ताव का सवाल था। चुनाव हो रहे थे और वोट डालने के वक्त से पहले 5-6 पंचों को गायब कर दिया गया वहां पर राजगढ की एक गांव है यह मैं मुख्य मन्त्रीजी को बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने 5-6 लोगों को बन्द कर दिया। उन्हें इसलिये गायब किया गया कि वे लोग वोट डाल नहीं सकें। लोगों को, अध्यक्ष महोदय, बन्दूक की नोक पर बन्द रखा जब उनके परिवार वालों ने उनके बच्चों ने जाकर पुलिस से कहा तो किस की कुछ भी सुनवायी नहीं की गई। उनकी औरतों ने जाकर फरियाद की पर किसी ने नहीं सुना। अध्यक्ष महोदय, 4-5 लोगों को मोटर में ले जाया गया उस समय सी. ओ. भी साथ थे। उनको वोट डालने को ले जाया गया। वहां पर पब्लिक ने इस प्रकार की कार्यवाही का विरोध किया और फिर वहां पर मुर्दाबाद के नारे सी. ओ. के खिलाफ लगाये गये तो वहां पर पुलिस वालों ने पब्लिक पर लाठी चार्ज किया उनको बुरी तरह पीटा। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उल्टे पुलिस वालों ने 11 आदमियों के खिलाफ दफा 147, 148, 149 332, 352 के तहत केस बना दिये। इतना बड़ा अत्याचार मुख्य मन्त्री जी आपकी पुलिस कर रही है। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने आम जनता पर किसानों पर और छात्रों पर लाठी चार्ज किये और उनके खिलाफ में केसेज झूंठे बनाये। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैंने गृह मन्त्रीजी, जो कि मुख्य मन्त्री जी भी हैं, का ध्यान बार बार आकर्षित किया कि इन झूंठे केसेज को वापिस लिया जाय पर आज तक उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, आप भी सोचें अगर इस तरह जनता

(श्री मोहरसिंह)

के साथ अन्याय किया जायेगा तो मुर्दाबाद के नारे जनता नहीं लगायेगी तो क्या करेगी। इसलिये मैं आज के जो जहांपनाह हैं उन्हें बार बार अर्ज कर रहा हूं कि इनके खिलाफ में जो झूठे मुकदमे बनाये हैं उठाये जावें अगर यह नहीं उठाये गये और किसानों पर, विद्यार्थियों पर और जनता पर अत्याचार किया जायेगा तो अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब तो समाप्त करिये।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इधर तो पुलिस जनता पर लाठी चार्ज करती है हम मुख्य मन्त्रीजी को कहते हैं तो वह सुनते नहीं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। वह कान में तेल डालकर सो गये हैं। इसी प्रकार चूरू कलेक्टर से रतनगढ़ के ए. ई. एन. जिसने फर्जी मस्टर रोल भर कर हजारों रुपयों को घोटाला किया उसकी बार बार शिकायत करने पर कोई सुनवायी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त करिये क्योंकि काफी लोग बोलने वाले है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि डी. एस. पी., ने जिसने चूरू जिले में जो अत्याचार किया है उसके लिये मैं मुख्य मन्त्रीजी को और होम मिनिस्टर साहब को सूचना देना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर चाहे अलवर में हो, चाहे चूरू में हो चाहे, सिरोही में हो काश्तकारों पर घोर अन्याय हो रहा है आखिर अब हम इसको कब तक बर्दाश्त करें।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करें और भी बोलने वाले हैं समय बहुत कम है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज डंडे के बल पर काश्तकारों से लेवी वसूल की जा रही है गरीब काश्तकारों को तंग किया जा रहा है और बडे काश्तकारों के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। गरीब काश्तकारों पर झूठे मुकदमे बनाये जा रहे हैं और छोटे काश्तकारों को मुर्गा बना कर डंडे बरसा कर लेवी वसूली की जा रही है ता राज्य सरकार को और मुख्य मन्त्री जी को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अब यह बर्दाश्त नहीं होगी।

(निरन्तर घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि चूरू जिले में जो विद्यार्थियों के खिलाफ, काश्तकारों के खिलाफ में जो झूठे मुकदमे बनाये गये हैं उन्हें तुरन्त हटाया जाना चाहिये। तथा छोटे किसानों से लेवी लेना तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी गाड़ी का स्टेशन कभी आता भी है या नहीं ? आप लगातार बोलते ही जा रहे हैं।

श्री शंकरलाल : यह तो तूफान मेल है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सन्धु के बाद में यहां पर जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि इसमें दो प्रकार के व्यू हैं। मैं अभी गंगानगर दौरे पर गया था तो गंगानगर तहसील के और श्री सन्धु के इलाके के लोग काफी मात्रा में मेरे से मिलने के लिये आये और श्री सन्धु के खिलाफ काफी शिकायतें की। उसमें काफी शिकायतें श्री सन्धु के पुत्र के खिलाफ भी थी। उसमें विशेष तौर से यही उल्लेख किया गया है कि श्री सन्धु व उनके पुत्र काफी ज्यादतियां उस इलाके में कर रहे हैं और इनके पुत्र ने उस एरिया में काफी टेरर मचा रखा है। वैसे मैं माननीय सदस्य सन्धु की इज्जत करता हूं। वैसे सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने सन्धु के बारे में अपने जो विचार में व्यक्त किये। तो इस प्रकार ऑफ हैन्ड कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। मैं सदन में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी भी सदस्य के पोलिटिकल विक्टीमाईजेशन के पक्ष में नहीं हूं लेकिन चूंकि वहां के लोकल लीडर्स आये थे और उन्होंने उनके बारे में शिकायतें की तो मैं अभी सदन को सिर्फ इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं दोनों के पक्ष और विपक्ष में न जाकर इतना ही सूचित करना चाहता हूं कि इसके लिये मैं बीकानेर रेन्ज के बाहर के किसी बड़े पुलिस अधिकारी से इसकी जांच करवा लूंगा और वह जो रिपार्ट देगा उसके अनुसार राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव!

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव केन्द्रीय हिन्दी ग्रन्थ अकादमी राजस्थान में निदेशक तथा भाषा सम्पादक के पद पर अनियमित नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में दिया है। उसमें मेरा निवेदन है कि आज वहां पर जो अध्यक्ष हैं श्री गोपीकृष्ण वह हर कार्य में दखल करते हैं। इसके अलावा श्री गोपीकृष्ण को पुस्तकों के लिखने का बिलकुल ही अनुभव नहीं है। इसलिये मैं हिन्दुस्तान ग्रन्थ अकादमी के अध्यक्ष के बारे में शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनके लिये बड़े ही शर्म की बात है कि ऐसे व्यक्ति को आपने एपॉइन्ट किया है। अध्यक्ष महोदय, यह पद सन् 74 से खाली पड़ा हुआ था लेकिन बाद में श्री गोपीकृष्ण व्यास को इसका डाइरेक्टर बना दिया गया। इतना ही श्री व्यास का ग्रेड जो इनके इस पद के आने से पहले इस पोस्ट का 700 से 1200 रुपये का ग्रेड था वह इनके लिये बढ़ाकर 1100 से लेकर 1600 रुपया कर दिया गया क्या इस प्रकार की कार्यवाही के लिये कोई शर्म की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार के लिये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी बात में जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि उनको इसके अलावा ढाई महीने में ही वार्षिक इन्क्रीमेन्ट प्राप्त कर लिया। इसके अलावा उन्होंने हिन्दुस्तान ग्रन्थ अकादमी के डाइरेक्टर ने अपने पद सम्भालने के बाद 5-7 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई फर्जी, टी. ए. बिल्स भी उठाये हैं इतना ही नहीं उन्होंने फर्जी डी. ए. वगैरह भी उठाया है। इसके अलावा जो शल्य साहब हैं जो कि साहित्य अकादमी का काम अच्छी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
तरह से जानते हैं जिनको काफी अच्छा अनुभव है उन्हें इसकी भली प्रकार की जानकारी है। एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। गत शनिवार को उनको सस्पेण्ड कर दिया गया, यह कहां का नियम है। डाइरेक्टर उप-निदेशक को निलम्बित कर सकता है, यह गवर्नमेन्ट का नया आविष्कार हो गया। उसके बाद चार्ज भी लगाया गया है। सिद्ध नहीं हुए। सस्पेण्ड कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति को, जो सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी यहीं ख्याति नहीं है किन्तु बाहर भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। अच्छी पुस्तकें लिखी हैं।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। सम्पूर्ण भारतवर्ष में जिनका नाम हो, बिना जांच करके डाइरेक्टर उप-निदेशक को निलम्बित कर दें, केवल शिक्षा मंत्री जी के हस्तक्षेप के कारण सस्पेण्ड कर दिया जाय, बिना नोटिस के कर दिया जाय, निदेशक महोदय इस प्रकार एक तानाशाह बने हुए हैं। सारे कर्मचारियों में भय व्याप्त है। आपको ज्ञापन दिया था उसकी प्रति मेरे पास है। जो पुस्तकें लिखी हैं वे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। प्रकाशित हो चुकी हैं और होने जा रही हैं उसकी सूची भी मेरे पास है। इस प्रकार तानाशाह व्यक्ति बना रहे....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहली बार नहीं दूसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया था लेकिन तीसरी बार उनको रख दिया गया। आखिर यह क्या है? राजस्थान में भले आदमी, अच्छे आदमी हैं उनको आप नौकरी करने दें किन्तु अपने चमचों को आगे लाकर इस तरह से न करें। सज्जन आदमी इस प्रकार से कभी यहां काम नहीं करेंगे। केवल फोटो छाप देते हैं विशेष प्रकार की कृपा कर देते हैं उनको संरक्षण दिया जाय तो निश्चित रूप से असंतोष व्याप्त होगा।

श्री अध्यक्ष : देखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आधा मिनिट का समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आधा मिनिट तो कभी होता नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनका निलम्बन समाप्त करना चाहिये। अन्त में यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस सारे काण्ड से विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक भयंकर असंतोष व्याप्त है। आपने कहा कि रिओर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं। यदि इस प्रकार से राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ता गया तो असंतोष होगा।

70 में रिपोर्ट पेश हुई। बेदखली हो रही है। पति मर जाय तो पत्नी नियमानुसार रह नहीं सकती। आप इस पर गंभीरता से विचार करें। किरायेदारों को संरक्षण देने के लिये निश्चित रूप से आप अध्यादेश निकालें।

श्री मालाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका लेवी पर है।

श्री मालाराम : श्रीमाधोपुर गांव में सिवाड़ी गांव है। वहां के काश्तकारों ने ...

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट में पेश कर दें।

श्री मालाराम : दो मिनिट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन दो मिनिट फिर पूरे नहीं होते हैं।

श्री मालाराम : अध्यक्ष महोदय, सिवाय चक भूमि पर काश्तकारों ने 8 वर्ष से कब्जा कर रखा था। उनके खेत खलिहानों को जला दिया गया। बड़ी भयंकर समस्या है। वैसे तो अकाल का समय है। यदि कुड़क भी कर दिया जाता तो छः महीने बाद तो मिल जाता। लेकिन उसको जला दिया गया फसल को। जलने के बाद क्या मिलेगा? आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि काश्तकारों ने उस जमीन पर 8,9 वर्ष से कब्जा कर रखा था। सारे खलिहानों को जला दिया गया।

श्री गोपालसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री गोपालसिंह : नहीं साहब। लेवी से सम्बन्धित नहीं है। मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है इसलिये बोलना चाहता हूं। यह राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है कि सिवाय चक भूमि पर काश्तकारों ने काश्त की। उनको इस तरह से बेदखल करने की बात की। खलिहानों में पुलिस, एस. डी. एम., तहसीलदार जायें और फसलों को जला दें यह एक ऐतिहासिक बात है। जोशीजी के पूर्व तो ऐसी बात हुई होती तो कोई नहीं समझी जाती लेकिन जोशीजी के इस राज्य में इस प्रकार से खड़ी फसलों को जला दिया जाय यह नई ऐतिहासिक बात है। जोशीजी हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। लेकिन वहां पर तहसीलदार जाता है अफसर दूसरे जाते हैं और उनके खलिहानों को जला दिया जाता है। कोई कानून नहीं खलिहानों को जलाने का। लेकिन अधिकारियों ने कानून को हाथ में लेकर तानाशाही करके जला दिया। राज्य सरकार को चाहिये कि इसकी पूरी तरह से जांच करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरलाल!

आप भी दो मिनिट में ही समाप्त कर दीजियेगा।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, दो शब्द, समाजवाद और सहकारिता, बड़े ही आकर्षक शब्द हैं। जो सरकार समाजवाद का दम भरती है, आप इनके समाजवाद को देखिये समाजवादी लोगों के राज्य में अमीर से अमीर हो गये, गरीब थे वे गुलाम हो गये और नेता हैं वे मालदार हो गये। यह इनके समाजवाद का नमूना है। को-ऑपरेटिव विभाग।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार का प्रश्न बन जायगा।

श्री मनोहरलाल : मेरी जानकारी है को-ऑपरेटिव में इसलिए निवेदन कर रहा हूं। 30 तारीख चुनाव के लिए दी गयी और 25 को ही हो गये।

(व्यवधान)

(श्री मनोहरलाल)

मेम्बर नहीं बनने देते। 30 तारीख के चुनाव रखे और 25 को करा दिये। वोटर लिस्ट नहीं बनती। चुनाव नहीं होते। चुनाव कौन करते हैं और कहां पर होते हैं? चुनाव होते हैं नेताओं के घरों में। भरतपुर में एक भी चुनाव की लिस्ट नहीं बनती। कोरम नहीं भरे जाते। चुनाव करा दिये जाते हैं फर्जी। इसके लिए, अपील के लिए कहीं कोई नहीं जा सकता। श्री विजय कृष्ण जी मक्खियां मार रहे हैं दफ्तर खुल गया है लेकिन मैं समझता हूं इसमें भी नेताओं की साजिश है। इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल और कॉपरेटिव ट्रिब्यूनल कायम किया गया है पर विजय कृष्ण वहां मक्खियां मार रहे हैं। उनके पास कोई अपीलें नहीं हैं। काफी गड़बड़ियां वहां हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : चार हजार. दरख्वास्तें गरीबों की, किसानों की भूमि विकास बैंक के जरिये दी गई कि इनको लोन मिलेगा खास शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनको कहा गया आपको सबसिडी मिलेगी और उस पर आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। भूमि विकास बैंक ने समाज कल्याण को इत्तला नहीं दी है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय. लोगों ने अपने जेवर बेचकर, अनाज बेचकर चौथाई रकम जमा कराई है। चुपचाप में अधिकारियों के घरों में और नेताओं के घरों में चुनाव करा दिये गये····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : एक तरफ तो आप यह कहना चाहते हैं जो गरीबों की सहकारी समिति है जिसको माइन्स विभाग से सबसिडी मिला करती थी अब उन छोटे-छोटे मजदूरों से छीन ली गई····

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टा)

उनकी सोसायटी समाप्त हो गई। ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिया। अब अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि चुनाव आने वाले हैं और बड़े ठेकेदारों से चन्दा लेने वाले हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें····

श्री मनोहरलाल : मैं····(विराम) मैं····

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे ही अर्ज कर रहा हूं।

श्री मनोहरलाल : कुछ लेवी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, बाद में करूंगा। कॉपरेटिव में नेताओं का भ्रष्टाचार मिटाना है और इस देश में कॉपरेटिव सोसायटीज को सबल बनाना है, सहकारिता से आपका रिश्ता है समाजवाद से आपका रिश्ता है अगर आप ही इस सहकारिता को बदनाम करना चाहते हैं और इस आन्दोलन को नष्ट करना चाहते हैं तो आप चुनाव के लिए एक ऐजेन्सी कायम करें····

(समय-समाप्त-सूचक-घन्टी)

तभी आप यह भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव ·······

एक माननीय सदस्य : जोधपुर का स्थगन प्रस्ताव ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : पानी के बारे में, कीलर काण्ड तो बाद में आयेगा, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के पानी का सवाल इस सदन के अन्दर कई स्वरूपों में आया है और सबसे पहले यहां के पानी के अभाव को अनुभव कराया श्री जयनारायण जी व्यास ने और उसके बाद श्री बरकतुल्ला खां साहब ने। लेकिन आज उस अभाव से भी ज्यादा पानी का अभाव वहां हो गया है—दुर्भाग्य से और पानी का अभाव इसलिये हो गया कि हमारे मन्त्री महोदय....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जोधपुर का पानी तो लोगों को रंगीन बनाता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह तो सबक सिखाता है, शिक्षा देता है, हमेशा के लिए शिक्षा देता है कि इस प्रकार के काण्ड नहीं करेंगे। वह बाद में आयेगा अभी छोड़िये। मैं यह निवेदन कर रहा था इस समय स्थिति यह है कि रात को 3-4 बजे मोहल्लों मोहल्लों में महिलायें बाल्टी लेकर अलग-अलग स्थानों पर टंक्स के पास खड़ी हो जाती हैं। तीन-चार घण्टे तक इन्तजार करती हैं अध्यक्ष महोदय, वहां पानी का बहुत भंयकर अभाव है। जंवाई बान्ध इसीलिए बनाया गया था कि पेयजल की समस्या हल की जायगी लेकिन दुर्भाग्य से, राजनैतिक कारणों से जितना पानी जोधपुर को मिलना चाहिये था वह नहीं मिलकर जंवाई बान्ध के पास में बड़े-बड़े फार्म राजनैतिक लोगों के, उस पानी के बहुत बड़े हिस्से को ले लिया जाता है। इस कारण अभाव पैदा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव है इसलिये ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यदि यही स्थिति रही तो सांयकाल 5–7 मिनिट के लिये जो पानी आता है वह भी मिलना मुश्किल हो जायगा। यदि आप वहां जाकर देखें तो घण्टे, डेढ़ घण्टे तक ऐसा दृश्य मिलेगा कि सैंकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर खड़े हुये हैं। कोई घड़ा लिए हुए है तो कोई मटका लिये हुये है। सारी जगह त्राहि त्राहि मची हुई है। मैंने स्वयं रात्रि को घूम कर देखा। वाटर वर्क्स के इंजीनियर को साथ में लेकर देखा है। वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनका घेराव कर दिया। आज भी आप जनता को पीने का पानी नहीं देंगे तो और क्या दे सकेंगे। एक तरफ तो चान्द पर जाने की होड़ लगी हुई है और यहां जोधपुर जैसे शहर में पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी भी वहां आये हैं श्री माथुर उनसे मिले हैं, शिक्षा मन्त्री जी भी गये और उनसे कई डेपूटेशन मिले हैं और यह कहा गया है कि पानी का इन्तजाम नहीं किया तो जोधपुर को खाली करना पड़ेगा। जोधपुर सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व का स्थान है सीमा का दबाव है........

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इतना ही निवेदन करूंगा और सदन के आज के कार्य को देखते हुये अधिक समय नहीं लगे और जन स्वास्थ्य मंत्री को भी निवेदन करूंगा कि इस समस्या को हल करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेंगे, नहीं करेंगे तो जन आन्दोलन बढ़ता है। जंवाई बान्ध में से इर्रीगेशन के लिये जो पानी निकालकर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
एनक्रोचमेंट किया गया है उसको तुरन्त रोका जाना चाहिये। मैं इस ओर मा. मुख्य मंत्री जी का और जन स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ......

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और चाहता हूं व्यवस्था दें उससे पहले। एक सब्सटेंटिव मोशन है जिसको बिजनिस एडवाईजरी कमेटी में भी रखा गया है, बात करने के लिये रखा गया है ... ...

श्री अध्यक्ष : अब बात तो हो गई न ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, बाबू जय प्रकाश नारायण पर जो हमला किया गया है और जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उनकी भर्त्सना करने के लिये कहा है। लोकतन्त्र में इस प्रकार के यदि किसी पर हमले होते हैं तो यह सदन उनकी भर्त्सना करता है। प्रधान मंत्री पर जो इलाहाबाद में हमला हुआ उसकी हमने भर्त्सना की है, मुख्य न्यायाधीश पर उनकी कार में जाते हुये जो हमला हुआ और जो हथगोला फेंका गया उसकी भी हमने भर्त्सना की है--उसकी राजनैतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हमने भर्त्सना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा उस प्रस्ताव को 10-20 मिनिट के लिये, समय की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उस प्रश्न पर सब एक मत हैं इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा इसको लावें। यदि उसको विचारार्थ नहीं लाते हैं तो चाहे एक्सप्रेसली मना कर दें अथवा यह कह दें विचार करके बाद में निर्णय कर सके ... ...

श्री अध्यक्ष : निर्णय आज ही ले लेंगे, वह आपसे बातचीत करके।

अध्यक्षीय व्यवस्था

ऐसा मामला जिससे माननीय सदस्य सम्बद्ध हो, सदन में उठाना।

दिनांक 7-5-75 को जब माननीय सदस्य श्री गुमानमल लोढ़ा अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो श्री प्रद्युम्न सिंह एवं श्री गिरिजाप्रसाद तिवाड़ी ने यह आपत्ति उठाई कि श्री लोढ़ा जिस मामले को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसी मामले की पैरवी वे एक वकील की हैसियत से न्यायालय में कर रहे हैं। अतः इस मामले में उनका प्रोफेसनल सम्बन्ध होने के कारण उनको सम्बन्धित विषय पर नहीं बोलना चाहिये।

मैंने इस आपत्ति पर विचार किया है। हमारे नियमों में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। 9 मार्च, 1964 को इसी आशय का एक प्रश्न जब सदन में उठाया गया तो तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुये यह कहा था।

"कई प्रश्न ऐसे हैं होते हैं जिनमें उनका डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरेस्ट इन्वोल्व्ड होता है। वे प्रश्न सार्वजनिक महत्व के भी हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं, जैसा कि यह है फिर सामान्य तौर से यह होना चाहिये कि इस तरह से माननीय सदस्य जिसमें स्वयं डाइरेक्टली इन्वाल्व्ड हो किसी भी तरह से जिसके लिये उनको कहा जा सके कि उन्होंने व्यक्तिगत फायदे के लिये उपयोग किया उससे बचने के लिये यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों को ऐसे प्रश्न स्वयं न पूछ कर कोई अन्य माननीय सदस्य पूछे। इसलिये भविष्य के लिये मैं निवेदन करूं कि स्वयं इस बारे में

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न नहीं करेंगे। उनको सार्वजनिक महत्व की चीज मानते हुये अगर कोई और माननीय सदस्य पूछे तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि यहां हर माननीय सदस्य आते हैं सार्वजनिक महत्व की बातें करने के लिये और प्रश्नों का मतलब है सार्वजनिक महत्व की बातों के बारे में सरकार स्पष्टीकरण करे। साथ-साथ जहां माननीय सदस्य का स्वयं का स्वार्थ निहित है तो एक भ्रम पैदा हो जाता है।"

मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में एक निर्देशन इस आशय का मिलता है कि किसी माननीय सदस्य को ऐसा मामला सदन में नहीं उठाना चाहिए जिसमें उनका कोई वित्तीय हित निहित हो या उससे उन्हें कोई लाभ प्राप्त हुआ हो। मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस का सम्बन्धित अंश इस प्रकार है:

"That it is contrary to the usage and derogatory to the dignity of this House that any of its members should bring forward, promote or advocate in this House any proceeding or measure in which he may have acted or been concerned for or in consideration of any pecuniary fee or reward."

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे सूचित किया है कि उनका इस मामले में कोई वित्तीय लाभ निहित नहीं है क्योंकि वे इस मामले में जनता की ओर से निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं। यदि श्री लोढ़ा का इस मामले से कोई निजी वित्तीय सम्बन्ध हो तो उनके लिए यह वांछनीय है कि वे इस मामले को सदन में नहीं उठायें। किन्तु उन्होंने इस बात के लिए इन्कार किया है कि उनका इस मामले में कोई वित्तीय हित निहित नहीं है।

शासकीय वक्तव्य

जोधपुर व्यभिचार काण्ड पर गृह राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य

श्री मीठालाल : जो कुछ कहूंगा सच-सच कहूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष के सामने तो सच ही कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष : भगवान के नाम से सच कहना चाहिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री मीठालाल मीणा, गुमानमल लोढ़ा, योगेन्द्रनाथ हांडा व श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बाबत जोधपुर उद्योग विभाग के कुछ अधिकारी व प्रतिनिधियों द्वारा वेश्या-वृत्ति करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार हैं:—

"थानेदार पुलिस स्टेशन सरदारपुरा को 12 तथा 13 अप्रेल, 1975 की रात करीब 12 बजे नेहरू पार्क मोहल्ले के श्री किशन ने टेलीफोन पर सरदारपुरा थाने में इत्तिला दी कि लघु उद्योग निगम के कार्यालय में कुछ व्यक्ति व 2 लड़कियां अश्लील कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर थानेदार मय पुलिस के तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचा जहां लगभग 150-200 लोग एकत्रित थे जो पहले ही लघु उद्योग निगम कार्यालय की इमारत में घुस गए थे तथा उन्होंने 2 लड़कियों व 4 व्यक्तियों को पकड़ रखा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

था। मौके पर श्री चन्द्रराज चौधरी ने थानेदार को एक लिखित रिपोर्ट दी। थानेदार की सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गये। उन्होंने भीड़ को हटाया तथा सभी मुलजिमान को थाने ले गए। मौके पर से शराब की बोतलें, खाने के टिफिन आदि भी कब्जा पुलिस में लिए गए। कार नं. आर. जे. जेड. 6381 को भी सुरक्षा की दृष्टि से थाने भिजवा दिया।

पूछताछ पर मुलजिमान ने अपने नाम बताये जो निम्न प्रकार हैं:—

1. जेठी पुत्री वस्तीराम, निवासी जवाहर खाना, जोधपुर।

2. सुशीला पुत्री लक्ष्मन जागरी, निवासी जवाहर खाना, जोधपुर।

3. रामगोपाल पुत्र फोवीसिंह पुरोहित, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला पाली।

4. ओम प्रकाश पुत्र रामशरण दास अग्रवाल, निवासी सी स्कीम, जयपुर, बगड़िया भवन के पीछे।

5. कन्हैयालाल पुत्र गोविन्दराम जैन, निवासी दरीबा पान, जयपुर।

6. जगमोहन पुत्र भगवान सहाय खण्डेलवाल, निवासी पीतलियों-का-चौक, जयपुर।

इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 154, दिनांक 13-4-75 अन्तर्गत धारा 3, 5 (1) ए. बी. सी. डी., 6 तथा 7 अनैतिक व्यभिचार निरोधक अधिनियम, तथा 366 (ए) आई. पी. सी. दर्ज किया गया। मुकदमे की तफतीश पूर्ण की जाकर 21-4-75 को उक्त छह मुलजिमान तथा उमरदीन उर्फ राषट के विरुद्ध चालान पेश किया जा चुका है।

17-4-75 को रामगोपाल को निलम्बित कर दिया गया है।"

श्री अध्यक्ष : यह जो विषय आपके सामने है कुछ शील और अश्लील मिला जुला हो सकता है इसलिए हमारी भाषा में अश्लील न हो इस बात का ध्यान रखा जाये।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अश्लील नहीं होगा लेकिन इसकी गम्भीरता नष्ट होने से भी रोकें।

श्री अध्यक्ष : इसलिए हमारी खुद की भाषा ठीक होनी चाहिए।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 अप्रेल की रात को जो घटना जोधपुर में घटी वह ऐसी है कि जिसमें राजस्थान की जनता, राजस्थान की सरकार और हम सब राजस्थानवासियों का सिर शर्म से झुक जाता है। वैसे तो यह है कि बड़े अधिकारी और कई बड़े लोग इस तरह की बातों में आजकल बहुत कुछ शामिल हो गए हैं लेकिन पूछना यह है कि जब कोई चीज सामने आती है या पकड़ में आती है तब जाकर जनता के सामने वह प्रकट होती है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। कल जब लोढ़ा जी इसको पेश कर रहे थे उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध भी किया था लेकिन मेरे इस पर अलग से विचार हैं कि इसमें कोई

(श्री मीठालाल मीणा)

विरोध वाली बात या पार्टी वाली बात या सरकार को इसमें नीचा दिखाने वाली बात या सरकार को लज्जित करने वाली बात नहीं है और न हमारे इस प्रकार के विचार ही हैं। लेकिन मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्या यह उचित है ? क्या इसको आगे के लिए चालू रखना चाहिए ? क्या यह सही था ? क्या दोषी व्यक्तियों को दण्ड नहीं मिलना चाहिए ?

मेरा अध्यक्ष महोदय, इसमें यही निवेदन है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए और जिन लोगों के नाम थे और जो इस घटना में लिप्त थे उनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, 12 अप्रेल को जैसे ही पाली में जो सेमीनार थी वह खतम हो गई और उसके बाद में जोधपुर में उच्च अधिकारियों के साथ कुछ प्राइवेट महानुभाव भी थे वह भी पधारे। इनका पहले से प्रि-प्लान था। एक साथ कार में आये और जो लघु उद्योग का कार्यालय है वहां पर निश्चित योजना के अनुसार आये। इसमें यह हो सकता है कि कुछ आदमी पहले से वहां थे और कुछ बाद में आये। उनमें रामगोपाल जो पहले भी गवर्नमेन्ट होस्टल में एक युवती के साथ पकड़े गये थे और भाग निकले थे। बाद में उस युवती ने अपने मकान से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब यह पता नहीं कि आत्म हत्या कर ली या किसी ने उसकी हत्या कर दी। अगर सरकार पहले ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करती तो आज सरकार को इतना नीचा नहीं देखना पड़ता। ...

एक माननीय सदस्य : सरकार नीचा क्यों देखे ? सरकार तो कार्यवाही कर रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुन लें पहले।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह वेश्यायें हैं और वेश्याओं ने धंधा किया और वह वहां आई और यह भी समझ लिया जाये कि जो भी अधिकारी थे, प्राइवेट आदमी थे या ओमप्रकाश जी हों कोई भी हों वह भी उस काण्ड में शामिल थे और यह भड़वा भड़वी काण्ड जोधपुर में हुआ क्या कार्यालय का किराया यह लोग देते थे या सरकार देती थी ? या इसमें सरकार का कार्यालय है और अगर उन आदमियों ने किराया लिया है तो फिर क्या सरकार में पैसा जमा कराया। इस तरह के धंधे और जगह भी होते हैं। सरकार का जो कार्यालय है क्या सरकार ने इसी काम के लिए दे रखा है ? और जब यह काण्ड हो चुका उसके बाद में अचानक बोर्ड वगैरह वहां से हटा दिये और 366 (ए) है आई. पी. सी. की इसमें मुलजिमान को हथकड़ियां डालते हैं उन वेश्याओं को तो शाम को छोड़ा और इसमें जो खास मुलजिम थे उन लोगों को वहीं छोड़ दिया गया। न गिरफ्तार किया गया न कुछ किया गया। जो पेपर्स हैं और पेपरबाजी है उनको रोककर जो सारा काण्ड इस तरह का किया गया है इसमें, अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन

(श्री मीठालाल मीणा)
दोषी व्यक्तियों को तत्काल दण्ड देकर जनता में जो भ्रांति पैदा हो रही है और जो शर्मनाक काण्ड वेश्यावृत्ति का हुआ है उसके खिलाफ सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिये और ऐसे व्यक्तियों को ऐसा दण्ड मिले, ऐसा दण्ड मिले कि भविष्य में दूसरे व्यक्ति भी उससे सबक लें और भविष्य में कोई भी वारदात कम से कम राज्य सरकार के माध्यम से नहीं हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय....

श्री मीठालाल : मेरा निवेदन करना है कि आज ही आप अपनी घोषणा में इस बात की स्पष्ट घोषणा करें जिससे कि इन लोगों को ऐसा दण्ड मिले जो पब्लिक में, जनता में और दूसरे अधिकारियों में, उच्च वर्ग के लोगों में उससे सबक पैदा हो और भविष्य में इस तरह की कार्यवाही करने का साहस नहीं हो सके।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह मीठालाल जी....

श्री अध्यक्ष : जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं पहले वही बोलेंगे।

श्री दीपंकर : उन्होंने प्रश्न दिया है और उनका और मेरा जॉइन्ट प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

कृपा करके सुन लीजिये ...

श्री दीपंकर : मेरा निवेदन है ...

श्री अध्यक्ष : कृपया करके सुनने की आदत डालिये। उनका स्थगन प्रस्ताव भी है और उनका मिला हुआ प्रश्न भी है। प्रश्न के सम्बन्ध में आपको समय दूंगा जब समय आयेगा, उनके पहले स्थगन प्रस्ताव वालों को अवसर देता हूं फिर प्रश्न के हिसाब से आपको भी समय दूंगा।

श्री हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो काण्ड 12 तारीख को जोधपुर में हुआ और स्मांल स्केल इण्डस्ट्रीज के दफ्तर में हुआ उससे मानवता कलंकित हुई है प्रशासन कलंकित हुआ है और इन्सानियत कलंकित हुई है। अगर यह काण्ड करने वाले लोग साधारण लोग होते और यह दफ्तर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का दफ्तर नहीं होता, कोई और जगह होती तो बात दूसरी थी लेकिन इसका गम्भीर पहलू यह है कि इस काण्ड को करने वाले लोग सरकार के द्वारा पोषित व्यक्ति हैं और सरकार के द्वारा बड़ी से बड़ी कमेटीज के सदस्य रहे हैं और अब भी हैं। 23 तारीख को जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जोधपुर के अन्दर मुख्य मन्त्री महोदय से मिले और उनसे कहा कि इन सब लोगों को निलम्बित कर दिया जावे, केवल रामगोपाल को सस्पेंड किया गया, लेकिन यह कन्हैयालाल आज भी काण्डला पोर्ट ट्रस्ट कमेटी का सदस्य है, उनको उस कमेटी से बाहर नहीं निकाला गया है। यह आॅल इन्डिया स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन का आज भी मेम्बर है। उनको वहां से नहीं निकाला

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

गया है और यह ताम्बी साहब चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेजीडेंट हैं। मैं मानता हूं कि सरकार के हाथ में यह पावर नहीं है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स से ताम्बी साहब को निकाल सके। लेकिन राजस्थान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि चाहे वह जगमोहन हो, चाहे वह रामगोपाल हो, चाहे वह ताम्बी हो, चाहे वह जैन साहब हो, इस सरकार के प्रशासन का और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के प्रशासन का ज्यादा से ज्यादा फायदा इन लोगों ने समय-दर-समय उठाया है। चाहे कोटाज के रूप में हो, परमिट्स की शक्ल में उठाया हो, चाहे उसके बोर्ड के द्वारा, बड़े-बड़े कमेटी के अन्दर सम्मिलित होकर उठाया हो। अध्यक्ष महोदय, सबसे लज्जाजनक बात तो यह है कि गवर्नमैंट होस्टल के अन्दर कमरा नम्बर 65 के अन्दर श्रीमान रामगोपाल रंगे हाथों पकड़ा गया और इस प्रकार का निकृष्ट और घृणित कार्य नहीं हो सकता। सैकड़ों लोग वहां पर एकत्रित हो गए। राजस्थान का कोई अखबार नहीं, चाहे भारतवर्ष का कोई अखबार नहीं जिनमें इन रामगोपाल के घृणित समाचार नहीं छपे हों और इतना ही नहीं यह घटना क्रम यहीं रुक जाता तो काफी था। यह आगे चला। वह औरत जिसके मुंह से मदिरा की दुर्गन्ध आ रही थी गवर्नमैंट होस्टल के कमरा नम्बर 65 में पकड़ी गई वह जोगेन्द्र कौर छत से गिर कर मर गई और आज भी राजस्थान की जनता के सामने यह प्रश्न है कि वह मार डाला गई या वह गिर कर मर गई। वह सुसाइड था या वह मर्डर था और इसके बावजूद रामगोपाल साहब हमारे यहां के चीफ ह्विप के और वरिष्ठ मन्त्री महोदय के पी. ए. कन्टीन्यू होते रहे और जबकि यही सिरोही के अन्दर गए और सिरोही में घेराव किया गया और जहां कि एक इस प्रकार के निकृष्ट चरित्र के आदमी को जिसका कि चरित्र दूषित है, उसके बाद भी बजाय इसके कि उसको प्रशासन के हर क्षेत्र से हटा दिया जाता, उसको स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के अन्दर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पर रखा गया। केवल पी.ए. के पद से हटाया गया। जोधपुर की जनता और राजस्थान की जनता इस बात से उत्तेजित है। आपने कानूनी कार्यवाही की है, आपने दफा 366–ए का केस बनाया है। आपने मामला सब-जुडिस कर दिया कोर्ट के अन्दर चला गया। बहुत से लोगों का इन्टरेस्ट भी हो सकता है कि यह मसला कोर्ट के अन्दर फेल हो जावे। मैं इस दृष्टि से इस पहलू को नहीं लेता। प्रशासन की स्वच्छता, आपके शासकों के चरित्र और इस प्रकार के दूषित आदमी जो कि शासन को कलंकित करते रहते हैं और जनता रात दिन चीखती चिल्लाती रहे कि ऐसे लोगों को प्रशासन से दूर किया जावे। इसके बावजूद भी इस प्रकार के लोगों को लगातार प्रशासन के अन्दर रखा जाता है जिनका कि चरित्र खुल्लेआम संदिग्ध होता है। कमरा नम्बर 65 के अन्दर का काण्ड कोई साधारण काण्ड नहीं है। आज भी अगर राज्य सरकार उसकी पूरी जांच करवाये तो मैं यह कह सकता हूं कि वह एवीडेंस डेस्ट्रॉय करने के लिए वह हत्या करने के अन्दर रामगोपाल लिप्त थे, केवल उसकी अहमियत संसार से उठा देने के लिए उसका मर्डर हुआ न कि उसने सुसाइड कमिट की।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

'अध्यक्ष महोदय, आज यह ठीक है कि मामला कोर्ट के अन्दर चला गया और कोर्ट अपने तरीके से उसके ऊपर कार्यवाही करेगी लेकिन राज्य सरकार इस सम्बंध के अन्दर क्या कार्यवाही कर रही है। ताम्बी साहब चाहे चेम्बर आफ कॉमर्स के प्रेसीडेंट हों, कन्हैयालाल जैन जिनके सम्बंध के अन्दर इस राजस्थान के सैकडों लोग, राजस्थान की जनता आन्दोलित है कि वह लगातार राजस्थान के प्रशासन के ऊपर छाये रहते हैं। हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि हमारा प्रशासन के अन्दर असर है, हम यह करवा सकते हैं, वह करवा सकते हैं, जिनके सम्बंध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो आज इस सदन में नहीं रहे, जो कि सरकार के अन्दर उपस्थित नहीं हैं लेकिन उनके सम्बंध में राजस्थान का बच्चा 2 जानता है कि कन्हैयालाल छाती पर हाथ ठोक कर कह देता था, चाहे ट्रांसफर की बात कह सकता है, चाहे तबादले की बात कह सकता है, वह किसी भी बात पर कुछ भी कह सकता था। और अगर आप कन्हैयालाल, ताम्बी, जगमोहन और रामगोपाल की सम्पत्ति, प्रॉपर्टी उनके द्वारा अर्जित सारे धन की जांच की जावे तो अनेक काण्ड, भ्रष्टाचार के अनेक काण्ड राजस्थान की जनता के सामने आयेंगे। आखिर कन्हैयालाल एक स्टुडेंट लीडर हैं और एक मामूली आदमी था, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था उनका पिता और इन्हीं जैन साहब ने करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति जिस प्रकार से अर्जित कर ली और कोठियां बन गई सी स्कीम के अन्दर ? किस प्रकार से इतना बड़ा धन अर्जित कर लिया ? अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा जनता के दिमाग में एक प्रश्न उपस्थित होता है····

श्री अध्यक्ष : समय को ध्यान में रखते हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :······कि यहा हर तरह से प्रशासन को भ्रष्ट करता है। हर तरीके से पैसे से भ्रष्ट करता है। जो पैसे से भ्रष्ट नहीं होता ब्यूरोक्रेट्स उनको दूसरे निकृष्ट तरीके से भ्रष्ट किया जाता है। दोनों तरह के भ्रष्टाचार में कोई अन्तर नहीं है। दोनों भ्रष्टाचार एक से बढ़ कर अधिक घिनौने हैं चाहे वह पैसे से भ्रष्ट किया जावे, चाहे इस प्रकार के निकृष्ट तरीके से भ्रष्ट किया जावे जिस प्रकार का खेल उस स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के दफतर के अन्दर खेला गया। और मुझे तो आश्चर्य है कि मैं तो माननीय मुन्नालालजी गोयल जो कि मुख्य मंत्री महोदय के दामाद हैं वे उस समय उपस्थित थे·····

(व्यवधान - अश्रव्य)

भूतपूर्व मुख्य मंत्री, उनके दामाद हैं और जो कर्णाटक के राज्यलाल हैं, मैं नहीं मानता हूं कि वे इस प्रकार के व्यक्ति हों या इस प्रकार के कार्यों के अन्दर लिप्त होते हों लेकिन यह किस्सा मैंने जरूरी सुना था कि जैन साहब को गोयल साहब ने धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया था और उनके चरित्र की दुर्बलता के कारण उनको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद किसी मंत्री के दरवाजे पर जाइये ताबी साहब बैठे हुए, किसी मंत्री के दरवाजे पर जैन साहब विराजमान हैं। किसी मंत्री के दरवाजे पर जाइये रामगोपाल विराजमान या यह मदनमोहनजी विराजमान हैं, ओमप्रकाशजी विराजमान हैं आखिर सारे प्रशासन का ठेका इन्होंने ले

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

रखा है। मैं बहुत अधिक माननीय अध्यक्ष न कहते हुए यह कहूंगा कि जोधपुर के अन्दर की यह मिसाल सारे प्रशासन की और जनता में काम करने वाले लोगों के लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार से एक प्रकार का घृणित, नीच भ्रष्टाचार इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। पैसा देकर भ्रष्टाचार फैलाने की बनिस्पत स्त्रियां सप्लाइ कर भ्रष्टाचार करना एक घृणित कार्य है और राजस्थान की जनता इसको सहन नहीं करेगी। हिन्दुस्तान की जनता इसको सहन नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर इसको सहन नहीं करेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी-बाजार) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठा है, उसके दो पहलू हैं एक तो पहलू कानूनी है और दूसरा पहलू इसका इखलाकी है। जहां तक कानूनी पहलू का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पूरी सतर्कता के साथ, जो लोग गिरफ्तार किए उनका चालान कर दिया और जो दफा लगायी जा सकती थी, वह लगा दी और अब वह अदालत के विचाराधीन है। वहां से जो फैसला होगा, वह हो जाएगा। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं साफ शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अदालत का कुछ भी फैसला हो, अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे, जनता की अदालत इन ऑफिसरों के बारे में अपना निर्णय कर चुकी है कि ये लोग दोषी हैं और इन्होंने अखलाकी जुर्म किया है। ये लड़कियां बालिग हैं, इसलिए ये दोषी अदालत से छूट जाएं, या वे प्रोस्टीट्यूट हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, परन्तु इससे इनको संरक्षण नहीं मिलता। इसलिए मैं सबसे पहले जो सवाल उठाया चाहता हूं वह यह कि जनता ने जिन लोगों को दोषी करार दे दिया है, उनको न तो चीफ मिनिस्टर बरी कर सकते हैं और न हीं अदालत ही कोई कदम उठा सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के फैसले को नहीं मानते, वे लोग दुनियां में खतम होते हैं, समाप्त होते हैं चाहे वह बड़ा से बड़ा साम्राज्यवादी हो, इन्डीज्यूअल हो, या चाहे कोई गवर्नमेन्ट हो। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस अपराधी पहलू को····

श्री मनोहरलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सुना है, माननीय सदस्य ने प्रोस्टाट्यूट शब्द का प्रयोग किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब तक इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्रमाणित न हो जावे, किसी महिला के बारे में प्रोस्टीट्यूट शब्द का प्रयोग करना अनुचित है।

श्री मोहमदगफ्फार अली : आप गलत समझे हैं। यह डिफेन्स हो सकता है। आप वकील है। मैं उनको वेश्या मान कर नहीं चलता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं वे सभ्य महिलाएं हैं। मेरा यह भी अर्ज करना है ये लोग इस अभागे मुल्क में अपने जिस्म को बेचते हैं, वे इतने बड़े गुनहगार नहीं है जितने कि वे लोग जो अपने पैसे के बलबूते पर इनके जिस्म को खरीदते हैं। इन लोगों के साथ प्रोस्टीट्यूटस् के साथ मेरी हमदर्दी है और कई शरीफ औरतें इस मुल्क में प्रोस्टीट्यूट हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है, इस

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
प्रान्त और इस देश मे इस किस्म की घटनाएं घटती हैं, घटती रही हैं और घटती रहेंगी जब तक कि यह पूंजीवादी व्यवस्था खतम न हो जावे। प्रश्न यह है कि ये घटनाएं क्यों घटती हैं। इंगलैण्ड में भी कीलर की मिसाल है। दूसरी जगह भी ये घटनाएं घटती रहती हैं और इस वक्त भी इसका सिलसिला विद्यमान है जब तक यह देश समाजवादी व्यवस्था को नहीं अपना लेता है। समाजवादी देशों की यह मान्यता है, कम्युनिस्ट देशों की यह धारणा है कि पूंजीवादी देशों में इन्सान को बेचा जाता है, इन्सान की खरीद फरोख्त की जाती है, इन्सान के जिस्म की खरीद फरोख्त की है। पूंजीवादी देशों में जवानी और हुस्न का जितना शोषण किया जाता है, उसको कहा नहीं जा सकता है, परन्तु यहां पर प्रश्न यह आता है कि इस प्रकार से नौजवानी को, जवानी को....

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इसके अपराधी पहलू को रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन करना यह है कि जो अस्मत बेची जाती है, यह अस्मत मजबूरी से बेची जाती है और इसकी खरीददारी जरायम पेशा है। अदालत चाहे इन मुजरिमों को छोड़ दे लेकिन जनता की अदालत इनको बख्शने वाली नहीं है। जनता की अदालत इन मुजरिमों को नहीं छोड़ेगी चाहे कितनी ही तरफदारी यहां की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर करें ? ये तो कानूनी गलतियां होती हैं जिनसे ऐसे मुजरिम अदालत से छूट जाते हैं। अदालत के लिए मैं यह कह सकता हूं वह निष्पक्षता, ईमानदारी के साथ फैसला देगी। हो सकता है कि ये बरी हो जायें परन्तु जनता यह नहीं मानती। इनको दोषी मानती है। जिन हालात में ये पकड़े गये हैं इन छोटी-छोटी लड़कियों के साथ इन लोगों को जनता ने देखा है उनके लिए अब कोई लीनियेन्सी, नरमी नहीं बरती जा सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह नैतिकता का प्रश्न है। इसके ऊपर यह कहा जा सकता है कि यह मामला सब-जुडिस है। होगा। हो गया है लेकिन आपको नैतिकता के नाते इसको देखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, अनेक बार ये रंगीन बातें इस प्रांगण में रखी गयी हैं और दूसरे ऑफिसरों, ऑफिसेज का दुरुपयोग किया गया है और उस तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब अनेक बार सवालात आए कि फलां डाकबंगले में, फलां ऑफिस में यह हुआ परन्तु राज्य सरकार ने कभी भी इस बात पर तवज्जह नहीं दी कि आगे इस किस्म का दुरुपयोग नहीं होगा। इस तरह से ऐसी चीजें नहीं होंगी और जो हमारे ऑफिसर हैं, जिन पर हमारी बुनियाद है, उनको इस तरह से भ्रष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मैं इसके कानूनी पहलू को छोड़कर जो दूसरा पहलू नैतिकता का है, उस पहलू पर निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य गुमानमल जी लोढ़ा ने कुछ सवालात यहां पर उठाये हैं। इन सवालातों के बारे में स्टेटमेन्ट खामोश है। उन्होंने यह पूछना चाहा था, यह बताया जावे कि जो बयान है, यह दफ्तर एक दिन में ही कैसे गायब हो गया, सबूत कैसे समाप्त कर दिए गए। कोई जवाब राज्य सरकार ने इन सवालों का नहीं दिया है।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यह सवाल भी उठाया गया कि इन कैदियों के साथ इतना रियायती ट्रीटमेन्ट किस आधार पर किया गया। जो अपराध, जुर्म, मोरल टरपीट्यूड का है, ऐसे मुजरिमों के साथ इस किस्म का बर्ताव कैसे किया गया कि बगैर हथकड़ियां पहनाये मोटर में बिठा कर इनको ले जाया गया। क्या इसलिए कि वे पैसा देते हैं राज्य सरकार को, या किसी पोलिटिकल पार्टीज को चन्दा देते हैं या ये बड़े-बड़े व्यापारियों के एजेन्ट हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी अपनी अखलाकी (नैतिक) जिम्मेदारी है। हो सकता है, कुछ लोगों को आप पसन्द करते हों, परन्तु वे सही नहीं हों—हो सकता है कोई सही लोग हों और आप उनको पसन्द न करते हों लेकिन आपको अपनी जांच को जनता की राय पर कायम करना होगा। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लोढ़ा साहब ने जो सवालात उठाये हैं क्या उनका आपके पास कोई जवाब नहीं था ? आप बता नहीं सकते कि दफ्तर क्यों खाली कराया गया ? क्यों कहने को तैयार नहीं है कि इनको रियायती ट्रीटमेन्ट दिया गया ? जिन लोगों का यहां पर नाम लिया जा रहा है। मैं इस किस्से को सुखाड़िया साहब या जोशी साहब के साथ नहीं जोड़ता हूं। मेरी मान्यता है कि जो आसन पर आता है, वहां पर ये बदनसीब कम्बख्त पूंजिपतियों के, इजारेदारों के एजेन्ट इनकी खुशामद करने पहुंच जाते हैं। परन्तु इनका जो असली चोला है, इनके जो कार्य हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आपका यह जो स्टेटमेन्ट है, यह काफी नहीं है, अपूर्ण है। जो सवालात लोढ़ा साहब ने उठाये थे, उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए मैं कोई ज्यादा तकरीर नहीं करना चाहता हूं, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो लोग पकड़े गए हैं, जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उनके हक में भी यह जरूरी है कि आप असेम्बली के मेम्बर्स की एक कमेटी का निर्माण करें, इसमे ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्य हों। अपोजीशन के मेम्बर हों, इसमें हर पार्टी का एक एक नुमाइन्दा हो और यह कमेटी इन्क्वायरी करे कि आखिर वे कौन-कौन लोग थे। जो लोग पकड़े गए हैं उन से भी बड़े आदमियों के नाम मेरे कान में डाले गए हैं। मैं यह अर्ज किया चाहता हूं कि यह ऐसा इश्यु है जिसके अपराधी पहलू के साथ ही आ [illegible] कर्त्तव्य हो जाता है और आप इसके बारे [illegible] जांच करें। यह कहकर आप बरी नहीं हो सकते हैं कि यह मामला कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है और कोर्ट इसका फैसला कर देगी। परन्तु कोर्ट यह फैसला नहीं करेगी आगे सरकारी और सार्वजनिक भवनों का दुरुपयोग नहीं होगा। कोर्ट यह फैसला नहीं करेगी और अन्य लोग कौन-कौन थे ? और उन्होंने ऑफिसेज का किस तरह से दुरुपयोग किया है। कोर्ट यह फैसला नहीं करेगी कि ऑफिसेज के अन्दर आगे ऐसी कार्यवाही न हो इसके लिए क्या कदम सरकार उठावे ? कोर्ट के फैसले से हम कोई मुत्तफिक होने वाले नहीं हैं। एक मांग तो हमारी है कि सरकारी और नीम सरकारी जितने इजारे हैं और उन पर यह लोग बैठे है वहां से उनको तुरन्त हटाया जाय। अगर नहीं हटायेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप इनको इस बात का मौका देते हैं कि वह अपने असर और पैसे से अदालत

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

को मुतसर करेंगे और गवाहों को तोड़ देंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो सरकारी और नीम सरकारी इजारे हैं वहां से उनको हटाया जाय। कल मेरे पास रात के 12 बजे एक पैगाम आया कि हम लाग पछाड़ देंगे और हम समझ लेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को झिझोड़ बिखेर देंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हम मरने को तैयार हैं। हमने अमेरिका से मुकाबला किया है। वहां पर कुर्बानियां की हैं। ये छोटे लोग क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे? इसको तो छोड़िये। इसको मैं अहमियत नहीं देता हूं। लेकिन मैं निवेदन किया चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी हिम्मत करे, जिनकी इतनी हिम्मत होती है कि पोलिटिकल पार्टीज और इन्डिविजुअल्स को यह चेतावनी दें कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। तो हमारी पहली मांग तो यह है कि ·· (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) मैं ।छकै मांग रखना चाहता हूं।

पहली मांग तो यह है कि जो सरकारी और नीम सरकारी जितने भी इजारे हैं वहां से इन नालायक लोगों को फौरन हटा दिया जाय, और उस तारीख का इन्तजार नहीं किया जाय? जब कोर्ट का फैसला हो। तो कोर्ट का कुछ भी फैसला हो लेकिन जनता का फैसला यह है कि उनको हटाना चाहिये, और आपको जनता के फैसले के सामने सिर झुकाना होगा। आप किसी जगह जा नहीं पायेंगे। इसलिए मेरा यह है कि मैं समर्थक रहा हूं आपकी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज का, लेकिन आपको इखलाकी बातों को याद दिलाते हुये यह निवेदन किया चाहता हूं कि इनको तुरन्त हटाया जाय।

दूसरी चीज मैं निवेदन किया चाहता था कि इस सम्बन्ध में आपको एक एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये, और वह कौन-कौन लोग थे जो इसमें लिप्त रहे हैं उनका पता लगायें।

तीसरी एक ऐसी हाई पॉवर कमेटी आपको मुकर्रर करनी चाहिये जो आगे के लिए यह सुझाव दे कि इस तरह की घटनाएं भविष्य के अन्दर न हों।

और चौथा, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार ने तवायफों को शहर से निकाला तो गांवों में चली गई और गांवों से निकाला तो वस्तियों के बीच में बैठ गई। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह डागमेटिक आपकी तहजीब पर, तमद्दुन पर है। आप मालिक हैं। इसको मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसकी तरफ कोशिश करना चाहिये। बइन्साफी और भूख के कारण भी औरत अपनी इज्जत और अस्मत को बेचती है चन्द चांदी के टुकड़ों के खातिर। उसमें आपका क्या कर्त्तव्य होता है इसके बारे में मुफस्सिल एन्क्वायरी करके कोई ऐसा इलाज इसका ढूंढ़ना चाहिए जिससे यह पेशेवरी खत्म हो जाय। (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप मुलाजिमत में रखते हैं और जब आप उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसका यह आधार होना चाहिए, एक क्राइटेरिया उनकी तरक्की का यह भी होना चाहिए

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कि उनके खिलाफ किसी किस्म की ऐसी चीज हो तो उसकी कॉन्फीडेंशियल रिपोर्ट में यह तो हो जाता है कि फलां अच्छा काम करता है और अच्छा आदमी है, एन्ट्री होना चाहिए। कोई यह नहीं देखता है कि उसकी लाइफ कैसी है। किस तरह की लाइफ लीड कर रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों को आप दृष्टि में रखते हुए जो कि एक अपूर्ण जवाब दिया गया है उसका स्पष्टीकरण किया जाये। आप यह कहते हैं कि उनके साथ में रियायत नहीं करना चाहते हैं तो दफ्तर रातोंरात क्यों हटाया गया। क्या इस तरह के काम से आपकी तारीफ होगी? सरकार उनको किसी भी सरकारी और नीम सरकारी इजारों में नहीं रखेगी। यह मैं दोहरा देना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि इन मांगों को मानकर इन चीजों का, इन कठिनाइयों का निराकरण करें और आपके फर्ज की यह बात है कि आप इनके अखलाकी पहलुओं पर नजर गुजारें और इसका तय करें कि आपको इनका क्या करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री! (श्री गुमानमल लोढ़ा से) स्थगन प्रस्तावों पर और कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जितने प्रश्न मैंने परसों रखे थे उनका उत्तर राज्य मन्त्री के स्टेटमेंट में नहीं आया है। राज्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री के बोलने के पश्चात् आप मुझे समय देते तो उचित होता। यदि आपकी यह आज्ञा है कि अभी समय दिया जायेगा और बाद में नहीं दिया जायेगा तो मैं बोल सकता हूं। लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है। उनके बिना मेरे बोलने का कोई अभिप्राय नहीं रहेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर बोलने वाले हैं। अच्छा यह हो कि आज के समय की तंगी को देखते हुए प्रारम्भ में सारी बातों को यह कह दें। अभी राज्य मन्त्री बोले फिर मैं बोलूं और फिर मुख्य मन्त्री जी बोलें और फिर मैं बोलूं तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। इसलिए आपकी अनुमति चाहूंगा कि आप पहले उनको बोलने का समय दे दें।

श्री दीपंकर: उनसे बात हो तब तक मुझे आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप सूची में हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनको यह आज्ञा तो बहुत आवश्यक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मुझे नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि जो आगे का बिजनेस है अपने पास उसको भी लेना है वह महत्वपूर्ण है। तो आपको कुछ कहना हो कह दें मुख्य मंत्री जी बाद में कह देंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं भी इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जिन मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव है, प्रश्न है उन्हीं पर सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर सीमित नहीं रहेंगे तो आगे का टाइम एडजस्ट करके चलेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। अगर इसमें ज्यादा समय लग जायेगा तो आगे के लिए समय कम बचेगा, क्योंकि आज का बिजनेस हमको पूरा करना है। उस हालत में प्रत्येक दल से एक एक आदमी बोल ले तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है। इसमें अनेक तथ्य हैं जो कि हमारे सम्मुख नहीं आये हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस विषय पर जिसमें यह राजस्थान का सारा मंत्रि-मण्डल आज कटघरे में खड़ा हुआ है, सदन के सामने सारे तथ्य रखूं।

श्री दीपंकर : कोई कटघरे की बात नहीं है। आप लाट साहब तो नहीं हैं कि आपके कह देने से वह सब हो जायगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप चिन्ता क्यों करते हैं? आपको किस बात की चिन्ता है?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप मुझे पहले बोलने का अवसर देना चाहते हैं या वह बोल लें।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ...

श्री दीपंकर : इनका स्थगन प्रस्ताव नहीं था।

श्री अध्यक्ष : इनकी तरफ से बोल रहे हैं। (विराम) आप पहले बोल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव और प्रश्न इस चालू विषय पर जितने भी हाउस के समक्ष आये हैं, और सरकार का जो भी वक्तव्य आया है वह वक्तव्य तो वस्तुस्थिति क्या है उसी का वर्णन है। प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध था वह उसमें समाविष्ट हो चुका है। इसलिए मुझे आज्ञा हो तो सरकार को जो भी यह घटना घटी, यह घटना हुई उसके सम्बन्ध में रुख अख्तियार करना चाहिए था और जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी स्पष्ट घोषणा उस मुद्दे पर की है कि कोई पक्ष नहीं लिया जायगा, यह इतनी गरिमापूर्ण तरीके की वह घोषणा थी कि सरकार को इस घटना से कहीं पर जोड़कर आज दिन यह कहना चाहें कि उसने कोई तरफदारी की है, उसने किसी का पक्ष लिया है या इसमें सावधानी नहीं बरती तो वह उचित नहीं होगा।

मुझे निवेदन इसके अलावा कुछ और करना है, और वह यह करना है कि जिस तरीके के व्यक्तियों की यह जो घटना जोधपुर की सामने आई है वह शर्मनाक है। उसको कोई भी व्यक्ति सुनेगा, चाहे वह सम्माननीय सदस्य हो इधर का, चाहे किसी दल का सदस्य हो, वह यही कहेगा की यह बहुत ही खराब बात हुई है। इस तरह के वह व्यक्ति इस प्रकार की घटना करें और वह भी ऐसे स्थान पर करें जो कि बहुत से हमारे निगम बने हुए हैं उनके वह सम्माननीय सदस्य भी हों,

(श्री दीपंकर)

तो आज सबसे बड़ा प्रश्न यही एक है कि राज्य सरकार ने इस घटना के बाद इन लोगों, जो नौकर हैं, में से एक के खिलाफ तो उन्होंने एक्शन लिया ही है, परन्तु कई माननीय सदस्य बने हैं जैसे के. एल. जैन, कई जगह पर सदस्य हैं। इस तरह से ताम्बी भी कई जगह सदस्य हैं, तो क्या कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को निगमों में सदस्य बनाया जाता है? जन-प्रतिनिधियों में भी कई अच्छी योग्यताओं वाले व्यक्ति हैं।

एक माननीय सदस्य : वैसी योग्यता आप में तो नहीं है?

श्री दीपंकर : वैसी योग्यता तो मेरे में नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रयास तो किया लेकिन आगे बढ़ नहीं पाये।

श्री दीपंकर : प्रयास? आपकी नजरों में जोधपुर में गुजरा क्या?

तो मैं निवेदन करूंगा कि जन प्रतिनिधियों में ऐसे योग्य व्यक्ति हैं, जो ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। राजस्थान की प्रगतिशील सरकार है। जो सरकार का लक्ष्य है, जो प्रगति करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे काण्ड से सम्बन्धित हैं, ऐसे व्यक्ति जो महज पैसे वाले हैं और वक्त पर काम दे जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी किसी पद पर नहीं रखा जाये। थोड़े ही दिनों में कई ऐसे स्थानों पर सदस्यों को नॉमीनेट करने की चर्चा हो चुकी है। लेकिन उन स्थानों पर ऐसे लोगों का रखा जाता है जो बहुत से उनके बाहर खड़े रहते हैं और ऐसे काण्डों से जिनका वास्ता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के बजाय निगमों में जन-प्रतिनिधियों को भेजें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इस प्रकार के कई निगम हैं, उन स्थानों पर जन-प्रतिनिधियों को नहीं रखना, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही शर्म की बात है। जिस प्रकार की यह घोषणा की गई है कि लोगों को टेलिफोनों पर धमकियां दी गई हैं। पैसे के बल पर वह सब कुछ कर सकते हैं। पैसे के बल पर वह किसी को इस योग्य नहीं रहने देंगे। किसी व्यक्ति को काम नहीं करने देंगे। तो अदालत में कार्यवाही हो रही है, उस पर तो मैं कोई बात नहीं कहना चाहता लेकिन सरकार को चाहिए कि उनका नंगा करके खड़ा किया जाये और किसी भी निगम के किसी भी पद पर उनको रखने की जरूरत नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

किसी भी स्थान पर उनको स्थान नहीं दें। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी-बड़ी महफिलों में और बड़ी-बड़ी जगहों पर देखा जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों को वह पद दिये जाते हैं जो कि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। व्यक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। पैसे के बल पर और सुरा और सुन्दरी के बल पर प्रभाव नहीं जमायें, सरकारी अधिकारियों को नहीं खरीद सकें—इस प्रकार का वातावरण सरकार बनाये। सरकार को इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि जन-प्रतिनिधि उभर कर सामने आयें उनकी प्रतिभा का सरकारी निगम उपयोग लें तो ठीक है। ऐसे लोग सामने आयें, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय देंगे ।

मेरा निवेदन है कि पहले हम इस पक्ष (विपक्ष) से निबट लें ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के लघु उद्योग निगम कार्यालय के अन्दर जो शर्मनाक घटना घटी है । आज राजस्थान पत्रिका में उसके जो चित्र आये हैं, उन्हें देखकर एक सच्चे नागरिक का सिर शर्म से झुक जायेगा । लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि उन्हें देखकर लज्जा स्वयं लज्जित हो जायेगी । इतना बड़ा काण्ड होता है । क्यों और कैसे होता है ? उसके मूल कारण में नहीं जाता हूं । यह जो जोधपुर का काण्ड हुआ है, उसके ऊपर जो वक्तव्य दिया गया है, मैं श्री रामगोपाल पुरोहित के बारे में कहना चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य : के. एल. जैन भी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने श्री रामगोपाल पुरोहित के बारे में विधान सभा में कहा था । राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी । राजस्थान के शिक्षा मन्त्री के निजी सचिव, उनके सामने सिरोही में उनको पीटा जाये । उसके बाद उनको दण्ड क्या दिया गया ? जो प्राइवेट व्यक्ति हैं । सरकारी कर्मचारी नहीं है ।

श्री खेतसिंह : यह बिल्कुल गलत चार्ज है । यह आप गलत चार्ज लगाते हैं । यह गलत है कि हमारे सामने पीटा गया है । अगर यह साबित हो जाये तो मैं गुनहगार हूं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं निवेदन कर रहा हूं ....

श्री दीपंकर : आप दूसरों पर आरोप क्यों लगाते हैं । आप उस काण्ड पर बोल लें ।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री शान्तिलाल कोठारी : अच्छा होता, इस बारे में शिक्षा मन्त्री जी सही बात बोलते । सिर्फ पीटा ही नहीं और भी बुरा व्यवहार हुआ । उस समय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि "कौन सख्श है, उसको पकड़ो उसके जूते मारो।" उस समय अध्यापकों ने कहा था कि वह शख्स आपके सामने रामगोपाल पुरोहित खड़ा है । शिक्षा मन्त्री होते हुए उनको चाहिए था—I will desire, you should not rely on this and the facts which the members are telling are very true.

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी घटना टाइम्स ऑफ इण्डिया में आयी थी । यह बात अगर सच नहीं थी तो शिक्षा मंत्री जी इसका कण्ट्राडिक्शन करते । लेकिन कोई कण्ट्राडिक्शन नहीं हुआ । हमने विधान सभा में उठाया है । हमने आरोप लगाया था । उस समय आपने खड़े होकर क्यों नहीं कहा था ? जब श्री रामगोपाल पुरोहित ने जघन्य काम किया है तो आप उसका पक्ष लेने के लिए खड़े हो गये हैं । कितने शर्म की बात है ।

श्री खेतसिंह : मैं कोई पक्ष नहीं लेता हूं। अगर कोई व्यक्ति हमारा भूतपूर्व सचिव रहा है तो उस व्यक्ति को निकाले हुए मेरे पास से 6 महीने हो गये हैं। अगर वह कोई काण्ड करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ? अगर आप यह साबित कर देते हैं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। यह आदमी मेरे पास नहीं। उसकी एक्टीविटीज को हम नहीं जानते। फिर भी आप मेरे को उसमें शामिल करते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं श्री रामगोपाल राजपुरोहित उस समय निजी सचिव थे, शिक्षा मंत्री के निजी सचिव के रूप में उन्होंने कई रसीदें छपवाकर लाखों रुपये चन्दे के रूप में इकट्ठे किये। आप चाहेंगे तो मैं यह रसीदें सदन में पेश कर दूंगा। आप मन्त्री थे, मन्त्री हैं और वह आपके निजी सचिव थे, उसने लाखों रुपयों का चन्दा इकट्ठा किया और...

श्री खेतसिंह : आप पेश कर दीजिये उसकी जांच हो जायेगी। उसकी जांच मुख्य मन्त्री जी से करवा लेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं पेश कर दूंगा तो क्या आप रेजिगनेशन दे देंगे ?

श्री खेतसिंह : मैं यह कह रहा हूं कि आप पेश कर दीजिये, उसकी जांच हो जायेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था (शिक्षा मन्त्री की ओर इशारा करते हुए) कि और भी कई पॉइन्ट्स आयेंगे उन सबका एक साथ जवाब दे दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : त्याग-पत्र भी देना है तो शान्ति और तसल्ली से सोच कर दीजिये, घबराहट में काहे को देते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय शिक्षा मन्त्री को आवेश में नहीं आना चाहिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं आपको बीच में उत्तेजित नहीं होना चाहिए, आप उत्तेजित हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उसको उस समय उस पद से हटाकर दण्डित किया गया होता और निगम के कार्यालय में अधिकारी न बनाया गया होता तो इस तरह के काण्ड की पुनरावृत्ति नहीं होती। मैं इन पांच छः खलनायक जो पकड़े गये हैं, इनको खलनायक ही कहूं और क्या कहूं। जगमोहन ताम्बी, रामगोपाल राजपुरोहित, के. एल. जैन, ओम प्रकाश और एक चित्र में नहीं आया है। जो चित्र माननीय श्री गुमानमल जी लोढ़ा आपके सामने, अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी तो सदन की मेज पर रखेंगे। पत्र में उसका चित्र नहीं आया लेकिन के. एल. जैन वहां पर शराब की ह्विस्की की बोतल लिये हुए हैं, उस बालिका की आयु क्या होगी, उसकी पोती होगी, उसकी पुत्री के बराबर होगी, इतनी बड़ी आयु का व्यक्ति, ऑफिसर होते हुए इस प्रकार का काण्ड करे और हमारी पुलिस और हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं ले कहीं भी छोटा सा काण्ड होता है तो पुलिस कितनी ज्यादतियां करती हैं। उदयपुर में एस. पी. छोटी सी बात पर बाल काटकर काला मुंह करके गधे पर विठाकर शहर में घुमाते हैं। इन ऑफिसरों ने क्या किया,

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
इतना बड़ा काण्ड किया, क्या यह कम अपराध है। जोधपुर में उनको गधे पर बिठाकर काला मुंह करके घुमाते तो पता लग जाता कि हमारी राजस्थान सरकार कुछ कर रही है और सरकार चाहती है कि इस तरह के काण्ड की पुनरावृत्ति नहीं होवे। लेकिन यह इस प्रकार के काण्ड समाप्त नहीं हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गुण्डा एक्ट जो लाये हैं, उसके मुताबिक रोमियों के बाल काटे जाते हैं, इन चारों रोमियों को पकड़ कर पुलिस क्यों नहीं उनके बाल कटवाती है? हथकड़ियां लगानी चाहिए उनको।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हथकड़ियां उसके लगाते हैं जो किसान अपने पसीने से अनाज पैदा करता है उसके खून पसीने की कमाई को लेवी के रूप में जबरदस्ती वसूल करते हैं, लेकिन ऐसे गुण्डों को हथकड़ियां नहीं लगाई जाती। मुझे याद है, जयपुर के अन्दर, राजस्थान की राजधानी, जयपुर में हमारे विधायक निवास में कमरा नम्बर 66 में माननीय सदस्य ने कमरा नम्बर 65 कहा था, वह 65 नहीं 66 है—एक जोगेन्द्र कौर जयपुर की एक महिला जिसके साथ श्री रामगोपाल जी का सम्बन्ध था। वह जोगेन्द्र कौर उर्फ बेला बेगम 24-5-73, राजकीय प्रवास भवन में लायी गई और उसके साथ उस प्रवास भवन के अन्दर श्री रामगोपाल जी और एक इन्जिनियर और एक सज्जन बड़े····

एक माननीय सदस्य : सज्जन नहीं दुर्जन कहिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हां, दुर्जन ने जोगेन्द्र कौर उर्फ बेला बेगम के साथ बलात्कार किया। उसने यह सारी बलात्कार की घटना की सूचना अपने पति को बताई जो पति जिसका नाम—पति का नाम श्री मोहम्मद मकबूद खां, उन्होंने····

एक माननीय सदस्य : उस बदनसीब का नाम तो मत लो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जब यह डरा कि यह बात काफी फैल जायगी और बदनामी होगी इस कारण से उन्होंने एक दिन—वह दिन है घटना का 6-6-73 को उसकी पत्नी की हत्या कर दी और यह अखबार में भी प्रकाशित हुआ कि वह तीन मंजिल के मकान से गिर कर मर गई और उसने आत्म हत्या कर ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विचार करने का प्रश्न है कि जो तीन मंजिले मकान से गिर जाय क्या उसका सिर नहीं फूटेगा, उसकी टांग नहीं टूटेगी या उसके हाथ-पैर में फ्रेक्चर नहीं होगा, उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे। वह तीन मंजिले मकान से नहीं गिरी, बल्कि उसकी हत्या करके लाश को फेंक दिया गया, कौन था उसका हत्यारा? अपनी कामना की पूर्ति करने के लिये हैवान बनकर उसने यह काण्ड करके उसकी हत्या कर दी। राजस्थान के इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं, इतने पुलिस के ऑफिसर हैं, आई. पी. एस. बैठे हैं, उस पर क्या कार्यवाही हुई, आप जवाब दें, क्या उसकी जांच की गई, क्या उसका पता लगाया गया कि उसकी हत्या किसने का? हत्यारा कौन था? लेकिन कुछ नहीं हुआ, बात खत्म कर दी गई। क्यों कर दी गई उसके पति ने बड़े दुख के साथ

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा । प्रधान मन्त्री को जो पत्र लिखा उसमें उसने सारी जानकारी देते हुए यह कहा था कि उसकी पत्नी के साथ इन लोगों ने इस तरह से बलात्कार किया और इस प्रकार की घटना उसकी पत्नी के साथ हुई । परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । हम गुण्डा एक्ट पास करते हैं और अनेक एक्ट पास करते हैं और हम कई बातों का जिक्र करते हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि उस पर, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है यह जांच का एक विषय हो सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय वह जो पत्र प्रधान मन्त्री को भेजा गया था, उस पत्र के अन्दर जोगेन्द्र कौर उर्फ बेला बेगम के पति ने यह भी लिखा है कि तीसरा एक आदमी और था और वह थे हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी श्री खेतसिंह जी, क्योंकि वह मन्त्री हैं इसलिए वह बात सारी खत्म हो गई और उसमें यह भी बताया गया कि यह राजस्थान के इतिहास में कलंक है। अगर यहां बैठे हुए आई. पी. एस. और आई. ए. एस अधिकारी इस काण्ड का पता लगाते, इसकी एन्क्वायरी करते, उन लोगों की पिटाई करके उनका मुँह काला करते, उनके बाल काटते । ऐसी बड़ी घटना के बारे में जनता को इन्साफ देते, उनको कटघरे में खड़ा करते । मैं यह नहीं कहना चाहता वह थे या नहीं लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए थी, मैं जो आरोप लगा रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए । राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में इस पर कोई विचार नहीं होता क्या ? इस प्रकार की रंगरेलियां आज नहीं वर्षों से हो रही हैं और राजस्थान सरकार का मन्त्रिमण्डल भी इसमें शामिल है। क्या कहें ? शर्म आती है। मैं कह सकता हूं, आवश्यकता हुई तो इसके प्रूफ दिखाये जायेंगे । इसके लिये हाई पॉवर कमीशन होना चाहिए, हाई कोर्ट के जस्टिस या किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से जांच होनी चाहिए उसका फैसला हो जो सच्चाई को सामने ला सके और प्रूफ को जांचे । अगर ऐसा होता तो हम समझते कि राजस्थान में ऐसे काण्डों की पुनरावृत्ति नहीं होगी अन्यथा कई इसी प्रकार से मरते रहेंगे । मुख्यमन्त्री जी से जाकर मिलेंगे तो कहेंगे कि तत्काल वायरलैस से सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और मुजरिम को किसी प्रकार की रिआयत नहीं दी जायगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जोधपुर के अन्दर कौन था जिसने लाइटनिंग कॉल किया ? क्या पुलिस का यह काम है कि उनको बचावे । इन पांच खलनायकों के साथ अभी क्या हुआ । पुलिस छोटे-छोटे मामलों को लेकर एक्शन ले सकती है लेकिन ऐसे बड़े काण्डों में उसने क्या एक्शन लिया इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार ने उनको प्रश्रय दिया । हमेशा ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय देती आयी है अगर नहीं देती तो इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । उन चित्रों को नहीं देख सकते, ऐसे चित्र फोटो वालों ने खींचे हैं । मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर राजस्थान के इतिहास में कोई और भयंकर घटना नहीं घट सकती जिसमें राजस्थान के मंत्रिमण्डल के कैबिनेट स्तर के मंत्री के ऊपर आरोप लगा हो, मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री जी स्वयं दिल खोलकर, ओपन माइण्ड होकर इसमें जांच करवायेंगे और जांच किसी न्यायाधीश से करवायेंगे,

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
हाई पॉवर कमीशन से करवायेंगे, सी. बी. आई. से करवायेंगे। यह कह कर टाला नहीं जा सकता कि हमने अदालत के अन्दर चालान कर दिया है। अदालत के अन्दर चालान करने से क्या होगा, केवल चार लोग चले जायेंगे। मेरा यह नहीं कहना है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी तफतीश होनी चाहिए। हो सकता है कि आपने चालान किया हो। किया होगा लेकिन आपको जाँच दूसरी एजेंसी को देनी चाहिए। इस मामले की जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। राजस्थान के मंत्रिमण्डल के हित में यह है। मैं इन शब्दों के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं कि राज्य सरकार इसकी इन्क्वायरी कराये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : एक प्रश्न है मेरा। विरोधी लोग यह समझते हैं, इस काण्ड को रंग देकर बोलें। वह शहीदी लेना चाहते हैं। हम मौन बैठे रहे हैं लेकिन हम इस काण्ड से उतने ही ज्यादा दुखी हैं जितने आप हैं। लेकिन एक जो डिकोरम है असेम्बली का, उस डिकोरम को नहीं छोड़ें। आपने बहुत अच्छा फर्माया प्रारम्भ में कि अश्लीलता इस काण्ड से जुड़ी हुई है इसलिए अश्लीलता के शब्द सदन में न लायें। हमारे रूल्स में प्रोविजन दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट होता है माननीय मंत्री का, उसमें एडमिशन हों तो उस एडमिशन को उस काण्ड के साथ में इन्वाल्व कर दें। लेकिन इसमें एडमिशन नहीं है तो विवादास्पद विषय को लाकर उस विषय को इन्वाल्व करें विशेष तौर पर तो बहुत बड़ा विषय हो जायगा। आप यह फील न करें कि हम यहां मौन बैठे हैं तो हमारी सारी सहानुभूति अभियुक्तों के प्रति है। केवल हम इस पर नहीं बोलना चाहते हैं। स्टेटमेंट आ चुका है, इस स्टेटमेंट के अन्दर कोई एडमिशन हों तो उन पर चाहे जितने लांछन लगायें। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर एक विवादास्पद विषय को लेकर लांछन लगाते हैं तो हमारा भी पॉइन्ट आउट करने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहूंगा, विवादास्पद विषय को लाकर उसको इन्वाल्व करने के बारे में।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप स्वीकार करते हैं कि चारों की सम्पत्ति की जांच की जाय ? यह सम्पत्ति उन्होंने सुरा सुन्दरी और भ्रष्ट तरीके से अर्जित की है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उसके सम्बन्ध में कह दीजिये। आप बोल रहे थे तब ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप चारों की सम्पत्ति सीज करेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं शब्द बोला हूं, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी कि मैं चारों का पक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे भी नफरत है लेकिन मंत्री....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप यह कहेंगे कि उनकी प्रोपर्टी सीज कर दी जाय और इन्क्वायरी की जाय।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो यह साइड वर्शन है, मंत्री महोदय पर आक्षेप है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि अगर स्टेटमेंट के अन्दर एडमिशन आया है तो इन्वाल्व

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

करें मंत्री को, हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन विवादास्पद प्रश्न को लेकर इस चीज को बढ़ायें तो यह ठीक नहीं है। हमारी सहानुभूति, आप यह समझें कि अभियुक्तों के प्रति है तो मैं निवेदन कर दूं कि हम भी नफरत करते हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप शहीदी ले लें और हम अलग समझ लें अपने आपको।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस प्रकार का सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं समझता हूं कि यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों को यह भ्रम अपने दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि हमारी मन्शा किसी आदमी को गलत ढंग से शामिल करने की है। लेकिन जब कोई चर्चा होती है तो उसके विभिन्न पहलू होते हैं, उस पर अलग प्रसंगवश रिफ्लेक्शन होता है। और सफाई का अधिकार सत्तारूढ़ पक्ष को है, उसको मौके पर सफाई देनी चाहिए। असली सवाल यह है कि राज्य सरकार ने इस मामले में कितनी तत्परता दिखाई है और उसका क्या परिणाम निकलेगा? उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन इसके पीछे मूल प्रश्न यह है कि जिन लोगों को इस मामले में पकड़ा गया है—यह सब लोग अभ्यस्त अपराधी हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री कम से कम मन में स्वीकार करेंगे, यह प्रक्रिया आज की नहीं है, निरन्तर दसियों वर्ष से यह प्रक्रिया चल रही है। यह अलग बात है कि पकड़े नहीं गये हैं, अन्यथा उनका काम यही था। राज्य सरकार कहती है कि हमने चालान कर दिया। चालान करने के बाद जिम्मेदारी से बरी हो जायेंगे। तो हम राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं कि के. एल. जैन, राजस्थान सरकार की ऐसी बॉडीज हैं, जिनमें राजस्थान सरकार को रिप्रेजेन्ट करते हैं, कई बोर्ड हैं, कई निगम हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि चालान के अलावा, जो कानून का काम था वह कानून ने किया, सरकार ने अपनी तरफ से आज की तारीख तक क्या सभी निगम निकाय से इनको निकाल दिया है? अगर नहीं निकाला है तो वैसी हालत में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से विशेष तत्परता नहीं दिखाई। लोगों ने इनको पकड़ लिया, पुलिस के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि उनके खिलाफ चालान बनाती, केस बनाती। नम्बर दो बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने तो इसमें तत्परता दिखाई है, क्या मैं मुख्य मत्री जी से पूछ सकता हूं कि इसमें तरह तरह के राजनैतिक दबाव उन पर नहीं आये? क्या यह सही नहीं है कि श्री के. एल. जैन दिल्ली गये? क्या यह सही नहीं है कि कपूर साहब ने टेलीफोन किया? क्या यह सही नहीं है कि जब गृह आयुक्त से यहां प्रेस के बड़े प्रतिनिधि ने, सोंधी साहब ने घटना के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो यह कह कर इन्कार कर दिया, ऑफिशियल सूचना नहीं दे सकता। जबकि जोधपुर के एस. पी. का उनके पास वायरलैस आ चुका था। यह बात साबित करती है कि अपराधियों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। हम राज्य सरकार को एक्यूज नहीं करना चाहते। उसने जितनी तत्परता दिखाई, ठीक है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी का काम

(श्री रामकिशन)

था, उसमें कार्यवाही नहीं की है। मैं समझता हूं कि वक्तव्य के समय मुख्य मंत्री जी कह देते कि हमने यह कार्यवाही की है तो बहस के मुद्दे दूसरे होते। मुख्य मंत्री ने केवल जिक्र करके बचना चाहा। मैं समझता हूं कि पहले उनको कहना चाहिए कि राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है। जो लोग इस मामले में पकड़े गये, जिस प्रकार का काण्ड है, जिस प्रकार की घटना है, मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की घटना दूसरे प्रदेशों में नहीं होती, ऐसी घटनायें होती रहती हैं, लेकिन असल में सवाल यह है कि ऑफिसियल पोजीशन का दुरुपयोग किया है निरन्तर। जोधपुर जैसी पता नहीं कितनी घटनायें हुईं। अजमेर में घटना हुई। असल में इन लोगों का गिरोह है, मैं गिरोह शब्द जान बूझ कर कहता हूं दो-तीन आदमी नहीं पांच-सात आदमी का यह गिरोह है, इनका जिनसे सम्बन्ध रहा है, उनकी अखबारों में फोटो छपी हैं। अब कांग्रेस के लोग सोचें। इसका क्या मतलब होता है। ऐसे लोगों के पास रह कर उसका क्या असर पड़ रहा है। यह हम नहीं कहेंगे यह आप खुद सोचें। ऐसे लोगों का साथ देंगे, ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे तो उसका नतीजा खुद के लिए घातक होगा। इसमें हमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, चिन्ता करने की उनको जरूरत है और चिन्ता के अनुसार आचरण करना चाहिए। श्री के. एल. जैन आखिर हैं क्या? इनकी हैसियत क्या थी? और उस हैसियत के मार्फत इतना पैसा अर्जित कैसे कर लिया? मुख्य मंत्री जी, मैं समझता हूं कि जब इस विषय में बोलेंगे तो उनको इनका जवाब देना होगा कि आखिर इतनी बड़ी सम्पत्ति के ये मालिक कैसे हो गये, पांच-सात साल में कैसे सम्पत्ति का मालिक हो गया। जांच का मुद्दा यह नहीं है कि वेश्या से क्या सम्बन्ध हैं, वेश्या से जिस व्यक्ति का सम्बन्ध है वह कुछ खुला होगा, कुछ छिपा होगा। उसकी चिन्ता नहीं है लेकिन एक राज्य में सम्पत्ति अर्जित की है और ऑफिशियल पोजीशन का फायदा उठाया है, तो राज्य सरकार किस कानून के तहत क्या कार्यवाही करने जा रही है। दूसरी सूचना हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हमारा सुझाव है कि श्री के. एल. जैन, श्री ताम्बी और श्री ओमप्रकाश—इन लोगों ने जो सम्पत्ति अर्जित की है, क्या इनके खिलाफ किसी कानून के तहत कार्यवाही करने में सक्षम हैं, चाहे यहां से करायें, चाहे केन्द्रीय सरकार से करायें। यह तय बात है कि जो सम्पत्ति अर्जित है, वह सरकार के सहयोग से, सरकार के संरक्षण में, जान-पहचान से अर्जित की है। इस सम्बन्ध में सरकार मत बताये। इस घटना को छिपाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न नहीं किये गये हैं। लोढ़ा साहब ने कहा, घटना जिस दफ्तर में हुई वहां से साइन बोर्ड हटा दिया गया। इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं, क्या साइन बोर्ड रामगोपाल पुरोहित ने अपने अधिकार से हटा दिया, या साइन बोर्ड हटाने की किसी ने मंजूरी दी थी, या साइन बोर्ड हटाने का टेलीफोन पहुंचा था। इन रहस्यों की जांच करायें तो जांच का विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। अखबारों में छपा था, एक आदमी भाग गया था। वह आदमी कौन था? यह चर्चा जोधपुर में है खासतौर से कि एक कार ढाई बजे वहां से रवाना हुई थी। हम नाम नहीं लेंगे। आप कहें कि नाम नहीं है, किसी ने नाम नहीं लिया है। तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है

(श्री रामकिशन)

कि जो घटनाओं पर चर्चा चल रही है, राजस्थान में, उन चर्चाओं का निराकरण राज्य सरकार अपनी तरफ से करे। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस हुआ है कि मुख्य मंत्री और राज्य सरकार जानती थी कि विधान सभा का सत्र आने वाला है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो खुद बयान देने के लिए तैयार होते। जब हमारा स्थगन प्रस्ताव आया, प्रस्ताव आया, उस समय राज्य सरकार ने इस कार्यवाही की चर्चा करना उचित समझा। इन सब हालात से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार पर कहीं न कहीं ज्यादा दबाव पड़ा है। कपूर से ही टेलीफोन नहीं आया। आप जब जवाब दें ......

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक बात कह दूँ।

श्री रामकिशन : नहीं आया फोन बाहर से ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं नितान्त सत्य कहता हूं कि मेरे पास किसी का टेलीफोन नहीं आया।

श्री मूलचन्द सागरिया : इस "नितांत" शब्द की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामकिशन : मुझे सूचना दी गई है।

श्री हरिदेव जोशी : आपको गलत सूचना दी गई है।

श्री रामकिशन : तो मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे सूचना दी गई कि कपूर का टेलीफोन आपके पास आया है, टेलीफोन नम्बर हमारे पास हैं, के. एल. जैन दिल्ली गए हैं। कुछ टेप किया गया है। खैर, मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं गम्भीरतापूर्वक कहता हूं कि किसी कपूर का दिल्ली से पिछले दिनों मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं आया है।

श्री रामकिशन : तो आगे आ जाएगा मामला। दूसरा सवाल यह है जो मैं विशेषतौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामगोपाल पुरोहित को दुराचरण के कारण शिक्षा मंत्री ने अपने पास से हटाया, यह तो सच है। इसके लिए शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री मना करेंगे कि लोगों की शिकायत थी कि वह अध्यापकों से पैसा लेते थे। जब शिकायतें थीं और उसमें कोई असाधारण योग्यता नहीं थी तो फिर आपने उनको ऊंचे पद पर फिर क्यों नियुक्त किया ? क्या उनके बगैर राज्य नहीं चल सकता था। तो मेरा दूसरा आरोप है कि आपने उद्योग मंत्री होते हुए या मुख्य मंत्री होते हुए इस प्रकार की नियुक्ति क्यों की। यह आप मानेंगे कि आपने खुद शिक्षा मंत्री से कहा कि इसको हटा दो। जब वहां रखना जरूरी नहीं समझते थे तो वहां रखना क्यों जरूरी समझा? जब हम इस प्रकार से अनुचित संरक्षण देंगे तो उसके बुरे परिणाम आपको कहीं न कहीं भुगतने पड़ेंगे। आज शिक्षा मंत्री को उत्तेजना हो रही है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। बुरी संगत के जो परिणाम आते हैं उनके नतीजों से आप बच नहीं सकेंगे। मैं नहीं कहता कि आपका डाइरेक्ट इन्वाल्वमेंट है, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन

(श्री रामकिशन)

ऐसे आदमियों को नजदीक रखेंगे तो बदनामी होगी । मैं आपको एक मिसाल देता हूं आप स्तीफा दें या नहीं लेकिन जर्मनी के चांसलर ने स्तीफा दिया है । आपको मालूम है कि किस बात पर स्तीफा दिया ? उनके ऑफिस में एक सी. आई. डी. का आदमी काम करता था, उन्होंने जिम्मेदारी मानकर स्तीफा दे दिया । अब आप दिमाग लगायें ब्रान्ट ने अपने सारे देश को ऊपर उठाया, उन्होंने पूर्व-पश्चिम के सम्बन्धों को सुधारा लेकिन संसद में बात आ गई कि ब्रान्ट के कार्यालय में सी. आई. डी. काम करती है । उन्होंने स्तीफा दे दिया । आप स्तीफा दें या नहीं लेकिन नैतिकता की दृष्टि से रामगोपाल जो 2-3 सालों से अवश्य ये काम करता रहा है, उसकी जिम्मेदारी से आप कैसे बच सकते हैं ? कैसे बरी होंगे ?

के. एल. जैन के सम्बन्ध में आप कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं, मुझे जानकारी नहीं लेकिन सरकार के मार्फत, हरिदेव जोशी नहीं, बल्कि सरकार के मार्फत उन लोगों ने जो कार्यवाही की है, उसका नतीजा यह हुआ है कि सरकारी अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं और मन्त्रियों पर भी उसका प्रभाव होता रहा है । बल्कि कई मंत्री इनकी खुशामद करते थे एक तो के. एल. जैन की और दूसरे मुन्नालाल गोयल की इनकी मशहूर जोड़ी है । इनको प्रसन्न रखने का मतलब मन्त्रिमण्डल में स्थान सुरक्षित रखना था । आखिर इन लोगों को सिर पर चढ़ाना, सरकार की खुद की जिम्मेदारी है । जब पकड़े गये तो एक दम जमानत पर छोड़ दिया, इतनी पुलिस का इन्तजाम किया, उसके लिये आप कहते हैं कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया । यह सही है कि उत्तेजित लोग कार्यवाही कर सकते थे । लेकिन जिस प्रकार से उनकी जल्दी में जमानत हुई, इनकी देखभाल की जाती है, अधिकारी इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है । अधिकारी अगर पुरानी दोस्ती के आधार पर इनको बचाने की कोशिश करते हैं तो आप अधिकारियों पर नजर रखें क्योंकि जो अधिकारी इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वे कहीं न कहीं इनका गतिविधियों में शामिल रहे हैं चाहे पैसे की, चाहे स्त्री की, चाहे शराब की गतिविधियां हों, उनका कहीं न कहीं एसोसिएशन है । यह सारा मुद्दा जांच का है । मुख्य मन्त्रीजी आपके लिए मौका आया है कि आप अपनी सरकार को, अपने चेहरे को जनता के सामने साफ रखें । ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप छोड़ें नहीं । अगर आपने सत्य को छिपाने की कोशिश की तो सम्पूर्ण राजस्थान में जो तस्वीर आपकी बन सकती थी, वह धूमिल हो जाएगी । हमारी माग यह है कि राजनैतिक जीवन में स्वच्छता रहे । ये राजनैतिक लोग नहीं थे लेकिन ये ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं । किसी व्यक्ति के घर में करते तो साधारण कार्यवाही हो सकती थी लेकिन इन कामों के लिए निरंतर आप अलग-अलग जगह देखेंगे, उन्होंने दौरा किया है, जगह जगह शिकायतें हैं । श्री रामगोपाल की मोहल्ले वालों ने शिकायत की थी । यह सूचना राज्य सरकार के पास थी । उनके आचरण के सम्बन्ध में जोधपुर में चर्चा थी, आपको व्यक्तिगत जानकारी थी, लेकिन समय पर काम नहीं किया उसका परिणाम सामने आया है ।

(श्री रामकिशन)
तो मैं 3-4 बातें कहकर कन्क्लूड करूंगा। इन्होंने जो सम्पत्ति जिस तरीके से अर्जित की है, राज्य सरकार किसी तरह से कार्यवाही करने में सक्षम है तो राज्य सरकार अपना इरादा बताये कि क्या करने जा रही है।

दूसरी बात, आगे के लिए इस प्रकार की घटनायें रोकने के लिए हिदायतें देनी चाहिए कि दफ्तरों का इस प्रकार कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग न हो। तीसरी बात, नैतिक रूप से जो पी. एज. वगैरह काम करते हैं उनके लिए आगे के लिए सोचें, जब उनके दुराचरण को पकड़ा जाए तो उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे पी. ए. की चर्चा थी ओमप्रकाश की जो छंगाणी के पास था। मैं नहीं कहता कि उनका भी इस केस में हाथ था। लेकिन उसकी भी शिकायतें थीं, उसको छंगाणी जी ने हटा दिया। मेरा कहना यह है कि जब किसी की चीज सामने आ जाए तो आप कृपया उनको प्रोटेक्शन न दें, उसको अलग कर दें। श्री रामगोपाल और के. एल. जैन का श्री शांतिलालजी, माननीय सदस्य ने यहां जिक्र किया था, यह कोई नई घटना नहीं थी, विधान सभा की उस दिन की प्रोसीडिंग्स देखें, करीब करीब यही बात कही गई थी। अगर उस समय सरकार सतर्क होती तो आज इन घटनाओं को नहीं देखना पड़ता तो राज्य सरकार निष्पक्ष रूप से ऐसे कामों की जानकारी दे जिससे हम समझें कि सरकार अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रही है। हमारा काम तो है जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को सदन के सामने आपके मार्फत रखना, वह हमने कर दिया।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : समय मेरे पास ज्यादा नहीं है क्योंकि उत्तर भी दिलाना है।

श्री मोहरसिंह : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : फरमा दें लेकिन आपकी गाड़ी स्टेशन पर ठहरती ही नहीं है।

श्री मोहरसिंह : नहीं साहब यह बात नहीं है। आज स्टेशन आ जायेगा। इस मामले में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ही निवेदन करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह लाल झण्डी वाले हैं जो कहीं रुकते नहीं हैं इनका कोई स्टेशन नहीं है। यह तो हरी झण्डी वाले ही हैं जो कि कहीं न कहीं ठहरते हैं।

श्री मोहरसिंह : यह बात नहीं है लाल झण्डी वालों को भी कहीं न कहीं ठहरना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस सशन में पिछले तीन चार दिनों से इस प्रकार की घटनाओं का सदन में लगातार वाद-विवाद हो रहा है। वैसे पहले सैशन में भी इस प्रकार के कई सवाल उठाये गये थे जिसमें बलात्कार जैसे गंदे किस्से सदन में उठाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए अत्यन्त ही शर्म की बात है कि हमें सदन में इस किस्म के भद्दे किस्सों में उलझना पड़ता है। और जब हम इस प्रकार के सवाल को सदन में डिस्कस करते हैं तो हमें शर्म आती है। अध्यक्ष महोदय, यह जोधपुर में जो काण्ड

(श्री मोहरसिंह)

हुआ है उसकी राजस्थान में जगह-जगह चर्चा है कि यह काण्ड ऐसा काण्ड है जो कि मानवता का अपमान करता है, स्त्रीत्व का अपमान करता है, मातृत्व का अपमान करता है और सम्पूर्ण नारी जाति का अपमान तो है ही उसके साथ-साथ हमारे राज्य सरकार के अधिकारियों का अपमान करता है और कॉर्पोरेशन के सदस्यों के इसमें होने के नाते इन कॉर्पोरेशन का भी अपमान है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सारा का सारा काण्ड बहुत ही शर्मनाक काण्ड है इस लिये मुझे दो चार बातें इसके बारे में निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहले यह निवेदन है कि समाज के ऐसे दुर्जन व्यक्तियों के मुंह काले करके शहर में घुमाया जाना चाहिये और उनको सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा दें और इन लोगों के खिलाफ में गुण्डा एक्ट का प्रयोग किया जाना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे राज्याधिकारियों को उनके पदों से तुरन्त हटाया जाना चाहिये। इसके अलावा इन लोगो ने अपने पदों पर रह कर किस प्रकार से इतनी सम्पत्ति अर्जित की है उसके लिये इन्क्वायरी की जानी चाहिए। राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसे लोगों के खिलाफ में एक हाई पॉवर कमेटी नियुक्त करके इनकी सम्पत्ति की जांच की जानी चाहिये तथा इस सारे काण्ड की जांच की जाकर इन्हें सख्त सजा देनी चाहिये। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग ही मानवता को बदनाम करते हैं, नारी जाति को बदनाम करते हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ऐसे लोग समाज के लिये एक कलंक है जो कि समाज में औरतों की अस्मत लूटते हैं अपनी मां बहनों की अस्मत लूटते हैं तथा अपनी मां बहिनों और नारी जाति को उनकी अस्मत बेचने को मजबूर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे कि ऐसे काण्डों की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिये मैंने निवेदन किया है कि ऐसे लोगों के लिये आप एक हाई पॉवर कमेटी एपॉइन्ट करें और उससे इसकी अच्छी तरह से जांच करायी जानी चाहिये। उनकी सम्पत्ति की जांच होनी चाहिये। और इन लोगों को जल्दी से जल्दी सभी पदों से बरख्वास्त किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक इश्यू ऐसा चल रहा है कि एक ओर तो हमारे देश में भगवान महावीर का 2500 वां वर्ष निर्वाण का मनाया जा रहा है, एक ओर विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जा रहा है। दूसरी ओर हमारी राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के लघु उद्योग निगम के डाइरेक्टर्स, लघु उद्योग निगम के प्रोजेक्ट ऑफिसर्स व्यभिचार काण्ड में गम्भीर रूप से लीन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सिर्फ हमारी राजस्थान सरकार के लिए ही नहीं अपितु हम सब लोगों के लिए एक अत्यन्त शर्मनाक और खौफनाक बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सदन के सामने रखा था और उस समय मुख्य मन्त्री जी ने यह कह कर कि मैं इस पर राज्य सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दूंगा और आप मुझे जो विशिष्ठ प्रश्न पूछना चाहें वह बतादें।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मैंने उस समय यह स्पष्ट रूप से प्रश्न बार-बार दोहराया था कि क्या इस काण्ड को दबाने में लघु उद्योग निगम के डाइरेक्टर्स ने कोशिश की थी। मैंने उस समय यह भी कहा था कि यह मामला सिर्फ लघु उद्योग निगम के डाइरेक्टर्स तक ही सीमित नहीं है मैंने तो यह भी कहा था कि इस काण्ड को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसे दबाने की कोशिश की गयी थी ? क्या कहीं से टेलीफोन हुए थे ? क्या राज्य सरकार के मन्त्रि-मण्डल के किसी सदस्य ने या राजस्थान से बाहर से किसी व्यक्ति ने इस काण्ड को दबाने के लिये किसी प्रकार की कार्यवाही प्रत्यक्ष या परोक्ष में की थी। या राज्य सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष में इस काण्ड को दबाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज इस काण्ड की वजह से जनता के सामने न केवल के. एल. जैन, ओमप्रकाश, श्री रामगोपाल राजपुरोहित, और श्री जगमोहनलाल ताम्बी ही कटघरे में हैं बल्कि इनको बचाने की कोशिश करने के कारण आज राजस्थान सरकार की शासन व्यवस्था, राजस्थान का समूचा मन्त्रिमण्डल कटघरे में है। आज राजस्थान का सारा का सारा पुलिस विभाग कटघरे में है, राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग और राजस्थान सरकार का लघु उद्योग निगम सारा का सारा इस काण्ड के कारण कटघरे में है इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने उस दिन पूछा था कि जिस दिन यह घटना हुई थी चाहे आप बतावें या नहीं बतावें हम आपके स्टेटमेंट से यह इन्फरेन्स ड्रॉ कर लेंगे। मुख्य मन्त्री जी आपने जो प्रारम्भ में स्टेटमेन्ट दिया और एक औपचारिकता निभायी कि इस तारीख को यह घटना घटी इसमें इतने आदमी मुल्जिम हैं और इनका चालान इस तारीख को पेश किया गया है। इतना कह देने से काम नहीं चलता। यह तो राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है आपको कोई भी पान की दुकान वाला भी बता देगा कि कितने मुल्जिम हैं। कब घटना घटी थी, कब चालान पेश किया गया था। इसमें आपने नयी बात क्या बतायी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो केस सेक्शन 366-ए के अन्तर्गत है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेन्स है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि 12 तारीख की रात को यह घटना घटी थी उसका आप पिन पॉइन्ट जवाब मुझे दें कि नॉन बेलेबल ऑफेन्स में जिसमें दस साल की सजा है और वह केस सेशन में जाना चाहिये था वहां पर बेल होनी चाहिये थी तो पुलिस ने किसके दबाव में आकर, ऐसा कौनसा व्यक्ति है जिसके कारण कि उन लोगों की जमानत हो गयी। ऐसी कौनसी शक्ति थी जिसने पुलिस को दबाव डाला कि नॉन बेलेबल ऑफेन्स में बिना सेशन्स में केस चालान किये ही उनकी जमानत पुलिस द्वारा हो गयी। या क्या पुलिस ने अपने ही मनसे उनकी जमानत लेली। या क्या चान्दी के खनखनाते सिक्कों की खनखनाहट से पुलिस ने उनकी जमानत ले ली तो पुलिस की इस गैरकानूनी हरकत से आपने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ में क्या एक्शन लिया। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि मैंने यहां पर यह कहा था कि ऐसी कौनसी बात थी कि इतने बड़े काण्ड में आपने एक जूनियर एडवोकेट को ऐपियर कराया जबकि ऐसे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

महत्वपूर्ण मामलों में हमारे एडवोकेट जनरल को या एडीशनल एडवोकेट जनरल को एपियर होना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सेक्स स्कैण्डल था जिसने सारे राजस्थान को रॉक कर दिया। इसकी चर्चा हिन्दुस्तान के सभी समाचार पत्रों में छपी। अध्यक्ष महोदय इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि 12 तारीख को यह घटना हुई और 16 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने यह एप्लीकेशन दी गया कि इस केस को कहीं दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया जाय। आप आश्चर्य चकित होंगे कि इसके लिए स्टे ऑर्डर जारी हो गया। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एडवोकेट जनरल से इस केस में कार्यवाही क्यों नहीं करायी गयी। क्या इसमें अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की इसमें मिली भगत नहीं है। ऐसे क्या कारण थे कि 12 तारीख को घटना घटी और बिना सेशंस में केस को कमिट कराये इस केस में जमानत क्यों हो गई और इस केस को अब जोधपुर से बाहर ट्रान्सफर क्यों कराना चाहते हैं। आपके राजस्थान में गवर्नमेंट के पूरे 12 एडवोकेट्स हैं उसमें सबसे जूनियर मोस्ट एडवोकेट को ही क्यों लगाया गया। आपके एडवोकेट जनरल जो कि दिल्ली में वहीं रहते हैं और कभी भी दो तीन महीनों में एक आध बार आते हैं उन्होने इस केस को क्यों नहीं फाइट किया। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं कि वह कहां और क्यों इतने दिन रहते हैं। मगर इतने बड़े सेक्स स्कैण्डल में जहां राज्य के बड़े बड़े ऑफिसर इण्डल्ज हों, बड़े लोग इण्डल्ज हों, तब राज्य सरकार का इतना लचीलापन जनता के मन में एक शंका की स्थिति पैदा करती है। इसके अलावा जब मैं पहले दिन बोलने खड़ा हुआ था तो कांग्रेस के सारे के सारे सदस्य उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिये खड़े हो गये। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि ...

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य श्री गुमानमल जी लोढ़ा ने जो यह चार्ज लगाया है कि कांग्रेस के सभी सदस्य, सारे के सारे सदस्य खड़े हो गये थे और उन्हें बोलने से रोका तथा कांग्रेस के सभी सदस्य उन्हें प्रोटेक्ट करने लग गये। हमें यह कहने से दुःख होता है कि जिस वक्त गुमानमल जी बोल रहे थे तो हम बैठे बैठे सुन रहे थे हमने इनको नहीं रोका। आप सभी को इन्वोल्व क्यों करते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सदस्या बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा कहने का मतलब सारे के सारे खड़े हो गये उसके लिये उनकी तरफ कोई इशारा नहीं था मेरा मतलब यह था कि बहुत से सदस्य खड़े हो गये। उनको मेरे कहने से तकलीफ हुई है तो उसके लिये मैं उनसे क्षमा चाहूंगा और अपना खेद प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह मामला दफा 366-ए का था इसमें वह बात दूसरी है कि आप उन मुल्जिमों के हथकड़ियां डाल कर नहीं घुमायें क्योंकि वह राजस्थान के प्रभावशाली व्यक्तियों में से हैं लेकिन अगर इनकी जगह और कोई विरोधी पक्ष के लोग होते और, और कोई जन आन्दोलन करते तो आप उन्हें हथकड़ियां डाल कर घुमाते उनके खिलाफ में झूठे मुकदमें बनाते। वह आपसे रोटी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
मांगते ग्राप उन्हें रोटियों के बदले लाठियां देते प्रसंग से विषयान्तर हो जाऊंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रापने कस्टडी में क्यों नहीं पेश किया 21 तारीख को? ग्राप इसका जवाब दें। इसको ग्रवॉइड न करें। यदि ग्राप ग्रवॉइड करते हैं तो इससे यही इन्फरेन्स ड्रॉ किया जावेगा जनता में कि इन ग्रभियुक्तों के प्रति ग्रापका किसी न किसी रूप में सोफ्ट कोर्नर है। मैंने स्पष्ट तौर पर पूछा था कि यदि कोई साधारण ग्रॉफेंस होता है तो पुलिस का होशियार ग्रफसर 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान लेवाता है ताकि फिर बयान न बदल सकें। इसमें बड़े-बड़े लोग इन्वोल्व्ड हैं। चूंकि ग्रखबारों में इनकी खबर न छपे इसके लिये हजारों रुपया खर्च किया गया, लाखों रुपया इसके लिये खर्च किया गया। जोधपुर में ग्रगले दिन समाचार-पत्रों में खबरें न छप जायं इसकी व्यवस्था की गई। बंडल के बंडल समाचार पत्रों के खरीद लिये गये ग्रौर इस प्रकार के समाचारों को सप्रेस कर दिया गया। यदि समाचार छपे हैं तो वे ग्रखबार बंटे नहीं ग्रौर इस प्रकार से इसको सप्रेस कर दिया गया। गवाहों पर पूरा ग्रातंक छाया हुवा है। उनका प्रोटेक्शन किया नहीं गया। गुंडे घूमते हैं मकानों पर। धमकियां देते हैं ग्रापका बच्चा मिल जायगा तो देख लिया जायेगा। गवाही देंगे तो तबाह कर दिया जावेगा। मैं कोई सनसनीखेज बात नहीं कहना चाहे रहा हूं लेकिन सही स्थिति कहना चाहता हूं कि मुझे भी चुनौती भरी धमकियां दी जा रही हैं कि तुम ही एक ग्रादमी हो विधान सभा में जिसने इसको उठाया है। तुम्हारे भी परिवार होगा, बच्चे होंगे, जोधपुर में भी रहते होंगे, जयपुर में भी रहते होंगे। कहीं उनका बिगाड़ न हो जाय ध्यान रखिये।

ग्राप विचार कीजिये, ग्रध्यक्ष महोदय, एक विधायक को ग्रपना कर्त्तव्य निभाने के सम्बन्ध में ऐसी बातें कही जांय, धमकियां भरी बातें करें, मैं कोई सुरक्षा की मांग नहीं करता। समाज हर एक की सुरक्षा करता है। यदि व्यभिचार के मामले को उठाने में एक व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसका परिवार खत्म हो जाता है तो एक सही काम के लिये एक योगदान होगा। समाज के ग्रन्दर से इस प्रकार के व्यभिचार के घृणित कामों को समाप्त कर देता है तो उसका यह योगदान होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन धमकियों का निवारण तो पूरा समाज कर देगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था····

श्री शंकरलाल : यह धमकियां कौन दे रहा है यह स्पष्ट हो जाय। डाउटफुल न रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन धमकियों से क्या होता है?

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो गवाह हैं उनके मकानों पर गुण्डे गये। जिनके पास फोटो थे उनके पास गुण्डे गये। एक ग्रातंक बना दिया गया। गुण्डे एक ग्रातंक बन गये।। एस. पी. को कहा, विजिलेन्स कमेटी को कहा, फोन पर कहा कि जगह-जगह से खबरें ग्रा रही हैं, उनको प्रोटेक्शन दीजिये, इतने बड़े लोगों के सामने एक साधारण

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अध्यापक जिसने एफ. आई. आर. दर्ज कराई वह टिक नहीं सकता । डी. आई. जी. प्रोटेक्शन देता है, एक हजार पुलिस के जवान वहां पहुंचे, आर. ए. सी. के लोग न आ जायं तब तक ऐसी स्थिति में एक साधारण व्यक्ति गवाही देता है, आप इसका अन्दाज लगा सकते हैं । 164 में बयान क्यों नहीं लिये ? विजिलेन्स कमेटी में पूछा । कानून के जो जानकार हैं वे कह सकते हैं कि साधारण जुर्म में भी 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराये जाते हैं । ये दो लड़कियां जो समाज की दुर्व्यवस्था के कारण, शोषण के कारण इस प्रकार से घृणित कार्य करने पर मजबूर हुईं और उन लोगों के लिये ऐसे स्थान बना दिये गये जो चांदी के चन्द टुकड़ों पर अपना तन बेचती हों और चांदी के खनखनाते सिक्कों पर ये पूंजीपति लोग उनके साथ इस प्रकार के दुष्कृत्य करते हों उनका मुकाबला साधारण अध्यापक क्या कर सकता है । पुलिस का जवाब नहीं आया । एक भीड़ पुलिस का जवाब लेने के लिये इकट्ठी हो गई । मैं यह जानना चाहूंगा कि लघु उद्योग निगम कार्यालय नेहरू पार्क के पास था वह रातों रात वहां से गायब कैसे हो गया ? अध्यक्ष महोदय, हमने सुना है कि बच्चे गायब हो जाते हैं, फाइलें गायब हो जाती हैं लेकिन यह कभी नहीं सुना गया कि पूरा कार्यालय का कार्यालय गायब हो गया । राजस्थान सरकार का लघु उद्योग निगम का यह कार्यालय रातों-रात गायब हो गया । बोर्ड उसका वहां से गायब हो गया । डनलप के गद्दे, पलंग लगे हुये थे, फर्नीचर आदि सब गायब हो गये । सब के सब गायब हो गये । मेज, कुर्सी, फर्नीचर आदि सब गायब हो गये । 12 तारीख की रात्रि को यह काण्ड हुआ । दो तीन दिन में यह सारा मामला उठ गया । यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिये था । आपको अपने स्टेटमैंट में बताना चाहिये था । आप ओर्गेनाइजर हैं, मन्त्री हैं । नीर क्षीर होकर आपका बयान जनता के सामने आयेगा कोई लीपा-पोती नहीं करेंगे ।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं जन संपर्क कार्यालय मौन क्यों रहा ? उत्तर नहीं दिया आपने । यह कार्यालय छोटे-मोटे इन्स्टान्सेज पर तो प्रेस नोट रिलीज करता है लेकिन इतने बड़े काण्ड पर यह क्यों मौन रहा ? आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया । यह सारी बातें यह बताती हैं कि आपके मन में कसक थी । जनता को आप फेस नहीं कर सकते थे । चालान करना पड़ेगा लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उनको कोई कष्ट हो । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनता उद्वेलित हुई, इसलिए हुई कि जोधपुर के समाचार पत्रों में इस काण्ड को दबा दिया गया । तीन समाचार पत्र हैं, वे लगातार इस काण्ड पर मौन हो गए, कुम्भकर्णी नींद लेकर सो गए । जयपुर के कुछ पत्रों ने इसके समाचार दिये । आल इण्डिया लेवल पर इंगलिश पत्रों में और हिन्दी पत्रों में इन समाचारों का प्रकाशन हुआ । जयपुर के पत्रों के विषय में भी विवाद चला । सम्पादकों ने अपनी ओर से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कितना ही बड़ा उनके ऊपर दबाव आया हो कि समाचार नहीं छपने चाहियें । लेकिन उन्होंने उनका प्रकाशन किया । किस को इस सम्बन्ध में त्याग-पत्र देना पड़ा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस सम्बन्ध में ।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जो पत्रों के सम्पादक हैं उन्होंने प्रेस की मौलिकता को बनाये रखा और न ही मालिक और सम्पादक और न ही प्रेस के प्रति हमारी कोई कम्पलेन्ट है। हमारा केवल यही कहना है कि जो जन सम्पर्क कार्यालय है वह इन सब बातों में क्यों मौन रहा। यह मौन दर्शक के रूप में क्यों खड़ा रहा इन सारी बातों पर हम जवाब चाहते हैं लेकिन मन्त्री महोदय नहीं देना चाहते हैं, इसको छिपाना चाहते हैं। गोपनीय बनाये रखना चाहते हैं। इस सारे के सारे काण्ड में मैं यह नहीं कहता, मन्त्री डाइरेक्टली इन्वोल्व्ड हैं। यह आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहता कि आपस में मन्त्रियों के झगड़े होंगे और किसी व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति की कोई बात कही जाय लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के यूथ कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया और यहां पर एक आदमी भी खड़े होकर नहीं कहता इस सम्बन्ध में। आपसी झगड़े हैं इसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि आप हम एक होकर खड़े हो जावें और माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां खड़े होकर यह सामने रखें कि मैंने यह किया, 12 की रात्रि को यह काण्ड हुआ, 13 को खबर आई, उसके बाद 14 को यह किया, 15 को यह किया 366-ए. लगाने के बाद जमानत लेने के लिए पुलिस अधिकारी सस्पेण्ड क्यों नहीं किया, मैंने कोई दबाव नहीं डाला, मैंने कोई दबाव नहीं डाला या फिर कहें कि मैंने कार्यवाही की है। मैं समझता हूं इन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की है। अब यदि ऐसा नहीं होता है तो यह इन्फरेन्स तो ड्रॉ करना पड़ता है। जिन लोगों ने पिछले चुनावों में लगातार फाइनेन्स किया है और जिनको लाइजन बनाया गया हो, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन ऐसे कुछ पूल हैं जिसके कारण बढ़ते हुये कदम रुक जाते हैं, बोलती हुई वाणी रुक जाती है यह सब जनतान्त्रिक युग में होता आया है चाहे उद्योग के मंत्री हों चाहे पुलिस के मंत्री हों।

अध्यक्ष महोदय, हमने वहां सवाल उठाया कि इस मामले की सी. बी. आई. से जांच कराई जाय। ये काण्ड यहां होते रहते हैं और कई अर्से से होते रहे हैं। आपने इसकी सी. बी. आई. से जांच क्यों नहीं करवाई। मैं जानता था राज्य स्तर के कई लोग इसमें सम्मिलित हैं। मोहब्बत इधर और चालान उधर, जनता के सामने पकड़ भी लें और किसी तरह छूट भी जायं और जनता में हम कहें कि इसके विरुद्ध है और पीछे से यह कह दें कि इनका बाल भी बांका नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। इतने बड़े काण्ड की मंत्री महोदय ने एफ. आई. आर. तक नहीं पढ़ी, कितना घिनौना काण्ड है। मैं समझता हूं इससे बढ़कर घिनौना काण्ड हुआ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जहां एक ओर राज्य स्तर पर मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं जो डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली केवल ऐसे एक्शन को रोकने के लिये जिम्मेदार हैं They are a dence of corruption and they are dence of such type of things and प्रोटेक्शन देने के लिये जिम्मेदार हैं। मैं आरोप लगाता हूं ऐसे काण्ड में कम से कम प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिये केवल लच्छेदार

Page No 91

(91)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

भाषा से कह दें भर्त्सना करता हूं, पर्याप्त नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जेल के सींखचों में बन्द करना चाहिये और हथकड़ियां डालकर गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय, यह भी पूछना चाहता हूं लघु उद्योग निगम के कार्यालय में डनलपपिलो के गद्दे और तकिये कैसे पहुंच जाते हैं, वहां इनका क्या काम है? लड़कियां वहां किस प्रकार सप्लाई होती हैं। क्या वहां लड़कियां सप्लाई करने की कोई इण्डस्ट्री लगा रखी है? मैं इसमें, उसमें नहीं लेना चाहता हूं कि कीलर काण्ड क्या था, कौन प्रोफ्यूमो था और कौन क्या था और उस काण्ड का नतीजा क्या हुआ, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता हूं महत्व केवल इस बात का है कि यह आपकी परीक्षा है, मुख्य मन्त्री जी यह आपका टैस्ट है और इसमें जब खरे उतरेंगे तब ही आपका चेहरा जनता में वास्तविक रूप से आ पायेगा। यहां से हटा दिया, वहां से हटा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। विधान सभा का सत्र किसी कारण से आ गया, यह एक तकदीर ही समझिये कि इतनी जल्दी सत्र बुला लिया गया वरना स्थिति यह थी कि किसी एक का भी नाम नहीं आता सबकी लीपा पोती हो जाती। आज भी इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह मामला दब जाय, विधायकों को धमकी इसलिये दी जाती है वे कुछ इस सम्बन्ध बोलें नहीं, चुप रहें। विधायकों को टेलीफोन करें, धमकियां दें और हमको भी यह कहा गया कि आपके परिवार वालों को देख लेंगे, आपके बाल-बच्चों को देख लेंगे, हमको भी देख लेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे किसी को भी देख लें, हमको देख लें, हमारे परिवार वालों को देख लें, लेकिन हमारी वाणी को कोई रोक नहीं सकता है, हम अपने कर्त्तव्य पालन में अवश्य सामने आयेंगे और उन अभियुक्तों को किसी प्रकार बख्शेंगे नहीं, जो इस काण्ड में शरीक हैं।

न्यायालय-कार्यवाही करेगा, यह ठीक है लेकिन राज्य सरकार का जो कर्त्तव्य है उसको भी निभाना चाहिये। और राज्य सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि वह हमको प्रोटेक्शन दे किसी प्रकार रक्षा करे जो ट्रान्सफर एप्लीकेशन है उस पर उचित कार्यवाही करें। जितनी कार्यवाही हो रही है वह यह हो रही है कि मोहब्बत का इशारा उधर और इधर कुछ कार्यवाही नहीं करें। दामन पर कोई कालिख नहीं रहे, कम से कम ऐसी कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, गरमागरम चर्चा का विषय है। यह तो एक काण्ड पकड़ा गया है, कई काण्ड रोज होते हैं, कई डाक बंगलों में यह काण्ड रोज होता है, कहीं दिल्ली में, कहीं चित्तौड़ के टूरिस्ट बंगलों में होते हैं। ये लोग पकड़े गये इस प्रकार की जनता में चर्चा होती रहती है। सरकिट हाउस, गंगानगर और, अध्यक्ष महोदय राजस्थान के कई सरकिट हाउसों में और टूरिस्ट बंगलों में ये काण्ड आये दिन चलते रहते हैं।

इस प्रकार की भावना जनता में क्यों बनी और इस भावना को रोकने के लिए आपने क्या किया। मुख्य मन्त्री जी के ऊपर जो जनता में भावना बनती है उससे जिम्मेदारी आती है। आज जोधपुर की बात करते हैं, कल बम्बई की बात करेंगे, परसों दिल्ली की बात लायेंगे इस प्रकार कोई कार्यवाही न कर आप स्वयं इन्वॉइट कर रहे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हैं। इसलिये मैं चाहूंगा सारी स्थिति स्पष्ट करें और जो स्टेटमेंट देकर लीपापोती का प्रयास किया है वह भी आपके लिये उचित नहीं लगता है कि इसको सिम्पलिफाई करके समाप्त कर दिया जाय····

श्री अध्यक्ष : कृपया कन्क्लूड करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो एक नहीं ढाई करोड़ जनता सड़कों पर खड़ा होकर हमसे सवाल का जवाब मांगेगी और कहेगी कि आप भी सरकार द्वारा खरीद लिये गये। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा अहम मसला है। आज भी जनता में चर्चा है कि उनके पास सबको देने की कीमत है और इन्होंने सन् 67 में विधायकों को खरीद लिया था, अल्पमत को बहुमत में कर लिया। वह आपको भी खरीद सकती है। लेकिन मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे दिमाग के किसी भी कोने में यह बात नहीं है इसलिए हम डंके की चोट कहते हैं कि हम अपने कर्त्तव्य से किसी भी प्रकार पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा जीवन चला जाय तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। यदि इस काण्ड को नजरन्दाज किया जाता है तो हम हर कीमत पर आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और यदि मैं गुजर भी जाऊंगा तो भी मेरी तमन्ना यही रहेगी कि मेरी अस्थियां भी इस काम में आयें····

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मैं समय नहीं दूंगा अब।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं ··

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय हमें समय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं दे नहीं सकता। आगे का बिजनेस इतना है। आपके दल के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : उससे पहले हमारी बात सुननी चाहिए।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जनरल आरोप लगाये हैं। कांग्रेस के मेम्बर मौन हैं। हमारी पार्टी का दामन साफ करने के लिये मौका देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने नेता में विश्वास रखें, वे सबकी भावना को ध्यान में रखते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं····

श्री अध्यक्ष : अभी दो विषय और लेने हैं।

श्री सज्जनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको समय देना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी : आपने फरमाया था कि एडजोर्नमेंट जिनका है उसके बाद सबको मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह तो मैंने कहा नहीं है। हर एक दल को मौका दूंगा यह कहा है।

श्री पी. के. चौधरी : हम में से किसी को मौका नहीं दें, यह नहीं हो सकता है। हम भी यहां कहना चाहते हैं। नेता महोदय बोलें उससे पहले हम भी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब मैं किसी को मौका नहीं दूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : हमको मौका देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं दूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : कैसे नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : किसी रोज आप यहां (आसन की ओर इशारा) तशरीफ ले आयें तब मौका दे दीजिये। मैं तो दूंगा नहीं।

श्री शंकरलाल (पाली) : आप तो बड़े दिल वाले हैं। हरएक को थोड़ा-थोड़ा मौका दे दीजिये उससे क्या फर्क पड़ता है ?

श्री बलपतसिंह : दो-तीन माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, आपको मौका देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अभी तक की यह स्थिति है और आज सदन समाप्त होने जा रहा है आगे बढ़ेगा तब देखी जायगी। अभी इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी बोलना चाहेंगे उनको मुझे मौका देना होगा उसके बाद सदन के नेता महोदय हैं, उनको पूरा मौका देना होगा। दो मौके और हैं, इसमें आप इन्ट्रेस्टेड हैं ठीक है लेकिन दो घण्टे का समय हो गया है अब ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूं...

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : एक निवेदन बीच में मैं कर दूं, क्षमा करें मैं बीच में बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को मैं समझता हूं और इसको अत्यन्त गंभीरता से कण्डेम करना चाहती है और कई माननीय सदस्य समर्थन करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि उनको जरूर मौका देना चाहिये लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है वह....

श्री पी. के. चौधरी : It is not a party affair.

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात तो कम से कम सुन लीजिये। जहां तक पॉइन्ट ऑफ व्यू का सवाल है ...

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : पार्टी का सवाल नहीं है नेता महोदय....

श्री हरिदेव जोशी : मुझे किसी भी हक में बोलने का अवसर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : उससे पहले दो मिनिट का समय हम भी चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जहां तक कांग्रेस पार्टी के व्यू पॉइन्ट का सवाल है, मैं समझता हूं कोई आदमी ...

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : पार्टी है कहां ...? It is not a party affair. We want to speak.

श्री हरिदेव जोशी : Why are you speaking ? एक चीज को पूरा कर लेने दीजिये न।

मैं यह कह रहा था कि मैं इस चीज को समझता हूं और मैं यह समझ रहा हूं कि मैं पूरी पार्टी की इस भावना से कि यह हद दर्जे तक कन्डेम करने की चीज है मैं

(श्री हरिदेव जोशी)

अपने पॉइन्ट ऑफ व्यू को और गवर्नमेंट के पॉइन्ट ऑफ व्यू को और जो न भी बोले उन सारे माननीय सदस्यों के पॉइन्ट ऑफ व्यू से इस रूप में रखने की बात कर रहा हूं किन्तु मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महसूस करता हूं कि किन्हीं और लोगों को बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए तो यह आपके विवेक के ऊपर है कि आप देखें कि आप कितना समय देते हैं।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, आपने श्री अमृतलाल जी गहलोत को बोलने का मौका देने के लिए कहा था क्योंकि वह उसी स्थान याने सरदारपुरा से आते हैं जहां यह घटना हुई है।

श्री हरिदेव जोशी: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शंकरलाल : आपने कहा था कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मौका दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : आपका हुकम तो सर माथे पर है। मैं तो सिर्फ इस वजह से यह सारा कहा और मना कर रहा था तो वह इसलिए कर रहा था कि आज के बिजनेस को देखते हुए और जो समय है उसके लिहाज से मना कर रहा था और समय का जो भी होगा देखा जायगा यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन आपने जिम्मेदारी मुझ पर डाली है और आज का बिजनेस समय के मुताबिक चले इसी दृष्टि से मैंने कहा था। इसलिए अगर भावना यही है कि मौका दिया जाये तो दो तीन माननीय सदस्यों को मौका दिया जा सकता है। फिर भी 3 सदस्यों को ही मौका दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, तीन आदमियों को और दो महिलाओं को।

श्री अध्यक्ष : अमृतलाल जी को देना पड़ेगा क्योंकि वह जोधपुर से ही आते हैं। महिलाओं को इस नेक काम में क्यों इनवाल्व करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनकी राय गौरवपूर्ण होगी और अधिक महत्व की होगी।

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रात्रि को अर्थात् 12 और 13 अप्रेल की रात्रि को यह घटना हुई और....

एक माननीय सदस्य : आप फिगर्स तो नहीं बोलेंगे ?

श्री अमृतलाल गहलोत : मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा में हुई। उस दिन मैं जयपुर में था लेकिन राष्ट्रदूत अखबार मैंने पढ़ा कि यह घटना मेरे नगर में हुई तो मुझे दिलचस्पी हुई कि वास्तविक रूप में यह क्या चीज है। जब मैंने मालूम किया जैसा कि इसकी बहुत चर्चा की जा चुकी है तो मेरा इस चीज में जरूर विश्वास हुआ कि कम से कम उस क्षेत्र में रहने वाली जनता इतनी जागरूक है और वही धन्यवाद की पात्र है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दा और पुलिस घटना पर आई और उससे पहले 150-200 आदमी वहां पर हाजिर थे। यह बिल्कुल सत्य है कि कई नगरों में इस

(श्री अमृतलाल गहलोत)

तरह की घटनायें रोजमर्रा गुजरती होंगी लेकिन जहां की जनता जागरूक है वहां की जनता ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दे सकती और मैं कहता हूं कि जोधपुर की जनता ने अपना कर्तव्य निभाया है।

जहां तक इन्वेस्टीगेशन का प्रश्न है, अदालत में चालान का प्रश्न है मैं उस चीज की गहराई में नहीं जाता चाहता हूं। कितनी सख्ती की जाये और कोई बचकर छूट गया। मैं यह कहना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि हमें और तथ्य मिल सकें और कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है वह भी मालूम पड़ सके और आपको मैटर मिल सके तो उनको स्पेयर नहीं किया जाये। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, धमकी भी आती है, प्रलोभन भी आते हैं ऐसा कहा गया। मेरे पास न धमकी आई, न प्रलोभन आये। मैं उस क्षेत्र का विधायक भी हूं और नगर कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं उस क्षेत्र के लिए और मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धमकी और प्रलोभन को कहीं निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं?

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं निमंत्रण नहीं दे रहा हूं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धमकियां आ रही हैं। आप लोग जितनी सख्ती चाहते हैं उतनी हम भी चाहते हैं लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया और न धमकी आई। माननीय हांडा साहब को आई होगी और लोढ़ा साहब के पास आई होगी। मेरे पास नहीं आई। मैं दो-तीन चीजों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। यहां पर दो महिलाओं का जिक्र किया गया है। आखिर यह महिलायें कौन थीं। दो चीजें मिलेंगी। उसके पिता का नाम था और उसके पति का नाम नहीं था। उनकी जाति जागरी है और इस रहस्य के लिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं..........

श्री अध्यक्ष : थोड़ा मुख्तसर ही फरमायें।

श्री अमृतलाल गहलोत: माननीय, समाज कल्याण मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र फलौदी से आठ मील दूर एक गांव जागरिया है वहां के लोग जोधपुर आये और एक सामाजिक कुरीति थी सामन्तशाही में कि जागरी की पुत्री को वेश्या बनना पड़ता था। कोई जागरी अपनी पुत्री की समाज में शादी नहीं कर सकता था। उससे भी कोई पुत्री पैदा हो जाती थी तो उसको वेश्या बनना पड़ता था और वेश्या यदि कोई पुत्री पैदा कर दे तो उसका भी वेश्या बनना पड़ता था। दुर्भाग्यवश यह हुआ आजादी के पश्चात् यह जागरी जाति और वेश्या जाति जो कि जोधपुर शहर में बहुत बड़े मौहल्ले में रहती है वह माननीय लोढ़ा साहब के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। वहां घास मण्डी है। पर माननीय लोढ़ा साहब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं। आज से कुछ दस-बारह वर्ष पहले मुझे याद नहीं है लेकिन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा जोधपुर आई थीं। शायद उनका नाम कोई बेगम था। वह आई और उन्होंने संस्था का ऑर्गेनाइजेशन किया कि इस जाति में जो व्यभिचार में महिलायें पड़ जाती

(श्री अमृतलाल गहलोत)

हैं उनको ऊंचा उठाया जाये और उनको रिहेबिलीटेट किया जाये। एक ऑफिसर भी मुकर्रर किया गया, ऑफिस खोला गया और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विशेष मुकदमे में कोई देरी नहीं की जाये लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि जो लोग पेशेवर धंधा करते हैं उन सबके, जो सैकड़ों की तादाद में जोधपुर में रह रहे हैं, पुनर्वास के लिए राज्य सरकार कदम उठाये नहीं तो वह समाज को दूषित करते हैं। समाज नीचा गिरता है और बुरे लोग हैं वह उनसे कुकर्म करते हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और यह जो चार नीच व्यक्ति थे उनके बारे में क्या कहना है जिन्होंने वेश्याओं का उपयोग किया जो वेश्यायें बनाते हैं और जो वेश्यावृत्ति के लिए जिम्मेदार हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन पांच व्यक्तियों ने....

श्री अध्यक्ष : जो कुछ कहें उसे सुनिए।

श्री अमृतलाल गहलोत : जिन पांच व्यक्तियों ने कुकर्म किया है मैं उसको उतना ही घृणित कृत्य कहता हूं जितना आप कहते हैं। मैं आपसे कम नहीं कहता हूं।

श्री रावतराम : वेश्यावृत्ति की आप क्या बात कहते हैं, वेश्यावृत्ति तो कानून से बन्द की जा चुकी है। आप किस समय की बात कह रहे हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गरीबी बहुत कुछ कराती है गहलोत साहब। समाज से जब तक गरीबी नहीं हटेगी बहुत सी बातें होती रहेंगी। इस किस्म के व्यक्ति अधिकारियों को सुरा और सुन्दरी से भ्रष्ट करेंगे, इनके लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। यही लोग वेश्या पैदा करने वाले लोग हैं जो वेश्यायें जन्म देते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री अमृतलाल गहलोत : जिन लोगों के बारे में अभियोग है उनके लिए जो बुराई के शब्द आप कहते हैं वही शब्द मैं भी कहता हूं जो आप कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से इतना ही निवेदन करूंगा कि थोड़े में जो मुद्दे की बात है वह कह दें, सूक्ष्म में कह दें।

श्री अमृतलाल गहलोत : मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो घृणित पेशा इस जाति के लोग करते हैं इन लोगों के लिये समाज कल्याण विभाग और राज्य सरकार जब तक पुनर्वास के लिए, उनको इज्जत की जिन्दगी, अच्छी जिन्दगी बसर करने के लिए....

श्री मूलचन्द सामरिया : वह कहते हैं कि शुरुआत नहीं हो।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए जो कुछ उनको बोलना है। उनको भी बोलने का अधिकार है।

श्री अमृतलाल गहलोत : केवल कानून से, केवल समाज में....

श्री विट्ठल भाई : पैसे वाले लोग सब जगह लूटते हैं ...

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अमृतलाल गहलोत : केवल कानून के आधार पर आप जिस बुराई को खत्म करना चाहते हैं, उस बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपको समाज से यह बुराई खत्म करना है, इस समाज में फैले हुए कुकर्म, व्यभिचार को खत्म करना है तो जितने सम्पन्न लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं समाज के अन्दर वे स्वयं को भी सुधारें। यही अन्त में मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पूंजीवाद खत्म करने से ही बुराई खत्म होगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, यह इश्यु आम तौर पर ऐसा है कि जिस पर मैं ज्यादा नहीं कह कर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, उसके अन्दर कानून से कोई क्या होगा, सजा होगी या नहीं होगी, इसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वाइकेरिअस रेस्पोंसिबिलिटी सरकार की है। वह क्यों है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं एक दो मिनिट मे। जो इसमें मुलिजम हैं, आप जनता में जाकर पूछिए what the Hon'ble member has said is true that they are considered as pat boys of the Government. यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि रामगोपाल के लिए कहते हैं कि रामगोपाल का 72 में एक इन्स्टान्स हुआ है गवर्नमेंट होस्टल में, उसके बाद में क्यों वह गवर्नमेंट सर्विस में रहता है। तीसरी बात जो सिरोही में काण्ड हुआ, पिटाई हुई सब कुछ हुआ, उसके बाद आप उसको अपग्रेड करते हैं, असिस्टेन्ट डायरेक्टर की ग्रेड में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में 700) रुपये का स्टार्ट दे करके रखते हैं। यह एक सिंगल इन्स्टांस नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरी जगहों पर भी हम देखते हैं कि यह कारनामे चलते हैं। जिनकी इमेज खराब होती है उनको तरजीह मिलती है। एक और मंत्री महोदय के पी. ए. थे उनके खिलाफ शिकायतें थीं, उनको अलग करके कहां रखा। उसे भी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर सात सौ रुपये के स्टार्ट पर मिनरल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन में रखा है। चारों तरफ ऐसी बातें होती हैं तो हमारी इमेज जो है वह घटती है और उसमें काफी सरकार को ही नहीं कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान होता है। हम देखते हैं कि आज चारों तरफ जनता में यह धारणा है कि जो करप्ट हैं, चरित्र के खराब हैं, आज शासन में उनकी वॉयस हैं, सरकार उनको तरजीह देती है। जो मोरेली अण्डर एस्टीमेट हैं उनको तरजीह मिलती है। इसलिए हमको अपनी इमेज ठीक करने के लिए, सरकार की इमेज ठीक रखने के लिए, यह कोई एक इन्स्टांस नहीं है, चारों तरफ निगाह डाल कर देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को कहां-कहां तरजीह दे रहे हैं। who are the persons guilty in the

Page No 98

(98)

(श्री पी के. चौधरी)

important position. ऐसे लोग सरकार में पनप रहे हैं, ऐसे लोग इन्फ्लूएंशियल पोजीशन में रहते हैं। इन सब को ठीक करने के लिए सिर्फ इन चार मुल्जिमों को सजा देने से ही इमेज क्लियर नहीं होगी यही मेरा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास !

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, पांच आदमी, दो लड़कियां और शराब की बोतलें मिलाकर जो कुछ काण्ड हुआ वह बहुत बड़ा महत्त्वपूर्ण मसला नहीं है, कानून में उसको सजा होगी या नहीं लोढ़ा साहब कह रहे हैं कि सरकार ने पक्षपात किया, मैं समझता हूं कि पक्षपात करने की बात नहीं है। इसमें कोई फांसी नहीं लगने वाली है। केस कामयाब हो जावे तो भी बहुत बड़ा जघन्य अपराध क्रिमिनल, आई. पी. सी. में ऐसी कोई सजा नहीं है कि जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सके। सवाल यहां पर है एक्सपोजर का। प्रशासन का ढांचा क्या है और सरकार क्या कर रही है। क्योंकि इससे सम्बन्धित व्यक्ति जो हैं वह निश्चित रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं और उनका आज तक राज्य सरकार पर बहुत दबदबा रहा है। वह इस बात की चुनौती करते हैं कि अपना तरक्की का रास्ता कैसे बनायें, सरकार से काम कैसे करावें, बिजनेस में किस तरह से फायदा उठाएं और किस तरह से सम्पत्ति अर्जित करें। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इस मसले से भी अधिक महत्त्वपूर्ण मसलें इसमें जुड़े हुए हैं। अगर इसको नैतिकता के आधार पर देखें तो निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए कि सही क्या है और इनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा महत्त्वपूर्ण मसला यह है कि जो बिजनेस हाउसेज हैं जिनको कोटा, परमिट, लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं उसमें किस तरह से बोर्ड आदि के अन्दर शामिल होकर सम्पत्ति अर्जित की है, इस मसले की पूरी जांच की जानी चाहिए।

तीसरा अध्यक्ष महोदय, इस केस के अन्दर सबसे बड़े हीरो हैं रामगोपाल पुरोहित और पुरोहित के मसले को लेकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी आरोप लगाये गये हैं......

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : वह विलेन हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : पांचों ही विलेन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप की बात नहीं करता लेकिन वाइकेरियस रेस्पोंसिबिलिटी उनकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वह उनका पी. ए. था उसकी क्या हरकतें थीं, तब क्या कण्डक्ट रहा है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक सरकारी नौकर को सरकार डेपूट करे और किसी मिनिस्टर का प्राइवेट सैक्रेटरी या पी. ए. लगाए तो पोजीशन अलग होती है और जो कोन्ट्रेक्ट बेसिस पर मिनिस्टर अगर किसी आदमी को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी या पी. ए. रखता है तो उसकी पोजीशन अलग होती है। उसमें मिनिस्टर की पर्सनल रेस्पोंसिबिलिटी हो जाती है। यह रामगोपाल पुरोहित सरकारी नौकर नहीं बल्कि मिनिस्टर ने कोंट्रेक्ट बेसिस पर रखा क्योंकि शिक्षा मंत्री का

Page No 99

99

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

एसोसियेशन उसके साथ था और वह एसोसियेशन आज का नहीं, पुराना होने के कारण उन्होंने अपने पास नौकरी में रखा। राजकीय प्रवास भवन के इंस्टांस को हुए दो साल हो गए। दो साल पहले के इंस्टांस के बाद भी उसको आपने रखा और उस औरत का मर्डर हुआ या सुसाइड किया इस मामले की भी थोरो इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां तक रामगोपाल पुरोहित का सवाल है रेडहैंडेड पकड़ा गया रूम नम्बर सिक्स्टीसिक्स में, इसलिए उसके बारे में सस्पेक्ट होता है कि उसका मर्डर हुआ एवीडेंस को खत्म करने के लिए और वह सुसाइड नहीं था यह शक होता है। वहां एक शंका पैदा होती है, डैथ हो गई क्योंकि बैटर पॉइन्ट को छिपाना आवश्यक था। फिर अध्यक्ष महोदय, सिरोही के अन्दर हुआ। आप कहते हैं कि पिटाई नहीं हुई, जाने दीजिए–पिटाई नहीं हुई तो बाद में आपने नौकरी से क्यों निकाला अपने यहां से? इसलिए निकाला कि लोगों ने जिद् की कि इसको वहां से हटाया जाय। जहां तक मेरी जानकारी है, पूरी पार्टी के अन्दर एम. एल. एज ने और मिनिस्टर्स ने भी इन्टरवीन किया और उसको हटाने के लिए आपको प्रेस किया तब आपने हटाया वरना हटने वाला नहीं था। आप कहते हैं कि पुरोहित से कोई रिलेशन नहीं था, ताल्लुक नहीं था तो फिर जब गवर्नमेंट होस्टल के इंस्टास के बाद भी आपने उसके साथ पक्षपात क्यों किया? आपने क्यों उसको नौकरी में रखा और आपने लगातार उसको शेल्टर किया। मैं अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं एनेलेसिस के तौर पर कि पूरी कैबिनेट के अन्दर अगर एक मिनिस्टर भी ऐसा हो कि जिसका आचरण भ्रष्ट हो अनडिजायरेबल हो तो चीफ मिनिस्टर पर, पूरी कैबिनेट पर रिफलेक्ट करता है। यहां एक मिनिस्टर अपने स्टाफ के अन्दर, पर्सनल स्टाफ के अन्दर कोन्ट्रेक्ट बेसिस पर पुराने एसोशियेसन के आधार पर रखे और मुद्दत तक उसको साथ चलाए और उसके बाद इस प्रकार की स्थिति आ जाय तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय. पब्लिक लाइफ के अन्दर मिनिस्टर को विदाउट डाउट होना चाहिए But things have stood against you.

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, काफी कुछ इस मसले पर बहस हो चुकी है और जैसी जानकारी मिली है अदालत में इसका चालान हो चुका है लेकिन इस जनता की अदालत में आज पहली बार इसका चालान सामने आया है और राजस्थान की ढाई करोड़ जनता ने चुनकर यहां पर माननीय सदस्यों को भेजा है अपनी मोरल वेल्यूज को रखने के लिए कि वहां आगे जाकर काम करेंगे और इसके लिए हमारी ड्यूटी है। हमारे नेता महोदय, जो इस हाउस के लीडर हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी है। एडवोकेट होने के नाते मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट के पार्ट पर इसमें सीरियस लेप्सेज हुए हैं। पहली बात तो यह है कि उनको पकड़े जाने के बाद भी किस प्रकार से जमानत की गई। किस प्रकार से उनको रातों रात छोड़ा गया। इसके लिए कौन ऑफिसर जिम्मेदार है। उन पर क्या एक्शन लिया गया। यह क्या ज्युडिशियरी तरीका है। कोई एक गरीब आदमी, हरिजन ऐसा

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

काण्ड कर देता तो क्या उसको इतना जल्दी छोड़ दिया जाता है । यह क्या व्यवस्था है इस समाज की अध्यक्ष महोदय । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं that they are the pat boys of the Government and they are trying to sit in the nearness of the highest bosses of our party. इसलिए मैं निहायत अदब के साथ नेता महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सोशियल बॉयकाट किया जाना चाहिए । ऐसे लोगों को किसी तरह से प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये । इसके अलावा अभी तक भी जैसा कि सदन के सामने तथ्य आ चुके हैं गवर्नमेंन्ट की ओर से प्रोसिक्यूशन के लिए प्रॉपर व्यक्तियों को अपॉइन्ट नहीं किया गया है ? क्यों गवर्नमेंट इस पर सोना चाहती है। गवर्नमेन्ट क्यों कमजोरी दिखाना चाहती है इस मामले पर ? मैं नेता महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से क्यों उनके साथ में यह स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है । ये लोग एक निकृष्ट तरीके के जुर्म करने के मुल्जिम हैं । बोली लगने के डेढ़ घंटे बाद वे आते हैं और आगे पीछे एस्कोर्ट चलती है । यह क्या तरीका है ? राज्य सरकार जहां पर गरीबों के साथ जुल्म होता है, वहां पर तो पुलिस नहीं रखती है और इन के लिए एक हजार पुलिस जवानों की एस्कोर्ट रखती है। यह पब्लिक का पैसा है ? क्या इसको इन लोगों के लिए ही खर्च करना है ? यह गरीब लोगों के टैक्स का पैसा है । यह पैसा ऐसे लोगों पर, ऐसे मुलाजिमों पर क्यों खर्च किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

एक माननीय सदस्य : अच्छी बात कह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इनके दिल से आवाज आ रही है ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जैसा कि अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने सदन के समक्ष कई बातें कही हैं । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी सी. बी. आई. से करवाई जानी चाहिए अगर सरकार अपने दामन को साफ रखना चाहती है It is still a matter of Judicial enquiry. पुलिस ने अपनी ड्युटीज का प्रॉपर अंजाम दिया है । राजस्थान की जनता के सामने इतना जघन्य अपराध का रूप सामने आया है This House will be failing in its duty if it does not condemn their conduct.

(शोरगुल)

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से केवल एक मिनिट में निवेदन करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बात में शर्म महसूस होती है कि श्री रामगोपाल पाली जिले में मेरे गांव के नजदीक के रहने वाले

(श्री सज्जनसिंह)

हैं। मुझे इस बात का भी गम है कि श्री रामगोपाल श्री खेतसिंह राठौड़ के पी. ए. बहुत अर्से तक रहे। मुझे इस बात का भी गम है कि श्री खेतसिंह राठौड़ को श्री रामगोपाल का आचरण बहुत अच्छी तरह से मालूम था। मुझे इस बात का भी दुःख है कि श्री खेतसिंह राठौड़ श्री रामगोपाल के सम्बन्धियों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। और जो कुछ अभी-अभी जोधपुर में हुआ है उसके विषय में केवल यह निवेदन करना चाहता हू कि मुख्य मन्त्री महोदय ने श्री खेतसिंह को बाध्य किया कि श्री रामगोपाल का हटाया जाये। परन्तु यह मेरी समझ में नहीं आया कि मुख्य मन्त्री महोदय ने उसको हटाया या उसकी पदोन्नति की। उसको एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां वह अधिकारी बन कर गया और अधिकारी बनने के बाद उसने ऐसा बुरा काम किया। इस बात का हम सब को दुःख है, खेद है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं कि वे श्री रामगोपाल की सम्पत्ति की जाच करवा लें। वह तो आपका अधिकारी है। आप श्री के. एल जैन की सम्पत्ति की जांच नहीं करवा सकते है। आप दूसरे मुल्जिमों का सम्पत्ति की जांच नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वे आपके मातहत नहीं हैं। दूसरों की सम्पत्ति की जांच आप नहीं करा सकते, यह बात तो समझ में आती है परन्तु यह समझ में नहीं आता कि आपने इसको सस्पेण्ड ही क्यों किया ? यह तथ्य तो प्रकट ही है कि वह कॉन्ट्रेक्ट सर्विस का आदमी है। यह भी फेक्ट है कि कॉन्ट्रेक्ट को टरमीनेट करना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। फिर इसको क्यों टरमीनेट नहीं किया ? यह आपके स्टेटमैंट में तथ्य रूप में आना चाहिए था। मैं यह आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी की इज्जत को बनाये रखने के लिए अपने साथियों की इमेज को बनाए रखने के लिए इस दिशा में सख्त से सख्त कदम उठा कर हमारी इज्जत को बचायेंगे। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इन पांचों का मुण्डन करके पांच शहरों में घुमा दिया जाये तब तो आपकी इमेज बन सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले जोधपुर की इस घटना के बाबत में स्थगन प्रस्ताव आया था और जैसा कि नियम है, परिपाटी है—अध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था इसके ऊपर देते हैं किंतु आपकी व्यवस्था के पहले, माननीय सदस्यों को ख्याल होगा मैं बीच में खड़ा हो गया था और मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि अगर आप इजाजत देंगे, गवर्नमेंट इस पर स्टेटमेन्ट देना चाहेगी। मैने इसलिए निवेदन किया था कि हमारी स्थिति यह है अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं तो माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर अपनी बात कह देते हैं और आम तौर पर गवर्नमेंट अपनी बात को नहीं कह पाती है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेन्ट क्या सोचती है, इस चीज का मौका गवर्नमेंट को इस सदन में नहीं मिलता है इसलिए इस अवसर को लेने के विचार से

(श्री हरिदेव जोशी)

और अपनी भावनाओं को यहां रखने के विचार से एक प्रकार से मुझे क्षमा किया जाए, आपके निर्णय के पहले ही बोल गया था। उस दिन भी एक दो माननीय सदस्य यहां पर बोले थे। मैंने फिर भी बीच में खड़े होकर यह कहा था, जहां तक इस कांड का सवाल है, गवर्नमेन्ट की भावनाओं में,कांग्रेस पार्टी की भावनाओं में, और विरोधी दलों की भावनाओं में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई फर्क नहीं है और आज भी अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, यह गवर्नमेन्ट निश्चित रूप से ऐसा मानती है कि यह घटना एक सिम्बोलिक है किन्तु यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, जहां अब भी बहुत बड़ी बुराई है जो आज रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहां पर वाइकेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई। मैं नहीं जानता कि मुझे कहना चाहिए अथवा नहीं कहना चाहिए, मगर कोई भी दूसरा आदमी चाहे कहीं कोई चोरी करके आ जाता है जिसका दूर-दराज का भी गवर्नमेंट से रिश्ता-नाता नहीं तब भी इस डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट अपनी वाइकेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इस गवर्नमेंट का हैड होने के नाते अपने आपको उतना ही दुखी और उतना ही शर्मिन्दा महसूस करता हूं जितना कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो बुराई समाज में आई है, मैं मुख्य मुद्दों पर बाद में आऊंगा, यह जो समाज के अन्दर बुराई आई है वह एक प्रकार की ऐतिहासिक और सामाजिक स्थितियों के कारण से आई है। उन ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों को आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास बदला, किन्तु सामाजिक स्थितियां आज भी वैसी की वैसी ही हैं। इतिहास में 21 रियासतों को हटा कर एक युनिफाइड राजस्थान तो हो गया, मगर एक फ्यूडल स्ट्रक्चर, एक कैपिटेलिस्ट स्ट्रक्चर जिसकी कि यह घिनौनी हरकतें हैं वह आज भी हमारे समाज के अन्दर उसी रूप में विद्यमान हैं, और मैं नहीं जानता कि कितने अर्से तक यह सारी चीजें उसी प्रकार हमारे समाज के अन्दर बनी रहेंगी। यह एक नग्न सत्य है, अध्यक्ष महोदय कि वेश्यावृत्ति अपराध घोषित कर दिया गया, किन्तु आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बनी हुई है, और इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न निरन्तर जारी रहेंगे। यह घटना एक चीज बतलाती है कि सरकार को और समाज को अधिक मुस्तैदी से इसके अन्दर काम करना होगा। मैं अमृतलालजी से सहमत हूं और जोधपुर शहर और विशेष कर उस मोहल्ले के नागरिकों को जो ड्यू है वह देना चाहता हूं, वह है—हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक बधाई कि जिन्होंने उत्साह पूर्वक इस घटना को आम लोगों के समक्ष और प्रशासन के समक्ष लाने का साहस किया। मैं माननीय गुमानमलजी की इस राय से भी सहमत हूं कि जो लोग इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को उखाड़ने के अन्दर लगे हुए हैं उन्हें कहीं न कहीं बुराइयों में लिप्त लोगों का कोपभाजन होना पड़ता है और कहीं पर खतरा भी उठाना पड़ सकता है, मगर मानसिक तैयारी हमारी होनी चाहिए एक सामाजिक के नाते।

(श्री हरिदेव जोशी)
अलबत्ता सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है कि जो सामाजिक बुराइयों को मिटाने के काम में लगे हुए हैं उन लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्शन दें, और राज्य सरकार उन सब को प्रॉपर प्रोटेक्शन देगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मैं माननीय सदस्यों से एक बात की अपेक्षा करके चलता था, आप नहीं देना चाहते मत दीजिये इस गवर्नमेंट को इस बात का श्रेय है कि इस मामले में इस गवर्नमेंट ने साहस पूर्वक कदम उठाया है। आप इसका श्रेय मुझे नहीं देना चाहते मत दीजिये। एक तरफ आप कहते हैं कि कन्हैयालाल जैन और जयनारायण ताम्बी....

श्रीमती सुमित्रासिंह : जगमोहन ।

श्री हरिदेव जोशी : जगमोहन ताम्बी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह लोग अर्से से इस प्रकार के काम करते आ रहे हैं, फिर भी उनका चालान किया गया ।

श्री मनोहरलाल : नहीं किया गया। गुण्डा एक्ट में किया है।

श्री हरिदेव जोशी : आपको पता नहीं। गुण्डा एक्ट इसका इलाज नहीं है। आप वकील हैं किन्तु आपको मालूम नहीं है कि गुण्डा एक्ट इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, अगर यह लोग वर्षों से बचते चले आ रहे थे और आज वह नहीं बच सके तो एक तरफ जोधपुर के लोगों का साहस था किन्तु दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की ढील नहीं दी इस चीज को स्वीकार करना चाहिए ...

एक माननीय सदस्य : जमानत पर छोड़ा है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं, और वह यह है कि 366 (ए) को किसी प्राइवेट व्यक्ति ने इण्डीकेट नहीं किया है। गुमानमलजी मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि 366 (ए) में एक नाबालिग लड़की के साथ में दुर्व्यवहार की बात आती है, उसका पुलिस ने स्वयं ने कॉग्नीजेन्स लिया है। पुलिस ने स्वयं ने इन्वेस्टीगेट करके यह एडिशनल धारा उसके अन्दर एड की है। इसको एफ.आई.आर. के अन्दर किसी ने नहीं बतलाया है। (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो सुनिये, नहीं तो मैं बैठ जाऊं ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह गवर्नमेंट की कोई मन्शा नहीं बतलाती है ? गुमानमलजी साहब, आप अदालत के अन्दर पधारे और आपने कहा कि आप जनता के वकील के तौर पर खड़े हुए हैं ताकि यह केस बिगड़ न जाय, और गवर्नमेंट ने इसका विरोध नहीं किया। यह एक फेक्ट है। यह क्या बतलाता है ? गवर्नमेंट की कोई एप्रोच नहीं बतलाती यह ? मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि अभी कपूर साहब की बात की गई, कभी किसी दूसरे की बात कही जा सकेगी। मैं एक चीज कह सकता हूं और वह यह है कि हरिदेव जोशी युगों-युगों तक चाफ

(श्री हरिदेव जोशी)

मिनिस्टर रहने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वह आज के लिए पैदा हुआ है, और मेरे रहते मुझ को कोई ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगा इस प्रकार के केसेज के अन्दर। आप अगर मुझ पर विश्वास करते हों तो मानिये कि मुझे किसी व्यक्ति ने कोई टेलीफोन नहीं किया, बल्कि मैंने टेलीफोन किये हैं इस बात के लिये कि कहीं कोई व्यक्ति प्रभाव में नहीं आये। मेरा दिमाग इस बात में साफ है कि कहीं कोई किसी मुगालते में न आये और गवर्नमेंट के नाम से, अपने नाम से कहीं वह करने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट का एप्रोच बहुत क्लियर है, इस मामले में कानून की गिरफ्त में जो व्यक्ति आया है उसको सजा मिलनी चाहिए इस बात को देखना चाहिए। इसको मैंने नीचे से नीचे लोगों को कहा और जोधपुर गया तब भी कहा और यहां पर भी कह पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गुमानमलजी लोढ़ा ने उस दिन कुछ मुद्दे उठाये थे और कहा था कि उनका जवाब मुख्य मंत्री दें। इसलिए मैंने उन्हें अपने पास से देने के लिए रखा था। मेरी नीयत कोई यह नहीं थी कि वह स्टेटमेंट में न आये। स्टेटमेंट तो फैक्ट पर होता है। स्टेटमेंट दूसरी चीजों को कवर नहीं करता है। यहां पर परोक्ष में श्री मुन्नालालजी गोयल को और सुखाड़ियाजी को इन्डाइरेक्टली लाने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, इस केस के अन्दर एफ आई. आर. लिखित रूप में एक प्राइवेट पर्सन ने दी है वह है…

श्री गुमानमल लोढ़ा : श्री चन्द्रराज चौधरी।

श्री हरिदेव जोशी : श्री चन्द्रराज चौधरी। उन चन्द्रराज चौधरी ने उन्हीं लोगों के नाम लिये हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया है अपनी उस एफ. आई. आर. के अन्दर किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। किसी भी पांचवें व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। आपने आज तो नहीं कहा मगर उस दिन घुमा फिराकर पूछा था कि मुन्नालाल गोयल उसके अन्दर थे या नहीं। साफ-साफ कहा गया। जो दूसरे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यह कहा है कि एक साहब हट गये। यह कहा जाता है। तो यह क्या है। क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि ऑन दी स्पॉट एक आदमी ने जो वहां मौके पर मौजूद था उसने एफ. आई. आर. दी है। तब आप मुझसे केवल इस लिए कि मुन्नालाल गोयल से कुछ लोग नाराज हैं केवल इसलिए कि वह सुखाड़ियाजी के जवांई हैं आप चाहते हैं कि मैं उनको जबरदस्ती इसमें शामिल करूं। तो मैं यह निवेदन करूं कि अगर किसी राजनैतिक नेता की लड़की है तो उसको शादी भी करनी है अगर लड़के हैं तो उनके भी रिश्ते करने होंगे। प्रोफेसर केदार या कोटा से आनेवाले माननीय सदस्य की तरह से सभी लोग तो हो नहीं सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे।

एक माननीय सदस्य : ये कैसे लोग हैं?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह जिस रूप में नाम लिये जा रहे हैं तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये कैसे आदमी हैं? क्या ये खतरनाक आदमी हैं?

श्री हरिदेव जोशी : आपकी संगति जो उनके साथ है। इसलिए आपके

(श्री हरिदेव जोशी)
वर्सन से मैं जो व्यू लेता हूं, उस लिहाज से ये खतरनाक आदमी हैं ।

श्री केदारनाथ : We are such persons.

श्री हरिदेव जोशी : तो अध्यक्ष महोदय, अगर किसी की ऐसी नीयत है तो मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं । अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं यह कह सकता हूं और वह यह है कि निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं कोंशस हूं । जनता इस मुकद्दमे को बहुत ही उत्सुकतापूर्वक देख रही है । मुझे इस मामले में कहीं कोई मुगालता नहीं है । और, इतना हो हल्ला तो बाद में हुआ है किन्तु हमने उसको पहले सस्पेंड कर दिया है ।

एक माननीय सदस्य : कब किया है ? Why not dismiss him ?

श्री हरिदेव जोशी : There is certain procedure.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कौनसी तारीख को किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, ठीक उसी तारीख को जैसा कि मैंने कहा उनको कठोर सजा मिल सके इसके लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है । एफ. आई. आर. लिखी हुई है । इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी, विरोधी पक्ष और राजस्थान के सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसमें कहीं कोई ढिलाई नहीं बरतेगी । अपनी ओर से कहीं कोई कमजोरी नहीं दिखलाएगी ।

श्री अध्यक्ष : (श्री खेतसिंह के खड़े होने पर) आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज का बिजनेस समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज का बिजनेस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है । जो प्रश्न उठाये गये वे यह हैं, कि ये लोग इतने प्रभावशाली हैं, उनके प्रभाव का घटाया जाना चाहिये और उन्हें कोई राजकीय प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए । मैं एक ही बात कह सकता हूं कि मुझसे ये कोई प्रश्रय नहीं पा सकेंगे । न ही इस सरकार से पा सकेंगे । मेरी यह वृत्ति नहीं रही है । मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो कोई भी पैसे वाला है, जो यहां पर अपने उद्योग लगा रहे हैं—यह मेरा अपना इनीसिएटिव था, जैसा कि हमने इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेण्ट के द्वारा कदम उठाया है । यह कि उद्योगों को इन्सेंटिव सलेक्टिव रूप में नहीं दिया जाना चाहिए । यूनीफॉर्म रूप में दिया जाना चाहिये । इस प्रकार की पॉलिसी निर्धारित कर दी है । वरना अभी तक सलेक्टिव परिपाटी चली आ रही थी । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वही चलती । जो भी देना है, वह सब के लिए हो इसलिए आमतौर पर अब किसी को गवर्नमैंट

(श्री हरिदेव जोशी)

के पास आने की जरूरत ही नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि यह जो लोग हैं, उनके साथ में कोई वी. आई. पी. ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि चम्बल घाटी में जो डाकू पकड़े गये उन लोगों को भी इसी प्रकार से ले जाना पड़ता था जैसे इन लोगों को ले जाना पड़ता है। एक तरफ जनता के लोगों को प्रोटेक्शन देना है वहां एक्यूज्ड को भी प्रॉटेक्शन देना है। गवर्नमेंट यह जिम्मेदारी भुला नहीं सकती है। जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर जोधपुर शहर में घोषणा कर दें तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वह इस प्रकार का एक्ट करें तो अन्य चीजें समझने की जरूरत है। जहां तक केस की पैरवी का सवाल है, मैं यह देखूंगा कि राज्य सरकार के ऊंचे से ऊंचे वकील उस केस की पैरवी करें। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जा सके, इसके लिए कोशिश की जायेगी। एक बात जो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, मेरी जो कठिनाई है, वह यह है कि राज्य सरकार को सर्टेन धाराओं में काम करना पड़ता है। अमुक एक्यूज्ड है। आई. पी. सी. की अमुक-अमुक धाराएं हैं। उनमें जो सजा है, उससे ज्यादा सजा हम दे नहीं सकते हैं। और, सजा तो अदालत दे सकती है। गवर्नमेंट तो अदालत के सामने जजमेण्ट के लिए प्रस्तुत कर सकती है। एक अजीब स्थिति यह है कि अगर गवर्नमेंट ओवर एक्ट करे तो माननीय सदस्य क्रिटीसाइज करेंगे। तब चित भी मेरी और पुट भी मेरी, यह बात तो नहीं होनी चाहिये। हां, मैं यह कह सकता हूं और वह यह है कि एक्यूज्ड के साथ में अनरेसपेक्टेबल चीज नहीं बरती जाना चाहिये। एक्यूज्ड के साथ भी सही ट्रीटमेन्ट किया जाना चाहिये। जिस दिन वह कन्विक्ट होता है, उस दिन वह कटघरे में होगा मगर उसका कन्विक्शन नहीं होता है तब तक उसको अपने आपको डिफेन्ड करने का पूरा अधिकार है, वहां पर गवर्नमेन्ट को भी अपने दायरे के अन्दर ही जितनी कार्यवाही करने का अधिकार है उसमे अधिक और कुछ नहीं कर सकती। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो निवेदन कर सकता हूं कि जो कुछ भी गवर्नमेन्ट कर रही है, सामूहिक रूप से और सामूहिक हित के अन्दर कर रही है, जनहित के अन्दर कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि 164 के बयानात क्यों नहीं कराये गये इनके? मैं तो वकील नहीं हूं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि 164 के बयानात वहां करवाये जाने चाहिये जो प्रोसीक्यूशन के हित में हों, प्रोसीक्यूशन के विरोध में भी 164 के बयान करवा देवें क्या? जिससे प्रोसीक्यूशन बिगड़ जाता हो और केस खराब हो जाता है और मुल्जिम को सजा नहीं मिले उससे भी प्रोसीक्यूशन का 164 का गवाह करवा देवें?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप समझे नहीं, समझ नहीं सके, जो गवाह पुलिस पेश करती है और कोर्ट में····

श्री हरिदेव जोशी : हां मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 164 में जो स्टेटमेंट होता उसको बाद में चेन्ज नहीं कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : गवाह तो वह बने जो टेम्पर नहीं किया जा सकता हो, जो टेम्पर किया जा सकता है और इसके खिलाफ होवे कि आज तो कोई हां कह रहा हो और कल बदल जाय तो प्रोसीक्यूशन का केस उससे वीक हो जाता है। मैं निवेदन यह कर रहा था कि 164 के बयान की मदद जब प्रोसीक्यूशन यह महसूस करे कि अमुक गवाह आज अमुक बात कह रहा है और कल वह गवाह बदल सकता है इसलिए इनको प्रोसीक्यूट करने के लिए 164 के तहत बयान करवा लेने चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस इस मामले में ऐसा महसूस नहीं करती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : They are under pressure.

श्री हरिदेव जोशी : आप तो वकील हैं, मैं तो वकील नहीं हूं। इस तरह से यहां कोर्ट की जिरह करने लग गये तो मुश्किल हो जायेगी। आप सोचिये इसके मायने यह है कि आप उन लोगो के कन्डक्ट के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं जिन्होंने साहस दिखलाकर उनको घेरा और उनको पकड़कर मुल्जिमों को पुलिस के सुपुर्द किया। आप उन पर अविश्वास करते हैं जिन्होंने एफ. आई. आर. पब्लिक से लिखाकर दी। पुलिस की बात तो हो सकती है, मैं समझ सकता हूं। थानेदार ने एफ. आई आर. दी होती तो, यह भी कह सकते हैं, मगर चौधरी के कन्डक्ट के ऊपर ··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी कानूनी कार्यवाही के अन्दर कोई सन्देह नहीं व्यक्त किया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने तो नहीं, (श्री गुमानमल लोढ़ा की ओर इशारा करते हुये) आपने किया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमने किया है। They are under pressure and duress.

बयान उसके बाद में लिखवाये गए, यह निश्चित रूप से ···

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा लगता है कि यह पब्लिक कण्डक्ट का इश्यू है और जो पब्लिक के लोग इसके अन्दर इन्वाल्व्ड हैं और जोधपुर शहर के रेस्पेक्टेबल लोग हैं, उनके कण्डक्ट के ऊपर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, फिर भी किसी भी स्टेज पर पुलिस को—अगर प्रोसीक्यूशन को यह महसूस हो गया कि अमुक लोगों के 164 के बयानात करवाये जाने चाहिये तो यह भी किया जा सकता है, यह तो कभी ओवर नहीं होती, कभी भी हो सकते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गवर्नमेन्ट इस मामले में जहां जरूरी होगा, कदम उठायेगी। एक बात यह कही गई है कि दफ्तर उठा दिया गया। यह फैक्ट है कि दफ्तर वहां से हटा दिया गया। मगर उस घटना के बाद में, किसी ने एण्टी-सोशियल कार्यवाही की हो ऐसी बात नहीं है। उस दफ्तर को वहां से इसलिए हटाया गया कि रामगोपाल दफ्तर का एक बाबू था मगर दूसरे बाबूओं की हालत वहां पर पतली हो गई थी। वहां के मैनेजर ने दाऊ दयाल ने टेलीफोन करके कहा कि अभी भी लगभग सौ डेढ़ सौ बच्चे और दूसरे लोग वहां पर हो हल्ला कर रहे हैं और इस घटना के बाद

(श्री हरिदेव जोशी)

हमारा वहां पर काम करना मुश्किल हो जायेगा, या तो महीने पन्द्रह दिन के लिए दफ्तर बन्द कर दिया जाय अथवा पहले से मन्जूरशुदा मकान में शिफ्ट कर दें। इसलिए कि वह मकान सस्ता था और यह मकान तीन सौ और कुछ रुपये में था और यह मकान 175 रुपये में तय करने की बात थी। आप इजाजत दें तो उसमें शिफ्ट कर लिया जाय। यह घटना, कहीं भी रिकार्ड में नहीं बताई गई है कि उस मकान में नहीं घटी....

श्री गुमानमल लोढा: क्या पहले की मन्जूरी आपने देखी है? एन्टा-डेट की यही एवीडेन्स, in the very nature of things, इतने influences होंगे पहले की मन्जूरी नहीं थी।

श्री हरिदेव जोशी: यह इसलिए कहा गया कि कुछ लड़कों ने वहां पर हो-हल्ला किया इसलिए उन्होंने दफ्तर वहां से हटा दिया है। मगर यह नहीं कहते कि इस मकान में घटना नहीं घटी है. इस तरह नहीं कहते कि दफ्तर वहां पर नहीं था, कहीं पर यह नहीं कहते कि दफ्तर के लोगों ने बयान दिये हैं। गवर्नमेन्ट जानती है कि पुलिस ने अमुक मकान के अन्दर से लोगों को पकड़ा है, इसलिए यह कहना कि सबूत को खत्म करने के लिये किया गया है इस प्रकार की धारणा इस प्रकार की भावना नहीं है। अध्यक्ष महोदय,......

श्री गुमानमल लोढा: उसका स्पष्टीकरण करेंगे, पहले की मन्जूरी किस ऑफिसर ने, किस तारीख में दी।

श्री हरिदेव जोशी: मैं कह चुका हूं, वह मेरे पास नहीं है, मगर मैनेजिंग डाइरेक्टर ने दी थी, अगर उस दिन भी दी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मेरे पास कोई तारीख इस समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि इसकी ज्यूडीशियल एन्क्वायरी करायी जानी चाहिए। अदालत में केस चालान कर दिया पुलिस ने, सेशन जज की कोर्ट में केस है, तब ज्यूडीशियल नहीं है तो और क्या है? इसके ऊपर फैसला कोर्ट ही करेगी, सरकार तो प्रोसीक्यूटर है। सरकार ने अमुक चार्जेज फ्रेम किये हैं और उसको इस बाबत में कुछ कहना है अपनी ओर से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एफ. आई. आर. दी गई है और गवर्नमेन्ट यह देखना चाहती है कि कैसे फल हो जाय, तब फिर ज्यूडीशियल हो, उसी के तहत हो।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि इन लोगों की जो सम्पत्ति है, इस सम्पत्ति को जब्त किया जाना चाहिए, रामगोपाल की और दूसरे लोगों की अगर इस केस में जब्त की जा सकती है तो हो जायगी और अगर इस केस के बाहर कोई कानूनी तौर पर गिरफ्त में आती है तो राज्य सरकार उसके लिए भी तत्परता से कार्यवाही करेगी। किसी के प्रति भी, चाहे यह हों अथवा दूसरा कोई हो, हम कोई रियायत नहीं बरतना चाहते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, माननीय सदस्यों ने यहां जो कहा है, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने, कि पार्टी क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार के पार्टी क्वेश्चन हम बना नहीं सकते, न हम इस प्रकार की चीज को किसी भी तरह से सप्रेस करना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से कॉन्शस हूं, मगर इस केस में इन लोगों को सजा मिलती है, तब तो हमें उसमें जनता कहेगी कि हमने

(श्री हरिदेव जोशी)
प्रॉम्प्टली एक्शन लिया और काम किया। और अगर केस में से छूटते हैं तो जनता कहेगी निश्चित रूप से हमारी इस बारे में कमी रह गई है, चाहे फेक्चुअल कमजोरी क्यों न हो ऐसा समझा जायगा। इसलिए मैं कहीं भी किसी भी चीज के ऊपर वह करने के हक में नहीं हूं।

यह कहा गया एक माननीय सदस्य द्वारा, कोई जन प्रतिनिधि, जब इनको किन्हीं पद के ऊपर रखा जाता है, एक मेम्बर आप भी राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स में रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में क्यों नहीं रख देते। वह राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसमें एक प्रकार की स्थिति है, यह जो पद है, उस पर कोई व्यक्ति खास करके बोर्ड अथवा उस पर है, वह किसी पद पर है तो उस पद के कारण पदेन दूसरी जगह है....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : आपका नॉमीनेट किया हुआ नहीं है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उनको हटा देना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : जो लोग वहां हैं वह हटा देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 'काण्डला कमेटी में है उसमें से हटायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : उसमें नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: के. एल. जैन है।

श्री रामकिशन : स्माल स्केल इण्डस्ट्री वाले में है, उसमें से हटायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं कहना नहीं चाहता था, इस कारण से नहीं, के. एल. जैन और ताम्बी ने इस कारण से नहीं, कुछ दूसरे डिफरेन्सेज के कारण से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। इस केस के कारण से नहीं, न हटाया गया है, बहुत मुमकिन है अनेक प्रकार के दबाव देने से इस्ताफा दे दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : किस तारीख को ?

श्री हरिदेव जोशी : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कब दिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : बहुत पहले।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब वह वहां नहीं हैं ? इस्तीफा मंजूर हो चुका है या अब दे रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : इस काण्ड के काफी पहले इस्तीफा दे चुके हैं किन्तु उसका फैसला मायने स्वीकार बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स करता है। इस दरम्यान बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई है इस कारण से इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। मैं रेफरेन्स नहीं देना चाहता था। लेकिन इस कारण से नहीं दिया है, खुद जान करके नहीं दिया है, यह हो गया है इसलिए नहीं दिया है। दूसरे कारण से दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी पॉवर में जो कमेटीज हैं, उन सबसे, जहां-जहां वह हैं, सब जगह से हटा दीजियेगा, सीधी बात है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट बहुत स्पष्ट है, इन लोगों को न पुलिस के मार्फत सम्मान देना चाहती है, न पद पर रख कर सम्मान देना चाहती है, न कोई रियायत बरतना चाहती है। जो रेफरेन्स आपने इसके अन्दर दिया था ...

श्री मूलचन्द सामरिया : जमानत वाले का उत्तर नहीं दिया। इनकी जमानत रात को कैसे हो गई ? और एक बात है कि क्या यह बेलेबल ऑफेन्स था ?

श्री हरिदेव जोशी : बेलेबल ऑफेन्स था, बेल ले ली इसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : नो, नो। यह नॉन बेलेबल ऑफेन्स था। पुलिस को अधिकार नहीं था, यह कैसे ले ली पुलिस ने ? यह विश्वास दिला सकते हैं कि पुलिस अधिकारी ने गलती की है उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। यह नॉन बेलेबल होता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नॉन बेलेबल बाद में बना है।

श्री फूलचन्द जैन : आपने स्थिति स्पष्ट कर दी है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह उचित होगा, गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से यह स्पष्ट कहा जाना चाहिए कि गवर्नमेंट के लेवल पर जिन कमेटी में, जिन निगम में जहां पर हैं वहां से हटा दिया जायेगा। जो कानूनी स्थिति है, उसके अनुसार वहां से हटा दिया जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप स्पष्ट कहिये।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह स्पष्ट नहीं किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं एक चीज रख दूं ...

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : इन्क्वायरी का सवाल आया है, तो इस प्रकार की घटना न घटे इसके बारे में इन्क्वायरी मुकर्रर करने को तैयार हैं या नहीं ? और यह स्पष्ट नहीं है कि कमेटीज से अलग करेंगे या नहीं करेंगे ? कहने में क्या दिक्कत है, जैसा माननीय फूलचन्द जी ने कहा।

श्री अध्यक्ष : दूसरा वक्तव्य शुरू करें।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : मैं दो मिनिट कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) शिक्षा मंत्री जी का स्पष्टीकरण सुन लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरे, क्या इनकी प्रॉपर्टी की जांच होगी ?

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : कुछ जगह ऐसी हैं जहां से आप हटा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत बोलते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं बोला नहीं हूं। मैं कम ही बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी बात कहें तो ज्यादा वजन पड़ेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : जिन संस्थानों से ताल्लुक रहा है इनका, इनका मालिक नहीं हटाता है तो क्या सरकार संस्थानों को रियायत देने से मना कर देगी ?

श्री अध्यक्ष : बहुत बोलने से बहुत लाभ नहीं होता है।

शिक्षा मंत्री जी !

श्री खेतसिंह : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मेरे भूतपूर्व पी.ए. के लिए मुझे सदन के कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री रामगोपाल मेरे पास पी. ए. था। जब मैं सचेतक था उन दिनों में एक काण्ड, जो गवर्नमेंट होस्टल के कमरा नं. 67 ......

एक माननीय सदस्य : 66 !

श्री खेतसिंह : 66 में होना बतलाया गया था, उसके बारे में अखबारों के अन्दर आया था। जिसके लिए उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रंगे हाथ पकड़ा गया था। उस वक्त रंगे हाथ पकड़ा गया होता तो उस रोज निकाल देता। हकीकत यह थी, दूसरे रोज अखबार, न्यूज पेपर में आया था, वह पकड़ा गया था, इंजीनियर और वह लोग पकड़े गये थे। उसके बाद सिरोही की बात कही। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, न आप वहां पर थे, न सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वह थे। आपको जैसा अध्यापकों ने कहा, वह कह रहे हैं। जिलाधीश वहां मौजूद थे, एस. पी. वहां मौजूद थे, एडीशनल डाइरेक्टर वहां मौजूद थे, डाइरेक्टर वहां मौजूद थे। उनसे दरियाफ्त कर लीजिये। मेरे सामने ऐसी हरकत नहीं हुई। मैं सर्किट हाउस में चला गया तब बतलाया गया कि रामगोपाल बाहर गया, टीचरों ने पकड़ा और बोलचाल हुई और धक्का मुक्की हुई। उसके बाद न्यूज पेपर में आया। उस वक्त मुख्य मंत्री से निवेदन किया था, इस मामले के अन्दर, मैं सोचता हूं, हटा देना चाहिये। उन्होंने कहा, हटा दीजियेगा। और उस समय नहीं, उसके कुछ दिनों के बाद उसे हटा दिया। वह सात महीनों से मेरे साथ नहीं है, न मेरे से ताल्लुक है, न कोई बोल चाल का ताल्लुक है। मैं घृणा करता हूं। उसके बावजूद जब कि सात महीने से मेरे पास नहीं है, वह आदमी कोई एक्ट करता है, आज जो कुछ किया है, वह लघु उद्योग निगम का अधिकारी था और लघु निगम के डाइरेक्टर उसके साथ में थे। वह पहले मेरे पास था और उसके द्वारा हरकत हुई है, उसके लिए सदन सोचता है कि मैं पनिशमेंट का भागी हूं, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए तो मैं सदन के कटघरे में हूं, मुझे चाहे जो पनिशमेंट दीजिये, मैं पनिशमेंट स्वीकार करूंगा।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) बहुत समय हो गया है।

श्री शांतिलाल कोठारी : मेरा रेफरेन्स आया है। मैं आपको कहना चाहता हूं मैं उस दिन सिरोही में नहीं था। रेवदर मंडावर गया था मंडावर से 11 बजे आया, उस वक्त पूरे गांव में मालूम पड़ा। यही नहीं कि टीचर्स

तलाल कोठारी)

ने किया, उनको मैंने डांटा, यह नहीं करना चाहिए जो किया। सिरोही में जो भी हालात पुराने थे अब भी रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। आपने ठीक माना है कि उसके साथ मेन हैंडलिंग हुआ है....

श्री खेतसिंह : मैंने कहा, मेरे सामने नहीं हुआ है। मैं सर्किट हाउस में चला गया था उसके बाद हुआ है।

श्री शांतिलाल कोठारी : आप कमरे से पन्द्रह मिनिट बाद में बाहर आये, तब कहा क्या हो रहा है। आपने कहा भ्रष्ट है, जूते मारो। यह भी कहा था इसलिए I don't say that you have protected him. मैं कहना चाहता हूं, ऐसी घटना के बाद इमीजियेटली हटाना चाहिए था। हरएक मंत्री का अपना निजी सहायक होता है, दोस्त हो, शाम को साथ खाने-पीने वाला हो, घूमने वाला हो। लेकिन पार्टी की इज्जत बचाने के लिए, जैसा मुख्य मंत्री ने कहा, हर मंत्री कोशिश करेगा। नहीं करेगा तो आज से कांग्रेस पार्टी बहुत सचेत रहेगी और हर तरह से सचेत रहेगी।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी !

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह विषय कैसे टाला जा सकता है ? इतना गंभीर मामला है रामगोपाल पुरोहित वाला मामला जिसके बारे में मैं कह चुका हूं। उस बारे में मुख्य मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या उस बारे में कोई जांच कन्डक्ट कराने के लिए तैयार है ? उस बारे में स्पेसीफिक एलीगेशन था कि महिला की जो हत्या कर दी गई उसके पति ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था जिसमें....

श्री हरिदेव जोशी : I am sorry. मुझे याद नहीं रहा। जो भी आपके पास में एवीडेन्स हैं, मुझे दे दी जाए, मैं एन्क्वायरी कराऊंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरे कहने का सवाल नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं कहता हूं कि उस महिला की हत्या की गई, वह दो मंजिलों से नीचे गिरी, हड्डी टूटी, जिसका पैर नहीं टूटा, हत्या की गई, उसकी क्यों नहीं जांच होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : This is a matter of enquiry. I can not express any opinion over it.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उसका पति कहता है कि मर्डर है, एन्क्वायरी होनी चाहिए थी....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री ने कहा है कि मैं एन्क्वायरी कराऊंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पुलिस अधीक्षक ...

(अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि एन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कह दिया कि आप फैक्ट्स दे दीजिए, मैं एन्क्वायरी करा लूंगा और इसके फैक्ट्स और परिणामों से आपको परिचित कराऊंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने सारे तथ्य रख दिए हैं। आपको चाहिए कि सारी जानकारी करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप पहले प्रश्न सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 66 नम्बर कमरे में जो घटना हुई जिसकी स्वीकारोक्ति शिक्षा मंत्री ने की है, उसके बाद तुरन्त रामगोपाल को क्यों नहीं हटाया? दूसरी बात, इस प्रकार के चरित्रहीन को असिस्टेंट डाइरेक्टर का पद दुबारा क्यों दिया गया, किस आधार पर दिया, किसके आदेश से दिया?

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने कहा है कि उस दिन वह गिरफ्तार नहीं हुआ था, न उनको किसी प्रकार से उस पर कुछ हुआ था। इसलिए यह कहना कि वह उसके अन्दर इम्प्लीकेटेड था, आज मेरे लिए कहना मुश्किल है। रह गया सवाल आप कुछ रसीदों की बात कहते हैं, ऑफ हैंड आपने कहा है, वे दे दीजिए, मैं देख लूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने प्रधान मंत्री को लिखे गये लेटर की बात कही। एक पत्र उस हत्या की गई महिला के पति ने प्रधान मंत्री को लिखा है जिसमें नाम लिखे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : प्रधान मंत्री का जो पत्र लिखा है वह मेरे पास नहीं है....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : राजस्थान के सभी अखबारों में आया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके पास सी. आई. डी. है, पुलिस है, जब सारे अखबारों में यह काण्ड छपा है तो भी आपने जांच नहीं की?

श्री हरिदेव जोशी : यह 1972 का केस है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके डी. आई. जी. फंक्शन करते हैं, एस पी. फंक्शन करते हैं, अखबारों में छपा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो पत्र उस महिला ने लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि उसमें एक रामगोपाल, एक इन्जीनीयर और एक व्यक्ति और था, तीनों मौजूद थे, तीसरा व्यक्ति भागने में सफल हो गया, उस भीड़ से बचकर निकल आया लोगों का कयास है कि तीसरा व्यक्ति था श्री खेतसिंह।

श्री हरिदेव जोशी : यह केस 1972 का है। मैं आज उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर प्रधान मंत्री से लेटर भूतपूर्व मुख्य मंत्री को आया है, रीडाइरेक्ट होकर तो निश्चित रूप से उस पर कोई न कोई एक्शन हुआ होगा। उस पर कोई कार्यवाही हुई होगी। अगर 1972 वाला केस है, एफ. आई. आर. दे दी गई है तो

(श्री हरिदेव जोशी)
मेरा वस नहीं है किन्तु यदि केस पैंडिंग है तो मैं उसकी एन्क्वायरी करा सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप रीओपन कर सकते हैं, आपको पॉवर है।

श्री हरिदेव जोशी : आप सुनेंगे या बोलेंगे ? जो भी जाब्ता कार्यवाही पुलिस और सरकार के बूते की है वह करेंगे।

(कई माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : बाकी क्या रह जाता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सब बाकी रह गया।

श्री अध्यक्ष : किस मामले में ?

श्री गुरदयालसिंह संधु : अभी अभी मुझे तार मिला है रायसिंह नगर से। एक तारासिंह, सी. पी. आई. के सदस्य ने भेजा है कि दो सिपाहियों ने एक का नाम मुरारीलाल है, एक प्रतापसिंह का घर जला दिया है।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अंदर कार्यवाही हो सकती है·······

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री गुरदयालसिंह संधु : गुरु ग्रंथ साहब के पन्नों को जला दिया, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि शीघ्र इसकी जांच कराये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जांच कराऊंगा।

श्री रामकिशन : जब रामगोपाल को शिक्षा मंत्री ने हटाया यह मान लिया कि वह चरित्रहीन है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि उसके बाद उसको जो प्रमोशन दिया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? हटाया क्यों ? उसके बाद और अधिक जिम्मेदारी का पद दे दिया, उसकी जिम्मेदारी किस पर है, उसकी सफाई नहीं हुई ? उस कांड के बाद उनको सर्विस से अलग क्यों नहीं किया ? इन चीजों का न मुख्यमंत्री ने उत्तर नहीं दिया और न शिक्षा मंत्री ने ही दिया।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री !

(शोरगुल)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह, राज्य मंत्री) : पुलिस अधीक्षक····

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्री अगर इन दो चीजों का जवाब नहीं देना चाहते तो साफ मतलब है कि सरकार दोषी है, उसको छिपाना चाहती है और आगे भी छिपाएगी और मुख्य मंत्री ने स्वयं ····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं समझता हूं कि जो करप्शन है वह बढ़ता जा रहा है और खास मुद्दे छिपाए जा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों मुद्दों का जवाब आना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नहीं दें तो मैं क्या करूं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : ये चिकित्सा मंत्री के पी. ए. थे, एक शिक्षा मंत्री के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
पी. ए. थे। इन दोनों के बारे में उत्तर आना चाहिये। उसके बारे में आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? आप उन्हें प्रोटेक्ट करना क्यों चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : उत्तर दे चुके हैं कि राज्य सरकार किसी को भी अनुचित तरीके से बचाने की कोशिश नहीं करेगी। राज्य सरकार ने रामगोपाल को सस्पेंड कर दिया है, उन लोगों का चालान कर दिया है लेकिन जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई चार्ज साबित नहीं हो जाता तब तक आप किसी के बारे में क्या कह सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : छंगाणी जी के प्राइवेट सेक्रेट्री ओमप्रकाश को क्यों हटाया गया ? उसे क्या कह कर हटाया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : कुछ भी कह कर नहीं हटाया गया।

He has gone in another service. That was no promotion. He has joined another service.

शासकीय वक्तव्य

श्री रामकुमार, विधायक के कमरे में पकड़े गए डाकू के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : (गृह, राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामकुमार, विधायक, राज्य विधान सभा के सन्दर्भ में तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

पुलिस अधीक्षक, मण्डल सवाई माधोपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक, करौली ने पुलिस अधीक्षक, मण्डल जयपुर को तारीख 3-4-75 समय 11 बजे रात को सूचना दी कि विधायक निवास, जयपुर के कमरा नम्बर, 75 में श्री रामकुमार, विधायक रहते हैं जिनके कमरे में जनवेद नामक डकैत ठहरा हुआ है। पुलिस अधीक्षक, मण्डल जयपुर ने उक्त डकैत का तुरन्त गिरफ्तार करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, सिटी जयपुर को कहा जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक, सिटी जयपुर मय दीगर पुलिस अधिकारियों व जाब्ता के साथ दि. 3, 4-4-75 को मध्य रात्रि में विधायक श्री रामकुमार के निवास स्थान कमरा नम्बर, 75, विधायक निवास, जयपुर पर पहुंचे। कमरा की घेराबन्दी की। कमरे के अन्दर लाइट जल रही थी और कुछ व्यक्ति बातें कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने कमरे का दरवाजा खटखटाया जो अन्दर से बन्द था। दरवाजा श्री रामकुमार, विधायक ने खोला। कमरे में श्री रामकुमार के अलावा 6 व्यक्ति और थे। मालूमात करने पर एक शख्स मूंछोंवाला सोया हुआ मिला जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम शिवचरण मीना निवासी सपोटरा बताया। जिस पर श्री रामकुमार विधायक ने अपर पुलिस अधीक्षक एवं उप-पुलिस अधीक्षक को कि इस मूंछों वाले व्यक्ति का नाम शिवचरण नहीं बल्कि जनवेद मीना है और वह रोदई का रहने वाला है और कमरे में विधायक के वहां आने से पहले ही मौजूद होना बताया। इस व्यक्ति से फिर पूछने पर उसने अपना नाम जनवेद बताया। और गोपी पण्डित नाम डकैत के गैंग का

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

मैम्बर होना बताया । यह भी बताया कि धूलेण्डी के दूसरे रोज पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गोली चलाने के पश्चात् भाग कर यहां आया है । उक्त डकैत को हस्ब जाब्ता विधायक श्री रामकुमार की उपस्थिति में रात्रि के लगभग 1-15 पर गिरफ्तार किया गया एवं आयन्दा कार्यवाही हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, करौली के सुपुर्द कर दिया गया। यह डकैत जिला सवाई माधोपुर के तीन मुकदमों में अभियुक्त है । अभियोगों का अनुसंधान अभी तक जारी है ।

श्री अध्यक्ष : (श्री भानुकुमार शास्त्री) आप कह दीजिये ।

(श्री रामकिशन जी के खड़े होने पर)

श्री भानुकुमार शास्त्री : इन्हें कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन के माननीय सदस्यों के लिये और हमारे लोकतन्त्र के लिए एक चुनौती का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पहले भी इस प्रकार की चर्चा इस सदन में विधायकों के डाकुओं को संरक्षण देने के बारे में चली थी । और अभी भी कई दिनों से यह चर्चा चली आ रही है इसलिए मैं राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि अभी जो गृह राज्य मन्त्री ने अपना स्टेटमेंट दिया है उससे यह साफ-साफ जाहिर होता है कि एक डाकू जनवेद नाम का श्री रामकुमारजी के कमरे में सो रहा था और उस डाकू के खिलाफ में कार्यवाही चल रही थी। उसको परिस्थितियों से ऐसा मालूम होता है कि श्री रामकुमार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था । मेरा अध्यक्ष महोदय, रामकुमार जी से व्यक्तिगत लेश मात्र भी विरोध नहीं है लेकिन डकैतों को अगर कोई भी व्यक्ति संरक्षण देता है तो उससे सदन के माननीय सदस्य सभी कलंकित होते हैं । अध्यक्ष महोदय आज से दो साल पहले भी इस प्रकार की चर्चा चली थी और श्री रामकुमार के खिलाफ में सपोटरों के कुछ लोगों ने एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया था जिसमें उन्होंने श्री रामकुमार पर कई चार्जेज लगाये थे, जिसमें डाकुओं को संरक्षण देना, ट्रेक्टर की खरीद-फरोख्त करना तथा और भी कई आरोप लगाये गये थे । इनमें एक आरोप यह भी था कि रामफूला डकैत द्वारा महाजनों को उड़वाना तथा जमीनों को हड़प लेना आदि कई चार्जेज लगाये गये । अध्यक्ष महोदय, पहले जब इस प्रकार के चार्जेज लगाये तो मैं मानने को भी तैयार नहीं हुआ । लेकिन अभी जैसा कि अखबारों में छपा और यहां के एडीशनल एस.पी. घेरा डालकर जनवेद डाकू रामकुमार जी के कमरे से उसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसके लिये एडीशनल एस.पी ने डाकू को संरक्षण देने के लिए श्री रामकुमार जी के खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया ? दूसरा, अगर उस एडीशनल एस. पी. ने झूठा स्टेटमेंट दिया तो उस एडीशनल एस. पी. के खिलाफ में कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि डकैतों को संरक्षण देने के मामले में श्री रामकुमार के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये । इसमें अगर आप कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं तो जिस प्रकार इम्पोर्ट लाइसेन्स काण्ड के मामले

(श्री रामकिशन)

में श्री तुलमोहन को कांग्रेस पार्टी से तुरन्त सस्पेण्ड किया गया उसी तरह से आपको कम से कम यह चाहिए था कि तुलमोहन राम की तरह श्री रामकुमार को कांग्रेस से ससपेण्ड करना चाहिए था। इस प्रकार उनको कांग्रेस से ससपेण्ड करने से लोगों के मन में लोकतन्त्रीय व्यवस्था के अन्दर आस्था फैलती। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, आज यह हो रहा है कि कई बार ऐसे समाचार छपते हैं कि फलां एम. एल. ए. के यहां पर चीनी की बोरियां पकड़ी गई। कई बार एम. एल. एज पर यह आरोप भी लगाये जाते हैं कि उन्होंने राशन की वस्तुओं का ब्लैक कर दिया। और ऐसे गम्भीर आरोप लगाने पर भी अगर उनके खिलाफ में कार्यवाही नहीं होती है तो जनता में लोकतन्त्र के खिलाफ में भावनायें बनती हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी के पास उद्योग विभाग है और गृह विभाग है और इस प्रकार से आप अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही नहीं करते हैं और इस प्रकार से आप एम. एल. एज. के खिलाफ में डाकुओं को संरक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की पहले भी सदन में चर्चा हुई थी जब उस समय एक डिप्टी मिनिस्टर श्री शिवचरण जी थे उन्होंने श्री रामकुमार पर डाकुओं को संरक्षण देने के आरोप लगाये थे उस वक्त मैंने कहा ऐसी बात मुझे जंचती नहीं। उसके बाद सन् 72 में श्री रामकुमार के खिलाफ में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया और उसमें उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाये। उस वक्त राज्य सरकार को चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्यवाही करती पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ में जांच करने के बजाय उनको संरक्षण दिया। एक विधायक पर स्पष्ट नाम से यह आरोप लगाये कि श्री रामकुमार ने रामफूल डाकू से महाजनों को उड़ाया और ट्रेक्टर की ब्लैक की, जमीनों पर अवैध कब्जा किया और अगर ऐसे संगीन मामलों में राज्य सरकार उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच नहीं करती है तो इससे ज्यादा दुःख की बात क्या हो सकती है। मेरा तो, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि अगर कोई डाकू कांग्रेस के सदस्य के यहां नहीं पकड़ा जाकर अगर कोई विरोध पक्ष के सदस्य के यहां पकड़ा जाता तो क्या राज्य सरकार इसी तरह का रवैया अपनाती क्या राज्य सरकार उसके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं करती? यह बतायें। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के एडीशनल एस. पी. और डी. वाई. एस. पी. के स्टेटमेंट पर अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो हमें रामकुमार जी के प्रति डाउट होता है। उनकी इन्टीग्रीटी पर डाउट होता है क्योंकि श्री रामकुमार के कमरे में डाकू का पकड़ा जाना और रामकुमार जी यह कहते हैं कि मेरी जानकारी में यह नहीं है। यह गलत है क्योंकि रामकुमार जी यह जानते हैं कि वह पहले उनके यहां पर ड्राईवर था, उनका चुनाव एजेन्ट भी रह चुका है, उनका कार्यकर्त्ता भी था। रामकुमार जी उसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि वह डकैती में भी इनवोल्व था। और डकैती में इन्वोल्व होने के साथ-साथ, मुझे सूचना मिली है कि कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस

(श्री रामकिशन)

मण्डल की मीटिंग हुई थी, उसमें वह शामिल था। इसलिए यह नहीं कह सकते कि आपको घटना की जानकारी नहीं हुई। एक तर्क दिया जा रहा है कि अचानक आकर सो गया और यह उनको मालूम नहीं। जानकारी की थी उसमें साबित है कि डकैतों का उनको सहयोग मिल रहा था। फिर यह कहना कि डकैत को इस तरह से पकड़ा जिससे कि राजनैतिक लोगों की भी स्थिति को साफ कर सके।

अध्यक्ष महोदय, केदारलाल नाम के व्यक्ति ने अपने बयान में यह कहा है कि ये सब घटनायें पहले से होती रही हैं। कांग्रेस का यह अधिकारी है और उसका यह बयान ही काफी है। ऐसी स्थिति में यह बिलकुल स्पष्ट है कि इन सारे मामलों में सरकार चुप्पी साध रही है। केदारलाल नाम का आदमी कांग्रेसी है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की गति-विधियों में शामिल रहा है और इस कारण से डकैती उन्मूलन का कार्य करौली में ठप्प हो गया है। ये सारी बातें आज नहीं दो साल से चल रही हैं और कांग्रेस और अन्य लोग इसको पूरी तरह जानते हैं। इस मामले में साफ है कि श्री राम-कुमार जी मीणा दोषी हैं। मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि इनको सदन की सदस्यता से निष्कासित किया जाय। माननीय मुख्य मन्त्री जी के स्टेटमेंट को एक चुनौती है। क्या साहस दिखाते हैं। यदि आप खड़े होकर कहते हैं कि सचमुच में यह गम्भीर मामला है और आपमें उस तरह का साहस है तो आप को कहना चाहिए। कुछ विधायक नाराज हो सकते हैं। जैसा पहले कहा गया कि श्री हरिदेव जोशी 'अ'ादिकाल' के लिए नहीं आया है किन्तु कुछ घटनाओं के साथ आया है। आपके लिए यह तत्काल मौका आया है। इतना बड़ा मौका तत्काल आया है और ऐसा मौका तत्काल किसी को भी नहीं मिला है। आपके स्टेटमेंट से ही यह फैसला हो जावेगा कि आप इस चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम हैं या नहीं। मेरा रामकुमार जी से कोई परिचय भी नहीं है। न मैं उनको अच्छा तरह से जानता हूं। न कभी उनके बारे में जानकारी की है। लेकिन जिस प्रकार की घटनायें सामने आयी हैं, पुलिस का रिकार्ड जिस प्रकार का है एस. पी. के बयान पहले और गिरफ्तारी के बाद में, इन सबको देखते हुए गिरफ्तार न करना यह मामला शंका वाला है और इसको आपको तत्काल ही स्वीकार कर लेना चाहिए मुझे इतना ही कहना है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की यह घटना कि एक विधायक की उपस्थिति में एक डकैत का गिरफ्तार होना एक नयी चीज नहीं है। मैंने अखबारों में वक्तव्य पढ़ा है हमारे माननीय विधायक का कि मुझे इसका पता नहीं था। अचानक मेरे कमरे में आकर सो गया। मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार की वारदातें होती हैं, जिस प्रकार के हालात सामने आते हैं, जनवेद नाम का डाकू जिससे वहां के लोग पीड़ित हैं और आंतकित हैं, कई बार निवेदन किया इस डाकू से एन्काउन्टर में पुलिस के लोगों की मृत्यु भी हुई है, उसने 26, 27 तारीख के बाद भाग कर यहां आकर

Page No 119

119

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
शरण ली है यह शर्मनाक बात है। हमारे लिये एक चुनौती भी है। यह कह देना कि इससे मेरा परिचय नहीं है, कहां तक सही है? रामकुमार जी को मैं जानता नहीं।

एक माननीय सदस्य : जनसंघ के रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हो सकते हैं। बैठे हैं आप में।

(शोरगुल-व्यवधान)

अगर आपको इस प्रकार से करने से आनन्द आता हो तो करिये।

एक माननीय सदस्य : यह जनसंघियों को चेलेन्ज है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हम बतायेंगे ···

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप क्या बतायेंगे। आपमें दम तो है नहीं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर प्लीज!

श्री भानुकुमार शास्त्री : डकैतों के साथ मिले हुए कौन हैं? क्यों संरक्षण देते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

समय बहुत कम है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : कोई व्यक्ति इसको राजनैतिक रूप देते हैं, दल विशेष का रूप देते हैं क्योंकि कांग्रेस के हैं, उसको जोड़ कर आरोप प्रत्यारोप लगायें तो क्या उस तरह से इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है? इस डाकू की डकैतियों से लोग आतंकित हैं। यह विधायक निवास में तीन दिन पहले आये थे। उस दिन नहीं आये थे।

श्री राजेन्द्रसिंह : जनसंघ के थे पहले थे।

श्री अध्यक्ष : आपको मौका दूंगा।

श्री दीपंकर : किसका वह ड्राईवर था?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

इस स्तर के कार्यकर्त्ता और प्रतिनिधि आपकी ही देन हैं। आज यह सारी की सारी स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा था कि सम्बन्धित व्यक्ति को मैं समय दूंगा जो कुछ कहना चाहेंगे। काम को समाप्त करना है। रामकुमारजी को भी समय दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपका कहना···

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री दीपंकर : यह तो कांग्रेस दल पर आरोप लगाना चाहते हैं।

श्री किशन मोटवानी : एडीशनल एस. पी. का स्टेटमेन्ट है यह। माननीय सदस्य पर योंही चार्ज लगा रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप अपने विचार अपने समय में रखें कौन मना करता है। आप कहते हैं कि उसने जनसंघ का चुनाव लड़ा। जनसंघ में रह कर डकैती का काम करता है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति कहीं किसी दल में न रहें। राजनैतिक वातावरण को शुद्ध बनायें। जनवेद नाम का डाकू ''

एक माननीय सदस्य : पहले डाकू जनसंघी था।

श्री दीपंकर : अगर उसको मालूम हो जाता कि शास्त्रीजी जा रहे हैं तो आपके यहां आ जाता।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरे कहने का मतलब यह था कि कुछ लोग डकैतों का पक्ष लेकर यह चाहें कि राजस्थान में यही वातावरण बना रहे तो राजस्थान में डकैतियां कभी बन्द नहीं हो सकती। रामफूल डकैत कौन है ? कौन उनके सम्बन्धी हैं ?

श्री दीपंकर : इस तरह के डकैतों को संरक्षण देते हैं ......

(शोरगुल)

श्री शंकरसिंह : रिश्तेदार हैं तो क्या वे भी डकैत हो गये ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : डकैत जिसके घर पर पकड़ा जाता है वह भी ऑफेन्स है।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री दीपंकर : ये जनसंघी ही हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ये जितने पूंजीपति हैं सबसे ज्यादा डाकू हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

50 बोल जायें और पचासों इकट्ठे होकर मदद करें तो क्या होता है ··

(पुनः व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन है पहले शास्त्री जी को सुन लें उसके बाद आप लोग कुछ कहना चाहें तो कहें।

एक माननीय सदस्य : दोषी को छिपाने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बार में एक ही माननीय सदस्य बोलें।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

मैं यह निवेदन कर रहा था ···

(शोरगुल-व्यवधान)

कृपा कर सुनिये।

आखिर किसी मर्यादा के साथ बोलना पड़ता है। सब एक साथ बोलें, किसी की कुछ सुने नहीं। सुन भी नहीं सकते, रेकार्ड भी नहीं हो पाती है। आप जो बोलना चाहते हैं आपको भी मौका दे दूंगा तब तो कुछ नतीजा है वरना कोई फायदा नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष जी, इनका बहुमत है। ये चाहेंगे तो भ्रष्टाचार को भी शिष्टाचार बना देंगे।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
हो-हल्ला मचा लीजिये और न सुनना चाहें तो न सुनें ।

श्री अध्यक्ष : आप भी मुद्दे की बात ही कहिये ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा यह कहना है ···

(माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर, अश्रव्य)

आप फिर खड़े होकर बोलिये । कहां से जन प्रतिनिधि बने हैं जिनका कुछ पता नहीं है उनको भी ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है तो क्या मुझे कई दफा निवेदन करना पड़ेगा मेहरवानी करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिये । आप बोलना चाहेंगे तो आपको भी मौका दे दूंगा । कई सदस्य जब एक साथ बोलते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है ···

(पुनः माननीय सदस्यों के बीच में बोलते रहने पर, अश्रव्य)

बीच बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जिन लोगों का डकैतों से सदा सम्बन्ध रहा है और राज्य सरकार के ध्यान में है जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक बयान दें कि राज्य के कई जन प्रतिनिधियों का संरक्षण मिला हुआ है । हम उनको पकड़ सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति में गिरफ्तार करें । वे इस ताक में रहते हैं और यहां आकर रात्रि में विधायक के निवास पर पकड़ लें । जो डकैत सारे शहर को आतंकित करता है, लोगों की जान माल को लूटता है, लोगों की हत्यायें कर चुका हो, कई अपराधों में जो भाग ले चुका हो वह आकर यहां ठहरे और अध्यक्ष महोदय, यह उस दिन ही नहीं ठहरा था—4, 5 दिन ठहरा है । यह विधायक महोदय के पास कई बन्दूकों को खरीदने के लिये आया था । वह चाहता था बन्दूकों का साधन हो जाय और जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी वे यहां रहेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने जाकर उनकी उपस्थिति में पकड़ा है । पुलिस का बयान है कि जन प्रतिनिधियों का संरक्षण मिला हुआ है । उन्होंने अपनी इच्छानुसार घोषणा की है । यदि यह स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो जनता में आक्रोश की भावना बढ़ेगी । साधारण आदमी के पास यदि कोई डकैत पकड़ा जाय तो आप 216 का या किसी कानून के अन्तर्गत उनको प्रश्रय नहीं देते तो फिर एक कांग्रेस के एम. एल. ए. को क्यों छोड़ा जा रहा है, पुलिस ने क्यों नहीं कार्यवाही की । मैं समझता हूं राज्य सरकार समानता का व्यवहार करेगी । अमीर और गरीब सबके साथ कानून को एक रूप से लागू करेगी तो जनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होगा अन्यथा जनता में सन्देह होना स्वाभाविक है और जनता यह समझेगी कि राज्य सरकार डकैतों को प्रश्रय देने में भी नहीं हिचकिचाती है और इससे आक्रोश की समस्या हल नहीं हो सकती है ।

आप चाहते हैं डकैत समाप्त हों, आप चाहते हैं पुलिस उनको संरक्षण न दे और

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

एक ओर आप चाहते हैं इस प्रकार के संरक्षण देने से हम इनको समाप्त कर सकते हैं तो यह कभी नहीं हो सकता है। यह चाहे जनसंघ में हो, चाहे कांग्रेस में हो और यह भी ठीक है कि आप डिफेक्शन करके इसको कांग्रेस में ले गये। मैं समझता हूं इसको जहां रहना चाहिये वहीं है। ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी दल के हों उनको गिरफ्तार आपने क्यों नहीं किया इसका उत्तर दें। मैं इसके बारे में दो प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या 27 मार्च को जो मण्डराई का कडावा ग्राम है क्या यह जनवेद वहां से चलकर यहां आया था—गृह मंत्री जी इसका उत्तर दें। दूसरा करणपुर का जो एनकाउन्टर हुआ था। उस एन्काउन्टर में भी ये थे या नहीं। इन दो बातों का उत्तर माननीय मंत्री महोदय देंगे और यह भी बतायेंगे कि श्री रामकुमार का कन्डक्ट किस प्रकार का रहा है। इस प्रकार का कन्डक्ट जन-प्रतिनिधियों का रहे तो फिर जन-प्रतिनिधियों की कोई शुद्धता नहीं रहेगी। श्री रामकुमार को सदस्यता से निलम्बित किया जाय, मैं यह भी चाहूंगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने गंभीर मसला आया है। किसी एक विधायक के कमरे में डकैत पकड़ा गया। काफी सनसनीखेज खबर है। अखबार में भी पढ़ा और फिर एस. पी. का बयान कि हमको यह मालूम था और हम ऐसे अवसर में थे कि जो राजनीतिक संरक्षण देते हैं उनकी शरण में ही पकड़ें। उसके बाद सुबह अखबार में पढ़ा क्योंकि एक लेकूना ...

(बीच में माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर अश्रव्य)

...ड्राइवर था एम. एल. ए. हैं या क्या है? ईमानदारी से कहता हूं मुझे और कोई बात मालूम नहीं है ...

(पुनः व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिये। अभी आपका शंका दूर हो जायगी।

उसके बाद मैंने मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना। यह मैं कह सकता हूं निर्विवाद कि बिल्कुल बनावटी केस है और इसमें जितना लॉ का इनग्रीडियेन्ट हो सकता है वह है। स्टेटमेंट है कि जनवेद ने न यह कनफेशन किया, रूबरू न मैंने उस डकैती में हिस्सा लिया और न मुल्जिम इस तरह पुलिस को.... (अश्रव्य) ... यह कानून के खिलाफ है। कोई स्टेटमेंट आये तो जज के दिमाग में यह बात जाती है - इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। कोई चीज बरामद हो तो वह मजिस्ट्रेट के सामने आना चाहिये। मैं एक वकील के नाते कह सकता हूं कि लाइट लगी हुई थी और अन्दर बातें हो रही थी—मतलब सोते को पकड़ा है शायद यह रीजन ले लिया जाय आगे। एम. एल. ए. सो रहे थे और एम. एल. ए. ने ही कमरा खोला है, उस व्यक्ति ने बताया लेकिन एम. एल. ए. ने यह बताया कि इनका नाम जनवेद है और सुबह यह आया कि ड्राइवर है। उसके बाद, पुलिस के ढूंढने के बाद तीन दिन पहले फायरिंग हुआ तो क्या पुलिस इस फिराक में थी कि ये शरण देने वाले हैं और इनके पास ही जायेंगे। मुझे इन सब बातों से ऐसा लगता है कि बिल्कुल बनावटी मामला है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ओवर नाइट (अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कत्ल भी हुआ है, डकैती भी हुई है। इसमें सब पूर्ति करके स्टेटमेंट देख ले, डी. एस. पी. का स्टेटमेंट देख लें, ढूंढ़ने के बाद का स्टेटमेंट देख लें। सुबह राजस्थान पत्रिका में आया कि इनकी जान पहिचान है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस पर बहुत ही सोच समझ कर काम करना चाहिए क्योंकि जो केस जितना पक्का और फूलप्रूफ लगे उसके उतने ही बनावटी होने की गुंजाइश रहती है। फिर एक बात और है कि पुलिस के कोई मिले हुए थे या कोई करना चाहते हैं तो इसमें आप कानून पढ़ लेना कि जब तक प्राईमरी ऑफन्स का गुनहगार न हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेन्डर नहीं हो तो उसको जान बूझकर शरण देना गुनाह है या फिर यह साबित हो जाये या जनवेद सजा पा जाये तो ठीक है। लेकिन जब तक जनवेद गुनहगार साबित नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। पहला इनग्रेडीयेन्ट यह है कि डकैती में हिस्सा लेने वाले आदमी को जान बूझकर शरण इन्होंने दी यह साबित उनको करना पड़ेगा। उनको यह साबित करना पड़ेगा कि यह डकैती में था। इसको सजा हो जाये उसके बाद प्रोसीक्यूशन हो सकता है। तो कानून में बहुत सी बातें हो सकती हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब तो पूनमचंद जी को वकालत शुरू कर देनी चाहिए।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का वक्त चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं मुख्य सचेतक महोदय से जानना चाहता हूं कि आपके दल से कितने आदमी बोलना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि दो ती मी बोल लें।
न भाद

श्री हरिदेव जोशी : मेरी अर्ज सुन लें। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर श्री रामकुमार जी कुछ कहना चाहें तो वह कह दें।

श्री चेतराम : सवाई माधोपुर के बारे में हम जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता....

श्री हरिदेव जोशी : आप जानते होंगे लेकिन मैं ज्यादा जानता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर रामकुमार जी कुछ कहना चाहें तो उनको समय दिया जाये और अगर वह कुछ नहीं कहना चाहें तो मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे ही जवाब देना चाहिए।

श्री रामकुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर जो आराप लगाये गये हैं....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सम्बन्धित आदमी को नहीं बोलने देना चाहते हैं?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : जो स्टेटमेंट आया है इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकुमार!

श्री रामकुमार (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत

(श्री रामकुमार)

आरोप लगाये हैं उनका स्पष्टीकरण करने के लिए मैं आपकी सेवा में कुछ जानकारी पेश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर जो आरोप लगाये हैं वह निराधार हैं, तथ्यहीन हैं और बेबुनियाद हैं और दुर्भावनाओं से प्रेरित हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे ऊपर जनवेद को लेकर जो आरोप लगाये हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण में आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तारीख 3-4 अप्रेल की रात्रि को जब जनवेद नाम के व्यक्ति का पुलिस पकड़ने आई उससे करीब आठ, दस मिनट पहले ही श्री जगमोहन जी एम. एल ए. के कमरे से आया और जब मैं कमरे में जाकर कपड़े खोलकर और हाथ धोकर जैसे ही सोने के लिए तैयार हुआ अन्दर के कमरे में कि पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद में तुरन्त ही मैंने दरवाजा खोल दिया। अध्यक्ष महोदय, कमरा खुलने के बाद में कमरे में पुलिस प्रवेश हो गई और उसके बाद मे जो वहां सो रहे थे सब को जगाया और उनसे अपना-अपना नाम पूछा। उनके नाम पूछने पर सबने अपने अपने नाम बताये और उसके बाद में जब जनवेद से उन्होंने पूछा तो उसने अपना नाम शिवचरण बताया और पुलिस अधिकारी बाहर आ गए और बाहर मैंने बताया कि यह जनवेद है और बाथरूम से आगे चारपाई पर सो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में आपसे अर्ज करूं कि यह षडयंत्र कैसे बाया गया और क्या हुआ, यह आपकी जानकारी में निवेदन पेश कर रहा हूं। जनवेद को मेरे यहां लाने वाले ठंडी और केदार हैं। ठंडी नाम का व्यक्ति वहां पर पंचायत का सरपंच है और वह निलम्बित सरपंच है। उसने पंचायत के निर्माण कार्यों की 14,000 रुपये का गबन किया है। दूसरा सहकारी समिति का मंत्री है उसने 5,500 रुपये का गबन किया है। इसके बाप का नाम धानाजी है और इनके नाम पर 12,350 रुपये की तकावी बकाया है। जिसके भाई घमण्डी पर 2,535 रुपया है। इसके बारे में जनता ने शिकायत की और कलेक्टर ने शिकायत की इन्क्वायरी की और उसके बाद यह पाया गया और सारा गबन पाया गया और कलेक्टर साहब ने गवर्नमेन्ट को रिपोर्ट भेजकर इसको सस्पेण्ड कर दिया। इसी प्रकार सहकारी समिति का मंत्री है और मंत्री होकर सहकारी समिति के अध्यक्ष को हटाते रहे और चीनी का मन चाहे जिस को डीलर बनाते रहे। यह, अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी कहानी है कि पंचायत और तहसील के रेकार्ड से साबित हो जायेगा। उसके बाद में इसने ऐसा गड़बड़ घोटाला किया। इसी प्रकार से केदारलाल जो महाजन जो महमनपुर के है उन्होंने गुड़ खण्डसारी सोसायटी की जमीन को बेच दी और दस हजार की जमीन को बेचकर उस रकम को कहीं भी रेकार्ड मे जमा नहीं किया और उसका सारा गबन किया है। इसी प्रकार इन्होंने 346 मन गेहूं और बीज तथा अन्य खाद आदि में गड़बड़ घोटाला किया। 4,500 रुपये बीज के खा गया और 346 मन गेहूं जिसको काफी समय हो गया वह वसूल करके खा गया और उसने गबन कर रखा है। जिसकी

(श्री रामकुमार)

जांच करवाई गई है, जांच करवाने के लिए मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन किया गया और मुख्य मन्त्री महोदय के आदेश के बाद जांच हुई और जांच होने के बाद इसकी रिपोर्ट हुई लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब यह सिद्ध हुआ कि उसने गबन और घोटाले किए हैं। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, 16 बोरी चीनी जो डीलर नहीं था, दूसरी जगह का डीलर बन कर गोदामों का नक्शा बना कर चीनी लाया और अपने घर में चीनी को रख कर ब्लैक करता रहा। वहां के एस. डी. ओ. साहब से जनता ने शिकायत की, मैंने शिकायत की थी और एस. डी. ओ. साहब ने छापा मारकर 16 बोरी चीनी बरामद की है लेकिन पुलिस ने कोई तफतीश नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर पुलिस तफतीश करती और सारी गड़बड़ नहीं मिले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह सारी बातें हैं और इसके लिए बराबर निवेदन करता रहा हूं लेकिन कुछ नहीं किया। जनता के किसी के बयान नहीं लिए बल्कि झूठे बयान लिखकर यह सब कुछ किया गया है, इस प्रकार के इनके कारनामे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सारे मामलों की सारी इन्क्वायरी कराने के लिए एडीशनल एस. पी. को कहना है। एडीशनल एस. पी. के जो कारनामे हैं उनके लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि एडीशनल एस. पी. की जांच करवाई जाय और अगर एडीशनल एस. पी. दोषी साबित नहीं होता है तो मुझे कटघरे में खड़ा कर दें, नहीं तो एडीशनल एस. पी. को अन्दर भेजा जावे।

अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों की रंजिश रखते हुए और मेरे विरुद्ध यह षड-यन्त्र रचने के लिए यह एडीशनल एस. पी. का प्लान था और वह उसको यहां लाया लाकर के मेरे कमरे में सुलाया गया। मैं जगमोहनसिंह जी के कमरे में था। जैसे ही अपने कमरे में गया हूं, आठ दस मिनिट के बाद ही पुलिस वहां गई है, मैंने उसका नाम बतलाया। वह नाम मैंने बतलाया और मैंने ही उसको पकड़वाया है। अध्यक्ष महोदय, एडीशनल एस. पी. ने सारे मामलों को, अपने कार-नामों को छुपाने के लिए एक षड्यन्त्र रचा था। मेरे को फसा कर किस तरह से उनको बचाया जाय इसलिए इन सारी बातों के आरोप मेरे पर लगाये गये हैं और बदनाम करने की चेष्टा की है। अध्यक्ष महोदय, डाकुओं से मेरा किसी तरह का अगर सम्बन्ध साबित होता है तो विधायक महो-दय, जो फरमाते हैं भानुकुमार जी शास्त्री आप सपोटरा पधारें, वहां के बच्चे-बच्चे से पूछ लें कि रामकुमार का डाकू से क्या सम्बन्ध है? अगर इन लोगों का गलत तत्वों से सम्बन्ध साबित हो जाय तो आप इस्तीफा दे दें वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इन पांच सालों के पीरियड में जनसंघियों ने मुझे हराने की चेष्टा की है और जिसके प्रूफ हैं जिसका आप लोगों को सारी बातों का पता है। किस प्रकार से षड्यन्त्र रचा है और आज भी जनसंघी और ये सब मिलकर सपोटरा के बच्चे-बच्चे से पूछ लें, जनसंघ वालों ने डाकुओं के साथ मिलकर यह सारी बातें की हैं। उसके साथ इनका पुराना सम्बन्ध रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर विधायक

(श्री रामकुमार)

महोदय ने यह भी आरोप लगाया कि केदारलाल अध्यक्ष है, केदारलाल जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, उसके लिए पेम्फलेट दिया है। उस पेम्फलेट को लेकर मैंने दफा 501 का केस कर रखा है लेकिन जब से मैं विधायक बना हूं ब्लॉक कांग्रेस के, मण्डल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। पहले रहे हों यह मेरी जानकारी में नहीं है। अभी कोई अध्यक्ष नहीं है, किसी पद पर नहीं है। लाग खुद की दृष्टि से देखते हैं कि उनके कितने गबन के कारनामे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक उन्होंने यह आरोप लगाया कि सन् 1967 में मैं जनसंघ में था। मैं जनसंघ से लड़ा था और उन्होंने जो साथ दिया था तो जनवेद भी था। मैं जब कांग्रेस में मिल गया तो तभी से यह रंजिश पैदा हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बदनाम करने के लिए यह सब षड्यन्त्र रचे गए हैं। यह सारी विकृतियों को लेकर मुझ पर, अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाए गए हैं कि रामकुमार का रिश्तेदार है रामफूल। अगर रामफूल मेरा रिश्तेदार हो तो, अध्यक्ष महोदय, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, कटघरे में जाने को तैयार हूं और अगर मेरी जीप का ड्राइवर रहा हो तो मैं इस बात के लिए रिजाइन करने के लिए तैयार हूं, नहीं तो विधायक रिजाइन दे दें।

अध्यक्ष महोदय, यह सारा षडयन्त्र मेरे विरुद्ध अपने सारे कारनामों को दबाने के लिए झूठे सच्चे किस्से गड़कर और प्रोपेगण्डा किया गया है मेरे को बदनाम करने के लिए। मेरा बदनामी की गई है और अध्यक्ष महोदय, यह तो सारी बातों से स्वतः ही सिद्ध होता है। आप लोग कहने लगे कि रामकुमार हमारे जनसंघ से जीता। जब मैं जीता था तो सात हजार वोटों से जाता था और कांग्रेस में मिल गया और उसके बाद मेरे विरुद्ध प्रचार करने के बाद भी मैं लगभग 14-15 हजार वोटों से जीता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पर जो आरोप लगाए गए हैं वे गलत आरोप लगाए गए हैं, तथ्यहीन हैं, निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, मतलब यह है कि किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध मेरा जनवेद से नहीं है, न किसी प्रकार का मैं दोषी हूं। इन मामलों की जांच जैसा समझे वैसे नेता महोदय करा लें, किसी उच्चाधिकारी से करा लें, सी. बी. आई. से करा लें, किसी भी तरह से करा लें, जिससे उचित समझें उससे करा लें। अगर जांच में कहीं भी दोषी साबित होता हूं तो हर तरह से सजा मानने को तैयार हूं। इसके अलावा ...

(मुख्य मंत्री महोदय के बोलने के लिए खड़े होने पर)

नेता महोदय मेरी बात सुन लें। अध्यक्ष महोदय, मेरा सार्वजनिक जीवन है और सार्वजनिक जीवन होने के कारण मैं डाकुओं से लड़ता रहा हूं और पुलिस से लड़वाता रहा हूं। पुलिस डाकुओं से मिली रहती है ...

(शोरगुल-अश्रव्य)

अगर यह साबित हो जाय कि मेरा डाकुओं से सम्बन्ध है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष, महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं ...

कई माननीय सदस्य : आप पहले बोल चुके हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : आप इस्तीफा देना चाहते हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : शास्त्री जी ...

(अनवरत शोरगुल-अश्रव्य)

आपका भाषण हो चुका है ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक मिनिट में बात कहना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह : शास्त्री जी इस्तीफा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में खत्म करिये।

श्री विजयसिंह : इस्तीफा तो आधा मिनिट में हो खत्म हो सकता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमारे माननीय विधायक महोदय ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए यह कहा कि संसद में सन् 67 में जनसंघ से विजयी होकर आए, इतने हजार वोटों से विजयी होकर आए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं उनको। लेकिन उनकी नैतिकता तो इसी से पता चल जाती है कि जनसंघ के नाम पर जीत कर आए और सुखाड़िया जी से पैसे लेकर कांग्रेस में मिल जाना यह कहां कि नैतिकता है।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय !

श्री भानुकुमार शास्त्री : नैतिकता तो यह होती कि पहले वह पद से त्याग-पत्र देते और फिर चुन कर आ जाते ...

(अनवरत शोरगुल-अश्रव्य)

आप सुखाडिया जी से पैसा लेकर उधर बैठ गए।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय !

(अनवरत शोरगुल जारी-अश्रव्य)

मुख्य मंत्री जी !

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री जी ने इस घटना के बारे में विस्तार से सारी बातों को बतला दिया है। यह एक तथ्य है कि रामकुमारजी के कमरे में जनवेद नाम का व्यक्ति जो डाकू है, पाया गया। उससे न रामकुमारजी इन्कार करते हैं और न सरकार इन्कार करती है। प्रश्न यह है कि क्या डाकू को रामकुमारजी ने पनाह दी और क्या वे इस बात के गुनाहगार हैं और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस केस का इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। इसके अन्दर कई ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए यहां पर। मगर क्योंकि चीज आ गई है इसलिए

(श्री हरिदेव जोशी)

जो बातें हमारे मानस के ऊपर और सरकार के ऊपर वो करती हैं उनके बारे में वह इन्फ्लूएन्स करती हैं कोई एक्शन लेने या नहीं लेने में। किसी घटना को, सुन लीजिए, इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी को डाक में खड़ा करना है। एक तथ्य यह है कि रामकुमारजी के कमरे में जनवेद मिला और उतना ही बड़ा तथ्य यह है कि जनवेद ने अपना नाम शिवचरण बतलाया और यह सुन कर के पुलिस जा रही थी और श्री रामकुमार बाहर निकले और उन्होंने कहा, यह शिवचरण नहीं है यह जनवेद है और अमुक गांव का है। तब एडीशनल एस.पी. वापिस गये कमरे में और उसको आंख बतायी और पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम जनवेद है। जिसने गिरफ्तार किया वह आदमी इस बात को कह रहा है। जिसने रामकुमार के कमरे का दरवाजा खुलवाया वह आदमी इस बात को कह रहा है। तो इस तथ्य से भी इन्कार नहीं कर सकते। जब इस चीज को अस्वीकार नहीं कर सकते तब यह एक बहुत बड़ी बात है। तब यह कहा जाता है कि गवर्नमेन्ट को तत्काल रामकुमार को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या रामकुमार डकैत को हार-बर करने का दोषी है। बहुत मुमकिन है कि मैं भी इस बात की दलील नहीं दे रहा हूं, मैं इस बात को प्लीड नहीं कर रहा हूं कि रामकुमार दोषी नहीं है। मगर एक बात मैं यह कहता हूं, वह यह है कि प्रोफेसर साहब ने दो दिन पहले की घटना है, मैं प्रोफेसर साहब से पूछ रहा हूं कि आपके यहां पर कुछ लड़के ठहरे थे, गंगा-नगर के थे। उन्होंने जाकर वाइस चांसलर के दफ्तर में गड़बड़ की। तो अब क्या इसमें आपको दोषी माना जाये क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे रामकिशन जी के यहां भी गये थे और उसके बाद मेरे यहां आये थे।

श्री रामकिशन : ठहरे नहीं थे, आये थे इम्तिहान के सम्बन्ध में। आपके पास भी भेजा था।

श्री केदारनाथ : मैंने ही आपके यहां भेजा था।

श्री हरिदेव जोशी : जैसी भी सुविधा हो अपने पास भी बिठा लेते हैं और सुविधा न हो तो दूसरे के पास भेज देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपस में बांट लेते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को अपने विवेक से भी काम लेना है और मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जिस दिन रामकुमारजी इस केस में दोषी होंगे और डकैत को हारबर करने में इस बात के लिए मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा उनको गिरफ्तार कर लूंगा। मगर कोई मजबूर करना चाहे, चाहे मैं सन्तुष्ट न होऊं और कहे गिरफ्तार किया जाये तो मैं उनको गिरफ्तार नहीं करूंगा इसलिए नहीं करूंगा कि वे एक एम. एल. ए. हैं। साधारण आदमी होता तो दूसरी बात होती मगर इसलिए नहीं कि वे एम. एल. ए. हैं। इसलिए नहीं कि वह मेरी पार्टी में है बल्कि इसलिए कि वह एक एम. एल. ए. हैं। जनता के चुने

(श्री हरिदेव जोशी)

हुए प्रतिनिधि हैं। मैं समझता हूं कि वे भाग कर नहीं जा सकते। इसलिए उनको गिरफ्तार उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सौ पर्सेन्ट कन्वीन्स न हो जाऊं कि वे गुनहगार हैं। एक स्थिति बहुत स्पष्ट है। दुर्भाग्यवश सवाई माधोपुर जिले की राजनीति जो है, वहां पर लोग एक दूसरे की टांग खींचने में कहीं कोई कसर नहीं रखते हैं। वहां पर लोग एक दूसरे को मेलाइन करने में कहीं कोई कसर नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन को सावधान रहना पड़ेगा। फेस वेल्यू के ऊपर ता यह देखते हैं कि रामकुमार के कमरे में जनवेद मिला। मगर मैं रामकुमार को इतना—मुझे यह नहीं कहना चाहिये। यह कह सकता हूं, फिर जिस दिन गवर्नमेन्ट कन्वीन्स हो जाएगी कि रामकुमार का किसी भी तरह से डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली, कहीं कोई सम्बन्ध है, जो एलीगेशन लगाये गये हैं, वे सही हैं तो गवर्नमेन्ट उनको नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज की तारीख तक जो इत्तला मिला है वह डी.आई.जी., सी. आई. डी. एडीशनल एस. पी., सवाई माधोपुर से पूछा है कि क्या तुमने इस प्रकार का कोई स्टेटमेन्ट दिया है। उन्होंने कहा है, मेरी जानकारी के अनुसार यह सही नहीं है। मेरे नाम से किसी ने गलत निकाला है। मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं। मगर एडीशनल एस पी. ने इस प्रकार का कोई स्टेटमेन्ट दिया है, वह कोई नहीं है—एक एम.एल.ए. को गिरफ्तार करने के लिए? इसलिए गवर्नमेन्ट ने अभी तक श्री रामकुमार को अरेस्ट करने के लिए अथवा किसी प्रकार का कोई कदम उठाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। जिस क्षण हम सन्तुष्ट हो जाएंगे, उस दिन तत्काल कार्यवाही करेंगे। अभी सस्पेण्ड करने का कोई सवाल नहीं है बल्कि तब कांग्रेस से निकाल देंगे। इसके लिए पार्टी में कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पार्टी के लीडर को अधिकार है, वह कार्यवाही कर सकता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बारे में आप मेहरबानी करके कोई सजेशन मत दीजिये। आप सजेशन अपने तक ही रखिये।

श्री रामकिशन : आपको याद दिला देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : एक बात और माननीय रामकिशन को कहना चाहता हूं....

श्री रामकिशन : प्यार से नहीं, गुस्से में कहिये....

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कैसे दस्तखत कर दिये, स्थगन प्रस्ताव पर। गलती से कर दिए होंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह अत्यन्त ही गंभीरतापूर्वक कहा है और हम इसको सीरियसली ले रहे हैं परन्तु यहां पर किसी प्रकार का वातावरण बनाकर आप चाहें कि रामकुमार को गिरफ्तार करवा दें तो उस वातावरण से रामकुमार को गिरफ्तार नहीं करवाया जा सकेगा। इसलिए मैं हाउस को यह अश्योरेन्स देता हूं कि जिस दिन गवर्नमेन्ट की निगाह में रामकुमार दोषी साबित हो जायेगा, वे यहां पर नहीं बैठेंगे, घर पर नहीं बैठेंगे, वे उस दिन जेल के सीखचों में होंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक प्रश्न है ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं । माननीय रामकुमारजी ने इस सदन में अपना स्पष्टीकरण दिया है । उसमें एक बात उन्होंने यह कही है कि यह पुलिस का षड्यन्त्र था । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं ये दो तथ्य सामने आये हैं —एक तो यह कि रामकुमार के कमरे में डकैत मिला तो उसके संरक्षण का सवाल है । रामकुमार का यह कहना है यह पुलिस का षडयन्त्र है । तो क्या आपने इन दोनों तथ्यों की जांच करवायी है । उन्होंने खुद ने कहा है, एडीशनल एस. पी. का उनके विरुद्ध यह षडयन्त्र है । तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है । दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि सन् 72 में रामकुमार के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया था और उसमें कई प्रकार के गंभीर आरोप थे । तो क्या उसकी आपने जांच करवायी है । अगर आपने जांच नहीं करवायी है तो इसका मतलब यह है आप जांच नहीं करवा कर इनको दबाना चाहते हैं । अगर जांच में यह आरोप गलत साबित होते हैं तो इनका चरित्र उभर जायेगा वरना इनका चरित्र सन्देहास्पद बना रहेगा । मेरा यह आग्रह नहीं है कि रामकुमार को गिरफ्तार किया जाये । परन्तु यह कहना है कि एम. एल. ए है इसलिए गिरफ्तार नहीं करूंगा, यह उचित नहीं है । एम. एल. ए. पर भी सामान्य कानून लागू हैं । कोई विशेष कानून इनके लिए नहीं है । ऐसी हालत में ये जो स्थितियां हैं, उनमें यह इन्क्वायरी का विषय है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : प्रश्न यह है एक तरफ तो पुलिस ...

श्री रामकुमार : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मूलचन्द सामरिया : एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि पुलिस का षड्यन्त्र है और वह डाकुओं से लोहा ले रहे हैं और उनके क्षेत्र में पुलिस डाकुओं से मिलकर डाके डलवाती है । तो इसकी एन्क्वायरी करवाना चाहिए । यह बहुत गम्भीर मामला है ..

श्री अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह आप कुछ कह रहे थे पुलिस के षड्यन्त्र की ।

श्री रामकुमार : मैंने निवेदन किया था कि एन्क्वायरी एडिशनल एस. पी. से मत कराइये और किसी से भी करा लीजिये और तय कर लीजिये कि किस प्रकार की किसकी गलती है मेरी गलती आ जायगी तो उसके लिए मैं सब तरह से तैयार हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यही बात कह रहा था कि जल्दबाजी में बात नहीं कहना चाहता हूं और न फैसला देना चाहता हूं, किन्तु स्पष्ट रूप से यह है कि रामकुमारजी दोषी हों इस बात में आज तारीख तक कन्वीन्स नहीं हो पाया हूं । रह जाता है कि जो पहले रामकुमारजी ने कहा है उसको भी और जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उनको भी, उनके जो नीचे के स्तर के अधिकारी हैं और उनके पास में जो केसेज हैं उनसे हटाकर मैं डी. आई जी., सी. आई. डी. को इन केसेज को सुपुर्द कर दूंगा जो कि इसकी जांच करेंगे ।

लेवी वसूली के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : खाद्य मंत्रीजी !

श्री गुमानसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, लेवी के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव आया था उसके बारे में ···

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे उसके बाद में खाद्य मंत्रीजी !

(2.35 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, निरन्तर 8 बजे से हम लोग बैठे हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घन्टे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय खाने के लिए। लगातार कार्यवाही चल रही है। हमने भोजन भी नहीं किया और पानी भी नहीं पिया है। यह इतना गम्भीर है कि भूख भी उसमें वह निकल जायगी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा समझता हूं कि सदन की कार्यवाही चलती रहे और जो माननीय सदस्य इसमें रुचि लेना चाहते हैं वह रह जायें। अभी यह स्टेटमेंट तो हो जाय उसके बाद में····

एक माननीय सदस्य : आधा घन्टे के लिए ब्रेक रख दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : भूखे मरते बैठे रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह पर्सनल इन्ट्रेस्ट और रुचि का सवाल है।

श्री रामकिशन : यह हाउस का इन्ट्रेस्ट है। बड़ा इम्पॉर्टेन्ट सवाल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खाद्यमन्त्री का काम सबको भूखे मारना ही है क्या? इसकी जिम्मेवारी आपने ही ली है?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। (खाद्य-मन्त्री से) आप प्रारम्भ कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके कर्मों के लिए तो आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं जायगा।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : आपने बुरे कर्म किये होंगे तो आप भुगतेंगे और मैंने बुरे कर्म किये होंगे तो मैं।

श्री केदारनाथ : भूखे पेट कुछ बात नहीं बोल सकेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : मैं स्टेटमेंट दे देता हूं। आप बारी-बारी से खाना खा आइयेगा और मैं बोलता चला जाऊंगा।

इस सदन में लेवी के सम्बन्ध में वक्तव्य देने की मांग की गई थी। उसके अनुसार मैं यह वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

राजस्थान सरकार खाद्यान्न के बारे में राष्ट्रीय नीति का सदा ही अनुसरण करती रही है। देश की खाद्यान्न वितरण-प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से चलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में गेहूं प्राप्त करना आवश्यक है। गत वर्ष 1974-75 में व्यापारियों पर लेवी लगाई गई थी लेकिन व्यापारियों द्वारा असहयोग के कारण इसमें अपेक्षित

(श्री शिवचरण माथुर)

सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अतएव राज्य सरकार के पास उत्पादकों पर लेवी लगाने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय शेष नहीं रहा था और बाद में उत्पादकों पर लेवी लगाकर गेहूं की वसूली की गई थी। बाद में खरीफ 1974-75 में ज्वार एवं धान (पेडी) पर ही लेवी लगाई गई थी।

इस वर्ष उत्पादकों पर लेवी लगाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा समय पर ही लिया गया और राजस्थान गेहूं वसूली (उत्पादकों पर लेवी) आदेश, 1975 दिनांक 25-4-75 को जारी किया गया इस सम्बन्ध में विधान सभा में भी ठीक समय पर लेवी सम्बन्धी नीति के बारे में माननीय सदस्यों को परिचित करा दिया गया था तथा फसल कटने के साथ ही लेवी वसूल करने के आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये। प्रारम्भ में यह सोचा गया कि पिछले साल चूंकि विशेष परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर पटवारियों तक को इस काम में लगाया गया था, लेकिन इस वर्ष चूंकि उचित अवसर पर लेवी नीति की घोषणा कर दी गई थी और उसके अनुसार आवश्यक कदम भी उठा लिए गये थे इसलिए भारतीय खाद्य निगम तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को लेवी का अनाज खरीदने के लिए कहा गया। इन दोनों एजेन्सीज द्वारा करीब 1500 क्रय केन्द्र सारे राजस्थान में खोले गये, लेकिन इस सत्र में विधान सभा में माननीय सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि काश्तकारों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक पटवार मण्डल पर एक क्रय केन्द्र स्थापित किया जाय। इसके लिए सम्बन्धित राजस्व पटवारी, गिरदावर, एवं अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का पूर्ण उपयोग किया जाना है तथा आवश्यकतानुसार लेवी के लिए अग्रिम राशि, बारदाने आदि की व्यवस्था भी की जा रही है।

गेहूं वसूली का कार्य राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम तथा भारतीय खाद्य निगम पब्लिक एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है। समय पर भुगतान न करने तथा अन्य कुछ शिकायतें एवम् कठिनाइयां राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं जिनको दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं और इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है कि भुगतान एवम् तोल आदि के बारे में कृषकों को किसी प्रकार की कठिनाई न होने पावे और जहां तक संभव हो उनका माल उसी दिन तुल कर उन्हें भुगतान प्राप्त हो जाय।

राज्य के कुछ भागों में गेहूं के साथ जौ अथवा चना भी बोया जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने गत दिनों काफी व्यग्रता जाहिर की थी जिन लोगों ने गोजरा अथवा गोचनी बोई है उनसे लेवी में गेहूं वसूली करने पर जोर न दिया जावे। इस पर राज्य सरकार ने विचार कर यह निर्णय लिया है कि ऐसा भी गेहूं लेवी में स्वीकार कर लिया जायगा जिसमें जौ अथवा चना 30 प्रतिशत तक हो। मुझे आशा है कि इससे सभी प्रभावित कृषकों को उचित सुविधा प्राप्त होगी।

इसी सदन में गत दिनों में माननीय सदस्यों ने कुछ शिकायतें इस प्रकार की भी की थीं कि पटवारियान द्वारा गिरदावरी

(श्री शिवचरण माथुर)

करते समय गलत इन्द्राज कर दिये हैं जिससे काश्तकारों को अनावश्यक असुविधा हो रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में की गई मुख्य मन्त्री द्वारा गलत इन्द्राजों के बारे में आवश्यक जांच करें और यदि किसी जमीन में गेहूं वास्तव में नहीं बोया गया है और इसका इन्द्राज कर दिया गया है तो उससे लेवी नहीं ली जाय ताकि काश्तकारों को अनावश्यक कठिनाई न हो।

मुझे हर्ष है कि कृषकों ने पूर्व की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार को सन्तोषजनक सहयोग दिया है। राष्ट्र उनका इसके लिए आभारी रहेगा। विभिन्न जिलों में अभी तक लगभग 2,000 टन लेवी प्राप्त की जा चुकी है जब कि गत वर्ष इस विधि तक की वसूली 600 टन थी। आशा है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से राज्य के लिए गेहूं वसूली का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

इस वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्व मैं सदन को तहसील रेवदर, जिला सिरोही में हाल में हुई एक घटना के बारे में सूचना देना चाहूंगा। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस घटना के तथ्य इस प्रकार हैं:—

दिनांक 28-4-75 को ग्राम दांतराई, तहसील रेवदर, जिला सिरोही में लेवी अनाज की वसूली के लिए केन्द्र चालू किया गया था। कुछ लोगों ने लेवी वसूली का विरोध किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लेवी जमा कराने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा जिलाधीश व ए. पी. ने भी ग्राम दांतराई पहुंच कर काश्तकारों को समझाया। जिलाधीश के वहां से जाने के बाद जनसंघ कार्यकर्ता श्री तेजमल शाह तथा उनके साथियों ने लोगों को भड़काया कि लेवी मत दो। उनके भड़काने पर ढोल बजाकर लोग एकत्र हुए तथा लेवी केन्द्र दांतराई, पुलिस चौकी तथा पटवारघर पर हमला किया। तहसीलदार, सरपंच, पटवारी, एस. डा. एम. के रीडर, क्वालिटी इन्सपेक्टर तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के एजेन्ट के साथ मारपीट की व उन्हें चोटें पहुंचाई। हमलावर लोग वसूल किये गये अनाज को लूट कर ले गये तथा एजेन्ट का कुछ रुपया भी गायब हो गया। इस मारपीट व धक्काधूम तथा भगदड़ में कुछ लोग गिर पड़े तथा उनके मामूली चोटें आई। उक्त अधिकारियों को मारपीट के बाद जबरदस्ती पकड़कर पंचायत घर पर रखा गया तथा बाद में अतिरिक्त पुलिस आने पर उन्हें मुक्त कराया जा सका।

"इस घटना के सम्बन्ध में थाना अनादरा में मुकद्दमा संख्या 12 तथा 13 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 393 तथा 395 भा. द. सं. दर्ज किये गये तथा पहले 13 मुल्जिमान को व बाद में 1 मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमों में श्री तेजमल शाह भी सम्मिलित हैं। किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के आदेश से मुल्जिमान की डॉक्टरी जांच की गई। जिसमें केवल दो के मामूली चोटें आना पाया गया। श्री तेजमल शाह तथा अन्य मुल्जिमान के कोई चोट आना नहीं पाया गया। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया। सभी मुल्जिमान इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।"

श्री केदारनाथ : आपका टार्गेट कितना है लेवी का ?

श्री शिवचरण माथुर : एक लाख क्विन्टल का है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो जिनका स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था । सरकार ने जो घोषणा की है, उससे अनेक लोगों को राहत मिल सकती है । गोजरा और गोचनी में 30% की छूट दी है 30 प्रतिशत उससे कम है, उस पर लेवी नहीं लें । अगर किसी गेहूं में 10% चना हो तो उसे गोचनी माना है । 10% जो है तो गोजरा मानते हैं । तो उसको आप उसी रूप में लेते हैं । यह तो वही बात होगी जैसे आप गेहूं लेते थे । किसानों के सामने दिक्कत होती है । लेते हैं तो और नहीं लेते हैं तो । यह कह सकते हैं कि जैसे किसी किसान ने मिलकर गोजरा या गोचनी लिखा दी है और गिरदावरी पक्की हो चुकी है तो कोई गुंजाइश नहीं है । अगर पटवारी करता है, और छूट देने का अधिकार है तो देता है । या इतना नहीं करता है । या इमिजिएट कोई शिकायत होती है । किसी का जौ है और गेहूं लिखा हुआ है एक गरीब आदमी जो अपने परिवार के पालन-पोषण करने के लिए पैदा करता है । उससे आप क्यों लेवी लेते हैं । मैं रिपीटेडली निवेदन करता आ रहा हूं कि किसी ने 10 बीघा बोया है । इससे उसके परिवार का ही खर्चा नहीं चलता है तो क्या 10 बीघे वाले किसान को आप मजबूर नहीं करते हैं कि 105 रु. में वह अपना अनाज तोले । और फिर 5-7 महीने के बाद जब उसको खाने की जरूरत होगी तो फिर क्या वह बाजार से मंहगे भाव में खरीद कर लायेगा ? क्या यह सरकार अन्याय नहीं करेगी ? जिस समय आपको गेहूं देगा, उस समय बाजार में 175 का भाव होगा । खाने के लिए उसे खरीदना पड़ता है । इस प्रकार से यह हुकूमत अपने को समाजवादी कहलाने के बावजूद शोषण करती है । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि लेवी में आप जो कुछ ले रहे हैं, वह 105 रु. की कीमत में ले रहे हैं । उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत डिफरेन्स है । उसके बदले में उसको कुछ ग्रान्ट दे दी जाय । उसको कपड़ा सस्ता दिलायें । और उसी की दूसरी आवश्यकता की चीजें हैं । आप कुओं के अन्दर बिजली देने में अपने को असमर्थ बताते हैं । आपके पास सामान नहीं है । चीजों की कीमत बढ़ी है । उसमें रिलीफ देना नहीं चाहते हैं । किसानों से लेवी लेते हैं । बड़े बड़े उद्योग-धन्धों को आप राहत देते हैं । उसके बदले में वह लोग अनाप-शनाप मुनाफा उठाते हैं । जो आप उनको कण्ट्रोल रेट पर देते हैं वह ब्लैक में बेचते हैं । कितनी कॉस्ट पर बेचते हैं ? किसान गेहूं पैदा करे तो उसका लेवी देनी पड़ती है । और बदले में उनको कोई आवश्यकता की चीज नहीं दी जाती है । मान्यवर, जब

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अकाल पड़ा था तो मेजोरिटी किसान परिवारों ने गाजर खाकर दिन निकाले हैं। किसी अधिकारी ने जाकर उनसे यह नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। किसान जब अपने खाने के लिए गोजरा और गोचनी पैदा करे तो आप उससे लेवी लेते हैं। माननीय मन्त्री महोदय पधारे हैं और मुख्य मन्त्री पधारे हैं। गोजरा और गोचनी का बताया है। दो चार जगह कुओं में पिलाई आती है। वहां पर किसान गोजरा के साथ में गोचनी भी डाल देते हैं। यह समस्या जयपुर जिले की है। यहां पर राजाओं के समय में सिंचाई का साधन जमवा रामगढ़ का बन्ध था। वह सुविधा सरकार ने समाप्त कर दी है। अब वह गोजरा और गोचनी की फसल अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। उनको आप लेवी देने के लिए मजबूर करेंगे। इससे बड़ा आप का अन्याय और क्या हो सकता है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

हर परिवार से आप लेवी लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्टेटमेण्ट सुना नहीं है?

श्री मूलचन्द सामरिया : सुना है। लेवी के जरिये से उनके गेहूं को शहर में लाकर बड़े-बड़े सेठियों को लाकर देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और जो किसान की जरूरत की चीजें हैं, उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल!

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में सभी पार्टियों ने यह माना है कि देश में लेवी वसूली की व्यवस्था को रखना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि किस रूप में वसूली की जायेगी? उसकी कीमत क्या होगी? यह राज्य सरकार के हाथ में तय करना है। राज्य सरकार खुद भी यह मानती है कि 105 रु. इस मंहगाई के जमाने में जिस रूप में पैदा होता है, उस रूप में बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि इसके बदले में किसानों को उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को देना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा और मैं यह देख रहा हूं कि असल में चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों। यह सभी मानते हैं। और माननीय मन्त्री महोदय जब कहेंगे तो वह यही कहेंगे कि किसानों को जितनी आवश्यकता की वस्तुयें हैं, वह हम सभी दे रहे हैं। उनकी आवश्यकता की जितनी वस्तुएं हैं, वह सभी उनकी आवश्यकता की वस्तुयें हैं। आज के समय में सीमेण्ट, कैरोसीन और डीजल नहीं मिलता है। किसानों से जो यह गेहूं वसूल करते हैं, उसमें हमें विरोध है ही। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी यह मान लिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आज का जो लेवी का स्टेटमेन्ट है, पूर्व घोषणा के बावजूद मेरे विचार से लेवी वसूली के लिये कोई खास समस्या नहीं रह जाती है। पटवार सर्किल पर और गिरदावरी सर्किल पर जो सरकार ने निर्णय ले लिया है वह समस्या काफी हद तक हल हो रही है। परन्तु

(श्री मीठालाल मीणा)

सख्ती से जो लेवी वसूल करने का काम है उसको मैं उचित नहीं समझता हूं । यह मैं मानता हूं कि सख्ती की समस्या भी आ सकती है लेकिन लेवी नहीं देने पर उनको और तरीके से भी समझाया जा सकता है। जैसे कई तहसीलों में कुओं पर काम करने के लिये सीमेन्ट और मोटर के लिये डीजल नहीं मिल पाता है वहां पर माननीय मन्त्रीजी को चाहिये कि वह खाद और सीमेन्ट और दूसरी राशनिंग की चीजों की व्यवस्था करें और उन किसानों के मन में जिससे जागृति की भावना पैदा हो जाय कि जहां एक तरफ राज्य सरकार लेवी लेती है तो उसके बदले में सस्ता कपड़ा या राशनिंग की चीजें भी समय पर उपलब्ध करा रही है। पहले भी सीमेन्ट उपलब्ध होता था, लेकिन अब उसको विश्वास हो जायगा कि समय पर यह सब चीजें उपलब्ध हो सकेंगी । उपाध्यक्ष महोदय, बदनामी तो अपोजीशन पार्टी की होती है कि वे लेवी वसूली में सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं और दिक्कतें पैदा कर रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इस ओर ध्यान देंगे कि उन्होंने राजस्थान में जो घोषणा की है कि बीस हजार टन लेवी वसूल कर चुके हैं । इसमें कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आयेगा । यह वसूली किन-किन जिलों में और किन-किन तहसीलों में हुई है। 12 हजार टन से भी अधिक जयपुर संभाग में हुई है। इसमें से 9 हजार टन लेवी दौसा संभाग से हुई है। माननीय खाद्य मन्त्रीजी भीलवाड़ा से आते हैं, उनके क्षेत्र में कितनी हुई है ? भीलवाड़ा से कुछ भी लेवी वसूल नहीं हुई है ।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : बता दूं, कितनी हुई है ।

श्री मीठालाल : कितनी हुई है, आप बता दें ? अधिकतर गिरफ्तारियां वहीं से हुई हैं जहां से सत्ता पक्ष के लोग आते हैं जो यहां पर कुछ कहते हैं और अपने क्षेत्र में जाकर अलग भाषण देते हैं । जोधपुर संभाग के बारे में मन्त्रीजी ने अच्छा भाषण दिया था, खाद्य मन्त्रीजी को विरोध भी करना पड़ा लेकिन वह भी एक निर्मूल बात है, क्योंकि सरकार की नीति है, यह घोषणा की गई है कि उत्पादन पर लेवी ली जायगी उत्पादन पर ही लेवी वसूली की जाय। अगर मान लें उत्पादन ही नहीं हुआ तो लेवी प्राप्त नहीं होगी । चाहे कोई भी जिला हो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या और कोई जिला हो, इनका छोड़ दिया जाय यह कोई उचित बात नहीं है, उत्पादन पर लेवी वसूल की जानी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों और तहसीलदारों को गवर्नमेन्ट द्वारा हिदायतें दे दी गई हैं कि गिरदावरों के जो इन्द्राजात हैं, वह गलत हैं तो वह ठीक कर दिये जांय । लेकिन जिन क्षेत्रों में शीत लहर आ गई है या और किसी कारण से फसल ही नहीं हुई है उनको लेवी से छूट···

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री): उसमें छूट दे दी गई है ।

श्री मीठालाल : छूट दे दी है तो धन्यवाद ।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, गत सत्र में मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि गंगानगर जिले में पेडी की वसूली हो चुकी

(श्री मीठालाल मीणा)

है और उस समय जिले से बाहर पेडी का निकास कोटा, बून्दी, झालावाड़ और गंगानगर से पेडी की निकासी पर पाबन्दी को खत्म कर दिया जायगा। लेकिन फूड मिनिस्टर साहब की घोषणा के बाद भी इस पाबन्दी को पेडी के निकास की पाबन्दी को गंगानगर जिले से नहीं हटाया गया है। जबकि पेडी पर लेवी नहीं है तो गंगानगर के जिलाधीश को आज ही वायरलैस या तार द्वारा यह आदेश दिये जांय कि पेडी के निकास पर कोई पाबन्दी नहीं है। क्यों गंगानगर जिले में यह रोक लगा रखी है?

उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा अन्त में मेरा निवेदन यह है कि लेवी के बदले में किसानों को कुओं पर काम कराने के लिये, सीमेन्ट का काम भी माननीय मन्त्रीजी के पास है, जिन तहसीलों में लेवी वसूली का काम हो रहा है उनके लिये सीमेन्ट और दूसरी चीजें पर्याप्त रूप से तत्काल दिलाने की व्यवस्था की जावे। बीस कट्टे सीमेन्ट की जो बात कहीं गई है वह पहले से ही अधिकारी लोग अपने आदमियों को और रिश्तेदारों को देकर उसका इन्द्राज कर लेते हैं और वह किसानों को उपलब्ध बिल्कुल नहीं हो रहा है, विशेषकर मैं लालसोट तहसील के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर किसान लोग बैंक से और दूसरी जगह से कर्जा लेकर कुए बनवा रहे हैं और उनका काम सीमेन्ट के बिना अधूरा पड़ा है लेकिन सीमेन्ट के अभाव में उनके कुओं का काम रुक गया है और उनको भारी नुकसान हो रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लेवी में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, परन्तु उनको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाई जावे। इस समय हो यह रहा है कि सीमेन्ट के डीलर और विकास अधिकारी की ब्लेकबाजी से भ्रष्टाचार हो रहा है और किसानों को सीमेन्ट उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन तहसीलों में अधिक से अधिक और शीघ्रातिशीघ्र सीमेन्ट की व्यवस्था कराई जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गापालसिंह!

श्री गोपालसिंह (खंडेला): माननीय उपाध्यक्ष जी, सत्तापक्ष की ओर से यह कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में लेवी वसूल नहीं हो रही है, वहां की स्थानीय समस्यायें हैं? जो भी परिस्थितियां हैं उनके बारे में यह कहा गया कि वहां के स्थानीय अधिकारी जिलाधीश वगैरह अपने विवेक से सोच समझकर काम लें और जैसी भी स्थिति हो उसको संभालते हुए लेवी की वसूली की जाय, इस तरह से निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। लेकिन अधिकारियों के आचरण बिल्कुल इसके विपरीत देखते हैं। तहसीलों के अन्दर। खास तौर से मैं सादी गांव जो महरोली तहसील में हैं उसके लिये कहना चाहता हूं कि वहां पर लेवी वसूली करने वाले अधिकारी लेवी वसूली करने के लिये गये तो वहां के किसानों ने कहा कि अभी अनाज खलिहानों में भी नहीं आया है, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की कि अभी तो कटाई भी नहीं की गई इसके बाद भी लेवी के अधिकारी वहां गये। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि गांव में बड़ा उग्र वातावरण हो गया और गांव के लोगों ने इसका भारी विरोध किया उसके बाद तहसीलदार और विकास अधिकारी वहां से चले आये। इसका एक पक्ष तो यह है कि

(श्री गोपालसिंह)

किसान यह समझते हैं कि हमारा माल है, हम इसको काम में लायेंगे । बहुत ही असमंजस्य की सी स्थिति है। ऐसी स्थिति जानबूझकर स्थानीय अधिकारी खड़ी कर लेते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से खास तौर से चाहूंगा कि स्थानीय अधिकारियों को अपने विवेक और सूझबूझ से काम लेने के लिये कोई निश्चित इन्स्ट्रक्शन्स दी जायं ताकि उसका नतीजा अच्छा मिले नहीं तो उनके विवेक का आम तौर पर यह नतीजा हो रहा है कि लेवी वसूल करने में कठिनाई पैदा हो रही है। जब टार्गेट पूरे नहीं होते हैं तो अधिकारी लोग फाल्ट फाइन्डिग करने के लिए ऐसी वारदातें करेंगे जो उचित नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सरकार को जो उन्होंने अपना रवैया बना लिया है उसके अनुरूप ही व्यवहार होना चाहिए और नीचे के अधिकारियों को निश्चित इन्स्ट्रक्शन्स देनी चाहिए और उनको सही सूझबूझ और विवेक से काम लेना चाहिए। दूसरी, उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात लेवी के बारे में कह रहा था, वह यह है पिछली दफा सदन में नेता महोदय ने कहा था, लेवी की कीमत के निर्णय के बारे में हम सक्षम नहीं हैं। यह भारत सरकार का प्राइस कन्ट्रोल कमीशन है वह तय करता है, उससे हम पाबन्द होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की स्थितियां हैं, यू. पी., हरियाणा और पंजाब की स्थितियां हैं—इनमें रात दिन का फर्क है। यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जमीन की फर्टिलिटी सिंचाई दर—इन सब में फर्क है। यहां का प्रोडक्शन यू. पी., हरियाणा और पंजाब के मुकाबले होता नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 53 पर्सेन्ट तक रेंज करता है। एक आध जिले को छोड़ कर। दूसरी तरफ यह जो सिंचाई के साधन हैं वह भी उनके विपरीत हैं, और उनके ट्रैक्टर काम करते हैं, सिंचाई महंगी पड़ती है। तो मैं कह रहा था, विपरीत परिस्थितियों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ता है और प्रोडक्शन कम होता है। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को भारत सरकार से मिल कर इस बारे में समन्वय की स्थिति पैदा करनी चाहिए, जिससे लोगों को रेम्युनरेटिव प्राइस मिलें, प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं मिले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले में तो मिले। राज्य सरकार द्वारा इसमें अपना इन्फ्लूएन्स एक्सर्साइज करना चाहिए और भारत सरकार को बताना चाहिए। यह नहीं हुआ तो लोगों की प्रोडक्शन की मनोवृत्ति है उस पर आघात होगा और आगे जाकर राज्य विषम स्थिति में पड़ेगा।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करनी थी, इस वसूली के मामले में अपन करीब-करीब टार्गेट के नजदीक पहुंच रहे हैं। हमें आशा है कि जो फिगर आ रहे हैं उनसे, कि जल्दी वसूली हो जायेगी। तो छोटे किसान, जो कुए से सिंचाई करते हैं, जिनके वैल पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिनके पास ट्यूब वैल नहीं हैं, जो अपने तरीके से, ट्रेडीशनल वे से लिफ्ट इरिगेशन करते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेहूं की भारी पड़ती है। उन लोगों के साथ नर्मी का व्यवहार करेंगे तो न्याय होगा। आखिर एक डण्डे से सबको हांकना किसी मायने में अच्छा नहीं है। जिन लोगों के पास छोटी-छोटी जमीन है, रात दिन परिश्रम करके दो बैल और

(श्री गोपालसिंह)

एक भैंसे से खेती करते हैं, उनको थोड़ा अनाज मिलता है, उन लोगों की उस जमीन की प्रोडक्शन में से वसूली करें और सख्ती के साथ डील करें तो मैं समझता हूं, किसानों के प्रति, ग्राम किसान, छोटे किसान के प्रति सोचने का तरीका है, वह अवास्तविक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो-तीन बातों के ऊपर गम्भीरता और सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री केशरीमल के खड़े होने पर) हाण्डा साहब को बोलने दीजिये। वास्तविक काश्तकार हैं।

श्री केशरीमल : मैं काश्तकार नहीं हूं, फिर भी दो तीन बातें बोल लूं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मुझे टाइम दे दें। मैं जाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गुरदयालसिंह जी को जाना है, इन्हें बोल लेने दीजिये।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब लेवी की बात आती है तो हमारे साथ लगे प्रान्त हैं उनकी तरफ हम देखते हैं। हम सोचते हैं, वहां उन लोगों को क्या मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है। मैं यह मान कर चलता हूं, 105 रुपये का भाव है, बेशक बहुत कम है, लेकिन उसके लिए सरकार कह सकती है कि सेन्टर ऐसी कीमत मुकर्रर करता है, उसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन पंजाब की तरफ देखते हैं तो पंजाब के अन्दर किसानों को कितनी बड़ी सुविधा मिलती है। हम यह मान कर चलते हैं कि इस कारण 105 रुपये का जो भाव है, वह 150 रुपये से ऊपर चला जाता है। उसका कारण यह है कि वहां किसी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। यहां पर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। वहां किसान को ड्रिल मिलेगा, हर किसान को साल में सीड ड्रिल मिलेगा, वह 900 रुपये का है लेकिन 750 में मिलेगा। बड़ा प्लो मिलेगा आधी कीमत पर, हर किसान को प्लो मिलेगा। यहां बिक्री में सात पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देने के बाद वह चीज मिलती है। कन्ट्रोल में लोहा लेकर प्लो बनाते हैं और किसान को देते हैं। वहां प्लो सस्ता और अच्छा मिलता है। किसान को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है। इसके मुकाबले यहां क्या हो रहा है। राजस्थान में कोई सुनता नहीं है, कोई बीज का प्रबन्ध नहीं है, यहां खाद 105 रुपये में यूरिया का थैला मिलता है। वह भी तहसील हैडक्वार्टर से लाते हैं और उस पर ढाई रुपया खर्च आ जाता है। पंजाब के अन्दर उसी यूरिया की कीमत 100 रुपये है और जहां मर्जी आये कह दो, जिस गांव में कहो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट छुड़वा देता है। यह स्थिति वहां है। इसी तरह से 105 रुपये मिलते हैं, मैं कहता हूं, यह ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज्यादा है। मैं इस बात पर नहीं जाता, मैं यह बात कहता हूं, वहां सुविधा प्राप्त है वह इतनी ज्यादा है जो बयान नहीं की जा सकती है। इससे आगे हम चलें तो 1973 का बोनस हमारी सरकार के पास जमा पड़ा हुआ है। जब यह बात कहते हैं और यह कहते हैं कि

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
हम लोग लेवी नहीं देंगे तो यह सरकार क्या जवाब देगी ? राजस्थान के किसानों का करीब 60 लाख रुपया बोनस का यह सरकार हजम कर गई है। वहां कितना बोनस मिल रहा है, पंजाब में, पौने पांच केन्द्रीय सरकार देगी और सवा तीन सरकार देगी, दोनों मिला कर आठ रुपये मिलेंगे। यहां बोनस का नाम नहीं है। ऐसी हालत है। मैं अर्ज करूंगा, इन हालात को सुधारने से किसानों को राहत मिलेगी।

एक चीज और अर्ज है, मैं समझता हूं कि लेवी लेने की जरूरत नहीं है। हमारे माननीय कृषि मंत्री अप्रैल में गंगानगर में गये थे, वहां पर बनियों की मीटिंग बुलाई। उसमें इन्होंने कहा था, किसानों को कर्ज देना बन्द कर दो और अनाज मण्डी में आता है तो 105 से कम खरीदो। वहां मीटिंग हुई और यह अपील की। यह सरकार का रवैया है जो किसानों के साथ रखना चाहती है। उनके बोनस का पता नहीं, आगे देने का विचार नहीं रखती है, इस पर विचार नहीं करती कि किसानों का हित किसमें है और किसानों से लेवी मांगती है।

आखिर में कहूंगा, हम लेवी देने के पक्ष में हैं। हम पक्ष की बात करते हैं, लेकिन किसानों को राहत मिलनी चाहिए। हमने बातचीत की थी। हमने चाहा था, सरकार से बातचीत करके रास्ता निकालें। लेकिन जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार हमारे मुख्य मंत्री ने किया, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए हमें कुछ चिन्ता भी इस बात की है। हम यह कह देंगे, अगर माननीय मुख्य मंत्री का यह रवैया रहा तो दुबारा हमें इस पर विचार करना होगा। हमने विचार करा भी, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम नया मोड़ देने वाले हैं राजस्थान में एजीटेशन को, और पता नहीं, उसका क्या नतीजा निकले, एम.एल.ए. को भूख हड़ताल पर बैठायेंगे, वह जल्दी बैठने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगा, सरकार रवैये में सुधार करे, किसानों को राहत दे। लेवी इस हालत में लेना अनुचित है, इसलिए किसानों को राहत मिलनी चाहिए।

आखिर में मैं कहूंगा कि किसानों के साथ ज्यादती अच्छी नहीं है सादी गांव में। इस सादी गांव में ए. डी. एम. छः तारीख को गये और घरों का ताला तोड़ कर अन्दर से निकाल कर ले आये। यह कैसा व्यवहार है ? हमारी सरकार यह बर्ताव करती है, इस बर्ताव को हम सहन नहीं कर सकेंगे। मैं इन शब्दों के साथ में सरकार को चुनौती देना चाहता हूं, सरकार अपने रवैये में सुधार करे, आसपास प्रान्त हैं वहा किसानों को राहत मिल रही है, वह राहत दे तब लेवी देने को तैयार हैं। इसके अलावा छोटे किसानों को एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए लेवी से।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के सम्बन्ध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है और वह यह है कि छोटों को छेड़ो मत और बड़ों को छोड़ो मत। माननीय मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में जो कुछ आशाजनक मुद्दे दिखाये हैं कि जहां पिछले वर्ष कुल छः हजार....

श्री शिवचरण माथुर : छः सौ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस वर्ष 30 हजार टन वसूल कर लिया है।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं आज बीस हज़ार टन।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पिछली साल छः हजार और आज बीस हजार....

श्री शिवचरण माथुर : छः सौ। आज के दिन 9-5-74 तक।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 75।

श्री शिवचरण माथुर : पिछली साल छः सौ टन हुआ था और आज 20 हजार टन इकट्ठा हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अर्ज कर रहा हूं, वीस हजार टन के करीव एकत्रित कर लिया है, पिछली साल जहां छः सौ टन किया था। मैं समझता हूं कि आप अधिक कर सकते हैं, क्योंकि अब की फसल बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी नीति शायद आपके रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन लाये। कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट कहती है, दो हैक्टर बारानी जमीन और एक हैक्टर सिंचित जमीन के ऊपर आप लेवी न लें, या पांच एकड़ नहरी और 10 एकड़ बारानी के ऊपर लेवी न लें और अगर आप चाहें तो इस नीति का पालन करते हुए भी, आपका जो सवा दो लाख टन का लक्ष्य है, उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर सैंसस के डिटेल्ड आंकड़े मौजूद हैं जिनको मैं कोट करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता, जिसमें नहरी, तालाबी, नल-कूप, कुए अन्य साधनों से सिंचित क्षेत्रफल दिया है। इसमें आप देखेंगे, एग्रीकल्चर सैंसस के आंकड़ों के अन्दर, जहां नहरे हैं, चाहे तालाब हैं, चाहें नल-कूप हैं, चाहे कूए हैं, चाहे अन्य साधन हैं सिंचाई के, वहां आधा हैक्टर से नीचे के क्षेत्रफल बहुत कम हैं। केवल 3,413 नहर, तालाब 5,207, नल कूप 4:5, कूए 22,665, अन्य साधन 774 यह जो 50 से ऊपर के साधन देखें तो नहरी 10,870, तालाबी 3,641, नल कूप 255, कूए 22,963 और अन्य 944। इन सारे आंकड़ों में बहुत अधिक समय न लेते हुए अर्ज करूं कि राजस्थान की स्पष्ट स्थिति है। जितनी जमीन 80 प्रतिशत लोगों के पास है, उतनी जमीन 20 पर्सेन्ट लोगों के पास है। इसलिए अगर आप 2 हैक्टर यानि 10 एकड़ बारानी और 5 एकड़ नहरी को छोड़ दें तो कोई दिक्कत आपको सवा दो लाख टन लेवी इकट्ठा करने में नहीं आयेगी। मैं यह कहता हूं कि इस वर्ष जिस प्रकार की फसल है, उसमें आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। पंजाब की सरकार प्रोक्योरमेंट कर रही है। हरियाणा की सरकार प्रोक्योरमेंट कर रही है। आप प्रोक्योरमेंट करके बफर स्टॉक्स क्रियेट कर सकते हैं। वह राजस्थान जिसमे रेकरिंग फेमिन पड़ते हैं, उस राजस्थान के अन्दर आप प्रॉफिटियर्स के ऊपर एक कॉन्सटेन्ट प्रेशर क्रियेट कर सकते हैं, प्राइस लाइन को चैकअप कर सकते हैं। आप सवा दो लाख का लक्ष्य क्यों रखते हैं ? मैं वैसे इन सब चीजों का सॉल्यूशन नेशनेलाइजेशन ऑफ फूड ग्रेन को मानता हूं। आप पार्टी को मोबिलाइज नहीं कर सके। आप इस मैदान में आये किन्तु लौट कर आये। आप ब्यूरोक्रेसी को मोबीलाइज नहीं कर सके। आप दृष्टिकोण नहीं बना सके नेशनेलाइजेशन के लिए।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इसलिए आपको थू-थू सुनना पड़ी सारे देश के अन्दर, उसमें किसी हद तक हमें भागीदार बनाया। वैसे टोटल सॉल्यूशन कम्प्लीट नेशनेलाइजेशन ऑफ फूड ग्रेन ही हो सकता है। आज दुनिया के कैपिटलिस्ट कन्ट्री में कोई ऐसा है नहीं जो फूड ग्रेन पर पूरा ग्रिप नहीं रखता, चाहे बर्मा हो, चाहे जापान हो, चाहे वेस्ट जर्मनी हो, फूड ग्रेन के फ्री ट्रेड की इजाजत दुनया का कोई देश नहीं देता। किस वक्त क्या हालत पैदा हो जाय। जो सम्पन्न, एडवान्स्ड, कैपिटलिस्ट कन्ट्री हैं, उनके अन्दर फूड ग्रेन का फ्री ट्रेड नहीं हो पाता। मैं अदब से, उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज कर देना चाहता हूं, जिस फराकदिली से आपने राजस्थान के 22 राजा-महाराजाओं की पिछले साल लेवी माफ की, वही फराकदिली आपने दिखायी, केवल सोलह सौ क्विन्टल पिछले वर्ष राजस्थान के बाइस राजा-महाराजाओं से लेकर, और विशेष तौर से चार महाराजा, जिनके पास 12,951 बीघा सिंचित धरती है, बीकानेर के महाराजा के पास 16,148 एकड़ धरती है, जाधपुर के महाराजा, जिनके पास 8,495 एकड़ धरती है, जैसलमेर के महाराजा का जिक्र नहीं करना चाहता, वहां रेगिस्तान है—इन लोगों से आपने 39 क्विन्टल, 51 क्विन्टल लेवी वसूल की। यह स्थिति आपकी रही है, इन बाइस राजा-महाराजा के पास आज बीस लाख एकड़ से अधिक धरती है, आप अगर जागीरदारों को जोड़ लें जो खुदकाश्त के नाम पर काश्त कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं एग्रीकल्चर सेंसस के आंकड़ देता, तो आप इन भू-पतियों से, इन सो काल्ड कल्टीवेटर्स से, जो खुदकाश्त के नाम पर बड़े जागीरदारों ने ले रखी है, जिनकी संख्या 40 लाख एकड़ से ज्यादा है, आप पूरी शक्ति से राजा सामन्तों से लेवी वसूल करें तो आपको गरीब की झोंपड़ी में जाने की जरूरत नहीं हो, आपको एक हेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको दो हेक्टर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब खाद्य मंत्री को चेतावनी के रूप में कह देता हूं, अगर आपने दो हेक्टर बारानी वाले को, एक हेक्टर नहरी वाले को यानि इन काश्तकारों को छेड़ा और छोटे काश्तकारों को आपने छेड़ा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजस्थान के अन्दर आन्दोलन करेगी और अगर बड़ी जोत वालों को छोड़ा, इन राजा-महाराजा को छोड़ा, सामन्तों को छोड़ा तो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मैदान में उतरेगी और संघर्ष करेगी, और संघर्ष का रूप केवल यह नहीं है कि केवल प्रदर्शन कर लिया जाय, या मूवमेंट कर लिया जाय, हम देश के सबसे बड़े भू-पति को घेरेंगे। आपने घोषणा में कहा है, आप सरपंच और नम्बरदार इन लोगों को सबसे पहले देंगे, आपकी शर्त के अन्दर आप सरपंच को पहले लेंगे। आप स्पष्ट कहिये, राजा-महाराजा। आपने यह कहा, बड़ों से शुरू करेंगे। आपने ताल ठोक कर अभी बड़ों से शुरू नहीं किया है। अभी आपने जयपुर के महाराजा से गेहूं की लेवी नहीं ली है, बीकानेर के महाराजा से लेवी नहीं ली है, आपने जाधपुर के महाराजा से लेवी नहीं ली है, या आपने बहुत बड़े सामन्तों को छेड़ा नहीं है। आपने किसी बहुत बड़े काश्तकार को छेड़ा नहीं है, या गंगानगर के क्षेत्र में बांगड़ के फार्म के ऊपर लेवी वसूली करने वाले नहीं पहुंचे हैं, चौधरी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

रामनाथ के फार्म पर लेवी वसूल करने वाले नहीं पहुंचे हैं, अमीनचन्द के फार्म पर लेवी वसूल करने वाले नहीं पहुंचे हैं, फत्ता राम, धर्मा राम जो सौ-सौ मुरब्बे के मालिक हैं, इनके चक के ऊपर लेवी वसूल करने वाले नहीं पहुंचे हैं। आपकी पर्चियां आज भी छोटे काश्तकारों को, और गंगानगर के काश्तकारों को बांटी जा रही हैं। आप इसकी गहराई समझियेगा। अगर आपने इन छोटी जोत वालों को छेड़ा तो आन्दोलन होगा, और अगर आपने बड़ी जोत वालों को छोड़ा तो आन्दोलन होगा और आन्दोलन का स्वरूप यह होगा कि हम बड़े-बड़े भू-पतियों के ताले खुद अपने हाथ से जाकर तोड़ेंगे और लेवी तुलवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मोहरसिंह से) आप बोलना चाहते हैं ?

श्री चेतराम : जरूर बोलेंगे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के प्रश्न के ऊपर आज बहस चल रही है। जैसे अभी बताया गया और यह सही मुद्दा है कि लेवी छोटे किसानों से नहीं ली जानी चाहिए। बड़े बड़े लोगों के पास इतनी ज्यादा सिंचित भूमि है कि उनके पास से हां अगर लेवी वसूल की जाए तो आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों छोटे लोगों को तंग किया जा रहा है। 2-2, 3-3 बीघा जमीन जिन्होंने काश्त की है उनसे मांग की जाएगी कि लेवी दो और बड़ों बड़ों के लिए अब तक किसी प्रकार की कोशिश नहीं की जा रही है, उनको छोड़ा जा रहा है। पिछले साल का भी यहां उदाहरण है। तो यह हमारी सरकार का वर्ग कैरेक्टर है। सरकार उनको छोड़ना चाहती है जहां बड़े बड़े मेकेनाइज्ड फार्म्स सामंतों के पास हों, लेकिन छोटों के पास जाकर उनको बुरी तरह से परेशान करना चाहते हैं। इसलिए साफ नीति होनी चाहिए कि एक दो हेक्टर जिनके पास सिंचित है उससे नीचे वालों को नहीं छेड़ा जाएगा, तब भी लेवी ठीक वसूल हो जाएगी। साथ-साथ में भाव का प्रश्न है, यह आपके वस की बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार भाव फिक्स करती है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था आप कर सकते हैं कि मार्केट वेल्यू और 105) के बीच के अन्तर का मुनाफा आप काश्तकार को दूसरी सस्ती चीजें देकर कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं हो रहा है, उनको हर बात के लिए परेशान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ कुछ इस प्रकार की शिकायतें भी पहुंची हैं कि जैसे आज मेरे पास 3-4 आदमी आए, उनके हाथ सूजे हुए थे, पैरों पर लाठियों की चोटें थीं, उनके साथ यह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी आदमी हमें बुला कर रात के समय कहते हैं कि अभी लेवी दो। सवेरे मेरे पास एक सज्जन आए। उन्होंने कहा कि मैं टोंक तहसील के बयाना गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम नंदकिशोर है, मेरे पास रात को 12 बजे 6 तारीख को हैड कॉन्सटेबल, गिरदावर, चौकिदार और चपरासी पहुंचे और कहा कि लेवी दो, अभी देनी पड़ेगी। इतनी देर में दूसरा आदमी आता है कि कलेक्टर आपको बुलाता है, वह नायब तहसीलदार था जो फर्जी कलेक्टर बना था। नंदकिशोर

(श्री मोहरसिंह)

जब बाहर निकला तो फर्जी कलेक्टर ने कहा कि ठहरों, किसान ने जवाब दिया कि मैं नंदकिशोर हूं, मुझे कलेक्टर ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ही कलेक्टर हूं, लेवी तुम क्यों नहीं देते ? नंदकिशोर ने कहा, मैं लेवी देने को तैयार हूं, लेकिन सुबह को लेना अभी 12½ रात के बज चुके हैं। उन्होंने कहा कि लेवी हमें अभी देनी पड़ेगी। नंदकिशोर ने कहा कि देने के लिए मैं तैयार हूं। इतने में एक आदमी और नजदीक आता है, कहता है कि नायब तहसीलदार, जो फर्जी कलेक्टर बना हुआ था, इधर मकान में एक दो बातें आपसे करना चाहता हूं। उसको वहां ले जाकर डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसी तरह से एक किस्सा दूदू तहसील का है। वहां 30-40 आदमियों को पीटा गया उनको भी पकड़ कर ले आए, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। आपका लेवी वसूल करने का यह तरीका है ? किसी प्रकार से यह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। अगर लोगों को पीट पीट कर लेवी ली जाएगी तो हमें उसका मुकाबला करना पड़ेगा, हिंसा भी होगी। चाहे हैड कान्सटेबल जाए रेवेन्यू वाले जायं, जनता को पीटें और जबर्दस्ती लेवी लें उनको मजबूर करें कि हमें लेवी देनी है चाहे रात का समय हो। वह कहते हैं कि सुबह तो उन्हें पीटा जाता है। इसका पूरी तरह से मुकाबला होगा इसको किसान बरदाश्त नहीं करेंगे। पिछले सेशन में भी सवाल आया था कि सरकार ऐसा करेगी तो हम ऐसा करेंगे। इस प्रकार किसानों को बेदर्दी से मार-मार कर लेवी लेंगे तो किसान नहीं देंगे। बड़ों को छोड़ा जाएगा और छोटों से वसूल की जाएगी और पीटकर, पत्थर रखकर, ठोकर मार कर, मुर्गा बनाकर, और उनकी औरतों को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी हरकतें काबिले बरदाश्त नहीं हैं। जहां तक औरतों को गिरफ्तार करने का सवाल है, हमारी तहसील में हमेशा से उनकी इज्जत को लूटा है लेकिन यह महात्मा गांधी के चेलों की सरकार है, वे लेवी के नाम पर औरतों को भी गिरफ्तार करती है। इस प्रकार लोगों को परेशान करना, मर्दों को मुर्गा बनाकर, ठोकरें मारकर लेवी वसूल की जाएगी तो हमने फैसला कर लिया है कि लेवी नहीं देंगे चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, यह नालायक तरीका कतई बरदाश्त नहीं करेंगे। पिछली बार भी कांग्रेस वालों ने कहा था। तो हम साफ कहना चाहते हैं कि इस तरह से यदि लेवी वसूल करेंगे तो हम किसी प्रकार का साथ नहीं देंगे। हमने पहले भी कहा कि बड़ों से लेवी लो लेकिन गरीबों को मत छेड़ो। इसके बावजूद भी आप गरीबों को मारना चाहते हैं। इसके लिए कृषि मंत्री व मुख्य मंत्री साफ तौर से ऐलान कर दें कि किसी को मुर्गा नहीं बनाया जाएगा, कमर पर पत्थर नहीं रखा जाएगा और ठोकर मार कर लेवी नहीं ली जाएगी तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी लेवी वसूल नहीं होगी चाहे आप इसको गद्दार समझें। लेकिन किसान की पिटाई हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के बारे में जो मंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया उसके लिए मैंने कल कहा था कि समानता जो आपने

(श्री विट्ठल भाई)

रखी है, बड़ा और छोटा सब बराबर रखा है और चाहे कोई नहरी जमीन है अच्छी फसल पकी है चाहे कहीं बिल्कुल पहाड़ी जमीन है और थोड़ा गेहूं बोया है और पानी न मिलने से सूख गया, फसल नष्ट हो गई, बीज खाद सारा बेकार गया, उसके लिए आपने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि आप समझते हैं कि हम बकते हैं, हम कहते हैं कि भूख से लोग मरते हैं, आप कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। खाद्य मंत्री को इसके लिए सोचना चाहिए। बांसवाड़ा जिला ऐसा है जहां नहरी जमीन भी है, काली जमीन भी है। लेकिन पीपलखूंट पहाड़ी इलाका है, वहां पर न कोई तालाब है, आज तक सरकार ने एक भी तालाब नहीं बनवाया। अभी एक दो तालाब का काम चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर ऐसा इलाका है जहां पर बिजली नहीं है और न ही वहां पर जमीन ही समतल है। ज्यादा तक वहां पर पहाड़ी इलाका है। जहां तक वर्षा का सवाल है वहां पर वर्षा कम होती है और वर्षा होती है तो पानी इधर-उधर जाता है। फसल भी जहां एक ही होती है वह भी उनालू, उपाध्यक्ष महोदय, कभी वर्षा होती है तब नदी नालों में थोड़ा बहुत पानी अगर इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर थोड़े गेहूं बोये जाते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले दो-तीन सालों में वहां पर वर्षा नहीं होने के कारण लगातार भीषण अकाल पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही थोड़ी जगह वहां पर जहां कोई तालाब वगैरह है वहां गेहूं के बीज बोये गये हैं मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है लोगों ने जहां पर गेहूं बोया नहीं तो भी आपके पटवारियों ने लोगों के एक-एक और डेढ़ डेढ़ क्विन्टल गेहूं बोना लिख दिया है मैंने यह बात वहां एस. डी. ओ. साहब से कहा कि इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर लोगों से लेवी वसूली के जबरन आदेश दे दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनकी झूठी रिपोर्ट पर लोगों से लेवी वसूली के आदेश दे दिये हैं, और पटवारियों के साथ-साथ आपके तहसीलदार वगैरह सभी पहुंच गये। और लोगों के साथ वहां पर ज्यादतियां की और गरीबों के साथ अन्याय किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात और भी निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि जहां पर गेहूं बोये भी गये थे वहां वर्षा नहीं होने के कारण आसपास के तालाबों में पानी सूख गया और सिर्फ दो-तीन क्विन्टल गेहूं ही पैदा हुए हैं, लेकिन पटवारियों ने ज्यादा गेहूं की लेवी के लिये रिपोर्ट दर्ज करादी। आज वहां पर स्थिति ऐसी है कि खेती हुई नहीं और लोगों के पास कोई काम नहीं है अकाल की भयंकर स्थिति चल रही है। बेचारे लोगों की स्थिति ऐसी है कि रोजाना काम करके एक-एक किलो अनाज लाते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। वहां की स्थिति कैसी खराब है आपके मुख्य मन्त्री जा इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं वह उस ऐरिया से आये भी हैं और उस इलाके में काम करने से उस इलाके की स्थितियां अच्छी तरह से जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह तो इलाका ही सारा का सारा भुक्कड़ है।

(श्री विट्ठल भाई)

इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार वहां की स्थिति को देखते हुए उस इलाके के लिए लेवी की वसूली के आदेश निरस्त कर दिये जाने चाहिये और वहां के लोगों को लेवी से मुक्त कर देना चाहिये। यहां इतना जरूर मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कहीं पर अनाज थोड़ा बहुत हुआ है तो वहां पर चाहे तो आप लेवी ले लें। हम जहां अनाज पैदा हुआ है और अगर वहां पर लेवी वसूल करते हैं तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर अनाज बिल्कुल पैदा हुआ नहीं और आपके पटवारियों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करादी है तो वहां पर हम लेवी का विरोध करेंगे। हम लेवी नहीं देंगे। जब हमारे पास है ही नहीं तो कहां से लेवी देंगे। और एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि मोहरसिंह जी ने जैसा कि सदन में बताया कि लोगों को डंडे के जोर से और मुर्गा बनाकर लोगों से जबर्दस्ती लेवी वसूल की गई। इसके खिलाफ में लोगों ने आन्दोलन किया तो लोगों पर लाठी चार्ज किया गया और अश्रु गैस छोड़ी गयी। लेकिन मैं सदन में चेतावनी दे देना चाहता हूं कि हमारा इलाका भुक्कड़ इलाका है जहां पर भयंकर अकाल है और लोग अकाल से भूखे मर रहे हैं। वहां के लोग डरने वाले नहीं हैं और हम डरेंगे भी नहीं। साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि आप इस तरह से जबर्दस्ती करेंगे तो आन्दोलन हम लोग वहां के करेंगे। लेवी नहीं देंगे और साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि लेवी नहीं देंगे। और न ही हमारे इलाके के आदमी मुर्गा ही बनेंगे। अगर आप जैसा हमने आपको कहा वैसे करेंगे तो हम आपका साथ देंगे अन्यथा हम आपका विरोध करेंगे। आप हमसे वहां पर जहां बुरी तरह अकाल पड़ा हुआ है पुलिस के जरिये, डंडे के जरिये लेवी वसूल नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे यहां के लोग लेवी कहां से लायेंगे? और नहीं होगा तो लोग आन्दोलन करेंगे क्योंकि मरता क्या नहीं करता। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो राजस्थान का इलाका जिसमें, अजमेर, ब्यावर, कुशलगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़े का इलाका जहां कि बुरी तरह से अकाल पड़ा हुआ है और सारा का सारा इलाका अकाल की वजह से भूखिया इलाका है इसलिये मेरा मुख्य मन्त्री जी से पुनः निवेदन है कि आप इस बारे में सोचें और उस इलाके के लिये लेवी से मुक्ति के आदेश देने की कृपा करें। वहां के लोगों को लेवी से छूट दी जानी चाहिये। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ पटवारियों, गिरदावरों की रिपोर्ट पर ही लेवी वसूल करना चाहेंगे तो मैं आपसे साफ-साफ कहना चाहता हूं कि हम लोग लेवी का बिरोध करेंगे और हो सकता है वहां पर आन्दोलन हो और झगड़े की स्थिति पैदा हो जाय इसलिये आप ऐसा निर्णय लें कि जिससे कि जनता को आन्दोलन नहीं करना पड़े और वहां पर शांति बनी रहे। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के बारे में तो मेरा इतना ही निवेदन है कि राज्य सरकार को ऐसे आदेश देने चाहिए कि जो इलाका फेमिन से प्रभावित है वहां पर लेवी वसूली नहीं

(श्री केशरीमल)

की जानी चाहिये। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने पिछले सत्र में ऐसा सदन में आश्वासन दिया था कि जिन इलाकों में फैमिन की स्थिति है वहां पर लेवी वसूली नहीं होगी लेकिन राज्य सरकार ने सत्र की समाप्ति के दूसरे ही दिन यह आदेश दिये कि जिन पांच जिलों में अकाल की वजह से लेवी वसूल नहीं करने की घोषणा की थी वहां पर भी लेवी वसूली के आदेश जारी कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर जिले आज पिछले कई अर्से से लगातार फैमिन की चपेट में आ रहे हैं। वहां पर लोगों को न तो खाने को अनाज है और न ही पीने को पानी ही है। उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से ब्यावर सब-डिविजन की हालत तो बहुत ही खराब है। लोग एक-एक रुपये में एक घड़ा पानी का दूर-दूर से लाकर बेच रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। बरसात नहीं होने के कारण कोई पैदावारी ही नहीं हुई और न ही खेती पकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन वहां के अधिकारी लोग पहले तो कहने लगे अच्छा देख लेंगे, लेकिन बाद में कहा कि राज्य सरकार के आदेश हैं कि लेवी तो वसूल की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, वहां खेती सेन्ट पर्सेन्ट खराब हुई है कुछ भी पैदावार नहीं हुई। कलेक्टर, उप-जिलाधीश, तहसीलदार वगैरह सभी का रवैया खराब है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आम जनता की बात तो दूर रही तहसीलदार मेरे घर पर आया और कहा कि हम आपसे लेवी वसूल करेंगे। मैंने कहा कि मेरे तो पैदा ही नहीं हुई, वैसे भी मेरे पास जो जमीन है उसमें एक बीघा में खेती की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह माने ही नहीं। मैंने उनसे पूछा कैसे आप कह रहे हैं ' आपके पास जो भी रिकार्ड है वह फर्जी है तो वह बहुत ही बदतमीजी से पेश आये और मुझे धमकी देने लगे। उन्होंने कहा कि आपको तो गिरफ्तार करना चाहिये। अब आप ही देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, उनका सारे का सारा रिकार्ड ही झूठा है। इस प्रकार की कार्यवाही करना कहां तक उचित है? उपाध्यक्ष महोदय, सारा इलाका ब्यावर उप-खण्ड का अकाल की बुरी तरह से चपेट में है और राज्य सरकार की रेवेन्यू ऑथोरिटीज वहां पर जनता से इस प्रकार की जबर्दस्ती कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से और खास तौर से मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर उप-खण्ड में अकाल की स्थिति को देखते हुए आपको वहां लेवी वसूल करने के आदेश निरस्त करने चाहिये। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिन-जिन लोगों ने झूठे रिकार्ड बनाये हैं। उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। गलत रिकार्ड की जांच की जानी चाहिये, और अगर आप इस तरह की गलत कार्यवाही के लिए कार्यवाही नहीं करेंगे तो लेवी का विरोध हमारे यहां की जनता को करना पड़ेगा। इसलिए आप राज्य सरकार से ऐसे आदेश दिलावें कि वहां पर लेवी की वसूली नहीं होगी ऐसे आदेश दिलावें और वहां के लोगों पर अत्याचार नहीं करें। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है आपको लेवी लेनी ही है तो लेना चाहिये, लेकिन आपको लेवी बड़े-बड़े

(श्री केशरीमल)
जागीरदारों से लेनी चाहिये। और आपको छोटे छोटे काश्तकारों को परेशान नहीं करना चाहिए जिनके पास 5-10 एकड़ जमीन है, जहां कुछ पैदावार नहीं हुई, उनसे लेवी जबरन वसूली नहीं करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़े में ही कहें क्योंकि समय कम है।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर भयंकर अकाल है यह सारा का सारा ब्यावर और टाडगढ़ का इलाका पूरा का पूरा अकाल की चपेट में है, कुछ भी पैदा नहीं हुआ, जनता भूखी मर रही है कहां से लेवी देंगे ? सारे इलाके में असन्तोष फैला हुआ है इसलिये आपको डंडे के जोर से भी कुछ नहीं मिलने वाला है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप किसी प्रकार की ज्यादती नहीं करें और ब्यावर, अजमेर वगैरह में जहां पर अकाल है वहां पर अकाल राहत कार्य तुरन्त खोलने की व्यवस्था की जावे तथा लोगों को पीने के पानी की जो दिक्कत है वह मिटाने की व्यवस्था की जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बस उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और सिर्फ यही कहनी है कि जो भी मैंने निवेदन किया है उसके लिए मन्त्री महोदय सदन में स्पष्ट जवाब दें।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। मुझे कुछ माननीय सदस्यों से निवेदन करना है आज इसके बाद में दो विधेयक पास होने वाले हैं, एक तो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन), विधेयक, 1975 और दूसरा राजस्थान मन्त्री-वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975। इसलिये इसको भी ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : बहस बढ़िया है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा आज सदन में अकाल पर बहस भी होनी है इसलिये चूंकि अब पौने चार बजने वाले हैं इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय ज्यादा नहीं लेकर थोड़े ही में फरमावें क्योंकि उसके बाद में मन्त्री महोदय का स्टेटमेन्ट भी होगा।

श्री शिवचरण माथुर : बहस तो पहले हो चुकी थी साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये मन्त्री जी को मौका दे दूं पहले बोलने का।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना है....

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव के रूप में कह दीजियेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कृषि मन्त्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया कि जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने मारपीट की यह आरोप उन पर लगाया। यह प्रश्न बहुमत के आधार पर तय होने वाला प्रश्न नहीं है।

श्री अजीतसिंह : मारपीट का मामला, आज वाला ?

श्री उपाध्यक्ष : आज वाला नहीं लिया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय कृषि मन्त्री जी ने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ भी नहीं कहा। यह कहा कि गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : औरतों पर डंडे बरसाये, लोगों पर डंडे बरसाये। मेडीकल रिपोर्ट मेरे पास यह मौजूद है। दो-चार मिनट का ही समय लूंगा। आपने कहा तीस हजार टन की लेवी वसूल हुई। आपने कहा था कि पहले बड़े लोगों से लेवी वसूली का कार्य किया जावेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कांग्रेस के प्रधान, पंच-सरपंच आदि से लेवी वसूल की गयी ? आपने बड़े आदमियों से लेवी वसूल नहीं की। लेकिन गराब आदमियों से लेवी वसूल की। आतंक दिखाकर, मुकदमे बनाकर उनका चालान किया। आपने जो बात कही थी सीमेन्ट की, यूरिया की। 20 बोरी एक काश्तकार को मिलेगी। गांवों में 60 प्रतिशत को सीमेन्ट नहीं मिला है। गत वर्ष लेवी के गेहूं का भाव लगाया था 105 रुपये। यूरिया 54 रुपया कट्टा था।

श्री शिवचरण माथुर : यूरिया के भाव, सीमेन्ट आदि पर पहले दिन तक लगातार बहस की थी। समय लगेगा। प्रश्नोत्तर काल में लेवी के सम्बन्ध में जो सवाल उठाये उनको लेकर आज के लिए यह प्रश्न रखा था। एक महीने पहले, सीमेन्ट, शुगर आदि के बारे में और लेवी के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। माननीय सदस्यों के कोई विशेष सुझाव हों तो वह रख दें। यही उपयुक्त तरीका भी होगा।

श्री बेगाराम : 105 रुपया रखा क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष : सीमेन्ट, शुगर, कोयला, आप तो सब पर बात करने लगे हैं फिर से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ सदस्यों के आपसी वार्ता करने पर) माननीय सदस्य। आॅर्डर प्लीज। आप विराजिये।

31 मार्च की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें आपने क्या क्या बातें कही हैं। मेरे सामने आधे घन्टे की बहस का मसला है। जो सुझाव माननीय सदस्य द्वारा पहले न दिये गये हैं और कोई नये सुझाव हों तो वे माननीय मंत्री जी को पेश कर दें। आप स्वयं ही सोचिये। मुद्दे की बातें हैं वे रख दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सीमेन्ट की ओर नहीं जा रहा हूं। जनसंघ के लोगों के ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं सिरोही में हुए लेवी के सिलसिले में लोगों के साथ औरतों के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया इसलिये कि वे 105 रुपये में लेवी देने का विरोध कर रहे थे। किसानों की औरतों के साथ मारपीट की। उनके चोटें आयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री दीपंकर एवं श्री रामरघुनाथ द्वारा आपस में बातचीत करने एवं व्यवधान पर) आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। नियमों का भी ध्यान रखें। इस तरह से बातचीत करना उचित नहीं है।

श्री दीपंकर : सॉरी सर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लूटमार की घटना के लिए यह कहा गया। यह जनसंघ के किसी भी नियम में भी नहीं आता है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये। पुलिस रिपोर्ट में भी कहीं नहीं है। आपने कहा कि एक भी महिला के चोट नहीं आयी। मेरे पास 13 महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस वालों के डंडों से महिलाओं के चोटें आयी हैं। इसलिये आपका यह कहना गलत है कि महिलाओं के चोटें नहीं आयीं। एफ. आई. आर. भी मौजूद है। जनसंघ के लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने भड़काया और लूट खसोट की, यह बेबुनियाद है। यह बात सही है कि उन्होंने 105) के भाव का विरोध किया। हमने कहा कि किसानों को सुविधा दी नहीं और आतंक के रूप में आप उनकी फसल को लूट रहे हैं। डाकुओं की तरह लोगों को मकानों से निकाला गया और उनको पीटा गया।

श्री उपाध्यक्ष : जिनका प्रस्ताव था उन्होंने इस पर काफी कह दिया। आप तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोगों से गेहूं ले लिया गया लेवी के नाम पर। यह लूट नहीं तो और क्या है? उनको 105) रुपये क्विन्टल के भाव दिये गये। पिछला भी जो अनाज रिकार्ड में दर्ज है वह अच्छा गेहूं है कहां? न गोदामों में है और न कहीं। अफसर लोग बढ़िया गेहूं अपने घरों में रख लेते हैं। तहसीलदार आदि रख लेते हैं। अच्छी 2 बोरियां गायब हो जाती हैं। जनसंघ के लोगों ने, कार्यकर्त्ताओं ने लूटा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो दूसरा भाषण हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न को बड़े प्रेम से समझा रहा हूं। जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने कहा कि इस भाव पर लेवी मत दो। प्रजातान्त्रिक तरीके से धरना देने का प्रोग्राम बनाया। उसी अनुसार धरना दिया गया। लेकिन गरीब किसानों को, जिन्होंने धरना दिया, पकड़ कर उनको खूब मारा पीटा। धरना देने वालों के साथ यह बर्ताव किया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : लेवी से सम्बन्ध नहीं है। यदि आप भाषण देते हैं तो जो टॉपिक है उसी पर केन्द्रित रहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं पर आरोप लगाया लेकिन जनसंघ हिंसा वाली घटना में विश्वास नहीं करता।

उपभोक्ता के सम्बन्ध में एक कानून बनाया था। उपभोक्ता और व्यापारी इतनी बोरी रख सकते हैं। एक समय में एक क्विन्टल खरीदने के लिये उपभोक्ता के लिये नियम बनाया और अधिक से अधिक पांच बोरी से अधिक नहीं रख सकता। एक बार में एक बोरी और कुछ ऊपर एक क्विन्टल के दो-चार किलो हो गया तो वह सजा का भागी होगा। 300, रुपये आपने कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिये एडवान्स दिये,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वह किस प्रकार से गेहूं खरीदेगा ? जब आपने 300) रुपये की मदद दे दी है तो वह एक समय में एक क्विन्टल से अधिक नहीं ला सकता है । केवल एक बोरी जिसमें एक क्विन्टल ही गेहूं हो, रख सकता है । 1973 का पुराना कानून है, आज भी उसमें आपने कोई संशोधन नहीं किया है । एक बार में एक क्विन्टल लावेगा और अगर एक बोरी में एक क्विन्टल से ज्यादा हो गया तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे । माननीय उपाध्यक्ष जी, आज उपभोक्ता भी परेशान है, किसान भी परेशान है । हम उसका विरोध करेंगे क्योंकि 105) रुपये का भाव कम है । अन्य चीजों के भाव आज बराबर बढ़ रहे हैं । भारतीय जनसंघ उसका डटकर विरोध करेगा, मैं यहां भी कह रहा हूं और बाहर भी कहूंगा । विरोध प्रदर्शन में आज तक हमने किसी प्रकार की घटना नहीं घटने दी है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाजी जान मोहम्मद !

श्री अजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम कार्य सूची में नहीं है ।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा): लेवी के सिलसिले में बात चल गई है । इसमें मुझे भी कहना है । जितने पंचायत हैड क्वार्टर हमारे यहां पर हैं वहां पर यह चलने वाला नहीं है । हमारे यहां कलेक्टर लेवी के बारे में जानता नहीं है, कलेक्टर भी नया है, तहसीलदार भी नया है, इसलिये....

(व्यवधान-अश्रव्य)

यहां जो घोषणा करते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं । ग्राम पंचायतों में आप क्या और सेन्टर खोल रहे हैं. लेकिन यह आपके लिये नामुमकिन है । पांच के बजाय 10 हो सकते हैं लेकिन 36 नहीं हो सकते हैं । हमारे जिले झालावाड़ में यह बात है कि आज तक मांग-पत्र नहीं बांटे गये हैं । जब से हम यहां आये हैं 6 तारीख तक तो बांटे नहीं गये हैं । 29 तारीख को मांग-पत्र मुझे नहीं दिया गया यह तो हालत है । आपको तहसीलदार पर एक्शन लेना चाहिये तोलने वाले वहां है कहां ? मैं यह जानना चाहता हूं एम. एल. ए. हैं, प्रधान हैं (अश्रव्य) जो जमीन की कीमत है उस पर काश्तकार देने को तैयार है । वह कहां से लेवी देगा क्या भूखों मरेगा ? आपको यह नोट करना चाहिये वह लायेगा कहां से । भाव आपके 105) रुपये है उधर 175) रुपये के भाव है यह जुल्म है, ज्यादती है काश्तकार के साथ में । 105) के बजाय 125) या 150) हो जाय तो काश्तकार को राहत मिल सकती है ।

खरीफ की फसल में आपने ज्वार ली है । एक गांव में 20 आदमी हैं 15 यह कहते हैं कि मिली ही नहीं तो फिर आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं । झगड़ा नहीं है देने का लेकिन आपके इन्तजाम में गलती है । 25 को आदेश दे दिया लेकिन 29 तारीख तक मांग-पत्र नहीं दिया । कोई कार्यवाही हमारे जिले में नहीं हो रही

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)
है। इसलिये मेरी तकरीर है कि लोग भूखों मरेंगे ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मांग-पत्र नहीं देने की बात है तो कलेक्टर पर एक्शन लेना चाहिये। काश्तकार परेशान है, मांग-पत्र मिलता नहीं है। एक तकरीर और है 5 बीघा में गेहूं बोया और पटवारी ने 10 बीघा बताया तो ऐसे केसेज में कलेक्टर को एन्क्वायरी करके छोड़ देना चाहिये। पटवारी अपने घर बैठकर सारी कार्यवाही कर देते हैं। इसलिये काश्तकार को यह तकलीफ है। कलेक्टर को इस बात को देखना चाहिये। काश्तकारों के साथ ज्यादती है, अभी तक हमारे यहां न तो कोई गुर्गेबाजी है और न होगी। हमारे लोग लेवी देना जानते हैं लेकिन कुछ गलती राज्य सरकार की है, इन्तजाम ठीक नहीं है, आपको और सेन्टर खोलने चाहिये। ज्यादातर मिट्टी मिलाई जाती है, बोरी की बोरी मिट्टी मिला देते हैं। कलेक्टर बेचारा नया है, जानता नहीं है कलेक्टर कुछ समझता ही नहीं है कि काश्तकारी किसे कहते हैं ? आप फौरन आदेश दें ताकि काश्तकार को राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रौत !

श्री रामचन्द्र रौत (चौरासी) : उपाध्यक्ष जी, मैं लेवी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वैसे डूंगरपुर जिले में भयंकर अकाल है और वहां पर लोगों को खाने का अन्न नहीं है। पटवारियों ने जो गिरदावरी की है उसमें जिसने गेहूं नहीं बोया है उसके लिए भी लिख दिया है। उदाहरण के तौर पर बताऊं, हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, तालाब नहीं हैं, कुए नहीं हैं। इस समय जो अकाल पड़ा हुआ है उससे लोग भूखों मर रहे हैं फिर भी लेवी की वसूलात की कार्यवाही की जा रही है। डूंगरपुर जिले में 5-6 गांव ऐसे हैं जहां गेहूं कुछ बोया गया है बाकी सारे गांवों में गेहूं बोया ही नहीं गया है सब जगह सूखा पड़ा है फिर भी वहां लेवी की वसूलात हो रही है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर में जहां पहाड़ी क्षेत्र है, डागर का क्षेत्र है और जितना सूखा क्षेत्र है उसमें भी जो लेवी वसूली की कार्यवाही चल रही है उसका तुरन्त रोक देना चाहिये। आपने जो आदेश दिये हैं उससे यह कार्यवाही चल रही है, जबकि लोग भूखों मर रहे हैं। उधर कोई यदि राज्य सरकार को सख्त कार्यवाही करनी पड़ी तो काश्तकार को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा इसलिये ऐसे क्षेत्र की लेवी वसूली की कार्यवाही को तुरन्त रोक देना चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं गेहूं के बजाय जौ, बेजड़, चना, मक्का है काश्तकार के पास गेहूं नहीं है लेकिन वहां गेहूं के बजाय दूसरी चीजें मांगी जा रही है इसलिये जिलाधीश महोदय को यहां से आदेश दे देने चाहिये कि इस प्रकार की कार्यवाही को रोक दी जाय।

तीसरी बात जो सामूहिक खाते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं मेरे निर्वाचन

(श्री रामचन्द्र रौत)

क्षेत्र में जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पर कोई गेहूं पैदा नहीं हुआ है और 15 क्विन्टल लेवी आई है। जब गेहूं पैदा ही नहीं हुआ है तो गिरदावरी गलत इन्द्राज हुई है। जब हमने जिलाधीश महोदय से इस सम्बन्ध में बातचीत की तो जिलाधीश महोदय ने कहा गिरदावरी में जो पटवारी ने लिख दिया वह पक्की है और एक लकीर हो गई है उससे बाहर हम जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले में भयंकर अकाल है लोगों के पास खाने को अन्न ही नहीं है। एवं इस समय जो गिरदावरी का अभियान चल रहा है ऐसी स्थिति में जहां गेहूं नहीं पका है ऐसे क्षेत्रों की वसूलात तुरन्त रोक देने के आदेश दें यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी !

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लेवी वसूली करने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि जो आदेश दिए गए हैं कि लेवी किसी तरीके से भी वसूल की जाये, की जानी चाहिए यह तरीका उचित नहीं है। उसमें यह देखना चाहिए कि कौन सा तरीका अपनाया जाये ताकि जो लोग लेवी देना चाहते हैं उनको लेवी देने में तकलीफ नहीं हो और खुशी खुशी वह लेवी दें और सरकार के खजाने में गेहूं आ जाये—इसको ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को खाद्य मन्त्री जी ने कहा कि जहां तकलीफ है इस प्रकार के स्थानों के बारे में सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि हर पटवार क्षेत्र पर एक लेवी वसूली का सेन्टर रखा जायेगा ताकि किसानों को तकलीफ नहीं हो ...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो घोषणा कर दी है। आर्डर प्लीज ? Have you heard the statement of the Minister ?

श्री भगराज चौधरी : Yes Sir. I am supporting his statement.

श्री उपाध्यक्ष : सुनने के बाद उस पॉइन्ट को छोड़ दें। दूसरे पर आ जाइए। Why are you taking the time of the House unnecessarily ?

श्री भगराज चौधरी : You have not given me time to speak something.

श्री दीपंकर : पॉइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन सर। इसके अलावा दूसरा अकाल का महत्वपूर्ण विषय है उसमें फिर कम समय रह जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके हुकम की पहले ही पालना कर रहा हूं।

श्री दीपंकर : हुकम नहीं अर्ज है।

श्री भगराज चौधरी : लेवी वसूली केन्द्र के बारे में जो दिक्कत थी उसके बारे में मुझे खुशी है कि उसका निराकरण माननीय खाद्य मन्त्री जी ने कर दिया है और आशा है कि उसी प्रकार से आदेश दे दिए जायेंगे कि प्रत्येक पटवार क्षेत्र पर लेवी वसूली का केन्द्र खोल दिया जाये ...

श्री उपाध्यक्ष : जो डिक्लेरेशन कर दिया है उसके बारे में आप न कहें।

श्री भगराज चौधरी : लेवी वसूली के साथ ही साथ यह भी देखें कि जिन तहसीलों और पंचायत समितियों के अन्दर गेहूं की उपज में बड़ा भारी नुकसान हुआ है और वह चाहे किसी कारण से भी हुआ हो वहां या तो लेवी वसूल होना ही नहीं चाहिए और यदि करते भी हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए ...

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में कह दिया गया है।

श्री भगराज चौधरी : उन क्षेत्रों में जो निर्धारित मात्रा लेवी की है उसके अनुसार वह वसूल नहीं की जाये और उनको रेमीशन दिया जाये। आज जालोर जिला चाहे गेहूं उत्पादन का क्षेत्र भले ही हो लेकिन वहां पर अनावृष्टि है और औसत से कम बरसात हुई है तो गेहूं का उत्पादन जालोर जिले में इस बार बहुत हीं कम हुआ है और लोगों के खाने तक को नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

You should give me some time.

श्री उपाध्यक्ष : टाइम के लिए मैंने अर्ज किया ना।

श्री भगराज चौधरी : That is true, but when one is given time, he should be allowed to speak out his mind. You are causing insult to me. I take it very seriously.

श्री उपाध्यक्ष : इसमें इन्सल्ट की कोई बात नहीं हैं।

श्री भगराज चौधरी : You have not given me even two minutes to explain my point.

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये।

श्री रामकिशन : कितनी महत्वपूर्ण बात अंग्रेजी में कही जा रही है।

श्री भगराज चौधरी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता था सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि जिन जिलों में चाहे गेहूं वहां पैदा होता है, लेकिन जहां बरसात बहुत कम हुई है वहां पर जो मात्रा भरतपुर और अलवर जिलों के लिए निर्धारित की है वह मात्रा उन जिलों में नहीं रखी जाये। उनका अनुपात कम से कम हमारे जिलों में न रखें और हमारे जिले में औसत बरसात बहुत कम है और पथरीली जमीन है और वहां पर मुश्किल से 40 पर्सेन्ट पैदावार हुई है और वहां पर और सालों चार-पांच मन गेहूं प्रति बीघा हो जाती थी लेकिन इस साल प्रत्येक बीघा एवरेज दो-ढाई मन पैदावार हुई है और वहां पर भी प्रत्येक बीघा 32 किलो लेवी ले रहे हैं—यह बहुत बड़ी मात्रा है और इस मात्रा में कमी की जानी चाहिए और खास तौर से इस बात को ध्यान में रख कर कि हमारे जालोर जिले में अनावृष्टि हुई है और जमीन पथरीली है। इसके विपरीत यदि सरकार का यही इरादा है कि जो कुछ काश्तकार ने पैदा किया है वह सारा ही सरकार को दे दे और समय गुजरने के बाद वापिस तीन चार महीने के बाद अनाज लाकर दे और इस बीच में काश्तकार भूख से पीड़ित रहे तो मैं समझता हूं कि सरकार बहुत गलती कर रही है।

(श्री भगराज चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, लेवी देने का जहां तक प्रश्न है उससे हम सहमत हैं। हम चाहते हैं लेवी देना और मुझे काश्तकार भी मिले हैं जो लेवी देना चाहते हैं लेकिन जो भी मात्रा तय की है उसके अनुसार चाहे गेहूं पास हो या नहीं बड़े पैमाने पर लेवी की वसूली सरकार कर रही है। यह उचित नहीं है। यह भी अन्धेर किया जा रहा है कि चाहे गेहूं पैदा नहीं हो लेकिन गिरदावरी के अन्दर आपके पास में गेहूं बोना बताया गया है इसलिए चाहे बाजार से ही लाकर वह दे लेकिन लेवी देनी ही पड़ेगी। मैं समझता हूं कि सरकार हर केस को देखे और जो भी मात्रा निर्धारित की है उसके अनुसार वसूली करेंगे तो किसानों को बड़ी दुविधा हो जायेगी जिससे मैं समझता हूं कि सरकार को निपटना बहुत मुश्किल हो जायेगा। आप ऐसी जगहों के लिए मात्रा में कमी करें वरना जैसे रेवदर वाली घटना का जिक्र किया गया उसको भी देखकर लेवी ऐसी वसूल करनी चाहिए जिसमें काश्तकार और हम सभी लेवी वसूली में मदद दे सकें।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जालोर जिले में और दूसरे पश्चिमी जिलों में बड़ा भारी अकाल है। सरकार एक तरफ यह कह रही है ...

(4.07 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

कि किसी को हम भूख से मरने नहीं देंगे। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने अभी तक जो भी कुछ किया है वह काफी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह नाकाफी है। आज लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं उसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह और ज्यादा इन्तजाम करे और अच्छे उपयोग के काम खोले। सरकार कह रही है एक तरफ कि हम यूटीलिटी के काम खोलेंगे ...

श्री शिवचरण माथुर : अकाल के समय कह देना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अकाल पर बहस अलग से है।

श्री भगराज चौधरी : साथ ही तो आ रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम वह काम हाथ में लेंगे जो कि उपयोगी हों, मगर दूसरी तरफ यह कह रही है कि इस प्रकार के कामों को हम खोलेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे। इस प्रकार की मजबूरी सरकार की तरफ से व्यक्त की जा रही है तो मैं समझता हूं कि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ कामों से फायदा मिले और साथ में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत भी मिले और हमारा पैसा बेकार नहीं जाये तो चाहे कहीं से भी पैसे का इन्तजाम करना पड़े वह सरकार को करना चाहिए ...

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, इसका लेवी से क्या सम्बन्ध है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आप अकाल पर बोल रहे हैं और डिबेट लेवी पर चल रही है।

श्री भगराज चौधरी : इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है

(श्री भगराज चौधरी)

कि अकाल राहत कार्यों पर प्रत्येक परिवार से सरकार दो-दो व्यक्तियों को रोजगार दे ...

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, बहुत बहस हो चुकी है। इस सबजेक्ट को यहां क्लोज़ करके आगे का सब्जेक्ट ले लें।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : सभापति जी, ऐसा लगता है कि लेवी के ऊपर सब लोग काफी कह चुके हैं तो इस चीज को यहीं समाप्त कर दें क्योंकि फेमिन रिलीफ के बारे में गवर्नमेंट चाहेगी माननीय सदस्यों की राय ले, हाउस एडजॉर्न हो उससे पहले। तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी को रिप्लाई का मौका दिया जाये।

श्री सभापति : आप कन्क्लूड कीजिये। ऐसा है कि अकाल के ऊपर जब बहस होगी उस समय आप बोल सकेंगे। अभी लेवी के बारे में माननीय मन्त्री महोदय का वक्तव्य हो जाये।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, अगर आप यह महसूस करें कि अभी तो लेवी को ही लिया जा रहा है तो जब अकाल पर बहस होगी तो मुझे अलग से समय दे दें।

श्री सभापति : ऐसा ही है। जो आज का विषय है उसी हिसाब से है।

श्री भगराज चौधरी : मुझे नहीं ध्यान था। मैं थोड़ा बाहर गया था। मैंने सोचा कि समय की बचत हो जायेगी इसलिए दोनों बाद में ही कह देता। अगर आप मुझे समय बाद में दे दें तो अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री सभापति : अगर आप सोचते हैं कि बाद में नहीं बोलना चाहते हैं तो दो मिनिट में जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह दें।

श्री भगराज चौधरी : तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर और बाड़मेर जिलों में जहां लोगों को अकाल राहत कार्यों में ज्यादा रोजगार नहीं मिला है हालांकि हम यह जानते हैं कि सरकार की भी मजबूरी है कि इतने सारे लोगों को वह भी काम पर नहीं लगा सकती लेकिन फिर भी सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझ कर प्रत्येक परिवार में से दो आदमियों को रोज़गार देना चाहिए नहीं तो लोग भूख से मर जायेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि थोड़ा प्रेक्टिकल एप्रोच को भी ध्यान में रखे। आप काम खोलें और कैसे खोलें, कहां खोलें यह आपके देखने की बात है। हमने पहले भी सुझाव दिया था कि आज जो काम हो रहे हैं उनमें ऐसे काम हों जो पक्के हों, जैसे इम्पोर्टेंट रोड्स बनें, बांध बंधे, सिंचाई के काम हों, सॉइल कंजर्वेशन के वर्क हों, इस प्रकार के काम कराने चाहिए जो कि बरसात आने तक अधूरे रह जावें तो भी आने वाले साल में उनको ऐसा नुकसान नहीं होगा और सरकार वेरियस प्रोग्राम के तहत उनको पूरा करा सकती है। इसी आधार पर मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में भीनमाल के अन्दर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पन्द्रह बीस दिन से लम्बा चलने वाला हो। मैंने कल ही राज्य मन्त्री महोदय से निवेदन किया कि आप कुछ और काम चलायें। उन्होंने

(श्री भगराज चौधरी)
बताया कि मुख्य मन्त्री महोदय के ऐसे आदेश हो गए हैं कि आइन्दा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो पक्का काम नहीं हो, अच्छा नहीं हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने यह कहा था कि एक तरफ आप कहते हैं कि लेबर ज्यादा एम्प्लॉय होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि पक्का काम होना चाहिए। इसमें लेबर कम्पोनेन्ट कम लगता है। तो आप फैसला कर लीजिए लेबर कम्पोनेन्ट ज्यादा लगे ऐसे काम हों या जिनमें लेबर कम्पोनेन्ट बिल्कुल नहीं हो ऐसे काम खोले जावें।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट लेबर को देना चाहते हैं तो वह काम हाथ में लिए जावें। आप यह सोच लीजिए कि अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट दिया जावे या केवल 15-20 दिन जो मेक्जीमम काम चल सकते हैं उन पर खर्चा किया जाना चाहिए। आप क्या चाहेंगे।

श्री भगराज चौधरी : मैं मन्त्री महोदय की आशंका का स्वागत् करता हूं। सरकार को समझ लेना चाहिए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि पैसा नहीं है और ऐसे पैसे को जब खर्च करते हैं तो उसका आयन्दा साल में रिटर्न मिल सके यह बात भी सरकार को समझ लेनी चाहिए। सड़कें पक्की बनें, बांध बंधे, सॉइल कंजर्वेशन के काम हों जिससे उनका पूरा फायदा मिल सके।

श्री हरिदेव जोशी : जालौर में तो लेबर ही नहीं है। खास कर आपकी कांस्टीट्यूएंसी में से नहीं आ रही है।

श्री भगराज चौधरी : यह आपकी जानकारी तो बहुत पुरानी बात है।

श्री हरिदेव जोशी : अभी जब मैं आया था तब भी यही हालत थी।

श्री भगराज चौधरी : अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पन्द्रह बीस दिन से ज्यादा चल सके। मुझे बाड़मेर जिले के बारे में जानकारी है, वहां पर भी लेबर की स्ट्रेन्थ कम है। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय जब बाड़मेर पधारे थे तो कुछ पांच-चार सदस्यों ने उनसे निवेदन किया था कि जब लेबर की स्ट्रेन्थ ज्यादा नहीं हो रही है तो कुछ परिवारों को साढ़े बारह रुपया या पन्द्रह रुपया प्रति महीने के हिसाब से ग्रेच्यूटस रिलीफ के रूप में दे दिया जावे। राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ना नॉर्मल फीचर है जो हर दूसरे साल पड़ता रहता है और जब अकाल पड़ जाता है तो हम लोग बारह महीने बेकार बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था....

श्री सभापति : कन्क्लूड करिए अब।

श्री भगराज चौधरी : ... कि लेबर की जो मानव शक्ति है उसको यूटिलाइज करिये। अगर आज वे अच्छा काम करेंगे

(श्री भगराज चौधरी)

तो आगे आने वाले साल में उसका रिटर्न मिल सकेगा।"

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आप अब कन्क्लूड करिये।

श्री भगराज चौधरी : मुझे भी बाड़मेर के बारे में जानकारी है, मैं भी वहां जाया जन्मा हूं और मेरी जानकारी है। सरकार अगर गलत आदेश करती है तो उसके बारे में कहने का मुझको हक है। दूसरा मेरा कार्य क्षेत्र जालोर जिला ही नहीं है। समाज का प्रतिनिधि होने के नाते, सभ्य समाज का प्रतिनिधि होने के नाते और विधान सभा का सदस्य होने के नाते यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं सही स्थिति यहां पर रखूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरी तहसील के लोग कहते हैं कि पिछली बार हमारे पर कर्जा करवा दिया कम से कम इस साल तो कर्जे में नहीं फंसवा दें और दूसरा निवेदन यह है कि अगर आप कोई रिलीफ दें तो सिवाणा कस्बे के लोगों को तो नहीं दें भले ही कहीं और जगह पर दे दें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : केन्द्र ने राज्य सरकारों को बोनस देने की बात कही है लेकिन आपके स्टेटमेंट के अन्दर बोनस का नाम नहीं है। आपको केन्द्रीय सरकार ने दो साल पहले बोनस दिया था, लेकिन उसका पेमेंट आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। पंजाब, हरियाणा में, इसमें कोई शक नहीं कि वह दूसरे पैटर्न में काम करेंगे। वहां यह चीज है कि काश्तकारों को यह नुकसान है कि सारी अपनी प्रोड्यूस 105) में उंडेल देंगे और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं और स्टेट गवर्नमेंट खरीद कर बाहर भेजेगी और मार्केट में कीमत रहेगी 115-120) रुपया, इससे ज्यादा रहने वाली नहीं है। हमारे यहां कीमतें 170) और 180) की हैं। भविष्य में कीमतें नहीं बढ़ें इसके लिए आप क्या सेफगार्ड लेने जा रहे हैं कि यही कीमतें रहेंगी, इससे कम आयेंगी या बढ़ेंगी नहीं क्योंकि लास्ट ईयर 240) रुपये तक गई और आज भी 170-180) रुपये है। इस बोनस के मामले में, मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट के बारे में, कीमतें आगे नहीं बढ़ें इनके लिए राज्य सरकार कौन से सेफगार्ड ले रही है।

दूसरा मैं यह चाहता हूं कि सीलिंग लॉ के तहत खेत अलग-अलग हैं। कोई भी खेत तीस एकड़ से अधिक का नहीं है लेकिन एक्चुअल काश्त देखेंगे तो जमीदार की एक्चुअल काश्त ज्यादा है। इसलिए क्यों नहीं आप कलेक्टर का गाइड लाइन देते कि वहां के लोगों से मिलकर जो जनमत पैदा होना चाहिए लेवी के हक में, आप सरकारी तौर पर वह एटमास्फियर पैदा कर सकें, इसलिए जो ताकतें हैं लेवी के खिलाफ हैं, जो लेवी का विरोध कर रही हैं, आप कलेक्टर को, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, एम. एल. एज., और पोलिटिकल पार्टीज को मिला कर ऐसा रास्ता निकालें कि जो मामूली सा डिफरेंस है वह दूर हो जावे और आपका सही तरीके से प्रोक्योरमेंट हो जावे। और

(श्री केदारनाथ)

जिनके पास ज्यादा एक्चुअल काश्त है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि श्री बादल जो पंजाब के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे उनके पजेशन में कम से कम सौ एकड़ है जिस पर इकट्ठी काश्त करते हैं, कागजों पर तो अलग-अलग है लेकिन वाकई में दो सौ, चार सौ जमीदार ऐसे हैं जो एक्चुअली काश्त ज्यादा लेते हैं और आपकी भी घोषणा है कि उनसे पहले लेवी लेंगे। आप उनसे ज्यादा लेवी ले लें और जो छोटे काश्तकार हैं, चार बीघा के काश्तकार हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दें तो हम आपका पचास हजार टन का टार्गेट पूरा कर देंगे, इसलिए छोटे काश्तकारों को एग्जेम्प्ट कर दें।

दूसरा आपका यह है कि जब मार्केट में एराइवल होगी और काश्तकार अपनी काश्त को बाजार में लाकर बेचता है तो भाव वहां पर 125) 130) से ज्यादा नहीं रहेंगे लेकिन उस वक्त कंजूमर को यह हक नहीं है, गंगानगर शहर के किसी नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि उस ढेरी में से बीस किलो या एक क्विन्टल भी खरीद सके। वह आढ़तिये से खरीदेगा। कमीशन एजेंट उसमें अपना मार्जिन लगा कर उसको देगा। इसलिए कंजूमर को यह अधिकार होना चाहिए कि जिस ढेरी का ऑक्शन हो जाय वह ऑक्शन रेट पर ही कंजूमर को भी मिल सके। इसलिए जनमत का बात है कि सारे कंजूमर्स को ढेरी से खरीदने का मौका मिले। लेवी के टार्गेट पूरे हों, बोनस की बात, एग्जेम्प्शन की बात है, जिनके बारे में आप थोड़ा सा कह दें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी !

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए—अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : One minute, Sir.

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। नहीं। माननीय सदस्य जो अकाल के समय कहना चाहें वह दें, काफी बहस हो चुकी है।

श्री रामलाल (बाड़ी) : एक मिनिट के लिए ....

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, अब ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है.......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं आपके कमिटमेंट के बारे में पूछना चाहता हूं एक मिनिट में। एक सवाल यह पूछा गया था और आपने गुजिश्ता सत्र में लेवी के बारे कहा था कि जो पुरानी लेवी और इस बार की लेवी चुका देगा उसके खिलाफ जो मुकद्मे चल रहे हैं उनको वापस ले लेंगे। यह आपने अण्डरस्टेंडिंग दी थी कि जो पिछले साल की लेवी तोल देता है और इस बार की भी जमा करा देगा उस सूरत में मुकद्मा वापस ले लेंगे.......

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसको कह दूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दें। दूसरा यह कि सिंचित जमीन पर कुछ न कुछ हद तक तो जरूर एक्जेम्प्ट होना चाहिए और तीसरा,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
यह कि जिन रूलर्स ने जैसा मैंने पहले भी बहस में रखा था कि जिन रूलर्स ने आपको लेवी नहीं दी है आपको टार्गेट के माफिक उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ? इन सवालात का आप स्पष्टीकरण कर दें ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सिर्फ क्लेरिफिकेशन के लिए ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य! नहीं। आप पहले मंत्रीजी को सुन लें उसके बाद क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता हो तो पूछ लें ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : Only one sentence of clarification which I want.

श्री सभापति : कहिए ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि जो बड़े काश्तकार हैं उनसे लेवी पहले ली जायगी, छोटों से बाद में ली जायगी तो उस उसूल को राज्य सरकार ने कहां तक अपनाया है यह भी जरा बता दें ।

श्री मीठालाल : मैं बिना अंग्रेजी में बोले हुए आधा मिनिट में निवेदन कर देता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप महसूस करेंगे ----

श्री मीठालाल मीणा : माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात कहना भूल गया था । पहले जिन्होंने लेवी नहीं तोली थी उनके खिलाफ केसेज बन गए थे, लेकिन अब जिन्होंने लेवी तोल दी है उनके खिलाफ आज भी केसेज चल रहे हैं। आपकी घोषणा के बाद भी उनके केसेज विथड्रा नहीं किए गए हैं और दो-दो, तीन-तीन तारीखें पड़ गई हैं लेकिन केसेज वापिस नहीं किए गए हैं और उनके दो-दो सौ, तीन-तीन सौ रुपये खर्च हो गए लेकिन केसेज ज्यों के त्यों हैं । कोर्ट वाले कहते हैं कि जब तक हमारे पास जिलाधीश का, फूड कमिश्नर का, तहसीलदार का सर्टीफिकेट नहीं आए तब तक वापस नहीं होंगे, इसलिए मेहरबानी करके इस बारे में आप तत्काल घोषणा कर दें ।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि पिछले सत्र में लेवी के सम्बन्ध में बहुत विषद चर्चा कर चुके हैं लेवी के सैद्धान्तिक प्रश्न पर और इसके पक्ष-विपक्ष के बारे में और सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है। आज का वक्तव्य विशेष रूप से इस संदर्भ में दिया गया है कि जो कुछ भी कठिनाई लेवी के सम्बन्ध में हो रही है उनके बारे में विचार व्यक्त किए गए और राज्य सरकार ने भी कुछ निर्णय लेकर और इस वक्तव्य में बताया है । मैं समझता हूं कि इन निर्णयों के बाद में जो दिक्कतें आपने बताई हैं वे सब भी उसमें आ जाने वाली हैं। खासतौर से यह कहा गया कि क्रय सेंटर्स की काफी कमी है इसलिए परचेजिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जैसा कि वक्तव्य में ही कह दिया गया है कि पटवार सर्किल के हैड क्वार्टर पर क्रय केन्द्र शुरू कर दिए जावेंगे और उसी रूप से लागू करना चाहते हैं

(श्री शिवचरण माथुर)
मूलतः यह समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार का इन्तजाम पिछली बार किया गया था रेवेन्यू ऑफिसर्स के जरिये किया गया है और इस बार भी वही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। पेमेंट के बारे में निवेदन कर दूं कि पेमेंट भी इधर लेवी तुलने के बाद तुरन्त कर दिया जावे, यह व्यवस्था भी हम लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके बाद में लेवी के सम्बन्ध में जो दिक्कतें आ रही हैं वह सब दूर हो जानी चाहिए। मैं तो विशेष रूप से कुछ माननीय सदस्यों ने लोगों पर अत्याचार होने की बात कही, लोगों पर जुर्म होने की वात कही उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को मुर्गा बनाया गया और उनकी पीठ पर पत्थर रख कर उनके कोड़े लगाये गये और इस प्रकार किसानों से लेवी वसूल की जा रही है। मैं समझता हूं कि एक भा चिट्ठी मेरे पास आज तक इस प्रकार की नहीं आई है जिसमें किसी ने इस प्रकार की वात कही हो माननीय सदस्य के पास ऐसी सूचना कहां से आ गई, यह तो वे ही जानें। परन्तु उन्होंने भी मेरे को चिठ्ठी लिख कर नहीं भेजी। सरकार की ऐसी कोई मन्शा नहीं है। हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं....

श्री मोहर्रसिंह : आप जांच करवा लें।

श्री शिवचरण माथुर : आप प्रगतिशील पार्टी के सदस्य हैं। इस तरह से गलत जनमत तैयार किया जाना उपयुक्त नहीं है आप लेवी के बारे में सिद्धान्ततः सहमत हैं। परन्तु आप यह चाहते हैं कि 25 एकड़ जमीन पर छूट दें। यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर यह छूट दे दें तो लेवी की वसूली किस से करेंगे ?

श्री मोहर्रसिंह : 25 एकड़ असिंचित और 10 एकड़ सिंचित भूमि पर लेवी नहीं ली जानी चाहिये यह मेरी पार्टी की मांग है।....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि आज इन सारी चीजों को गहराई से देखा जाये। राजस्थान में किन किन केटेगरिज में लैण्ड होल्डिंग्स आती हैं उसका ऐनेलेसिस करेंगे तो जो निर्णय किया गया है वह उचित है। ज्यादा केटेगरिज करेंगे तो लीगल झगड़े पैदा हो जायेंगे और ज्यादा केटेगरिज करने में लेवी वसूल नहीं होगी इसलिए लैन्ड का केटेगराइजेशन कम से कम होना चाहिये। इसलिये लेवी वसूल करने की प्रक्रिया सीधी और सरल रखी गई है। किसान तो बिल्कुल ही इसके पक्ष में है कि लेवी ली जावे और उसके बाद उसको मुक्त कर दिया जाये। राजस्थान ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बात की है। हमने लेवी लेने के बाद किसान को मुक्त कर दिया है। वह लेवी देने के बाद अनाज कहीं भी और किसी भी भाव पर बेचे उसके ऊपर अन्तर जिले का कोई बन्धन नहीं है।

पंजाब में दी जाने वाली सुविधा के बारे में यहां पर कहा गया है। पंजाब में जो कुछ भी किसान पैदा करता है वह मार्केट में लाता है और सारा का सारा 105) रुपये की दर से पंजाब सरकार उसको खरीद लेती है ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको प्रोक्योर करने में क्या दिक्कत है ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । पहले मन्त्री महोदय की बात सुन लीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : हमने किसान को यह सुविधा दी है कि जो लेवी का क्वान्टम है हमारे लक्ष्य के मुताबिक उसको देने के बाद में वह स्वतन्त्र है । वह अपने अनाज को कहीं पर भी किसी भी भाव पर बेच सकता है और किसान आम तौर पर खुश है और वह खुशी से लेवी दे रहा है । यहां पर गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही हैं और पंजाब में किसानों को जो सुविधाएं हैं उनके बारे में कहा है । जिस प्रकार से वहां पर रखा है उसी प्रकार हमने राजस्थान में रखा है और मूलतः उसी को स्वीकार किया है । अधिक न रखकर सीधे तौर पर किसान से लेवी लेने का हमने तय किया है । यह राज्य सरकार की मन्शा है कि कम से कम दिक्कत के साथ और सहूलियत के साथ किसान से लेवी ली जावे । रात-दिन हमको किसान के पास जाना पड़ता है । यह एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है जिसको हमें निभाना है । इसको निभाने में जितने अधिक सक्रिय होकर अनाज इकट्ठा करेंगे प्राइसेज को हॉल्ट करने की स्थिति में आएंगे । इसके लिये कोई मेकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि बढ़ती हुई प्राइसेज को चेक कर सकें । सारे देश के स्तर पर अपने यहां पर भी बफर स्टॉक रखें और जैसे ही प्राइसेज के ऊपर बढ़ने का ट्रेन्ड आवे समाज के वलनरेबल सेक्शन को यह गल्ला दिया जावे ताकि प्राइसेज को डाउन किया जा सके । इसके प्रोक्योरमेंन्ट का आधार माना है जितना अधिक अनाज राष्ट्रीय भंडार में इकट्ठा होगा उतनी ही सरकार की प्राइसेज को रोकने की क्षमता होगी । इसलिए लेवी के काम में हमें सहयोग दें ।

यहां पर सीमेन्ट की दिक्कत के बारे में भी कहा गया है । कई दिनों से, पिछले कुछ महीनों से सीमेन्ट की दिक्कत की कोई सूचना हमें नहीं मिली है । आज सीमेन्ट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है । कपड़े की दिक्कत नहीं है । केरोसीन की दिक्कत नहीं है । सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी है ।....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किस ने कह दिया कि सीमेन्ट की दिक्कत नहीं है ? भयंकर रूप से इसकी दिक्कत है ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं रात दिन एम.एल.एज. के सम्पर्क में रहता हूं । पहले निश्चित रूप से दिक्कत थी । अब पिछले कई दिनों से यह दिक्कत नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह गलत बात है । मैं अभी सांचोर गया था । वहां के किसानों को कुए के लिए दो बोरी सीमेन्ट भी नहीं मिल रही है...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मीठालाल मीणा : मन्त्री महोदय, गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मीठालाल मीणा : मेरे क्षेत्र में भी सीमेन्ट उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कहीं कोई सीमेन्ट की

(श्री शिवचरण माथुर)
दिक्कत हो तो मुझे सूचना दें। मैं दिक्कत को दूर करूंगा।

श्री मीठालाल मीणा : आप मिलते ही नहीं हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आपने यह पहली बार कहा है।

श्री मीठालाल मीणा : आप अपने जिला अधिकारियों से पूछ लीजिये। जिला कमेटी में भी हमने कहा है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय अभी अपनी बात कह रहे हैं। पहले आप उनकी बात को सुन लीजिये। उनको सुनने के बाद कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सबको पूरा मौका मिलेगा। यह नहीं कि आप भाषण के बीच में व्यवधान डालें।

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज। अवसर आवे तब आप अपनी बात कहिये। मन्त्री जी अपनी बात कह रहे हैं। आप सुन लीजिये।

(4.28 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मन्त्री महोदय गलत कह रहे हैं।

श्री मीठालाल मीणा : जिला अधिकारियों की पिछली मीटिंग में भी कहा था।

(शोरगुल)

सीमेन्ट की कमी है। कल ही व्यवस्था करने को कहें, यह तो कोई जवाब है वरना....

श्री मूलचन्द सामरिया : झूंठ बोलते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सही बात तो यह है कि आज कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बता दीजिये, दूर की जायगी।

रहा सवाल बोनस के सम्बन्ध में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी भारत सरकार की बोनस की नीति है। उसके अनुसार राजस्थान सरकार इस लेवी पर बोनस देगी। यह प्रावधान है। इन शब्दों के साथ जो सुझाव आपने यहां पर दिये हैं उसके लिये धन्यवाद देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

एक एक माननीय सदस्य।

श्री मीठालाल मीणा : सीमेन्ट की किसी एक तहसील को दिक्कत है तो उसकी किस प्रकार से व्यवस्था कर देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यही तो कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के लिहाज से तो यह है कि अब सीमेंट की वह कमी नहीं है जो कि आज के कुछ महीने पहले थी, लेकिन किसी जगह ऐसा लगता है कि सीमेंट नहीं पहुंच पाया है और वहां पर कमी महसूस की जाती है तो आप कहिये। व्यवस्था करेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : एक आदमी एक बार में कहें ।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज । नेता महोदय बोल रहे हैं तो कम से कम आप बैठ जाइये ।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना भूल गया था। विट्ठल भाई ने कहा था उसके बारे में मैंने अपने स्टेटमेंट में उसका जिक्र कर दिया था इसलिए उसको रिपीट नहीं किया है। तहसीलदारों को यह आदेश दिये गये हैं कि कहीं पर गलत इन्द्राज हों, जैसे गेहूं बोया नहीं और गिरदावरी में उसका इन्द्राज कर दिया गया तो उसको देखकर, उसकी जांच करके उसको माफ कर देंगे। इसके अलावा जहां पर खराबा है उसके लिए तहसीलदारों को हिदायत की गई है कि मौके पर खराबा देखकर बाद में ठीक कर देंगे। यह मैंने स्टेटमेंट में कह दिया था इसलिए जवाब में रह गया था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री मीठालाल मीणा : उनके खिलाफ जिन्होंने पहले 14 मार्च से पहले लेवी तोल दी केसेज लगाये गये हैं उनका क्या होगा?

श्री हरिदेव जोशी : जिन लोगों ने लेवी तोल दी है और केसेज चालू हैं उनको तुरन्त विथड्रा कर लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज। आप अब भी बोलना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या जवाब हो सकता है आप अन्दाजा लगा लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे पर अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती लेवी वसूल की जा रही है ...

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी इस तरह से हाथ का इशारा करके हमको बहका रहे हैं जैसे वह किसी स्कूल के हैडमास्टर हैं और हम लड़के हों।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेवी के दौरान जो आज तक मुकद्दमे बने हैं वह विथड्रा कर लें ताकि गुडविल की क्लाइमेट

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पैदा हो। उसके पहले प्रोक्योरमेंट न हो। जो केसेज आज तक बने हैं लास्ट ईअरै और इस साल के वह विथड्रा कर लें ताकि गुडविल पैदा हो।

श्री हरिदेव जोशी : नई क्लाइमेट पैदा करना चाहते हो तो एक तथ्य यह भी आया है सामने कि आज भी इसी प्रकार कई जगहों पर इन्स्टीगेट किया जा रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिवली कहां नई क्लाइमेट पैदा हो सकती है उसको देखना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, कई स्थानों पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सरकार को लेवी लेना है तो ऐसा वातावरण बनायें कि इस प्रकार से किसानों पर जहां पर आज तक अन्याय हुए हैं और हो रहे हैं उनको रोका जाना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कह दिया है कि मैं हर इन्डिविजुअल केस को देखने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे यहां पर ऐसी बात कहें ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अन्याय हो रहा है ...

श्री हरिदेव जोशी : कोई अन्याय नहीं कर रहे है ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सरकार अन्याय कर रही है ...

श्री हरिदेव जोशी : मैं हर केस को देखूंगा। मैंने निवेदन किया। पर्ची के साथ में ... (श्री गिरधारीलाल भार्गव के बोलने पर) आप अलग से मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और यहां पर ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अलग का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : पर्ची में ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा यह कर्त्तव्य है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, यहां पर भी क्योंकि मैं चुनकर आया हूं ....

श्री शंकरलाल : आपका कर्त्तव्य विधान सभा में ही है और बाहर नहीं है। क्यों ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बाहर भी है और रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : वहां पर कर्त्तव्य पालन करने के लिए नहीं आते हैं और यहां पर ही कर्त्तव्य पालन के लिए आते हैं। आपकी कोई चीज सुनाई के काबिल हो और समझ में आये तब तो कुछ उत्तर भी दिया जा सकता है। मैंने निवेदन यह किया है कि कहीं पर ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं पर हार्डशिप हो गई है तो गवर्नमेंट उस हार्डशिप को खत्म करने में मदद करेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास केसेज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आप विराजिये, आप तशरीफ रखिये एक मिनट। देखिये, आप संसदीय प्रणाली और संसदीय परम्परा से भली प्रकार से परिचित हैं कि किसी भी इन्डिविजुअल केस ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो मुझे मालूम है ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। किसी भी इन्डिविजुअल केस के बारे में विधान सभा में या संसद में किसी तरह का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अगर केसेज कोर्ट में पेंडिंग हैं और तफतीश में हैं तो वह मामले उसी स्तर पर निपटाये जायेंगे। यहां पर केवल पॉलिसी ही आयेगी। सदन के नेता महोदय ने जिन मुद्दों पर आप जवाब चाहते थे वह जवाब उन्होंने दे दिया कि उस तरह का एटमोस्फियर बनाया जायगा। इन्डिविजुअल केसेज की बात हो तो नोटिस में लायें सरकार के जो उचित रिलीफ होगा वह दिया जायगा। इसके बाद आगे चलते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा प्रश्न रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप बिराज जाइये।

श्री केदारनाथ : जो रिकमन्डेशन एम. एल. एज. की हैं वह दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैंने अर्ज कर दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सीमेंट नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बिराजिये।

विधायी कार्य

वापिस लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1972

शिक्षा मन्त्री जी !

श्री खेतसिंह (विधि एवं संसदीय कार्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मगर यह तो आ जाय कि क्या है यह ?

श्री खेतसिंह : उसे वापिस लेकर जो नया बिल पेश कर रहा हूं उसमें आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इनको अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापिस लेता हूं।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1975

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा अधिकारी एवं सदस्य परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी प्रार्थना यह है कि यह बिल जो रखा गया है इसमें क्या है यह तो सदन को बतलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : किसी भी मामले को गम्भीरता से लेने की मैं उम्मीद करता हूं आप से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने गम्भीरता से ही पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रभारी मन्त्रीजी ने यह बिल रखा है यह बिल क्या है यह जानना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं····

श्री हरिदेव जोशी : जिस वातावरण में आप बात करते हैं····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वातावरण का नहीं है सवाल।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह मानकर चलता था कि कल विभिन्न पार्टियों के नेताओं से जो बातचीत करके इस संशोधन के बारे में चर्चा की थी उसको विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने सभी सदस्यों को बतला दिया होगा। वह यह है कि विधान सभा के सदस्यों का 100) रुपया सुविधा भत्ता बढ़ाया जाय माहवार और 31) रुपये की जगह 35) रुपये डी. ए. दिया जाय। यह सब लोगों के बीच में तय होकर यह बिल नया आया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो मालूम हो गया सबजेक्ट मैटर (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आॅर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975 को प्रस्तुत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान मन्त्री वेतन (सशोधन) विधेयक, 1975 को प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी : इसको भी नहीं समझें तो स्पष्ट कर दूं ?

कुछ माननीय सदस्य : स्पष्ट कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें यही है कि जितना डी. ए. एक विधायक को मिलेगा उतना ही मन्त्री को भी मिलेगा। और इसमें कुछ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मन्त्रियों को क्या जरूरत है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मिनिस्टर क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। You should take things seriously.

क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975 को प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975 को सर्वसम्मति से विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

सर्वसम्मति से विचारार्थ लिया गया।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये, सर्वसम्मति से पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मन्त्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वॉइन्ट ऑफ पर्सनल क्लेरिफिकेशन सर। माननीय

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

उपाध्यक्ष महोदय, कल जब मैं सदन में मौजूद नहीं था तो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये मुझ पर कुछ आरोप लगाये थे। उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेज दी गई है। लेकिन वह अभी तक हमें नहीं मिली है। उसमें तीन मुद्दे हैं। यह कि यू. आई. टी. से मैंने जो प्लॉट खरीदा वह कन्सेशनल रेट पर खरीद लिया। प्लॉट नं. 32 कम पैसे में खरीदा है। उसकी बाजार भाव से कीमत कम थी। दूसरा यह कि कब्रिस्तान की जमीन हड़प ली है। तीसरा यह कि यह जमीन जिला कांग्रेस कमेटी की मैंने ले ली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक एक प्वॉइन्ट के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा।

मैंने जिस स्कीम में प्लॉट नं. 32 खरीदा, वह सन 1971 में खरीदा। कन्सेशनल प्राइस में या अलॉटमेन्ट में नहीं खरीदा। मैंने ऑक्शन में खरीदा और सन् 71 में खरीदा था। जितनी प्राइस में प्लॉट बेचा गया उस समय उसकी प्राइस उससे अधिक नहीं थी। प्लॉट नं. 32 के बारे में उन्होंने जिक्र किया है लेकिन यह नहीं कि यह ऑक्शन किस सन् में हुआ है। प्लॉट नीलामी से बेचा गया और सन् 71 में बेचा गया।

यह भी कहा गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। मुझे याद है, गत सत्र में 22 मार्च को, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये से कुछ बातें कही थीं। यह कहा था कि राजस्थान में कई प्रकार की भूमि पर मन्त्री लोगों के कब्जे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह तारीख 22-3 होगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां 22-3 होगी।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पेम्फलेट का हवाला देते हुये कहा था कि राज्य मन्त्री का नाम इसमें लिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करना तो दूर रहा है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं चैलेन्ज करता हूं, वह तो कब्जे की कहते हैं, अगर सुई की नोंक के बराबर भी कब्रिस्तान की जमीन वह साबित कर दें तो मैं विधान सभा से त्याग-पत्र दे दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो कौरवों वाली बात कह दी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सुनिए, सुनिए। आप कहते हैं तो मैं सुनाता हूं। अब आप सुनने की कोशिश कीजिये।

जब यह 22-3-75 को विधान सभा में बात आयी तो उदयपुर मुस्लिम वक्फ कमेटी जो कब्रिस्तान के परपज के लिए बनाई गई थी, उस कमेटी ने विधान सभा के चार माननीय सदस्यों को लैटर लिखे। उनमें प्रो. केदार, श्री रामकिशन, श्री रामानन्द अग्रवाल को लिखे हैं, और चौथे श्री निरंजननाथ आचार्य, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे, आज दुनियां में नहीं रहे उनको लिखा। उसके कुछ रेलेवेन्ट पैराग्राफ पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने यह पत्र लिखा है 25 मार्च को जिसकी कॉपी हमें दी है। इसकी दूसरी

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
कॉपी वक्फ मिनिस्टर साहब को भी भेजी है। 25-3-75 को उदयपुर मुस्लिम वक्फ कमेटी के मैम्बर्स की ओर से लेटर लिखा गया है। आपको रेलेवेन्ट पोरशन पढ़कर सुनाना चाहता हूं:—

"Today I have come to know through the press about this and I am very much thankful to you for this action. One thing which I would like to clear before your goodself is that the State Home Minisier, Shri Shaktawat has not encroached any of the wakf properties as blamed by some of the M. L. As. in the House. Many others have encroached including U. I. T. and Municipal Board, Udaipur members but not any minister or Shri Shaktawat."

This is the letter which is written by the Udaipur Muslim Wakf Board Action Committee to the four M. L. As. of this House.

तो मैं समझता था कि इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए थी कि मैंने किसी कब्रिस्तान की भूमि पर एनक्रोच किया या नहीं। माननीय सदस्य को थोड़ी सी स्थिति और स्पष्ट करना चाहता हूं। यह जो कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है तो मेरा निवेदन है कि मेरे प्लॉट और कब्रिस्तान के बीच में 7 फीट की जमीन है। उसके बाद 14 फीट की सड़क है। एनक्रोचमेन्ट तो बहुत दूर रहा है। लेकिन राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से वह कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

तीसरी बात यह है कि माननीय रामानन्द अग्रवाल ने स्वयं ने कहा है। 25-11-74 को मिले हैं। गुलाबसिंह का प्लॉट हड़पने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि वह उदयपुर में आयें और उदयपुर में जाकर देखें। अगर जिस दिन मुख्य मन्त्री महोदय या यह सदन कहे और एक इंच भी जमीन सिद्ध कर दें तो मैं सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा। बस मुझे यही कहना है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय ··

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिए।

श्री फूलचन्द जैन : आपकी पार्टी ने गलत आरोप लगाये हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह जानना चाहता हूं ··

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : स्पष्टीकरण कर दिया। अब आप क्या कहना चाहते हैं?

व्यवस्था का प्रश्न
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर प्रश्न

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

(श्री फूलचन्द जैन)
एक माननीय सदस्य ने माननीय राज्य मन्त्रीजी के खिलाफ आरोप लगाया और माननीय राज्य मन्त्रीजी ने उसका जवाब दे दिया और यह भी कह दिया कि अगर कोई चीज गलत हो तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। माननीय सदस्य उसके बावजूद भी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसा समझते हैं कि राज्य मन्त्रीजी ने जो बात कही है वह गलत है। यदि यह साबित नहीं हुआ तो क्या वे भी इस्तीफा देने को तैयार हैं ? वरना वह इसके बावजूद भी बहस करते जांय, यह कहां तक उचित है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ···

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज एक मिनिट मेरी अर्ज सुनिये पहले आप तशरीफ रखिए।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप कितना ही कहें, मैं दानों को ओब्लाइज़ करने वाला नहीं हूं (श्री फूलचन्दजी जैन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। देखिये जहां तक प्रक्रिया संचालन के नियमों का सवाल है, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है उसका जहां तक दायरा है, सीमा है उसमें तो केवल स्पष्टीकरण देने के पश्चात् कुछ कहने का प्रश्न उठता नहीं है। इतना अवश्य है कि यदि किसी व्यक्ति के विरोध में आरोप लगाया गया, उस समय अवश्य उस बात को कहने का उस व्यक्ति को मौका दिया जा सकता है। ऐसी बात माननीय मन्त्रीजी के बयान में कही गई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सदन में जवाब आया है, असेम्बली के ···

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए पहले, जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आया है उसके बारे में कोई निर्णय देने की बात भी आप सुनना नहीं चाहते हैं। प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि जो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया गया है उसके बावजूद भी, प्रावधान है इसलिए मैं इसको अलॉउ नहीं करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, आप अलॉउ करें या नहीं कर जब राज्य मन्त्री ···

(व्यवधान-अश्रव्य)

महोदय ने चुनौती दी है, उन गल्तियों को छिपाया नहीं जा सकता है, यहां पर जो जवाब दिया है ···

श्री फूलचन्द जैन : जो व्यवस्था दी गई है उस पर आप कैसे कह सकते हैं, यह समझ में नहीं आया।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महादय मैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। आप मुझे यह बताइए कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में यह कहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई मन्त्री या एम. एल. ए. व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देता है और फैक्ट्स को ओवरलुक करे तो उसको तो ओवरलुक करने का अधिकार है और चार्ज लगाने वाले को कहने का अधिकार नहीं है ? काउन्टर फैक्ट्स का जवाब दिया जा रहा है तो उसको रोका जा सकता, यह बताइए किस जगह पर है। माननीय राज्य मन्त्रीजी ने फैक्ट्स को बदलकर रखे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेन्टरी प्रूफ है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, फैक्ट्स यह हैं कि उन्होंने 71 में नीलाम से प्लॉट लिया, इस फैक्ट्स को इन्कार करते हैं, उन्होंने यह कहा कि····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नेता महोदय, आप कैसे बोल रहे हैं, आप उनकी ओर से सफाई दे रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : एज हैड ऑफ दी गवर्नमेन्ट और चूंकि एक मन्त्री के सम्बन्ध में यह····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय नेता महोदय, आप क्यों सफाई दे रहे हैं, आपको अधिकार है क्या बोलने का ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, आपको अधिकार है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप कर क्या रहे हैं, नेता महोदय, सफाई दे रहे हैं उनकी ···

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही निवेदन करता हूं कि आप मेरी बात को सुन लें। माननीय राज्य मन्त्री जी ने केवल तीन बातें कही हैं। यह कहा है कि उन्होंने प्लॉट को 1971 में नीलाम से लिया और उसकी कीमत उसके आस पास के प्लॉट्स की कीमत से कम नहीं है—ऑक्शन प्राइस नम्बर 1। नम्बर दो यह कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया। उनके प्लॉट के बाद दीवार है और फिर 14 फीट की सड़क है इसलिए कोई नाजायज कब्जे का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग नाजायज कब्जे के लिये लड़ रहे थे उन लोगों के बाबत जो लेटर लिखा गया है उसकी कॉपी आपको भी दी है, यही उन्होंने कहा है। उसमें यह कहा गया है कि जहां तक श्री गुलाबसिंहजी शक्तावत का सवाल है उन्होंने कहीं कोई नाजायज कब्जा नहीं किया है, यही क्लेरफिकेशन था, यही फैक्ट्स तो उन्होंने रखे। तीनों बातें उन्होंने साफ कर दी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आई रेज अनॉदर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री फूलचन्द जैन : अनॉदर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर कैसे हो सकता है ···

श्री उपाध्यक्ष : जब तक एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का निर्णय नहीं हो जाय तब तक····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सदन के नेता····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

(श्री उपाध्यक्ष)

आप पहले मेरे को सुन लें, आपने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। आप विराजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिराज तो जाऊंगा लेकिन पहले आप मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज ऑफ करते और फिर नेता महोदय को बोलने की आज्ञा देते। यही प्रक्रिया कार्य संचालन के नियमों के अन्दर है। जब मैं बोल रहा था, तब आप घंटी बजा रहे थे। मैं यह पूछ रहा था कि सदन के नेता महोदय किस अधिकार से सफाई देना चाहते हैं। लेकिन आपने उनको अधिकार दे दिया बोलने का जो कि इस सदन से भी ऊपर है।

व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, ऑर्डर प्लीज। देखिये ऐसा है कि माननीय सदस्य श्री हांडा साहब ने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि सदन के नेता महोदय किस अधिकार से बोलते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : I have heard you and I expect that patience from you.

कोई भी माननीय सदस्य पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करता है उसके बारे में सदन के सदस्यों को बोलने का अधिकार है, सदन के नेता को तो है ही। क्या आप उनको सदन का सदस्य भी मानने से इन्कार कर रहे हैं? सदन के प्रत्येक सदस्य को उस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की लीगेलिटी या इल्लीगेलिटी, प्रोप्राइटी या इम्प्रोप्राइटी, उसके फेक्ट्स के बारे में कुछ कहने का अधिकार ता है ही और आसन को उसका फैसला करना चाहिये। वरना प्रॉसीजर यह हो जायगा कि आपने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया और उसको सुने बिना ही उसका फैसला कर दें तो यह प्रोपर जजमेंट नहीं होगा। इसलिये नेता महोदय ने जो कुछ कहा है वह नियमों के अनुसार ही है और आसन ने उनको सही मानते हुए ही इजाजत दी है।

सबसे पहले माननीय सदस्य ने पूछा है कि कौनसे नियम के अंतर्गत माननीय राज्य मंत्री को मौका दिया है और किस तरह से उनसे क्वेश्चन करने की इजाजत आसन से क्यों नहीं दी जाती है? इस बारे में रूल 276 बहुत स्पष्ट है:—

"276. Personal explanation.—A member may, with the permission of the Speaker; make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise."

साफ है कि जो एलीगेशन्स मंत्री जी के खिलाफ लगाये थे उनको रिवट करने का अधिकार नियमों में दिया हुआ है और ऐसे एक्सप्लेनेशन के बाद में किसी तरह की डिबेट एलोउ नहीं की जायगी। There is no provision for debate.

(17W)

(श्री उपाध्यक्ष)

यह डिबेट का मुद्दा नहीं बन सकता। इसके साथ-साथ इसी प्वॉइण्ट पर कौल और शकधर का है—

"After the personal explanation has been made no further questions are allowed on it; if the allegations are denied on the floor of the House, the denial is normally accepted by the member who made the allegations; even if the latter is not satisfied with the personal explanation, no further statement is allowed, the idea being not to convert it into a debate. The matter is treated as closed with the statements of both sides being on record. However, after the personel explanation by a member the Speaker may, in appropriate cases, permit the Minister or member concerned to make a clarificatory statement for which also the submission of an advance copy is necessary." इसलिए मैंने जो आपसे निवेदन किया है और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य से मैंने निवेदन किया है, इस पर न डिबेट में कन्वर्ट करने की इजाजत देता हूं न ही फर्दर क्वेश्चन पुटअप करने की इजाजत देता हूं। पालियामेंट्री प्रैक्टिस और प्रोसीजर पर कमेंट्री है उसमें लिखा है। इसके अलावा इसी प्रांगण पर और इसी आसन से बहुत से जजमेंट्स है जो पिछले रेकार्ड में देख सकते हैं, परम्परायें हैं, डिसीजन्स हैं। माननीय सदस्य ने किसी फैक्ट को एलेज किया, दूसरे माननीय सदस्य ने उसको रिबट किया, उसके लिए यह न्यायालय नहीं है कि कौनसी बात सच है, कौनसी झूठ है, रेकार्ड पर दोनों एलीगेशन्स हैं। दूसरे मंत्रीजी ने जैसे रिबट किया, दी मैटर एन्ड्स देयर।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : एक चीज क्लेरीफाई करें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आई रेज एनॉदर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जब एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज हो जाता है तो उस पर सदन अपनी ओपीनियन दे सकता है। जब सदन के नेता बोल रहे थे तो मैं आसन से पूछ रहा था कि किस आधार पर बोल रहे हैं, क्या वह मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोल रहे हैं या सफाई के रूप में बोल रहे हैं या और कोई तथ्य सदन में रख रहे हैं लेकिन वह मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में नहीं बोले इसलिए उन्होंने जो कुछ भी सवाल रेज किए हैं, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि उनको एक्सपंज किया जाय, वह लीगल नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : किस रूल के तहत है?

श्री उपाध्यक्ष : पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो रेज किया है उस बारे में प्रत्येक माननीय सदस्य को कहने का अधिकार है, सदन के माननीय नेता को भी अधिकार है। उन्होंने नियमानुसार कहा है और उसके लिए आप जो कहते हैं कि एक्सपंज करने का आदेश दिया जाय, मैं आपकी आपत्ति को ओवररूल करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

अकाल का स्थिति पर विचार ।

(शोरगुल)

आॅर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशन : आपने जो चिट्ठी का जिक्र किया है वह किस तारीख की है.?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 25-3 ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में डिटेल में कह चुका हूं ।

श्री हाजीजान मोहम्मद खां : मेरा नाम आया था, इसलिए मुझे मौका दिया जाए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीम सदस्य का नाम आया था ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उस चैप्टर को क्लोज कर चुका हूं और दूसरा चैप्टर अकाल का है। अब मैं माफी चाहता हूं। आप बिराजिए ।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : मेरा जिक्र आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माफी चाहता हूं ।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : मुझे जवाब देना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे माफी चाहता हूं । आॅर्डर प्लीज ।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : मेरा जिक्र आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । मैं आपसे फिर नम्र निवेदन करता हूं, तशरीफ़ रखिए । अकाल की स्थिति पर विचार ।

अकाल की स्थिति पर विचार

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की अकाल स्थिति पर विचार किया जाय ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अकाल की स्थिति पर यूं तो अकाल राहत मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए और जो प्रगति है उस का विवरण देना चाहिए, उन्होंने विवरण नहीं दिया परंतु····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पॉइंट आॅफ आॅर्डर । यह बात हुई थी कि मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे कि क्या-क्या राहत कार्य हुए हैं, सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उस पर स्टेटमेंट देंगे, वह वक्तव्य नहीं आया और डिबेट शुरू हो गई है। कोई साइक्लोस्टाइल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया है, जैसे लेवी के बारे में दिया । इससे माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने में सुविधा होगी । यह बात पहले तय हुई थी ।

श्री उपाध्यक्ष : कहां तय हुई थी ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सदन में ।

श्री दीपंकर : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य गांव वालों की बात को रखने नहीं देना चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने टेबिल आॅफिस से पूछा है । इस तरह का कोई रेजोल्यूशन या बात रेकार्ड पर नहीं है । मंत्रीजी के पास हो और सरक्यूलेट करना चाहें तो मुझे ऐतराज नहीं ।

Page No 176

(176)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पढ़कर ही सुना दें तो ज्ञान प्राप्त हो जायगा।

श्री दीपंकर : मंत्रीजी ने प्रस्ताव रख दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य के दिमाग का अकाल हो गया है।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): जब कभी भी सदन में अकाल के संबंध में चर्चा हुई है तो राज्य सरकार से एक रेजोल्यूशन मूव होता है जो राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है। यह बात अलग है कि राज्य सरकार कोई फैक्चुअल बात रखना चाहे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लेवी का प्रश्न है शासन की तरफ से यह आदेश थे कि राज्य सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया जायेगा। इसके अलावा अकाल के बारे में परसों माननीय सदस्यों से यह तय हुआ कि राज्य सरकार अकाल के सम्बन्ध में एक नोट सरक्यूलेट करा दे जिसमें आज तक राज्य सरकार ने इस अकाल के तहत क्या-क्या कार्य किये हैं उसके बारे में फक्ट्स उस नोट में दे दिये जावें ताकि माननीय सदस्यों की जानकारी के अन्दर सभी बातें आ जायं। चूंकि समय थोड़ा कम रहा इसलिये पूरा नोट तो तैयार नहीं हो सका लेकिन थोड़ा बहुत जो नोट तैयार कर सके उसमें खास तौर से रिलीफ वर्क आज राजस्थान में कहां-कहां चल रहे हैं और उनमें कितने कितने मजदूर काम कर रहे हैं उसके बारे में एक अकाल राहत मन्त्री जी आपके सामने फेक्ट्स रख देंगे।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत अच्छा रहेगा, साहब।

श्री मीठालाल मीणा : इसमें आप जिलेवार कितने काम किस हिसाब से स्वीकृत किये उसको भी बता देंगे। जैसे जयपुर जिले में कितने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल मन्त्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र की समाप्ति के बाद विभिन्न जिलों में अकाल राहत कार्य जो स्वीकृत किये गये हैं और उनमें कितने मजदूर कहां पर काम कर रहे हैं उसकी वस्तु स्थिति इस प्रकार है:—

		मजदूर
(1)	अजमेर	20,800
(2)	अलवर	610
(3)	बांसवाड़ा	26,999
(4)	बाड़मेर	42,773
(5)	भरतपुर	1,379
(6)	बांसवाड़ा	14,096
(7)	बीकानेर	5,400
(8)	बून्दी	1,046
(9)	चित्तौड़गढ़	5,010
(10)	डूंगरगढ़	22,939
(11)	गंगानगर	1,821
(12)	जयपुर	4,376
(13)	जैसलमेर	7,069
(14)	जालौर	7,404
(15)	झुन्झुनू	4,166
(16)	जोधपुर	23,906
(17)	भीलवाड़ा	5,322
(18)	पाली	12,315
(19)	सवाई माधोपुर	766
(20)	सीकर	7,312
(21)	सिरोही	8,895
(22)	टौंक	3,[illegible]47
(23)	उदयपुर	41,965

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

इसके अलावा बहुत से मजदूर राजस्थान कैनाल के एरिया, माही, मेजा, जैतपुरा, जाखम वहां भी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी स्थिति निम्न प्रकार से है:—

(1) जाखम	1,926
(2) मेजा	4,490
(3) जैतपुरा	800
(4) सेई	1,700
(5) माही	7,521
(6) राजस्थान कैनाल	36,000
(7) आर. सी. पी. वन	200
	54,437

इस प्रकार आज राजस्थान में विभिन्न जगहों पर जो मजदूर काम कर रहे हैं करीब साढ़े तीन करोड़, साढ़े तीन करोड़ नहीं साढ़े तीन लाख लोग अकाल राहत के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन जिलों में कहां-कहां पर कितने राहत कार्य चल रहे हैं वह भी बता सकता हूं। इसके अलावा लोगों को जहां पीने के पानी की तकलीफ हो रही है वहां पर टेन्कर्स से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा कई फीडर्स बनाये जा रहे हैं। इसके अलावा नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के इलाकों में पशु आहार केन्द्र भी खोले गये हैं। इसमें कुल 55 केन्द्र खोलने थे जिसमें 26 तो खुल चुके हैं। उनकी स्थिति निम्न प्रकार की है:—

(1) नागौर	3
(2) पाली	2
(3) जोधपुर	4
(4) जैसलमेर	7
(5) बीकानेर	1
(6) बाड़मेर	9

इस प्रकार और भी खुलने वाले हैं। और दूसरे जो आंकड़े वह आने बाकी रह गये हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति स्थानों पर कार्य शुरू कर दिये हैं। इसमें वहां पर लोग जो काम कर रहे हैं उनमें डेढ़ रुपया कम से कम सभी को दिया जा रहा है। इसके अलावा जहां पर कुए 150 फीट गहरे हैं और जहां पानी बहुत नीचे चला गया है वहां पर कुओं को गहरा करने के लिए कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा 100 गांवों में पिलाई का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

इसके अलावा और भी दूसरे स्थानों पर राज्य सरकार पीने के पानी की व्यवस्था करने के बारे में सोच रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी तक भारत सरकार ने राज्य सरकार को कितने करोड़ रुपये अकाल राहत के तहत दिये हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भारत सरकार ने अकाल राहत के अन्तर्गत 10 करोड़ 24 लाख रुपये की धनराशि की मदद की है और इसके अलावा भी मदद देने का आश्वासन दिया है। इसके लिए भारत सरकार की एक अध्ययन दल राजस्थान सरकार के अकालग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने आ रही है और वह सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद भारत सरकार को सिफारिश करेगी। वैसे

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
राज्य सरकार के पास उस अध्ययन दल के आने का समय 14, 15 और 16 तारीख है इसी महीने की। उस अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार फैसला करेगी कि कितना रुपया राजस्थान सरकार को भारत सरकार अकाल के लिए मदद में दे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा कहने का मतलब यह है कि आज तक कुल कितने रुपये राज्य सरकार को इन सारे अकालों के लिए मिले हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कुल मिलाकर 273 करोड़ रुपये आज तक भारत सरकार ने राज्य सरकार को अकाल राहत कार्यों के लिए मदद दी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अकाल राहत मन्त्री जी ने जो अकाल की स्थिति राजस्थान में है और राज्य सरकार उसके लिए क्या कर रही है, इसके बारे में सदन में सूचना दी। मैंने उसको बहुत ही ध्यान से सुना। यह तो सही है कि राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य खोले हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह इतने कम हैं और जो लोगों को काम दिया गया है उन मजदूरों की संख्या मैं दूसरे इलाके की तो नहीं कहता लेकिन बाड़मेर जिले के लिए आपने जो लोगों को लगाया है वह बहुत कम है। आपने दूसरे जिलों को भी बाड़मेर के समान ही रखा है यह उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में बाड़मेर जिला ही एक ऐसा जिला है जहां कि अकाल की स्थिति भयंकर है। बाड़मेर एक ऐसा इलाका है जिसमें 865 गांव हैं उसमें से 864 गांव अकालग्रस्त है। दूसरी जगह मैं समझता हूं ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर एक जिले में 16 गांव हों तो 16 में से 16 ही गांव अकालग्रस्त हों उसमें से 5-7 या 10 गांव हो सकते हैं, लेकिन यहां तो सभी गांव अकालग्रस्त हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के जो प्रयास बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। हमने इसीलिये पहले सत्र में मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन किया था कि अकाल की स्थिति को देखते हुए आप अभी से बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों में ऐसी व्यवस्था करें कि वहां के लोगों को 15 रुपये माहवार प्रति व्यक्ति दिये जायं। यह मांग, उपाध्यक्ष महोदय, हमने फरवरी में की और फिर उसके बाद में भी की लेकिन राज्य सरकार ने हमारी इस मांग को कि जो 15 रुपये सहायता दी जाय उसमें से आधे तो उनको लोन के तहत और आधे उन्हें सब्सिडी के तौर पर दी जाय वह नहीं मानी। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस मांग को फरवरी और मार्च दोनों ही महीनों में बार बार रखा, लेकिन हमारे प्रयास इस ओर विफल रहे। इसके लिए हमने केन्द्र से भी मांग की परन्तु केन्द्र से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। राहत कार्य खोले गये। राहत कार्य जो खोले गये, यह खुशी के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने 20 साल में जो कार्य हाथ में नहीं लिये थे वे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इन राहत-कार्यों के रूप में हाथ में लिये हैं। टार रोड्स के काम, इरिगेशन के काम हाथ में लिए यह सराहनीय है। फोरेस्ट के कार्य खोले गये हैं वे सभी युटिलिटी के कार्य हैं, उपयोगी कार्य हैं और परमानेन्ट नेचर के कार्य हैं। यदि वहां आप टार रोड बनाते हैं तो वहां पर पानी, चारा, अनाज पहुंचाने में भी सुविधा मिलती है। इससे विकास में बहुत काफी लाभ मिलता है। यह कार्य सराहनीय है। लेकिन मजदूर जो लगाये गये हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। 40 हजार मजदूरों के बारे में परमीशन दी है। अभी यह स्थिति हो सकती है कि 45 हजार की संख्या बढ़ी हो। संवत् 2025 में मजदूर मई महीने में लगाये वे एक लाख मजदूर लगाये और जून में 1 लाख 80 हजार तक संख्या बढ़ गयी। स्थिति इससे भी आज भयंकर है। उसका क्या कारण है ? एक तो भयंकर अकाल है और दूसरी मंहगाई ने स्थिति को और भी विकट कर दिया है। पहले जो अनाज के भाव थे उनसे दुगुने, ढाई गुने बढ़ गये हैं। मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी नहीं मिली ती है। यदि उनको राहत कार्यों में भी नहीं लगाया जाय तो किस प्रकार से वे अपनी व्यवस्था करें, किस प्रकार से गुजारा करें ? यह विकट प्रश्न आ जाता है उनके सामने। इसलिये मांग रखी है कि 15 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह दीजिये। माननीय सदस्य चाहते हैं कि अभी भी प्रति व्यक्ति 15 रुपया लोन देने की व्यवस्था करें। हमारे किसान गवर्नमेंट के वफादार हैं। कर्त्तव्य का पालन करते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वैसे लोग लोन लेते हैं तो तीन महीने का लोन देते हैं तो 270) रुपया एक परिवार को मिलता है। 6 सदस्य होते हैं परिवार में तो 270) रुपया। 360) रुपये में भी एक परिवार की व्यवस्था नहीं हो सकती। उनको तीन-चार महीने निकालने हैं, वह मुश्किल है गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कम से कम मांग रखी है। यदि सही मायने में मांग रखी जाय तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति, आधी सब्सिडी और आधा लोन होना चाहिए। इसलिये कमजोर से कमजोर मांग रखी है राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए। यह लोन देने की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो मई महीने में मजदूरों की संख्या को बढ़ाइये। जून में आपको और भी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा।

सोइल कन्जर्वेशन के कार्य आपने शुरू नहीं कराये है। वे कराये जाने चाहिये। फोरेस्ट के कार्य खोल सकते हैं। लघु सिंचाई के वर्क्स के बारे में सुझाव दे सकते हैं। कुछ रोड्स के वर्क्स खोल सकते हैं। अगर बाड़मेर जिले की जनता को बचाना है, यदि किसानों को बचाना है, जिन्होंने पूरी तरह से मदद की है, आपकी नीति में आपकी मदद की है, तो आप मई के महीने में मजदूरों की 80 हजार की संख्या को बढ़ाइए और जून में एक लाख की संख्या बढ़ाइये। जुलाई में यह संख्या कम हो जावेगी। बरसात हो जाती है तो अपने आप यह संख्या कम हो जाती है, 50 हजार, और अच्छी बारिश गयी ता 40 हजार के करीब हो जाती है। यह नहीं बढ़ाते हैं तो लोन का सुझाव दिया है, वह दें। कार्य आप बन्द मत करिये। बन्द भी करना चाहते हैं तो 50 पर्सेन्ट 60 पर्सेन्ट कार्य हुए हैं वे पूरे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कम्पलीट कर दिये जायें। अर्थ वर्क पूरा कर दिया गया। ट्रान्सपोर्टेशन करके ग्रेवल कर दिया गया। पत्थर डाल दिए गये, रोड़ी डाल दी गयी। रोडरोलर्स पहुंच गये। कंसोलिडेशन, डामर का तीन चार मील का काम पूरा हो गया। यों का यों रख दिया है 1 करोड़ रुपया लगा कर, जिन कामों की प्रशंसा की, सराहना की, उनको आप समाप्त मत करिये बन्द करेंगे तो एक करोड़ रुपयों का नुकसान हो जावेगा। और विकास का कार्य शिथिल पड़ जावेगा।

प्रश्न उठता है उन कार्यों पर लगे हुए मजदूरों को लोन दें या न दें यह गवर्नमेन्ट के सोचने की बात है। लोन भी दे देंगे तो उन कार्यों में लोग लगेंगे। एक्सपर्ट्स से एक्जामिन कराके मामले करिये कि 20 हजार से अधिक मजदूर नहीं ले सकते और 15 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह लोन देते हैं तो यह भी गवर्नमेन्ट के लिए कठिनाई की बात हुई एक पक्ष मैंने रखा है।

दूसरा, पशुओं के बारे में कहना चाहता हूं। मैं रवाना हुआ तब तक पशु पोषण केन्द्र शुरू नहीं हुये हैं। पानी के लिये यह कहना चाहता हूं कि 36 स्थानों पर पानी दिया जा रहा है और 36 स्थानों पर रहता है। लेकिन पानी दिया जा रहा है वह 1/8 गैलन भी प्रति व्यक्ति नहीं मिल रहा है। 15 गैलन पानी आप शहर में देते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में उसको 5 गैलन कर दीजिये। 2 गैलन प्रति व्यक्ति की व्यवस्था करिये। दो गैलन नहीं कर सकते हैं तो समुचित पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और न ही सही इन्तजाम हो सकता है। ऐसे भी स्थान हैं जहां पर पशुओं को भी पानी पीना पड़ता है। मवेशियों को पशुओं को पानी पीना पड़ता है। मवेशियों के लिए निवेदन करूं कि इन्सट्रक्शन्स दे दें कि दो गैलन पानी दिया जाय। अभी मिल रहा है 1/8 गैलन पानी मिल रहा है यह व्यवस्था बरदाश्त नहीं कर सकते।

कुछ मुद्दों के बारे में यह कहना चाहता था कि मजदूरी मिल रही है उसमें डिडक्शन्स हो रहे हैं। कितनी भी कोशिश करें, मेहनत करे डिडक्शन 50 पर्सेन्ट होता है 60 पर्सेन्ट होता है। 60 पर्सेन्ट डिडक्शन होता है। हमने यह सुझाव रखा था जो 27 रुपये क्यूबिक मीटर है उसको बढ़ाकर 50) रु. क्यूबिक मीटर करना चाहिये। सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर ने वह प्रपोजल मान लिये। अभी गवर्नमेन्ट की तरफ से प्रपोज़ल नहीं माने गये हैं। वहां परड का काम करना चाहते है और वास्तव में आप सही मजदूरी देना चाहते हैं तो जो रेट है 27 रुपये क्यूबिक मीटर की वह कम पड़ती है उसको 50 रुपये क्यूबिक मीटर करनी चाहिये। अभी जो उनको मिल रहा है वह 1) रु. मिल रहा है और किसी को बारह आना ही मिल रहा है तो 50) रु. कर देने पर कम से कम उनको दो ढाई रुपया मिल जायगा। चीफ इन्जीनियर साहब ने वह स्थिति देखी है। आज मजदूरों में करप्शन हो रहा है। मैं यह चाहता हूं कि जो करप्शन हो रहा है वह न हो। दो मिस्त्री अपने नाम लिखा देते हैं और काम नहीं करते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लिखा देते हैं किन्तु वे काम नहीं करते हैं। उसका

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
सफर उन आदमियों को करना पड़ता है ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : काम पर हाजिर तो रहते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हां प्रजेन्स ता रहेगी लेकिन काम नहीं करेंगे। करप्शन का तरीका इस तरह एडॉप्ट किया है। इस प्रकार के करप्शन को चैक करने के लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एम. एल. ए. को भी दूर करने का मौका दीजिये जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स कमेटी के सदस्य हैं—कलेक्टर जब भी टूर करें तो साथ में जायें। करप्शन पर चैक किया जाना चाहिये। जो वर्क्स चल रहे हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

दो मिनिट में समाप्त करता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था पूरी तरह जांच करके करप्शन को रूट आउट किया जाय।

दूसरी सिरकियों की व्यवस्था नहीं है। जब मुख्य मन्त्री जी पधारे थे तो उनको भी निवेदन किया था। गर्मी भयंकर है तब भी सिरकियों की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरों को पीने के ठण्डे पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मटकियों की व्यवस्था कीजिये ताकि मजदूर ठण्डा पानी पी सकें। इसमें कोई ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है।

मेडिकल फैसिलिटी के बारे में अभी तक आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। पंचायत समिति के जो हैडक्वार्टर हैं उनमें डॉक्टर नहीं है। जो भी डॉक्टर वहां जाते हैं उनके लिए प्रोविजन नहीं है, उनके लिए प्रोविजन कीजिए ताकि मजदूरों की बीमारी का इलाज हो सके। वहां आन्त्रशोथ की बीमारी है, गर्मियों में और बीमारी होगी। वास्तव में जो स्टाफ लगना चाहिए उसको तो भेजिये और उनके प्रोविजन की व्यवस्था करने की भी जरूरत है।

मैं यह भी चाहता हूं कि एक पखवाड़े में दे सकें तो एक छुट्टी टास्क बेसिस पर भी उनको दी जाय, अगर यह सुविधा हो सके तो गवर्नमेंट इस व्यवस्था को भी करे 15 दिन में एक दिन क्योंकि उनको भी अपने घर के अन्य कई काम करने पड़ते हैं, अन्य कठिनाइयां भी उनके साथ होती हैं। यह भी व्यवस्था कर सकें तो करनी चाहिए।

चारे की व्यवस्था के बारे में

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

बाड़मेर में चारे की कमी नहीं है परन्तु 50 पर्सेन्ट किसानों के पास चारा है और 50 पर्सेन्ट चारा उनको खरीदना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में चारे की रेट्स में बहुत फर्क है इसलिये रेट्स को रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिये। वर्क्स खोलें तो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का ऑफिस भी खोलना चाहिए दूसरे ऑफिस खोलने की भी व्यवस्था करनी चाहिये। मैं वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं डिप्टी कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट का ऑफिस खोल दीजिये, बाड़मेर में खोल दीजिये। इन्जीनियर के बारे में एक्जीक्यूटिव

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इंजीनियर का कार्यालय स्थापित नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में कार्यालय स्थापित करना चाहिए। अभी हमारे यहां सोइल कन्जरवेटर की भी नियुक्ति नहीं हुई है तो इसके बारे में भी व्यवस्था करनी चाहिये। जब तक आप पूरा स्टॉफ नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का दफ्तर नही है, सोइल कन्जर्वेशन का दफ्तर नहीं है। ये जो चीजें मैंने ध्यान में लाई हैं, गवर्नमेंट और मुख्य मंत्री ने ऐलान किया है कि भूख से किसी को नहीं मरने देंगे। मैं चाहता हूं हमारे आदमियों को रूखी रोटी मिले और मिर्च मिले और मिर्च भी नहीं दे पायें तो उनको प्याज ही मिले। अगर उनको दो वक्त खाना मिल जाता है तो हम समझते हैं गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था की है।

बकरा-बकरी हमारे यहां से भेजे जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं और अन्य स्थानों को जा रहे हैं और बकरों के साथ बकरियां भी जा रही हैं। स्थिति खराब होने के कारण जा रही हैं। किस प्रकार अपनी रोजी चलायें। मजदूरों ने अपने चांदी के गहने बेच दिये और कर्जदार हो गये। स्थिति बड़ी भयंकर है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये इनका मुकाबला करने के लिये पूरी शक्ति लगानी चाहिये।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ! सबको समय मिलेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता के सम्बन्ध में अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि राजस्थान नहर पर करीब 30 हजार लोग काम कर रहे हैं। वास्तव में राजस्थान नहर में जो बीकानेर जिले के आस पास काम कर रहे हैं उसमें कई तरह की कठिनाइयां हैं। अभी आंधी और तूफान चलते हैं...

श्री दीपंकर : अकाल के समय सबको मौका दीजिये। ये ही लेकर बैठ जाते हैं....

(व्यवधान-अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : हां, ठीक कह रहे हैं लम्बा-चौड़ा इलाका पड़ता है और छोटे से इलाके में...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चूरू, बीकानेर, लूणकरनसर छोटे इलाके नहीं हैं, बड़े इलाके हैं।

श्री भीमसेन : ... जो काम कर रहे हैं उनके सामने कई कठिनाइयां हैं। गर्मी में आंधी और तूफान आते रहते हैं। जितना काम करते हैं उतना ही बराबर हो जाता है। अतः यह समस्या बहुत भयंकर समस्या है। इसलिये इस समस्या के लिये राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिये। मैं इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं लोगों के काम का जो माप होता है उसको सात दिन में मापें तब तो मजदूरों को कुछ रिलीफ होगा और जो आंधी-तूफान से क्षति होती है उसकी पूर्ति की कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। जितने मजदूर राजस्थान नहर में काम कर रहे हैं

(श्री भीमसेन)

उतने ही मजदूर उसमें और लगाने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि बीकानेर जिले में सड़कों का काम खोलने की आवश्यकता है। नोखा में तीन सड़कों का काम खोला जा सकता है, लूणकरनसर में दो सड़कों का काम शुरू हो सकता है। अभी गर्मी का मौसम है। जब लोग वापिस घर पर आयेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे इस तरह उनके लिये कुछ और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जो सड़कों के काम अधूरे पड़े हैं उनको भी पूरा करने की आवश्यकता है।

लिफ्ट योजना में जो काम कर रहे हैं, राजस्थान मुख्य नहर में राजस्थान सरकार ने उनको सुविधा दी है। जो कॉन्ट्रेक्टर वहां काम करते हैं उनको शिड्यूल बेसिस से 25 पर्सेन्ट ज्यादा मिलता है इसलिये जो राजस्थान मुख्य नहर में जो सुविधा दी है वह उनको भी 25 पर्सेन्ट ज्यादा देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह वहां के लोगों की वाजिब मांग है और उसको राज्य सरकार स्वीकार करेगी।

इसी तरह से उपाध्यक्ष, महोदय, बीकानेर लूणकरनसर क्षेत्र में अभी राज्य सरकार ने पीने के पानी के लिए एक टैंकर भेजा है। आजकल गर्मी का मौसम है और रास्ते खराब हो जाते हैं और ज्यादा गर्मी पड़ने से टैंकर खराब हो जाते हैं। इसके लिए हमने जिलाधीश को सुझाव दिया था कि ऊंटगाडी से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि जब टैंकर है तो हम ऊंटगाड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, टैंकर बहुत मंहगे पड़ते हैं और एक बार यदि टूट जाता है या खराब हो जाता है तो उसकी रिपेयर करने में दस पन्द्रह दिन का समय लग जाता है और दस पन्द्रह दिन तक गर्मियों के मौसम में लोग प्यासे मरें यह व्यवस्था उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रशासक को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि लोगों को नियमित रूप से पीने का पानी उपलब्ध होता रहे। आज बहुत से लोगों को पीने के पानी के अभाव में गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी की जाये जिससे कि निश्चित समय में और उचित मात्रा में जहां पानी नहीं है वहां ऊंटगाड़ी से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें।

इसी तरह से अभी बरसात का मौसम आने वाला है और सरकार को बीज के बारे में अभी से ही कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हम यह चाहते हैं कि आने वाली फसल के समय में किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हो इसके लिए अभी से व्यवस्था करने की आवश्यकता है और पंचायत हैडक्वार्टर्स पर पहले से ही खरीद कर बीज पहुंचा दें ताकि जब बरसात हो तो किसानों को बीज उपलब्ध हो जाये। लेकिन देखा यह गया है कि सरकार तब व्यवस्था करती है जबकि बरसात हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को अग्रिम तौर पर इस बारे में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

इसी तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या राजस्थान में

(श्री भीमसेन)

है। आज करीब 22 हजार गांव ऐसे हैं कि जहां पीने के पानी की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो राज्य सरकार को पीने के पानी के बारे में हर अकाल के समय में कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि जीवन बीमा निगम और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कुछ कर्जा मिलने की सम्भावना हो जायेगी जिससे पीने के पानी की योजनायें हाथ में लेकर क्रियान्वित कर सकते हैं गांवों में। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : उनके यहां भीषण अकाल है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है और वहां पशु भी खूब हैं तो अकाल आज वहां करीब 1,250 गांवों में है और ऐसी स्थिति में वहां जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय ने अभी स्वीकृतियां प्रदान की हैं उनसे जिस तरह से पहले के अकालों के समय में लाख डेढ़ लाख लोग काम में लग जाते थे वहां आज पांच साढे पांच हजार लोग काम पर लग रहे हैं और उसमें भी सम्पूर्ण अकाल में नहीं हैं और उसमें भी ठेकेदारों द्वारा जो कार्य करवाये जा रहे हैं वह संख्या भी इसमें शामिल है। तो ऐसी स्थिति में वहां लोग इन्तजार में बैठे हैं और जिस तरह से सरकार का निश्चय था और घूम-घूम कर उनको यही बताया है कि मई में काम तेजी से शुरू होगा और जून के एण्ड तक अकाल काफी समाप्त हो जाये। और फिर हम खेती के काम धंधे में लग जायेंगे और अच्छा जमाना आ जायेगा। तो लोग बड़े इन्तजार में हैं। तो इस तरह से केवल वह सड़कें जो बरसात की बदौलत टूट गयी हैं या वह पुलिया जिन पर काम शुरू हुआ था या वह सड़कें जो पहले अकाल के समय में शुरू हुई थीं और अधूरी रह गई हैं उनकी कुछ स्वीकृतियां आपने प्रदान कीं, कुछ वह बंधे जो बरसात के दिनों में टूट गये थे उनकी स्वीकृतियां प्रदान की हैं लेकिन यह सारे के सारे काम जो शुरू हैं उनमें 50 पर्सेन्ट काम ठेकेदारों द्वारा करवाये जा रहे हैं। इसलिए आम मजदूर, आम आदमी जो मजदूरी के लिए वहां पहुंचते हैं उनको न तो एनरोलमेंट किया जाता है, न उन्हें काम पर लगाया जाता है। यहां तक कि पहले के अकालों के काम में हमने देखा है कि सिरकी लगाकर उनके रहने का इन्तजाम किया जाता था और पीने के पानी के लिए टैंकर बाहर से ला कर रखे जाते थे और किसी तरह से उनको सस्ता अनाज मिल जाता था और वहां पर मोदी भी उनको दे देते थे कि उनकी मजदूरी आयेगी तब उनको दे देंगे। तो जैसे ही मजदूरी आती थी उनको पेमेन्ट कर देते थे। तो उनके दिन गुजर जाते थे। आज न तो किसी काम पर मोदी है, न सरकारी दुकानें हैं, न कहीं अनाज मिलता है, न दवा मिलती है और न पीने का पानी मिलता है और न लोगों को रोजगार ही मिलता है। तो ऐसी भयंकर स्थिति में मैं

(श्री दीपंकर)

मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक बार वह हमारे नागौर जिले की तरफ कृपा दृष्टि करें और वहां पधारें और कामों को देखें और वस्तुस्थिति का अनुभव करें तो वह स्वयं मान जायेंगे कि वास्तव में इस जिले में काफी तादाद में काम करवाये जाने की आवश्यकता है। गांवों में ऐसी हालत है कि लोग दो दिनों से मांग कर अपने परिवार का पेट का पालन करते हैं, आधी छाछ कुछ अनाज आधा पिसा हुआ उसकी रावड़ी बनाकर पेट में डालने की कोशिश करते हैं। और वह जायें भी कहां ? आदत पहले से ही ऐसी पड़ी हुई है और कुछ सरकार ने भी डाली थी कि हर गांव में पहले काम खोल दिये जाते थे और कभी मील, डेढ़ मील पर काम करने जाते थे और आज हम कहें कि आप एक मील जाओ, आज कहें कि राजस्थान केनाल पर जाओ तो कई तरह की उनके सामने दिक्कत आ जाती है।

हमारे पास खेती के अलावा दूसरा धन्धा पशुपालन का है। तो वह पशु किस को संभलाकर जायें। उसके अलावा बूढ़े मां-बाप हैं, बच्चे हैं उनको कहां लेकर जायें और इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वह वहां पर जायें। हमने कुछ आदमियों को राजस्थान केनाल पर भेजा था। बड़े अफसोस के साथ यह रिपोर्ट निवेदन करनी पड़ रही है कि वह 7 दिन के बाद ही वापिस लौट आये। हमने पूछा कि क्या हालात हैं वहां की तो उन्होंने कहा कि वहां जाते ही हमने दो-चार दिन ठहरने की कोशिश की और जो हमारे पास था वह सारा खा आये और हमने वहां पर कहा कि हमको काम पर लगाओ तो हमको कहा गया कि कल आइये, कल गये तो कहा कि कल आइये और आखिर काम नहीं दिया गया और यहां तक कि हमारी लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की। तो हमने देखा कि जैसी हालत में आये हैं उस हालत में भी नहीं रह पायेंगे और गांव भी नहीं पहुंच पायेंगे इसलिए वापिस लौट आये। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सारी जगह ही ऐसी अव्यवस्थायें होंगी ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है लेकिन हमारे नागौर की हालत बहुत खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आज एक लिस्ट दी है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इस कमेटी में जाते नहीं हैं। हमने निवेदन किया है। आपके सरकारी गजट में टैन्डर्स निकले हैं सड़कों के जिनको कि करवानी है लेकिन वह टैन्डर्स नहीं पहुंचे इसलिए न तो काम किसी ठेकेदार को दिया जा सका और न डिपार्टमेन्टल ही शुरू किया जा सका। डीडवाना सर्किल तो बिल्कुल ही खाली पड़ा है। वहां एक पैसे की भी स्वीकृति नहीं है। लाडनूं और डीडवाना तहसील दोनों का यही हाल है और दूसरी स्वीकृतियां आती हैं वह वही हैं जो कि टूटी हुई सड़कें हैं, नालें हैं या बंध हैं। मेहरबानी करके उन सड़कों का काम पूरा करवा दें जो कि अधूरी पड़ी हैं। उन पर आपके लाखों रुपये लगे हैं और कहीं पर 1½ मील और कहीं पर 2 मील केवल मोरम डलवानी है। अगर यह कर देंगे तो आने जाने वालों को सहूलियत हो जायेगी। फिर काम भी हो जायेगा और लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा। मैं समझता हूं कि ऐसा टाइम पहुंच गया है कि जिस टाइम के ऊपर

(श्री दीपंकर)

आपको फैमिन का काम पूर्ण अवस्था में हो जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीने के पानी की तकलीफ है। लोगों को रोजी की दिक्कत आ गयी, लोगों के खाने की दिक्कत आ गयी और जहां लोगों का जन्मजात गांव है उसमें उनका रहना हराम हो गया। उनको नींद नहीं आती, उनके बच्चे भूखे हैं और उधार उनको कोई देता नहीं है। ऐसी हालत में अबकी बार भयंकर अकाल का स्वरूप है और मृत्यु का सूचक अकाल है और इस अकाल के समय में मेरे दूसरे प्रश्न के जवाब में माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी को चाहिये था कि कम से कम इस समय में 50-60 हजार के मवेशी मर चुके हैं। नागौरी नस्ल के कितने बढ़िया पशु हैं। एक दुधारू गाय मर जाय तो उसकी क्या कीमत होगी? बहुत मरी हैं। वैसे तो जितने गांवों की संख्या है उनके बारे में हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु इसके लिए रेवेन्यू विभाग को चाहिए कि आपस में तालमेल रखे। आपने फोडर सेंटर खोल रखे हैं और उनके लिए आपने तीन की संख्या निर्धारित की है लेकिन तीन की संख्या से क्या होना है। गांवों में इधर-उधर घूमते रहते हैं कि कहीं सस्ता मिल जाय किसी जगह से तो लाकर खिलायें। तीन की संख्या तो बहुत कम है, इससे काम चलेगा नहीं। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसी एजेंसीज हैं जो अकाल के समय काम करना चाहती हैं, आप थोड़ा प्रयास कीजिए कलकत्ता मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी की तरफ से ऐसे मौके पर सहायता की जाती है, कई और भी इस तरह की सोसायटीज हैं, ऐसी संस्थायें हैं जो ऐसे मौके पर देश के पशुधन का रिलीफ दे सकती हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो हर तरह से वह चाहे नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर आपके धान का काम चारे का काम किसी तरह से करने की स्थिति में हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका व्यापक सम्पर्क इन बड़े 2 शहरों में हो और शहरों में जो बड़ी 2 सोसायटीज हैं जहां अगर अकाल पड़ता है, कलकत्ता के अन्दर, बंगाल के अन्दर वह वहां पर लाखों रुपया लगा सकते हैं तो अपनी जन्मभूमि में क्यों नहीं लगा सकते, राजस्थान में कैसे नहीं लगा सकते? हमारा एप्रोच होना चाहिये। एप्रोच करने वाले होने चाहियें। आप कलकत्ता जावें, बम्बई जावें, मद्रास जावें, ऐसे बड़े शहरों में जावें और वहा पर लोगों से धर्म के नाम पर कुछ भी करवा लीजिए। धर्म के नाम पर बड़े 2 मन्दिर बनते हैं, धर्म के नाम पर बड़े 2 जुलूस निकलते हैं, धर्म के नाम पर बहुत बड़े 2 भोजन होते हैं (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) अगर मनुष्य को बचाने के लिए, किसी तरीके से पशुओं को बचाने के लिए ऐसे लोगों को एप्रोच करें तो मैं समझता हूं कि वह न केवल अपने नो लॉस नो प्रोफिट के बेसिस पर कुछ करेंगे, कुछ धनराशि देंगे इस अवसर पर जबकि इससे पहले जितने भी अकाल पड़े, उन अकाल के समयों में सुखाड़िया साहब जाते थे और बाहर से कई तरह की मदद लाते थे। आज भी भयंकर स्थिति है, आप भी वहां पधारें, माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी निवेदन करिये, दूसरे मन्त्रियों से भी निवेदन करिये जिनका जहां अच्छा सम्पर्क हो उन लोगों से साधन लेकर मेहरबानी करके उनको बचाइये और नागौर जिले की

(श्री दीपंकर)

जैसी हालत है उस हालत में मेरा स्पष्ट निवेदन है कि इसमें कोई शक नहीं कि गांवों के अन्दर जो चारा पड़ा है वह चारा किनके पास है ? उन लोगों के पास है जिन लोगों के पास अच्छे साधन हैं। अच्छी खेती है, जो लोग इकट्ठा कर सकते हैं उनके पास इकट्ठा किया हुआ पड़ा है। परन्तु जो साधारण लोग हैं, बलाई हैं, नाई, भंगी, रेगर, चमार इस तरह के साधारण कौम के जितने लोग हैं, उन लोगों के पास साधन नहीं हैं, वह अपने जीवन की रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं, न अपने पशुओं की रक्षा करने की स्थिति में हैं। इसलिए सस्ता चारा, सस्ता अनाज उनको उपलब्ध करावें और कोई न कोई काम उनको दें, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ ही साथ एक आपसे आखिरी निवेदन और करना चाहूंगा कि इस अकाल के समय में यह जरूर है कि यह तकलीफ का समय है, तकलीफ के समय सब में एका हो जाता है। आपकी सरकार की भी जॉइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी है परन्तु आपके विभाग न्यारे 2 हैं मन्त्रियों के और न्यारे 2 मन्त्रियों के बिभागों के न्यारे 2 जो सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, उनमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। जिस तरह से जल योजना है, जल योजना हम नहीं चलाते। कुओं पर बिजली का कनेक्शन लगायें तो अकाल के समय आराम होगा। आप बिजली विभाग से सम्पर्क करिये। आपके यहां पर टंकियां बनी हुई हैं, पाइप लाइन बिछी हैं, खेलियां बनी हुई हैं पशुओं के पानी पीने के लिए लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण कुओं से पानी बाहर निकाल कर मवेशियों को पिलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि वह अपनी मर्जी से कनेक्शन नहीं दे पाते हैं इसलिए बिजली विभाग के साथ किसी तरह से आपका सम्पर्क हो। कृषि विभाग का अच्छे तरीके से आपके साथ सम्पर्क हो। इसके साथ ही आर्थिक दृष्टि-कोण से सोचें, समय पर पेमेंट हो।

लास्ट में निवेदन है कि पिछले अकाल के समय में जो कुछ हमारी बकाया है, लोगों में सबसे बड़ा इस तरह का असंतोष है (समय - समाप्ति - सूचक घन्टी) हमारा बकाया है वह दिलायें और ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक लास्ट पॉइन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका लास्ट खत्म नहीं हो रहा है।

श्री दीपंकर : एक ही बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। चालीस-पचास हजार रुपया हमारा बकाया है, गरीब आदमियों को इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि पेमेंट करने के लिए तीन-चार महीने बाद में गए और वहां पर लोग नहीं मिले तो वापिस जमा करा दिए सरकार के खजाने में। आज भी वे रुपये सरकार के खजाने में जमा हैं। इस मौके पर वृद्धिचन्द्र जी ने मांग की कि अगर प्रति व्यक्ति साढ़े बारह रुपया, पन्द्रह रुपया, बीस रुपया बिना ब्याज के जिस तरह से तकाबी की रकम देते हैं, वह तकाबी की तरह से नहीं तो लोन के रूप में दे दें और बाद में वापिस ले लें,

(श्री दीपंकर)

अगर यह स्कीम भारत सरकार नहीं मानती है तो जाने दीजिए लेकिन हमारे मजदूरों के जो पैसे जमा हैं (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) उनको तो मेहरबानी करके पेमेंट कराने की कृपा करें, यही मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह !

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

I have pronounced the name.

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी विशेष कृपा है कि आपने मुझे समय प्रदान किया। अमूमन समय कम ही मिलता है, मुझे यह शिकायत है। खैर, अकाल राजस्थान में कोई अजनबी बात नहीं है, कई बार पड़े हैं। लोगों की आदतें बिगड़ गईं, बिगाड़ी भी गईं और कई बार सरकार के अधिकारियों की उपेक्षा के कारण मायूस होकर लोगों ने कई बार ऐसी 2 वारदातें भी कीं कि जो उन्हें करनी नहीं चाहिए। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछा था अकाल राहत मंत्री जी से कि राजस्थान से अकाल पीड़ित जिलों में से कितने लोग निष्क्रमण कर गए। कहां कहां गए और मुझे जो प्रश्न का उत्तर मिला है उसमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे हमारी सरकार के पास इस बात के आंकड़े ही नहीं हैं और कारण उन्होंने यह बतलाया कि जो परमिट लेकर नहीं गए उनकी सूचना हमारे पास नहीं है। आप खुद तो कुछ करें नहीं, पशुपालकों को राहत दे नहीं पायें, समय पर कुछ प्रबन्ध कर नहीं सकें और जब वह जायं तब भी आप से इजाजत लेकर जायं और आपकी मशीनरी कौनसी है कि जिससे वह परमिट लेकर जावें। वह कलेक्टर के पास जावें या एस. डी. ओ. के पास जावें या तहसीलदार के पास जावें या पटवारी साहब जो इस सरकार के सबसे इम्पोरटेन्ट, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर अंग हैं, उनके पास जावें और उनसे परमिट प्राप्त करें। अफसोस के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि जो मुझे आंकड़े दिए गए हैं वह बिल्कुल गलत हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपको और बतला सकता हूं कि आपने यह जो कहा है कि नागौर जिले से केवल 28,200 पशु और चार हजार पशुपालक मध्यप्रदेश में गए। जैसलमेर जिले से केवल एक हजार व्यक्ति और 1,829 पशु मध्यप्रदेश में गए और पाली जिले से केवल 97 पशुपालक 2,684 पशु लेकर मध्यप्रदेश में गए। यह स्पष्ट है और मैं आपको चुनौती देता हूं, राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों को चुनौती देता हूं, यह साबित कर दें कि पाली जिले से केवल 97 पशुपालक और केवल यह आपने आंकड़े दिए हैं इतने ही पशुपालक मध्यप्रदेश में गए।

(5.59 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न और भी किया था और वह यह था कि वे खानाबदोश की भिखारियों की जिन्दगी मध्यप्रदेश में जी रहे हैं और हमारा प्रशासन उनको किसी भी तरह की कोई सहायता दे नहीं सका और आपने केवल चारे के लिए तीन चार लाख खर्च करने की बात

(श्री सज्जनसिंह)

कह कर आज दिन तक केवल यह जवाब देकर टाल दिया है। वहां मध्यप्रदेश के जंगलों में, फोरेस्ट विभाग के जंगल में पशु-पालक फिरते हैं, यह भी अकाल राहत मन्त्रीजी आपके अधिकारियों ने गलत सूचना दी है। वास्तव में ये लोग वहां पर भिखारियों की जिन्दगी बिताते हैं। मजदूरी करके जीवन-यापन कर रहे हैं। एक तरफ मजदूरी नहीं मिलती है। गांव-गांव में पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता है। मजदूरी मिलती भी है तो कुए खोदने की मिलती है। अगर एक कुआ खोदने का ठेका लेते हैं तो अपने पशुओं को पालने के लिए दूसरे व्यक्तियों को रखना होता है। क्या मध्यप्रदेश सरकार अन्धी, बहरी और गूंगी है? क्या उनके अधिकारी नहीं देखते कि उनके जंगल में इनके पशु चर रहे हैं और उनको चरने दिया जाता है, यह सोचना भी आपका गलत है। मेरी सद्भावना मन्त्री महोदय आपके प्रति है, क्योंकि आपको जो सूचना दी जाती है, वह अधिकारियों द्वारा दी जाती है। मैं जानता हूं ब्यूरोक्रेसी आपकी जैसी है वैसी है। एक प्रश्न की सूचना प्राप्त करने में जितना समय आप नष्ट करते हैं, जितना पैसा आप व्यय करते हैं उतनी ही गलत सूचना और भ्रामक सूचना आप देते हैं। इससे एक अजीब सी तस्वीर राजस्थान के लोगों की सामने उभरती है। जो लोग चले गये उनकी सूचना नहीं है और वे वहां क्या कर रहे हैं, इसकी भी सूचना आपके पास बराबर नहीं है। आपने मध्यप्रदेश की सरकार के साथ किस प्रकार का लाइजन किया है। वहां पर लोगों को किस प्रकार से राहत दे पाये हैं इसकी कोई सूचना नहीं है और आपने उत्तर टाल दिया। खैर, अकाल के कारण जिन राजस्थान के अभागे लोगों को निष्क्रमण करना पड़ा, अपने पशुओं को पालने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, उनके साथ हमारी सरकार ने जिस प्रकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का प्रमाण दिया है उसके लिए सिवाय क्षोभ व्यक्त करने के मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इनकी ऐसी व्यवस्था करती ताकि मध्य प्रदेश के अन्दर इनको कहीं सुरक्षित रखा जा सकता। आपकी सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति लाइजन कायम करता और वहां इन लोगों को मजदूरी मिलती। उनके पशुओं के लिए यह कह कर चलें कि वे जंगल में चर लेते हैं तो वहां के जंगल आपकी मिल्कियत नहीं हैं कि उनके पशुओं को चरने दिया जायगा। पशुओं के चरने पर उनको दण्डित किया जाता है, उनका चालान किया जाता है, उन पर मुकद्दमे चलाये जाते हैं और इस तरह से वे परेशान होते हैं। एक तरफ तो यहां की यह हालत है और दूसरी तरफ अकाल राहत मन्त्री जी क्या बताया जाये आपको, इस प्रश्न का उत्तर पाकर मुझे इतना क्षोभ, दुःख हुआ उतना शायद दूसरे प्रश्न के उत्तर में आज दिन तक नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता था, जो हमारे अभागे प्रवासी, राजस्थानी भिखारी, भिखमंगे, खानाबदोश की जिन्दगी मध्यप्रदेश में बिता रहे हैं, उनके लिए आपने क्या कदम उठाये हैं, उनकी क्या संख्या रही है और हर जिले से कितनी संख्या में इनका निष्क्रमण हुआ है? यह जानकारी मैंने चाही थी। आपने अपने जवाब में कहा है बाड़मेर से कोई नहीं गया। मैं प्रमाणित कर सकता हूं, चेलेन्ज

(श्री सज्जनसिंह)

देता हूं, मैं आपके अधिकारियों को चेलेन्ज देता हूं बाड़मेर जिले से लोग गुजरात गये हैं और पशु लेकर भी गये हैं। और आपने उत्तर में कहा है जो पशु गये हैं उनमें भेड़, बकरी शामिल नहीं हैं। यह क्यों ? जब स्पष्ट प्रश्न पूछा था, कितने पशु, कितनी गायें, भैंस, बकरी और भेड़ लेकर लोग कहां कहां गये ? क्या यह आपका कर्त्तव्य नहीं था, आपके अधिकारियों का कर्त्तव्य नहीं था कि वे इसकी जानकारी करते और इस प्रश्न का सही उत्तर, जवाब हमको मिलता। कोई सोचता नहीं है। किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। किसी प्रकार की हमदर्दी हम रखते हों, ऐसा नहीं दिखता। इसलिए मैं आपसे, सरकार से यह अपेक्षा करता हूं और आपको जगाना चाहता हूं, अगर आप बहरे हैं तो आप कान खोलकर सुनें, अगर आप अन्धे है तो आपको दिखाना चाहता हूं वहां की स्थिति को, चलिये मेरे साथ में, मैं बताऊंगा और अगर आप देखना नहीं चाहते हैं, अपने कर्त्तव्य से विमुख होते हैं, तो इसके लिए आपको जनता के सामने जवाब देना होगा।

इसके अलावा, सभापति महोदय, राजस्थान के इन प्रवासी निष्क्रमणरत अभागे लोगों के दुःख की कहानी जो मैंने अभी आपके समक्ष पेश की है, वे केवल मध्यप्रदेश में ही नहीं गये हैं। इन्होंने अपने जवाब में बतलाया है, वे हरियाणा भी गये हैं। इन्होंने यह सूचना नहीं दी कि बाड़मेर से कोई गुजरात नहीं गया। वे गुजरात गये हैं, काठियावाड़ गये हैं। वहां पर कुए खोद रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दर दर के भिखारी की तरह और हमारी सरकार ने इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। खैर, इनको करना चाहिये और अब भी अगर ये करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अच्छा ही करते है। पैसा भारत सरकार देती है, यह एक तथ्य है। आप अपनी मजबूरी यह कह कर टाल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको प्रायोरिटीज फिक्स करना चाहिये। प्रायोरिटीज उन डिस्ट्रिक्ट की फिक्स करनी चाहिये जहां कि कन्डीशन सीवियर है, ग्रेव है और लोग वास्तव में दुखी हैं। उनको आप किसी प्रकार से रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं तो अच्छा है। आपका डिपार्टमेन्ट एक रिलीफ डिपार्टमेन्ट है। आप भिखारियों को कहां से भिक्षा नहीं दे रहे हैं। यह आपका कर्त्तव्य है। आप अपने कर्त्तव्य को निभा रहे हैं तो ठीक है। आप अपने कर्त्तव्य में फेल होते हैं तो आप अपनी सरकार को कलंकित करते हैं। इसके सिवाय क्या जवाब है कि आपने अपने कर्त्तव्य को क्यों नहीं निभाया ? किस जिले में कहां पर क्या कन्डीशन है ? किने कन्डीशन्स के कारण आप स्वीकृति देते हैं। आपने बांसवाड़ा में कितनी स्वीकृतियां दीं, उदयपुर में कितनी स्वीकृतियां दीं, बाड़मेर में कब और कितनी स्वीकृतियां दीं, जैसलमेर और जालोर में कितनी स्वीकृतियां दीं। मैं यह सोचता हूं कि इनमें जानबूझ कर डिस्पेरिटी रखी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी राजस्थान अकाल से अभिशप्त नहीं है ? क्या अकाल से वे ही जिले पीड़ित हैं जहां पर प्रभावशील राजनीतिज्ञ सौभाग्य से या हमारे दुर्भाग्य से जन्म लेते हैं। जहां पर अकाल

(श्री सज्जनसिंह)

पड़े या नहीं केवल राजनीतिक कारणों से वहां पर अकाल पटक दिया जाता है। वहां पर काम सब से पहले किया जाता है और अधिकारियों द्वारा मिनिस्टरों का फेवर गेन करने के लिए, फेवर पाने के लिए तुरन्त कार्यवाही होती है, स्वीकृति होती है और पश्चिमी राजस्थान का वह हिस्सा जहां पर धूल भरी आंधी उड़ा करती है, हमारे भाग्य में भगवान ने धूल झोंकी है और आप भी जानबूझ कर धूल झोंक रहे हैं और यह एक नयी परम्परा, काम की स्वीकृति की परम्परा, डिस्पेरिटी की परम्परा आपने कायम की है और इसका आपके पास में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं है कि स्वीकृतियां देने का आधार आपका क्या है? मुझे बताने की कृपा करें बाड़मेर में 40 हजार मजदूर आज की तारीख में काम कर रहे हैं, पाली जिले में 12 हजार और जालौर जिले में 7 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या वहां पर अकाल कम है? क्या वहां के लोग अकाल, भुखमरी से कम पीड़ित हैं या कहीं चले गये हैं? क्या उन्होंने जहर खाकर लम्बी तान ली या मजदूरी करना नहीं जानते? क्या सरकार ने उनको घर बैठे राशन पहुंचा दिया? क्या हमारी सरकार इतनी जागरूक हो गई है कि उनकी सारी व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से कर दी है या वे मजदूरी करना नहीं जानते? क्या कारण है? बाड़मेर में 40 हजार मजदूर काम करते हैं, जोधपुर में उससे कम करते हैं और जालौर में उससे भी कम काम करते हैं और पाली जिले पर आपने बड़ी कृपा की है, बड़ी अनुकम्पा की है। वहां पर बडस से सुमेरपुर तक मेन रोड को डामर करने का ठेका आपने दे दिया। अब ठेकेदार की मर्जी होगी उस गांव के लोगों को वह मजदूरी देगा। यह एक ऐसी कारगुजारी है जिसमें मजदूरों को लाभ नहीं होगा और जिसमें मजदूरों को लगाने में आपका कोई नियन्त्रण नहीं होगा। इस प्रकार का काम खोल कर आपने वहां पर बड़ी कृपा की है क्योंकि शायद आप यह जानते हैं कि वहां के, उस जिले के लोग बहुत ज्यादा समृद्ध हैं? आप यह तर्क दे सकते हैं कि वह इलाका दो फसली है, लेकिन यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि जवाई बांध जो बुनियादी तौर से एक इरिगेशन, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। आज माननीय विरोधी राजनेता यह कहने का गुमान करते हैं कि वह केवल जोधपुर शहर को पानी पिलाने के लिए बन्धा था। यह भ्रामक, गलत और मिथ्या प्रचार करते हैं। इरिगेशन के लिए पानी नहीं देकर वह पानी पाली जिले के गांवों को न देकर जोधपुर को देना चाहते हैं इसमें क्या तुक है? मेरे चुनाव क्षेत्र सुमेरपुर में जवाई बांध है। वहां के गांवों को पानी नहीं मिले, उन लोगों को पानी नहीं मिले जो हमेशा लेते रहे हैं, जो प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, अकालग्रस्त हैं, उन गांवों को पानी नहीं दिया जाता है और पानी दिया जाता है केवल जोधपुर शहर को। तर्क यह है कि जोधपुर शहर में लोग गेहूं खाते हैं उनको ज्यादा पानी पीने को चाहिए। हमारे को शायद मांड्लो धतूरा मिलाकर देते हैं उसमें शायद पानी की कम आवश्यकता पड़ती हो? टेक्निकल बात होगी। किसी न किसी आविष्कारक ने आपके दिमाग में यह भर दिया हो कि

(श्री सज्जनसिंह)

वहां के लोगों को कम पानी दिया जाय तो चलता है। लेकिन, मान्यवर, वहां के पशु क्या पीते हैं, वहां के लोग अपने पशुओं को कहां लेकर जाते हैं, किस तरह से जिन्दा रखते हैं ? यह कल्पना आपको अपने अधिकारियों के मार्फत करनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जब भयंकर गर्मी होगी तब हम और भी किस तरह से पीड़ित होंगे, तब हमारी आत्मा और ज्यादा उद्वेलित होगी, उस समय आप पानी देने की कृपा करेंगे, वरना कान खोलकर सुन लीजिये कि मैं नहर को तोड़ दूंगा और मेरे इलाके का पानी है तो पानी लेने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी आंखों के सामने से मेरे इलाके का पानी बहकर जाय और मेरे गांव के लोग पानी के बिना प्यासे मरें, तरसें, मेरे इलाके के मवेशी मरें, बिना पानी के तड़फते रहें, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था आपको समय रहते कर देनी चाहिए।

यही मसला चारे का है। आपसे उस दिन मैंने एक पॉइन्टेड क्वेश्चन पूछा था कि पाली जिले के चारे को दूसरे जिले में मत जाने दीजिये। मैं आशा करता हूं कि शायद आपने नहीं जाने दिया हो, लेकिन मुझे सन्देह है कि वह जरूर कहीं न कहीं गया है। कुछ भी हो आप स्वीकार करते हैं। गर्दन हिलाने का आपको बहुत शौक है कभी यों हिलाते हैं और कभी यों हिला देते हैं, लेकिन आपकी गर्दन का विश्वास करके यह मान लेता हूं कि आपने हमारा चारा नहीं भेजा है, लेकिन उस चारे को पॉइन्ट्स पर कृपापूर्वक भेज दें जहां पर लोग उसको खरीद सकें, और अपनी रेट भी आप कृपापूर्वक ऐसी रखें कि हम अपनी पॉकेट से पैसा देकर उसको खरीद सकें और हमारे पशुओं को पाल सकें। ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिये। इसमें आप कोई कृपा नहीं करते हैं। इसमें आप धर्मादा नहीं बांटते हैं। हम कोई भीख नहीं मांगते हैं, न मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि ऐसी भावना से प्रभावित होकर आप यह रिलीफ कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं।

निवेदन मैंने कर दिया चारे का, निवेदन मैंने कर दिया पानी का, आगे के लिए आपको दोषी नहीं गिना जा सकता है। वह मन्त्रालय कोई और है, उसमें कोई और सम्मिलित हैं उसमें आप असहायता मन्त्री बन जायेंगे और कह देंगे कि इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमान, शहरों में गेहूं के खाने के लोग आदी हैं, भाग्यवान हैं, क्योंकि हवामहल में रखते हैं, कोई राजभवन में रहता है, कोई सिविल लाइन्स में रहता है तो कोई जौहरी बाजार में रहता है। वह लोग तो गेहूं खाने के आदी हैं। उनके भाग्य में गेहूं खाना लिखा है, क्योंकि उनकी जबान में वह कुछ ताकत है क्योंकि उनमें वह हिम्मत व हौसला है कि वोट देते वक्त आप लागों की चोटियों को उल्टा और सीधा घुमाना जानते हैं। वह गांव का नागरिक जो कि सैकण्ड रेट का नागरिक नहीं है, जो थर्ड रेट का नागरिक नहीं है, जो फर्स्ट रेट का नागरिक है, आपके हर आदेश को मानता है, आपकी हर आज्ञा का पालन करता है, आपके हर इशारे पर आप जहां चाहें वहां वोट देता है। वफादारी, हिम्मत और हौसले के साथ

(श्री सज्जनसिंह)
अपने भाग्य को न कोस कर आप लोगों को बनाता है। उसकी बात की उपेक्षा करके आप अपना अपमान नहीं समझते हैं और उसका अपमान करते हैं जो आपको बनाता है। खैर, यह आपकी आदत है। लेकिन वह अब जाग गये हैं। वह यह महसूस करने लग गये हैं कि क्या कारण है कि शहर के लोग तो गेहूं खाते हैं? लेवी मैं दूं, आप पैसा कम दें, जलील मैं होऊं, गेहूं मैं बोऊं और मेरा गेहूं मेरी आंखों के सामने शहर में जाय, और मुझे आप खाने के लिए माइलो दें? वह भी आप समय पर न दें। शक्कर चार-चार छः-छः महीनों तक न दें। चाय पीने की आपकी आदत होगी, आप कॉफी पीना भी जानते होंगे, एस्प्रो कॉफी का उपयोग आप करते रहें, लेकिन कम से कम जरूरत की बुनियादी चीजों की अपेक्षा तो वह भी करता है, और सरकार का कर्त्तव्य समझता है, और वह यह भी जानता है कि सरकार अगर व्यवस्था नहीं करती है तो मैं भी जहां पर वोट देने का समय आयेगा तब हाथ खींच लूंगा। उस दिन यह लोग तड़फेंगे, उस दिन यह लोग तरसेंगे, उस दिन इन लोगों का मरी हुई तितली की तरह रंग उड़ जायगा। आज दिन तक उसने किया नहीं, लेकिन परेशान होकर, जलील होकर, उपेक्षित होकर एक दिन वह भी करेगा। उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी।

लेकिन आपके अधिकारियों की आंखें नहीं खुलेंगी। उनकी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयेगा। उनके आराम में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयेगा, क्योंकि संविधान ने उन्हें प्रोटेक्शन दे रखा है और आगे वह किसी प्रकार का अन्याय करते जायं, जुल्म करते जायं तो यह ग्रामीण नागरिक का कर्त्तव्य है कि उसको स्वीकार करता जाय, बरदाश्त करता रहे और रोये नहीं, चिल्लाये भी नहीं, कूके भी नहीं, कूके तो आपके सामने आपको अपना समझ कर कूके तो आप उसकी सुनी-अनसुनी करके टाल दें, आप उसकी उपेक्षा कर दें। खैर, यह आपकी मर्जी की बात है। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आकाल सहायता देकर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं तो फिर यह डिस्पेरिटीज क्यों? एक जगह बढ़िया काम, एक जगह जल्दी काम शुरू कर दें, एक जगह ज्यादा स्वीकृति, दूसरी जगह कम स्वीकृति, एक चुनाव क्षेत्र में काम जल्दी जल्दी प्रारम्भ हों, दूसरे चुनाव क्षेत्र में हों ही नहीं। यह राजस्थान की जनता राजस्थान की इस सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं रखती है। धन्यवाद।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय सभापति जी·········

श्री सभापति : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में काफी समय से अकाल पड़ता रहा है और इस साल तो वह बहुत बुरी तरह से अकाल से पीड़ित है। हमारी उन लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है और सरकार का दायित्व है, सरकार का फर्ज है कि वहां पर अकाल राहत कार्य खोलकर ऐसे स्थाई कार्य किये जायं जिससे पश्चिमी राजस्थान में अकाल की जो भौगोलिक स्थिति है, जो राजस्थान का कलंक है वह मिटे। लेकिन

Page No 194

(194)

(श्री मीठालाल मीणा)

इसके साथ-साथ जैसा कि माननीय सज्जनसिंह अभी कह रहे थे कि कुछ प्रभावशील व्यक्तियों के, कुछ मन्त्रियों के इलाकों में जहां अकाल पड़ा है, वहां जल्दी ही काम शुरू कर दिये जाते हैं, इस ढंग का जो पक्षपात किया जाता है, और यह पक्षपात गत वर्ष से उभर कर सामने आ रहा है, और माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात से चिन्तित हैं कि यह क्षेत्रीय भावना चाहे योजना हो, चाहे विकास के कार्य हों, चाहे अकाल राहत के कार्य हों, ज्यादा उभर कर सामने आ गई है। अन्य जिलों में तो जहां कि अकाल पड़ता रहता है लोग इस बात के आदी हो गये हैं, लेकिन राजस्थान के पूर्वी भाग में गत वर्ष अकाल का वीभत्स दृश्य दिखाई दिया है वहां पर, सभापति महोदय, अकाल राहत कार्यों में भेदभाव बरत करके जो तस्वीर रखी गई है जनता के सामने वह एक अच्छी तस्वीर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अन्य जिलों की भांति जयपुर जिले में भी भारी अकाल पड़ा है, और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अन्य जिलों में दो-दो, तीन-तीन महीनों से काम शुरू कर रखे हैं। जयपुर जिले में 11-4-75 को मीटिंग हुई और एक तारीख से काम शुरू करने की स्वीकृति दी है, और शायद कुछ काम शुरू हो गयें हों। यह भ्रम हो गया है कि पहले से सड़क के कार्य हो रहे थे। माननीय मन्त्री जी, सड़कों का काम नहीं होने से पत्थर चुन दिये गये हैं। दूसरे जयपुर जिले की अकाल परामर्शदात्री समिति थी, उसने 11 तारीख को रिपोर्ट दे दी। आज 9 तारीख तक जिला अधिकारियों ने बराबर याद न दिलाई जब स्वीकृति आई तो लालसोट और दौसा आदि छोड़ दिये गये हैं। क्या यह जिला के अधिकारियों ने छोड़ दिये हैं? आज 9 तारीख हो गयी है। केवल डेढ़ महीना है। स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अकाल राहत को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरे जिलों में 43 हजार आदमी काम कर रहे हैं। इधर के जिलों में 4-5 हजार ही हैं। जयपुर की तहसीलों में किस आधार पर बांट रहे हैं। अन्य जिलों में 5-7 सड़कों का काम शुरू कर दिया है। जयपुर जिले में सड़कों के काम शुरू नहीं होंगे। ऐसा आपका कहना है। इसके बारे में कौन अधिकारी हैं, जिनके कारण यह काम रह जाता है। बार बार लिखने पर भी काम नहीं होता है। जो अधिकारी दोषी हैं, उनको दण्ड दें।

दूसरी बात, सभापति महोदय, ग्वार की बात हुई थी। पाली जिले से वह बाहर भेजा गया। 12-2-75 को राज्य सरकार का आदेश निकला। 31 मार्च का अमेण्डमेंट करके 31 जुलाई तक अवधि बढ़ा दी गई। बम्बई की इण्डिया गम फैक्ट्री को वह भेजा गया। प्रति दिन सैंकड़ों टनों के हिसाब से परमिट दिया है। बम्बई में 250 रु. का भाव। राजस्थान में 150 रु. का भाव माननीय मन्त्री महोदय भी आदेश देकर बाहर भेजते हैं, जब कि राजस्थान की गम फैक्ट्री है, वह बन्द पड़ी है। जैसे कि गम फैक्ट्रियों के एक हजार टन के आदेश दिये हैं। यह भ्रष्टाचार है, गबन है, इसमें घोटाला हुआ है। लाखों रुपयों का हुआ है। नागौर जिले में एक विशेष व्यक्ति के प्रभाव से कहूं नागौर जिले से कितने टन ग्वार बाहर गया है? जिस ग्वार का 150 रु. भाव चल रहा था वह 250 रु. क्विण्टल हो गया। पर जब आपको यह

(श्री मीठालाल मीणा)

पता चला कि पैसे लेकर परमिट दे दिया, यह गलत किया है। फिर वह 180 रु. भाव आ गया है। इस प्रकार की यह गलत राय या तो अधिकारी आपको समझाते हैं या आप अधिकारियों को समझाते हैं। इसके अलावा नीलामी करके ग्वार को बेचा जाता तो राजस्थान के अकाल क्षेत्र में ज्यादा पैसा आता। वह इससे ज्यादा अच्छी बात थी।

इसके अलावा राजस्थान में एक ऐसी चीज होती है जिससे तेल निकलता है। तेल निकालने का आप के पास साधन नहीं है। इसके बारे में आपने आज तक कोई निर्णय नहीं कराया। उसमें 8% और 15% तेल था। वह आपने नहीं किया। आपने ग्वार के बारे में किया है क्योंकि उसके विशेष कारण थे।

सभापति महोदय, आपने अकाल राहत कार्य आदिवासी क्षेत्र में करना आरम्भ कर दिया। आदिवासी क्षेत्र की आप परिभाषा तो बतायें। क्या उदयपुर और डूंगरपुर ही आदिवासी क्षेत्र हैं? आदिवासी क्षेत्र वही होता है, जो आदिवासी बहुल हो। अगर यही परिभाषा है तो अन्य जिलों में भी आदिवासी क्षेत्र हैं। जयपुर जिले में भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। उनमें आपका कोई राहत कार्य नहीं होगा। यह आपका कौनसा मापदण्ड है? दूसरे, सभापति महोदय, वन विभाग की जितनी लम्बी योजना आई है उसमें लाखों रुपयों का काम हुआ है। मेरा निवेदन है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य भू-संरक्षण और तालाबों के बारे में है। उसके बारे में विशेष ध्यान दें। वन विभाग में ऐसे काम होते हैं इस बारे में आपकी नीति ऐसी है कि उससे तत्काल लाभ हो, तत्काल मुनाफा हो, रिटर्न मिले। ऐसे कामों की जल्दी से जल्दी स्वीकृति देने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, अन्त में मुझे यही निवेदन करना है कि डेढ़ दो महीने में, जो अकाल का काम कर रहे हैं, वह जल्दी करें। जयपुर जिला अकाल से ज्यादा से ज्यादा प्रभावित है। शीघ्र कामों की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री सभापति : श्री विट्ठल भाई!

श्री जीयिग : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : इसके बाद सभी को समय मिलेगा। (अल्प विराम) अच्छा आप बोल लें।

श्री जीयिग (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, अकाल की स्थिति सारे राजस्थान में बनी हुई है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री मीठालाल जी कह रहे थे कि आदिवासी की क्या परिभाषा है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूंगा। पर जो इलाके वर्षों से अकाल से पीड़ित होते आ रहे हैं। आज ऐसे इलाकों में यह स्थिति बन गई है कि लोग अपने गांव खाली करके और इलाकों में जा रहे हैं। आज उन इलाकों में न तो कोई राहत कार्य है, न उनके खाने के लिए अनाज है। वह मजदूरी के लिए इधर-उधर भटकते फिर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने बांसवाड़ा जिले के आंकड़े शायद मंगवाये

(श्री जीथिग)

हों। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो इलाके विशेष कर अकाल से प्रभावित हैं, जहां हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है। कभी अनावृष्टि के कारण, कभी अतिवृष्टि के कारण और कभी कीड़े मकोड़ों के कारण अकाल की स्थिति बनी रहती है। उन इलाकों में आज दिन तक किस-किस प्रकार के राहत कार्य चलाये जा रहे हैं, माननीय मन्त्री महोदय कृपया इस पर सही नजर डालने का कोशिश करें।

माननीय सभापति, आपके माध्यम से मैं माननीय अकाल मन्त्री जी से यह सकता हूं कि बांसवाड़ा जिले में पीपलखूंट और कुशलगढ़ के इलाके में करीब-करीब तीन-चार हजार लेबर ही काम कर रहे हैं और मैं आपको कह सकता हूं कि बांसवाड़ा जिले—पूरे जिले की जनसंख्या सवा छः लाख जनसंख्या है, लगभग सात लाख है परन्तु आपको यह बताना चाहता हूं कि सन् 1967 में भयंकर अकाल पड़ा था तब एक लाख मजदूरों को काम दिया गया था, 1972 में भयंकर अकाल पड़ा था तब भी एक लाख मजदूरों को काम पर लगाया गया था परन्तु आज सारे इलाके में, सारे जिले में कुल मिलाकर, टोटल सारे जिले में 15-20 हजार लेबर ही काम कर रहे हैं। तो क्या उन सारे सात लाख लोगों का पेट इससे भर जायगा? 15-20 हजार मजदूरों को काम पर लगाने से ही क्या सब कुछ हो जायगा? मुझे बहुत दुःख है। मैं अकाल राहत मन्त्री जी से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज आपने जो अकाल राहत कार्य चालू किये हैं वे करीब एक महीने पहिले से ही चल रहे हैं जब कि वहां पर काम चालू किया जाना चाहिए था मार्च से पहले। जनवरी और फरवरी से वहां पर लोग अकाल से भयंकर प्रभावित होकर भूखे मर रहे हैं लेकिन फिर भी आपने एक महीने पहले जो, काम चालू किये और आज भी लोगों की हालत देखते हुए एक लाख लोगों को अकाल के काम पर लगाया जाना चाहिए था जिसकी जगह पर आपने केवल 15-20 हजार लोगों को ही काम दिया है। सभापति महोदय मुझे बड़ा दुःख है कि अकाल राहत मन्त्री महोदय ठेकेदारों से प्राप्त माही डेम के और दूसरी जगह के आंकड़े दे सकते हैं लेकिन आप जाकर देखिये, मैं आपको निमन्त्रण देता हूं और आप आइये उस इलाके में, हम साथ में लेकर आपका अध्ययन करायेंगे और जो राहत कार्य चल रहे हैं उनकी गिनती करायेंगे कि कहां-कहां पर और कितने-कितने काम खोले गये और कितने आदमियों को काम पर लगाया गया है।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, मैं अकाल मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्सान भूखे हैं, भूखे इन्सान को अकाल राहत में काम मिल जाय तो उसमें सांस आ जायगी। परन्तु उनको काम पर लगाने के बाद भी यदि उनको काम बाई-चान्स मिल जाय तो उनकी मजदूरी का पेमेन्ट कब होता है? उनको पेमेन्ट तीन-तीन महीने के बाद दिया जाता है। तीन-तीन महीने बाद उनका पेमेन्ट होता है। इससे आपके अकाल राहत के कामों पर लोगों को लगाने का क्या सेन्स हुआ? जो भूखा इन्सान अपना पेट बांधकर मजदूरी करने जाता है

(श्री जीथिंग)

और पेमेन्ट उसको डेढ़-डेढ़ महीने बाद, दो महीने बाद तक नहीं किया जाता तो यह एक बहुत ही दुःख की बात है और जब कि आपका मस्टर रोल केवल 15 दिन का ही है। हमारे वहां पर अकाल राहत कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी यह विषय आया था और हमने सजेशन दिया था कि पेमेन्ट कम से कम बीस दिन के अन्दर अवश्य मिल जाना चाहिए इससे ठीक रहेगा। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया, और न आपकी तरफ से अधिकारियों को इस प्रकार के कोई आदेश ही दिये गये कि मजदूरों का अमुक-अमुक टाइम पर पेमेन्ट मिल जाना चाहिए, यह आदेश आज दिन तक प्रसारित नहीं हुए और न ही अधिकारियों ने उस आदेश का कोई पालन आज तक किया। आज भी लोग मजदूरी के लिए और मेहनत के लिये भटकते फिर रहे हैं, रोज हमारे पास आते हैं, आपका जो डिपार्टमेन्ट है, पी. डब्ल्यू. डी., इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट, सॉइल कन्जर्वेशन, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट या रेन्जर्स के पास में घेराव करते हैं। यह स्थिति है पीपलखूंट और कुशलगढ़ के इलाके में। मैं कह सकता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करें और जहां तक सम्भव हो सके तो आज ही उसके लिए वायरलैस से खबर भिजवा दें कि पेमेन्ट बहुत जल्दी कर दिया जाय, चुकारा समय पर कर दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि पिछले महीने में हमारे बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत कमेटी की बैठक हुई थी और कलेक्टर साहब के माध्यम से हमको यह आश्वासन मिला था, और उस कमेटी में प्रपोजल पास करके राज्य सरकार के पास भेजा गया था उस प्रपोजल की स्वीकृति का आज दिन तक कोई ठिकाना नहीं है। एक बार नहीं हमने अनेकों बार इसके बारे में पूछताछ की, और कलेक्टर साहब ने भी कहा कि तीन-तीन वायरलैस दिये जा चुके हैं लेकिन आज दिन तक कोई जवाब ही नहीं है, यह राज्य सरकार की स्थिति है। कमेटी ने जो प्रपोजल स्वीकृत किये, इस प्रकार के सुझाव दिये, अकाल कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किये परन्तु अधिकारियों और राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से जनता को कोई राहत नहीं मिल सकी, ऐसी स्थिति में लोग भूख से मरेंगे ही। आपके लम्बे स्टेटमेंट होते हैं, बड़े रसीले भाषण होते हैं कि भूख से किसी भी इन्सान को नहीं मरने दिया जायगा, लेकिन बांसवाड़ा जिले में जाकर देखें तो हम यह प्रमाणित करके बता सकते हैं कि वहां पर लोग भूख से मरे हैं। आप लोगों से झूठे स्टेटमेंट दिलवाकर अपने को बरी करना चाहते हो और दोष से बचाना चाहते हो, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, आप कहते हो कि वह बीमारी से मरे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह बीमारी से नहीं असल में भूख की बीमारी से मरे हैं और आने वाले टाइम पर कितने ही लोग भूख से मरने वाले हैं। इसलिए मैं माननीय अकाल राहत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मई महीने की 15 तारीख तक बांसवाड़ा जिले में पीपलखूंट और कुशलगढ़ तहसीलों में मजदूरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये, नहीं तो लोग मजबूर होकर आपके दफ्तरों पर, भूखे इन्सान दफ्तरों के दरवाजों पर आकर मरेंगे और हम कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों को श्मशान-

[(श्री जीथिग)

घाट बना देंगे । भूखा इन्सान सोचेगा नहीं । मरता इन्सान सब कुछ कर सकता है, उनको रोक नहीं सकते हैं हम और आप । ऐसी स्थिति नहीं बने उसके पहले, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय अकाल मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि समय से पहले ही उचित कदम उठा लेने चाहिये ।

श्री सभापति : श्रीमती कान्ता कथूरिया !

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, या तो आप लिस्ट बना लीजिये ।

श्री किशोरीलाल : सभापति महोदय मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमेशा आप आखिरी चान्स देते हैं, आप कृपा करके....

(व्यवधान)

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, आप निर्णय लेकर बता दीजिये कि जिससे बार-बार खड़ा नहीं होना पड़े ।

श्री सभापति : मुझे ध्यान है, सभी सुबह से बैठे हैं, और सभी को चान्स दिया जायगा ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कालायत): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की ओर पिछले साल भी व्यापक अकाल था और इस बार भी व्यापक रूप में अकाल का भयंकर प्रकोप है । इस बार भयंकर प्रकोप इस दृष्टि से भी है कि मंहगाई भी बहुत ज्यादा है और अनाज की कीमत दो रुपये किलो से कम नहीं है । इसकी वजह से पहले से अधिक व्यापक रूप से अकाल पड़ा है । मैं सारे राजस्थान को छोड़कर बीकानेर जिले की ही बात करूंगी और खास तौर से बीकानेर जिला पूरा का पूरा ही अकाल से ग्रस्त है । अपने क्षेत्र के लिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कोलायत में पानी की भारी दिक्कत है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अकाल के दौरान में कुछ काम वहां पर जो खोले गये हैं, पांच सड़कों के काम वहां पर खोले गये, उसमें मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि दो सड़कें तो खत्म हो रही हैं पहले एडवान्स प्लानिंग में शुरू की गई थीं और दूसरी सड़क जो कोलायत से रायका की है वह भी खत्म हो रही है । इस प्रकार से दो काम तो खत्म हैं । कोलायत तहसील से गांव आठ-आठ, दस-दस मील की दूरी पर हैं, ऐसी परिस्थिति में जो काम खोले गये हैं वह बिल्कुल नाकाफी हैं इसलिये और अधिक काम खोले जाने चाहिये ।

इसके साथ साथ कई तकलीफें और हैं क्योंकि वहां आंधी बराबर आती है, वह रेतीला इलाका है । पिछले दिनों दो तीन काम की स्वीकृति जारी की थी उनमें जितनी मिट्टी उठाते थे वह आंधी से भर जाती थी । जिन मजदूरों को रखते हैं उन्हें उसी रोज खाने को चाहिये, लेकिन वहां पन्द्रह दिन में पेमेन्ट होता है और वहां पर फेमिन का स्टाफ दिया नहीं गया है । एक ओवरसियर मेजरमेन्ट करने के लिए पहुंचता है उसको तीन-चार बार मेजरमेंट करना पड़ता है । वहां बस का साधन है नहीं और बस नहीं जाती है इसका

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

नतीजा यह होता है कि पेमेन्ट पच्चीस दिन से पहले नहीं हो सकता है। वहां मजदूर दुखी हैं, उनकी अवस्था चिन्तनीय है। वह जो सुबह मजदूरी करते हैं उसकी शाम को मजदूरी मिल जाय या सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उन्हें एडवान्स मिल जाये क्योंकि गांव के दुकानदार उधार नहीं देते हैं। हमें मालूम है कि बीकानेर में काम देरी से शुरू हुआ, इसलिए पहले का भुगतान नहीं हुआ। वहां देरी होने की वजह से, साधन न होने की वजह से भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा क्या मजदूर पाव आटा खाकर अपना पेट पाल सकते हैं? जो आदमी मजदूरी करता है उसको दो किलो मिलना चाहिये। वह कैसे जीवन-यापन करे? इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वहां आप एडवांस रूप में दें, मजदूरों को काम मिल सके और मजदूरी मिलने के बाद उनका चुकारा हो सके।

दूसरा मैं निवेदन करती हूं, गांव में एक किलो अनाज राशन का मिलता है, उससे गुजारा नहीं हो सकता है। सरकार के पास अनाज की कमी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सारे लोगों के लिए अनाज की मात्रा न बढ़ायें लेकिन जो फेमिन के काम हैं, या प्रोजेक्ट हैं वहां पर विशेष व्यवस्था हो। फेमिन के काम में जो मजदूरों से काम कराते हैं, वहां जो मजदूर काम करते हैं, उनके लिए अनाज की मात्रा बढ़ा कर आठ किलो कर दीजिये। उनका एक किलो से पूरा नहीं हो सकता है। आज गांव वालों में शहर वालों में अन्तर क्यों है? शहरों में तीन किलो मिले और गांवों में एक किलो मिले, यह समझ में नहीं आ सकता। शहर वाले बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं लेकिन गांव वाले बोल नहीं सकते, इसलिए उनमें भेदभाव रखा जाय, गांवों में एक किलो रख दिया जाय और शहर में तीन किलो रख दिया जाय। मेरा निवेदन है कि अकाल राहत मन्त्री इस ओर ध्यान दें। अनाज ऐसी चीज है, जिसके मिलने से मजदूरी कर सकता है, मिट्टी उठा सकता है। दूसरी बात यह है कि फेमिन का स्टाफ नहीं दिया गया है, इसलिए जो एक्स्ट्रा स्टाफ देना चाहिये वह दिया जाय ताकि मजदूरी वगैरह के पेमेन्ट वगैरह की सुविधा वहां हो सके।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगी, ग्रेच्युटस रिलीफ दिया जाता है मुझे समझ में नहीं आया, जनवरी का ग्रेच्युटस रिलीफ दिया गया। फरवरी माह के लिये चूंकि अग्रिम सरकार से अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसलिए लेप्स हो गया। इसलिए फरवरी-मार्च में ग्रेच्युटस रिलीफ नहीं मिला है। यह अजीब बात है, गरीब को सहायता देते हैं वह तनख्वाह के बराबर है, वह टाइम पर भेज नहीं और फिर कहें कि टाइम पर मंजूरी नहीं आई इसलिये अब नहीं मिलेगा और यह लेप्स हो गया। मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें।

तीसरी बात मैं पानी के सिलसिले में कहना चाहूंगी कोलायत के ड्रिंकिंग-वाटर के लिए। गांव वालों की स्थिति हम जानते हैं, वह सीमा पर रहने वाले लोग हैं, पानी की दिक्कत के कारण वह गांव खाली करें, यह उचित नहीं है। वह बाउण्डरी पर होने की वजह से उन्हें वहां रखना आवश्यक हो जाता है। वहां पानी की विषम

Page No 200

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

स्थिति है। ट्यूब वैल की जो स्कीम चल रही है वह फण्ड की कमी के कारण वहां पूरी नहीं हो रही है। फण्ड नहीं हैं इसलिए पाइप लाइन के द्वारा पानी नहीं पहुंचा सकते। टैंकर कई इलाकों में जा सकता है और कई इलाके दूर होने की वजह से टैंकर जा नहीं सकते। लोग वहां रोकर चिल्ला रहे हैं, हमें और कुछ नहीं मिले पर पानी तो मिल जाय। सरकार जो कुछ करे, पाइप लाइन की व्यवस्था वहां करे और गांवों को रोड से कनेक्ट करके टैंकर पहुंचाने की व्यवस्था करे। जन जीवन के लिए पानी आवश्यक चीज है। हवा परमात्मा ने दी है, यदि सरकार पानी नहीं दे तो इस सरकार को क्या कहा जा सकता है, जो जीवन की आवश्यकता की चीज है, वह भी न पहुंचा सकती है।

चौथी बात कहना चाहती हूं, कोलायत में डी. पी. ए. पी. में सॉइल कन्जर्वेशन का काम चुना गया है लेकिन वहां काम चालू नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि कुछ गांवों में सॉइल कन्जर्वेशन का काम किया जा सकता है। डी. पी. ए. पी. की रिपोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी ने रिकमन्ड किया है, मगर सॉइल कन्जर्वेशन का काम खोल दिया जाए तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। यह खेती की उपज बढ़ाने का भी तरीका है, इसलिए सॉइल कन्जर्वेशन का काम चालू किया जाय और कुछ नहर जिनको पूरी करा कर पानी की व्यवस्था की जा सकती है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाय।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि डीपनिंग ऑफ वेल्स, रिपेयर ऑफ वेल्स के लिए फण्ड सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं। पिछला बार ऐसे वैल थे, उनके लिए आवश्यक था, उनकी रिपेयर कराई जाय, उनका डीपनिंग कराया जाय। हमने कलेक्टर से बात की थी, यह कुए ठीक नहीं कराये जायेंगे तो पानी उपलब्ध नहीं होगा उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से रिपेयर और डीपनिंग के लिए फण्ड नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, उनके लिए भी सरकार के अवेलेबल फण्ड में से फण्ड जल्दी से जल्दी दिया जाय।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगी कि गांवों के मजदूर हैं वह काम करते हैं, वहां जोरों की धूप पड़ती है, गरम रेत, गरम फावड़ा। वह लोग धूप में पड़े रहते हैं। पहले अकाल काम का टाइम आठ से एक रखा गया था। इस बार पुनः विचार करके काम करने का समय पहले की तरह सुबह का रखा जाय ताकि धूप में मजदूरों के पांव जलते हैं, उनको गरम लोहे के टूल्स लेकर काम करना पड़ता है उससे बच सकते हैं।

मैं चन्द बातें जो अपना कॉन्स्टीट्यूएन्सी के बारे में कहना चाहती थी, मैं आशा करती हूं कि सरकार इनकी ओर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी इनका हल करेगी।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, वैसे राजस्थान और राजस्थान के साथ-साथ मेरा जिला ऐसा है जिसमें हर दूसरे तीसरे वर्ष अकाल पड़ता रहता है। यह देखा गया है, जो अकाल पड़ता है उसका हल और समाधान ढूंढा है, वह है खाली मिट्टी डलवाने का काम करा कर समय पूरा

(श्री केशरीमल)

कराना। यह हल ढूंढा है। माननीय सभापति महोदय, यह लगातार के अकाल हैं, इस अकाल से जूझने और हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए आवश्यक काम हैं जिस पर ध्यान देकर सरकार काम नहीं कराती है। अकाल के समय को मिट्टी डलवा कर पूरा करती रहेगी तो अकाल हर दूसरे, तीसरे साल आते रहेंगे और अगर इसका हल निकालने की कोशिश की तो यह अकाल मिट सकता है। यह बात नहीं है कि अकाल को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा सारा इलाका है राजस्थान का, इसमें कुछ हिस्से हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं। उस इलाके में कुछ साधन जुटायें जिससे यह परिस्थिति बदल जाय और अकाल न पड़े। वह साधन जुटा सकते हैं, चाहे राजस्थान का काम पूरा करके, चाहे कडाना बांध बना है उसका काम पूरा करके, या गंगा का पानी यहां आ सकता है उसको लाकर, अथवा चम्बल के पानी को अजमेर जिले में, मेरे जिले में ऐसी योजना बना कर पहुंचा कर। उस पानी से सिंचाई का काम नहीं हो सकता तो कम से कम पेय जल कुओं में पाइप से निकाल कर रिजरवायर बना कर तालाबों में छोड़ें। उस पानी से घास चारे का साधन हरियाली की वजह से पैदा हो जायगा तो उससे पशु पालन हो सकता है, और उससे जो लोग अकाल पीड़ित रहते हैं उनको राहत मिल सकती है और सिंचाई के साधन जुटायें उससे फायदा हो सकता है लेकिन जितने काम हो रहे हैं, सिंचाई के साधन जुटाने के काम हैं, वह मन्द गति से चल रहे हैं। अकाल में ऐसे काम होते हैं। स्थाई हल निकालने के काम नहीं होते हैं। कहीं कहीं मिट्टी डालने के काम कराये जाते हैं। इससे एक खतरनाक स्थिति में ले जाकर हमारे इलाके को रख रहे हैं। यह झगड़ा भी होता है, कहीं कम काम और कहीं ज्यादा। मेरा निवेदन है कि गावों में आप उद्योग-धन्धे लगा सकते हैं। काम खोल सकते हैं आप यह सर्वे करायें कि खनिज पदार्थ क्या मिल सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, यहां पर बहुत सा लाइम स्टोन है, और कितने ही खनिज पदार्थ हैं उनसे गांवों में कारखाना खोलें, सीमेंट का कारखाना खोलें कई काम आप खोल सकते हैं और काम लोगों को मिल सकता है। इस प्रकार पानी की व्यवस्था न होते हुए भी सुविधा पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ इलाके में काम ज्यादा खोलेंगे और कुछ में बिल्कुल नहीं खोलेंगे। लोग इस असमानता से तकलीफ पाते हैं, तो मेरा निवेदन है कि सिंचाई के साधन जुटाने के बाद अजमेर जिले में खास तौर से चम्बल से पानी लाने की व्यवस्था की जाए। चाहे सिंचाई का काम नहीं हो सके कम से कम उस पानी को तालाबों में रिजर्व रख दिया जाए तो अपने आप उससे कुओं में पानी हो जाएगा। इस तरह से उस इलाके में सुविधा मिल सकेगी। सभापतिजी, पहले हमारे इलाके में तालाब खादे लेकिन भरने की व्यवस्था नहीं हो सकी, कुछ पानी बेकार जा रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास किए गए चाहे नहरों के जरिये तालाबों में पानी आने की बात या बांध बनाने की बात थी, कई काम अधूरे भी पड़े हुए हैं, कई फीडर्स हैं, कई बांध हैं, उनको सरकार पूरा नहीं करती। क्या सोच कर स्कीम बनाई और

(श्री केशरीमल)

फिर बंद कर दिए ? मैं फिर सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार तुली हुई है कि कुछ इलाकों में काम नहीं करना है। अगर एक विधायक ने एक बात कह दी कि यदि यहां नहर बनाई जाएगी तो मेरे इलाके में पानी नहीं आएगा। इस तरह जो कुछ एक ने कह दिया तो वर्षों तक यह बात चलेगी। पहले बांध बनाने की बात हुई, उसी इंजीनीयर का ही ट्रान्सफर हो गया, दूसरा आएगा, उससे कहलवा देंगे कि तकनीकी दृष्टि से यह ठीक नहीं है इसलिए नोट लिख दो कि यह नहर नहीं बननी चाहिए। वह अधिकारी मंत्रियों को राजी रखने के लिए गलत काम करता है। इस तरह पहले फैसला करने वाला भी अधिकारी था और दूसरा भी अधिकारी है, तो दोनों में से कौन सही है ? मेरे खयाल से सदन में कोरम नहीं है लेकिन चलने दो। सुनने वाला कोई नहीं है, मंत्रीजी को जवाब देना है। इस तरह से यह व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है और हमारे इलाके में तो हालत बिल्कुल खराब कर दी, जो काम शुरू हुए थे सारे बंद कर दिये, वर्षों से बद पड़े हैं चाहे सड़कों के हों चाहे सिंचाई के। जब काम ही नहीं खोलेंगे तो लोगों को राहत कैसे मिलेगी। आज शत प्रतिशत गांव मेरे इलाके में अकाल ग्रस्त हैं. कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें पीने का पानी हो। सिवाय पहाड़ों को देखने के कुछ नहीं मिलता। हम जाते हैं तो आश्चर्य होता है कि कैसे लोग रह रहे हैं। सिवाय पत्थर के कुछ नहीं, पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है पहाड़ों को खोदकर दो-दो गज एक-एक गज के खेत बनाते हैं. उसके अन्दर हल चलाते हैं, उससे कुछ हो जाता है बड़ी नियामत पैदा हो गई है। ऐसे इलाकों की स्थिति सरकार बदलना नहीं चाहती तो बार बार हमको भूख से मरना है, ऐसी हालात पर छोड़ रखा है। बड़ी मुश्किल से, बार-बार कहने पर अब कुछ काम शुरू हुए हैं। कुछ काम ठेकेदारों को दिए गए, सड़कों के काम अधूरे पड़े हैं उनको फिर से शुरू कराने की बात थी, ठेकेदार के जरिये हो रहे हैं। उनका वर्कलोड कितना होता है और साधारणतः कितना होना चाहिए, उस वर्कलोड में कुछ फर्क हो। फेमिन के समय में क्या उतना ही वर्कलोड रखा जाए या कम किया जाए ? उतना ही कार्य-भार है तो उतना पैसा मिलना चाहिए जितना तय किया। आज जो ठेकेदार हैं उनके नीचे जो काम करते हैं उनको काम में तो जरा नहीं छोड़ते लेकिन जब वेतन का सवाल आएगा तो कहेंगे कि अकाल है, एक दो रुपया ही मिलेगा। जब न्यूनतम वेतन 5) है तो फिर 5) रु. ही मिलने चाहिए। क्या कारण है कि कम मिलेगा ?. कार्य-भार पूरा और पैसा कम, यह ज्यादती है।

हद दर्जे की बेईमानी फेमिन मे होती है। 4-5 फेमिन्स से बराबर मैं देख रहा हूं किसी का पत्थर टूटा किसी की मिट्टी टूटी। एक अकाल में नप गया, दूसरे अकाल में नप गया। ठेकेदार उस मिट्टी को उठा कर ले जायगा, सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा गलत हाजरियों में बेजा तरीके से उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। एक तरफ हाजिरी भरने में पैसा जाता है। 100 आदमी काम कर रहे हैं और 125 की हाजिरी होती है।

(श्री केशरीमल)

उस कारण हमारा झगड़ा हुआ। इस प्रकार निश्चित रूप से 25 प्रतिशत काम कम हो जाएगा। 25 आदमी तनख्वाह भी ले जायेंगे और 25 प्रतिशत कम काम करके चोरी करने वाले तो चोरी कर गए और पिटाई हुई दूसरों की। मैंने तालाबों को देखा, सड़कों को देखा, सिंचाई का देखा। मैंने बात भी की। दो मजदूरों ने हिम्मत करके शिकायत की कि फेमिन के सामान की चोरी हुई है, हाजिरी नहीं भरी तो इंजीनीयर ने आदेश दिया कि इनको जूते लगाओ, बाहर निकालो, इनको काम से हटाओ, इनको पीटो। जिन्होंने शिकायत की उनको निकाल दिया और चोरी करने वाले मजे करेंगे। आखिर होगा क्या? यह सोचने की बात है। एक आदमी अच्छी बात कहे उसको काम पर रखने के बजाय निकाल दें, यह कहां का न्याय है? चोरों को पनाह देने की बात सरकार कहती है तो चोर और चोरियां करेंगे, फर्जी मामले और सामने आयेंगे, नाप भी गलत। फिर कहेंगे कि हम क्या करें, उन्होंने गलत काम किया था।

काम के स्थान पर पानी नहीं, इतनी तड़प होती है धूप के कारण कि काम नहीं हो सकता। वहां कुछ न कुछ पानी और छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। मेडीकल की तो बात ही छोड़िए, वह तो सवाल ही नहीं। तो इन कामों को पूरा करना जरूरी है। सम्वत् 1856 में अकाल पड़ा था वह 1856 का वर्ष था। अंग्रेजों के जमाने में भी व्यवस्था की जाती थी, रेल्वे कम किराया लेती थी, सरकार सुविधा देती थी, तकावी के लिए पैसा देती थी, चारा देती थी। तो सरकार ठेकेदार से कहे कि जिस रेट में लाए हो उससे जो तुमको घाटा होगा, उसका हम पूरा करेंगे। तो सभापति महोदय, पहले अकाल के समय में लोगों को चारा भी दिया जाता था, इसके अलावा लोगों को तकावी भी दी जाती थी। लेकिन आज सरकार रेल्वे फ्रेट में छूट देना, अकाल में तकावी देना वगैरह सभी भूल गयी है। आज वहां पर चारे के भाव बहुत बढ़ गये हैं और लोग इधर-उधर से चारा लाते हैं वह बहुत ही मंहगा है। यह हमारे यहां पर ब्यावर, टाटगढ़, जवाजा वगैहर का ऐसा अकाल का ऐरिया हो रहा है कि वहां पर लोगों को एक रुपये से लेकर दो-दो रुपये मटकी के पीने के पानी के लिए देने पड़ रहे हैं। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अकाल मन्त्रीजी से और मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में लोगों का काम मिल सके ऐसे साधन जुटायें। इसके लिये मेरा निवेदन है कि हमारे उधर जो पुराने तीन-चार फीडर हैं उनको पूरा कराया जाय। मैंने इस सदन में बार-बार राज्य सरकार से निवेदन किया और अकाल मन्त्री से भी कहा कि उन्हें पूरा कराया जाय ताकि उस एरिया में बरसात में पानी भर जाय तो लोगों को पीने के पानी की कमी दूर हो जाय तथा वहां पर थोड़ी बहुत खेती भी हो जाय। नहीं तो सारा का सारा पानी इधर बह कर वेस्ट हो रहा है। सभापति महोदय, उन तालाबों से सिंचाई हो सकती है। इसके अलावा मैंने कई बार सदन में और कई बार मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया कि अगर आप नये बान्ध नहीं बना सकते हैं तो वहां पर जो नालियां है सिर्फ 6-6 इन्च की हैं उन्हें भी आप ठीक करादें तो काफी पानी मिल

(श्री केशरीमल) :

सकता है। लोगों को मजदूरी भी मिल सकती है। और वहां के लोगों को राहत मिल सकती है। सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से कहलाया। वहां पर अधिकारियों का यह रवैया है कि उनके सामने तो हां भर लेते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। स्थिति यह है, सभापति महोदय, कि बार-बार कहने से हां भर लेंगे लेकिन इतनी गाढ़ी चमड़ा के हैं कि उन पर कुछ भी असर नहीं होता। उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। सभापति महोदय, पिछले दो तीन सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन वह लोग इतने निसरड़े हैं कि हमको कहने वालों को शर्म आ जाती है, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही है। मैं तो समझता हूं कि उनकी चमड़ी गेन्डों की तरह है जिस पर कोई भी असर नहीं होता। पता नहीं क्या बात है हमारे सामने मन्त्रीजी कहते हैं और बाद में इशारा कर देते हैं या क्या बात है कि वह सुनते ही नहीं हैं।

सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जो पुराने अकाल के समय के अधूरे काम हैं वह तुरन्त पूरे कराये जाने चाहियें और इसके अलावा जो तीन-चार फीडर्स हैं वे भी अगर अकाल राहत क्षेत्र के अन्तर्गत पूरे करा दिये जायें तो काफी जनता को राहत मिल सकती है। इसलिये इन्हें पहले पूरा किया जाना चाहिये। इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारे यहां से होकर मारवाड़ के पशु जाते हैं और वहां पर चारे की व्यवस्था नहीं होने से उन पशुओं को काफी परेशानी होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर चारे की व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे कि मवेशियों को तकलीफ नहीं हो

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

बस एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पिछले अकाल के समय में कई लोगों की मजदूरी अभी तक बकाया निकल रही है और उन गरीब लोगों ने जिन्होंने मजदूरी भी की उनको पैसा नहीं मिल पाया है। दो-तीन साल हो चुके हैं हजारों रुपयों की बकाया निकल रही है। यह सही बात है कि एक-एक व्यक्ति के ज्यादा रुपये नहीं हैं, लेकिन बार बार निवेदन करने पर भी राज्य सरकार पिछले दो-तीन सालों से कोई व्यवस्था उनके पेमेंट करने की नहीं कर रही है। वैसे तो अकाल के अन्दर पेमेन्ट में लाखों रुपये का घोटाला हुआ था लोगों ने झूठे अंगूठे कराकर लाखों रुपये की गड़बड़ियां कीं, लेकिन जो बेचारे सच्चे हैं उन्हें पेमेन्ट नहीं हो रहा है। अब आप कहते है कि पेमेन्ट आकर ले जावें। सभापति महोदय, एक व्यक्ति के अगर दस-बीस रुपये बाकी है या चार-पांच रुपये बाकी है तो क्या वह व्यक्ति टाटगढ़ से चल कर आयेगा और अगर आये भी और आपका पैसा देने वाला नहीं मिले तो फिर बेचारा किराया लगा कर वापिस जायेगा? तो मेरा निवेदन है कि जहां के वह लोग हैं उन्हें वहां पर ले जाकर पेमेन्ट किया जाना चाहिये।

इसके अलावा यह भी है कि आज अकाल के अन्दर ऐसे व्यक्तियों को इन्जीनियर्स लोग मेट और मिस्त्री वगैहर लगायेंगे

(श्री केशरीमल)

जो उनके खुद के आदमी हों और झूठी हाजरियां भरते हों। इन्जीनियर्स लोग वहां के लोकल लोगों को मेट नहीं बनायेंगे अपने ही आदमियों को लगायेंगे और वहां पर वह लोग उन लोगों के जरिये बदमाशियां करते हैं और गड़बड़ घोटाले करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस एक बात कह कर समाप्त करता हूं, सभापति महोदय। अन्त में मुझे यह कहना है कि अधिकारी लोग, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो और चाहे एस. डी. ओ. हो, जहां अकाल का काम हो रहा होगा वहां पर एम. एल. एज़. को साथ नहीं ले जायेंगे, कभी भी यह नहीं बतायेंगे कि कहां काम खोले जा रहे हैं, और अगर कोई एम. एल ए. उनको साथ चलने के लिये कहेगा तो इतनी बेशर्मी के साथ रिफ्यूज करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। जब हम कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कहां काम हो रहा है, वह रिफ्यूज कर देते हैं। कोई अधिकारी किसी एम. एल. ए. को साथ नहीं ले जाना चाहेगा, चाहे वह वृद्धिचन्द्र हों चाहे और कोई हों। यह लोग कभी भी एम. एल. एज से को-ऑपरेट नहीं करेंगे। वह जानते हैं कि हम साथ जायेंगे तो उनकी पोल खुल जायेगी। अगर हम खुद ही वहां पहुंच गये और बाद में वह अधिकारी लोग वहां आये तो हमें देखकर वह जीप का रुख बदल कर आगे निकल जायेंगे, और जब हम लोग वहां से चले जायेंगे तब वह वहां पर आयेंगे। इस तरह का निम्न श्रेणी का तरीका वह लोग अपनाते हैं। यह पब्लिक एक्सचेकर का क्या ख्याल रखते होंगे, इसका आप स्वयं ही अन्दाजा लगा सकते हैं।

श्री सभापति : अब कृपया समाप्त करिये।

श्री नाथू भाई !

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय, हमें भी समय मिलना चाहिये।

श्री विट्ठल भाई : सभापति महोदय, मुझे भी कुछ समय दीजिये।

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा, विट्ठल भाई जी को भी समय मिलेगा। इधर से भी बोलेंगे, उधर से भी बोलेंगे।

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि जो माननीय सदस्य बोलें वह यहां बैठे ही रहें, वरना जो बोल चुकते हैं वह चले जाते हैं और जब हमारा बोलने का समय आयेगा तब कोरम ही नहीं रहेगा।

श्री केशरीमल : इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी और सरकार अपने अधिकारियों को हिदायत दें कि जहां पर भी काम खोलना हो वहां पर एम. एल. एज. को साथ ले जायं ताकि इन अधिकारियों पर कुछ रोक लग सके।

श्री सभापति : श्री नाथू भाई !

श्री मूलचन्द सामरिया : टाइम की पाबन्दी तो रखिये, साहब।

श्री सभापति : टाइम की पाबन्दी में रख रहा हूं, इसमें आपका भी सहयोग चाहिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि प्रतिवर्ष यहां अकाल पड़ता है। आज भी प्रकृति का प्रकोप दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान पर बहुत भयंकर है। पिछले वर्षों में वहां पर अकाल की समस्या का कोई स्थाई हल नहीं निकाला गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान और दक्षिणी हिस्से के लिये विशेष व्यवस्था की जाये और वहां की समस्याओं का स्थाई हल निकालना चाहिये। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है, वहां पर बहुत भयंकर स्थिति है। लाखों आदिवासी वहां पहाड़ियों में रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है, और इधर माननीय सदस्य यह शिकायत करते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ज्यादा खर्चा करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है और पहाड़ी क्षेत्र है। लाखों की संख्या में आदिवासी रहते हैं। 6 लाख 54 हजार वहां की जनसंख्या है। उसमें से 5½ लाख आदिवासियों की जनसंख्या है और एक लाख दूसरे वर्ग की जनसंख्या है। 5½ लाख आदिवासियों की आज अकाल के कारण बहुत भयंकर स्थिति है 26 हजार लोगों को ही काम पर लगाया है। बड़ी-बड़ी सड़कें ली हैं। अधिकतर पैसा डामर और प्रशासन पर ही खर्च होता है। मजदूरों को कम लगाते है। मजदूरी के बगैर लोग कमजोर हो गये हैं। पिछले समय में, बजट के समय में भी निवेदन किया और आज भी सरकार से निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा जिले में आदिवासी लोग मजदूरी करके जिन्दा रहना चाहते हैं। मांग कर नहीं जिन्दा रहना चाहते हैं, हर साल गुजरात में मजदूरी के लिये चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी भयंकर अकाल है। कडाना बांध को विश्व बैंक के पैसे के जरिये सरकार बना रही है। वहां पर भी उनको मजदूरी नहीं मिलती है और दर-दर भटकते फिर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सड़कों पर मिट्टी डाल कर पैसे को पानी में बहाया जाय। आप स्थायी काम उनके लिये खोलिये जिससे उनको अकाल के समय में पूरी मजदूरी भी मिल जाय, स्थायी योजना बनाइये। लिफ्ट योजना है। दुष्काल में भी नदी नालों में पानी बहता रहता है वहां पर। वहां पर लिफ्ट लगायी जाय तो लोगों को मजदूरी भी मिलेगी और अनाज भी पैदा होगा। लिफ्ट है वहां पर, गेहूं पैदा होता है। इसलिये आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा जिले में श्याम नदी आदि पर लिफ्ट योजना प्रस्तावित की हुई है, अगर वहां पर सरकार मजदूरी दे दे तो वहां पर अर्थ वर्क हो सकेगा। लोग जिन्दा रह सकेंगे और आगे अर्थ वर्क भी काम आयेगा। एक तरफ आप लाखों रुपया बांधों में खर्च करते हैं। उनमें फिजूल खर्चा होता है। लेकिन अकाल की समस्या को स्थायी रूप से हल करना चाहते हैं तो प्रकृति की देन के कारण बारहों महीने जो नालों नदियों में पानी बहता रहता है वहां पर

(श्री नाथूराम)

लिफ्ट योजना बना कर आप लोगों को जिन्दा भी रख सकते हैं और अकाल की समस्या से स्थायी रूप से निपट भी सकते हैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी लिफ्ट योजना की स्वीकृति देनी चाहिये ताकि दुबारा उस क्षेत्र में अकाल के समय में कोई खर्चा नहीं करना पड़े। लिफ्ट योजना में वहां पर गेहूं, अनाज पैदा होता है। पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि लिफ्ट योजना की स्वीकृति देनी चाहिये। सरकार ने निर्णय लिया। माही प्रोजेक्ट पर काम देते है। 7 मई, 60 को इस डेम का कार्य प्रारम्भ हुआ। 15 साल हो गये। इस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। बंगलों और सड़कों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो गया। गलत सीमेन्ट यूज में ली गई जिसके कारण से नींव इसकी कमजोर रह गयी और परिणाम यह हुआ कि जोर की वर्षा हुई और वह टूट गया। सरकार ने इसकी आज तक इन्क्वायरी नहीं की। अकाल राहत मंत्रीजी ने बताया कि 7 हजार मजदूर माही डेम पर लगा रखे हैं। सरकारी अफसरों का लाखों रुपया टी. ए, डी. ए में खर्च हो जाता है। ओवरसीयर और एक्स. ई. एन. के कमीशन माही डेम पर बंधे हुए हैं। ठेकेदारों से काम कराया जाता है। कमीशन ले लेते हैं उनसे। मजदूर इसलिये अधिक नहीं रखते हैं। मजदूरों का वे शोषण करते हैं। अकाल राहत मंत्रीजी नहीं हैं, और अन्य मंत्रीजी बैठे हैं। आप इसको नोट करिये और अकाल राहत मंत्रीजी को बताइये। माही योजना पर लाखों रुपयों का घोटाला होता है। सरकार जांच नहीं करती है। दूसरे काम हाथ में लिये जायं तो अकाल की समस्या का स्थायी हल होगा। जितना पैसा माही पर खर्च हुआ है यदि लिफ्ट योजनाओं पर खर्च किया जाता तो अकाल की समस्या का स्थायी हल होता।

(7.15 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, आप से निवेदन किया, सरकार से निवेदन किया, आपने मंजूर किया है कि इतने ही मजदूर लगाये हैं। 7 हजार मजदूर लगाये हैं। दूसरी ओर लाखों रुपये टी. ए., डी. ए. में खर्च हो रहे हैं। और लोग भूखों मर रहे हैं। यह नहीं चल सकता। पिछले समय में भूख की कमजोरी के कारण पीलिया की बीमारी हो गयी। 100-200 आदमी मर गये। कमजोरी के कारण यह मौत हुई। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जिन आदिवासी लोगों के बाप दादाओं ने मेहनत करके जिस भूमि को सुधारा उसको आप आज कडाना बांध में डूबो रहे हो। न तो उनको मुआवजा मिलता है और न ही उनके पुनर्वास की व्यवस्था होता है। इस भयंकर अकाल में उनको मजदूरी भी नहीं देंगे तो वे भूख से मरेंगे। आपके ऊपर बड़ा भारी कलंक लगेगा। सरकार कहती है कि एक को भी भूख से नहीं मरने देंगे। मैं कहता हूं कि यदि यही स्थिति रहीं तो हजारों मरेंगे। सरकार पर इसका कलंक लगेगा। लोग मेहनत-मजदूरी करके जिन्दा रहना चाहते हैं। भीख नहीं मांगते हैं। 5½ लाख बांसवाड़ा में आदिवासी रहते हैं। 26 हजार को ही आपने काम पर लगाया है। आप

Page No 208

(श्री नाथूराम)

उधर का दौरा करिये । अकाल राहत मंत्रीजी का दौरा नहीं हुआ है । कई बार निवेदन किया है कि आप वहां पर पधारिये, लोगों की स्थिति को देखिये । मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी मिले । वे समयाभाव के कारण नहीं आ पाये हैं । डूंगरपुर, बांसवाड़ा का दौरा करिये । लाखों लोग भटकते हैं, मजदूरी नहीं मिलती । फी व्यक्ति दो किलो महीने का अनाज देते है वह भी माइलो ।

श्री शिवचरण माथुर : ज्यादा देते हैं ।

श्री नाथूराम : ज्यादा देते हैं, आप कहते हैं । बिना पैसे के वे खरीद भी नहीं सकते हैं । मैं निवेदन करता हूं कि आज लोगों के पास पैसा नहीं है । लोग भटकते रहते हैं । माइलो आप देते हैं लेकिन बिना पैसे वहां आपका माइलो भी नहीं बिकेगा । लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है और भटकते फिरते हैं । भूलिया में पायलेट प्रोजेक्ट खोला है । अधिकारियों पर कलंक है । छः आना, आठ आना मजदूरी मिलती है । आज वहां काम करें, एक दो घंटे में एक रुपया मिल जाता है । लेकिन आज ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन बांधा हुआ है । माही के अन्दर आप जांच कीजिये । मैं चैलेन्ज करता हूं कि यदि गबन साबित न हो तो या तो मैं यहां नहीं रहूंगा या मंत्री महोदय नहीं रहेंगे । लाखों रुपयों का दुरुपयोग होता है । आप जांच क्यों नहीं करवाते हैं ? सिंचाई मंत्रीजी क्या कारण बताते हैं ? पिछले साल काम कराया ठेकेदारों द्वारा उनका पेमेन्ट नहीं हुआ । अधिकारी नोट कर लेते हैं । कई जगह काम कराया । इन्जीनियर्स ने कमीशन खाया है । ठेकेदारों ने पेमेन्ट नहीं दिया । मजदूर इधर उधर भटकते फिरते हैं । उन लोगों ने कई बार दरख्वास्तें दीं । मुख्य मंत्रीजी को दीं । समय का उनके पास अभाव है लेकिन इरिगेशन मिनिस्टर साहब या और अधिकारी देखते नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये आपके द्वारा मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि हम भीख मांगना नहीं चाहते हैं ।

अकाल का स्थायी हल करने के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं हमारे यहां चार नदियां हैं जहां पर इरिगेशन विभाग से सर्वे करके जो लिफ्ट योजना प्रस्तावित की है उसकी अकाल राहत मंत्री जी स्वीकृति दे दें तो मजदूर मजदूरी पर लगेंगे और लिफ्ट योजना भी पूरी होगी और अनाज भी काफी पैदा होगा ।

इसी तरह से एक-एक भू-संरक्षण का काम आरम्भ करिये । भू-संक्षरण में 75 प्रतिशत सब्सिडी रखिये बाकी 25 प्रतिशत भले ही देना पड़े । इससे मामूली पानी बरसेगा तो जमीन नहीं कटेगी, और अनाज पैदा होगा । हमने पिछले साल भी मांग की थी, लेकिन भू-संरक्षण की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । इसलिये मैं आपके द्वारा अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भू-सरक्षण की मजूरी दीजिये । लोगों को अर्थ-वर्क मिलेगा और स्थायी काम होगा और ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा होगा ।

इसी प्रकार वन विभाग के जंगल काटते हैं । हमारे वनों में एक किरण भी सूर्य की नहीं दिखती थी । मैं हर साल मांग करता हूं कि वनों की सुरक्षा के लिये काम

(श्री नाथूराम)

करिये, भू-संरक्षण के काम खोलिये, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। पिछले सालों में जो तेन्दू पत्तों का राष्ट्रीयकरण किया उससे सरकार को लाखों रुपयों की ग्रामदनी हुई है तो भू-संरक्षण का काम वन विभाग में भी करिये ग्रौर जो पुराने तेन्दू पत्तों के पेड़ हैं उनको काटकर कल्चर करिये, उसमें नई पत्ती फूटेंगी तो लागों को काम मिलेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रकाल के स्थायी हल के लिये ग्राप कोई न कोई काम, जो मैंने सुझाव दिये हैं, की ग्राप स्वीकृति दीजिये तो काफी लोगों को मजदूरी मिलेगी। ग्रकाल की स्थायी समस्या हल होगी ग्रौर लाखों की ग्रामदनी होगी। ज्यादा से ज्यादा पानी बरसेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो ज्यादा ग्रन्न पैदा होगा।

दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

इसी प्रकार ग्रन्न के बारे में जैसा खाद्य मंत्री जी ने बताया माइलो ज्यादा मिलती है, लेकिन गरीब को नहीं मिल पाती है, गरीब भटकता रहता है। चार-चार महीनों से शक्कर नहीं ग्रा रही है लेकिन गरीब लोग शक्कर नहीं खाते हैं। ग्रनाज की, शक्कर की व्यवस्था करिये ग्रौर सिर्फ पानी की ज्यादा व्यवस्था करिये। वाटर वर्क्स का विभाग है, पैसे भी बढ़ा दिये ग्रौर एक टाइम पानी नहीं मिले तो 25 पर्सेन्ट पेनेल्टी लगा देते हैं। मैं ग्रापके द्वारा सरकार से ग्रौर ग्रकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करता हूं जो गढ़ी, भूखिया, कुशलगढ़ हैं, वहां भयंकर ग्रकाल है। कुग्रों का पानी खत्म हो गया, कुग्रों को गहरा करने के लिये पैसे दीजिये ताकि लोगों को पैसे ग्रौर पानी मिले। माही-करोड़ों का प्रोजेक्ट है उसमें मजदूर ग्रौर बढ़ायें। जहां भयंकर ग्रकाल है मई में मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ायेंगे तो ग्राप पर कलंक लगेगा। 50-60 हजार मजदूर लगाने चाहिये। कम से कम एक लाख मजदूर नहीं बढ़ायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ग्रापको केवल दो महीने के लिये मजदूरी देनी है फिर तो खेती-बाड़ी में लग जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार कह चुके हैं, बार-बार कहने से कोई लाभ नहीं है। एक ही बात को पांच बार कहने की क्या ग्रावश्यकता है ?

श्री नाथूराम : मजदूरों को बढ़ाना चाहिये। चारा वन विभाग से काटा हुग्रा है बांसवाड़ा में जो चारा काटा है उसको बांसवाड़ा जिले को ही देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली) !

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान के 26 जिलों में से 24 जिलों में करीब 20 हजार गांवों में ग्रकाल की स्थिति है ग्रौर इसमें एक करोड़ 32 लाख की जनसंख्या प्रभावित है, ऐसी महत्वपूर्ण समस्या के लिये विधान सभा में बहुत कम समय चर्चा के लिये दिया जाय, यह भी ग्रन्त में, तो तात्पर्य यह हुग्रा कि ग्रन्य मसलों से इसको कम महत्वपूर्ण समझा गया है। मैं समझता हूं यह खेदजनक स्थिति है। हम जितनी बात कहना चाहते हैं, कह पायेंगे या नहीं कह पायेंगे क्योंकि ग्रापकी घण्टी की हर समय ग्राशंका बनी रहेगी, लेकिन फिर भी जो कुछ समय मिला है उसमें मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ग्राज राजस्थान में ग्रकाल

(श्री शंकरलाल)

से पीड़ित जनता इतनी दुखी है, और इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है कि अब आपको और अधिक समय नहीं जाने देना चाहिये और इस अकाल का मुकाबला युद्ध स्तर पर करना चाहिये। आज अगर आप टैक्निकेलिटी में पड़ जायेंगे जैसा आपने देखा है 74-75 की रिपोर्ट में आपने कहा, जिलाधीश को कोई अधिकार नहीं दिये। आज छोटी सी बात के लिये आपके जिलाधीश राजस्थान के अन्दर जयपुर की तरफ देखते हैं, चाहे टैंकर की व्यवस्था करनी हो और चाहे अकाल का कोई छोटा सा काम खोलना पड़े, आपकी स्वीकृति उसे लेना पड़ेगी। पहले 25 हजार तक के काम जिलाधीश को खोलने के अधिकार थे। बिना सैंक्शन के काम खोल सकते थे और उसकी स्वीकृति बाद में ले सकते थे, किसी इमर्जेन्सी के काम में जो जिलाधीश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको स्थिति का पूरा पता रहता है। उनको इस प्रकार के अधिकार रहने ही चाहिये। जो डिस्ट्रिक्ट फैमिन रिलीफ कमेटी है उसको अधिकार होने चाहिये कि वहां की स्थिति को देख कर बिना स्वीकृति के अगर इमर्जेन्सी है तो काम खोल लें। आपको विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। अगर आपको काम करना है तो आपको मालूम होना चाहिये, यह मई का महीना चल रहा है, आज जो आंकड़े दिये हैं उसमें करीब साढ़े तीन लाख मजदूर बताये हैं। 20 लाख के अन्दर पाली जिले में 12 हजार मजदूर बताये जहां 8 लाख की जन संख्या है जो अकाल से पीड़ित है। मैं इस बात को भी कहूंगा 40 गांव ऐसे हैं जो अकाल से पीड़ित हैं, जहां लोग मौत से लड़ रहे हैं—खारिया, मोरिया-उनको भी आपने अकाल में घोषित नहीं किया है, लेकिन जो भी अकाल में घोषित गांव हुये हैं वहां की जन संख्या को देखते हुए क्या 12 हजार मजदूर आप पर्याप्त समझते हैं? मैं समझता हूं अगर आप फेमिन के गत वर्ष के आंकड़े उठाकर देखें तो मई में राजस्थान में जब कि इतने गांव प्रभावित थे या नहीं लेकिन 20 लाख मजदूर काम करते थे, पाली में 60 हजार मजदूर काम करते थे वहां आज 12 हजार काम कर रहे हैं। आज आपकी जो फेमिन रिलीफ कमेटी है उसने जो बातें भेजीं उनकी आपने स्वीकृति भेजी है और मैं जानता हूं कि आप अपने उत्तर में यह कहेंगे, लेकिन मैं यह बात भी कहना चाहता हूं आपने कई बार सुझाव मंगाये हैं, आपने कन्टिन्जेन्सी के प्लान मंगाये हैं वे सुझाव आये हुये पड़े हैं। फिर जब कोई दूसरी कमेटी होती है तो कहते हैं आपने पहले वाली कमेटी के सुझाव नहीं दोहराये हैं। मैं समझता हूं आपको इन कागजी कार्यवाहियों में नहीं जाना चाहिये। सारे रेकार्ड मौजूद हैं और मैं समझता हूं पाली जिले के लिये कोई जरूरत नहीं है चाहे वे सॉइल कन्जर्वेशन के आंकड़े हों और चाहे दूसरे काम के आंकड़े हों—बिना आंकड़े मंगाये मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है। आज मुझसे यह कहा गया कि आपने कुछ काम मन्जूर किये हैं। मैं मानता हूं, लेकिन उन कामों के बारे में आपको यह भी कहना चाहता हूं कि काम मन्जूर होने के बाद भी वहां स्वीकृति के अनुसार काम चालू करने में बहुत देरी लगती है। आपके डिपार्टमेंट वाले चाहे सड़कों के काम हों,

(श्री शंकरलाल)

चाहे इरिगेशन के काम हों आपकी स्वीकृति जायेगा 29 तारीख को वह 5 तारीख तक तो वहां पहुंचती ही नहीं है। 5 तारीख के बाद फिर आपकी एजेन्सी को कहेंगे और पांच, सात दिन उसमें लगायेंगे। फिर कहेंगे कि हमारे पास इम्प्लीमेन्ट्स नहीं हैं। फिर कहेंगे कि जो ठेका दिया वह प्लान में ठेका देना पड़ता है। आपका जो सुमेरपुर का काम है वह जगह-जगह ठेकेदारों को दिया हुआ है। जो कि जैतपुर से खोट का काम है, मन्जूरी होने के महीने, डेढ़ महीने के बाद भी उस काम को चालू नहीं किया गया। उसके लिए कहा गया कि ठेके पर देने को हमने टेण्डर्स मांगे हैं। आपको इन बारीकियों में और जो फार्मलिटीज हैं उनमें जाने की जरूरत नहीं है। आप उन ठेकेदारों को काम देना चाहते हैं ताकि मजदूर उन ठेकेदारों की मर्जी पर काम करें और उन लोगों को काम नहीं मिले जो कि वास्तविकता में अकाल से पीड़ित हैं। मैं कहता हूं कि आपको डिपार्टमेंटल काम चालू करने पड़ेंगे। इन ठेकेदार और इन बिचोलियों को हटाना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो सड़क मैंने बताई वह सड़क पहले मन्जूर हुई और उसके बाद में जो दूसरी सड़क मन्जूर हुई उस पर पहले काम चालू हो गया। ठेकेदार से पूछा गया तो उसने कहा कि जो पहले मन्जूर हुई थी वह चालू नहीं की गई और उसने कहा कि उसमें तो हमारा एग्रीमेन्ट है कि साल भर में पूरी करनी है और बाद की स्वीकृति की तीन महीने में पूरी करनी है। यह फेमिन का काम है-या आपके डिपार्टमेन्ट के ठेकेदारों की बात है? कम स्वीकृत हाने के बाद भी कागजों में पड़े रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा।

दूसरे मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान के अन्दर 1974-75 में यह बताया कि 10 करोड़ 19 लाख रुपया तो सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन से मिलेगा, 10 करोड़ 22 हजार भारत सरकार से मिलेगा और 1 करोड़ 50 लाख रुपया आपने अपनी योजनाओं मे बचाया। यह तो 1974-75 का प्लान बताया था। मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने यह प्लान बताया था और आपने कहा था कि 21 करोड़ 93 लाख रुपया आप मार्च, 1975 तक खर्च कर पायेंगे। वह खर्च कर पाये या नहीं और अगर आप कर पाये हैं तो डिस्ट्रिक्टवार जानना चाहूंगा कि वहां के पीड़ित लोगों की जनसंख्या को देखते हुए किस जिले में कितना काम हुआ? यह भी मैं जानना चाहूंगा और इसलिए जानना चाहूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया है कि पक्षपात किया जाता है। इस बात को उठाया है कि जहां-जहां के मंत्री या राजनेता हैं वहां काम ज्यादा होता है और जहां लोग अधिक पीड़ित हैं वहां काम नहीं होते हैं। इसका स्पष्टीकरण आपको विस्तार में करना पड़ेगा।

साथ ही आज सन् 1975-76 का प्लान बताया है उसके अन्दर आपने भारत सरकार से 38 करोड़ रुपये की मांग की है। 38 करोड़ रुपये के बारे में आपने बताया कि 14-15 तारीख को केन्द्रीय अध्ययन दल आयेगा और उसके बाद में

(श्री शंकरलाल)

वह रिपोर्ट मई के एण्ड तक देगा और जून में स्वीकृत होगी। तब तक जो कुछ बरबाद होना है वह हो जायेगा। आज आग लगी उसके बारे में जोधपुर राज्य का एक उदाहरण दिया जाता है कि कहीं आग लगी और 6 महीने के बाद कागजों में आया कि आग को बुझा दी जाये। आज पैसों की जरूरत है तो आप दूसरे काम बन्द कर दीजिए, जो फालतू खर्चा है उसको बन्द कर दीजिए और भारत सरकार की तरफ मत देखिये। आज जनता, जिसको जनतंत्र में आप सुप्रीम समझते हैं, को आप क्या मरता हुआ देख पायेंगे? जैसा हमारे साथी नाथूराम जी ने कहा था और मैंने भी कल सदन में बताया था कि लोग मरेंगे, नहीं मर चुके हैं। मैंने एक उदाहरण भी बताया था, मैं, राज्य मन्त्री जी, आप से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो लेवी ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनको आवश्यक चीजें नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन जो फेमिन से पीड़ित जनता है—फेमिन के अन्दर काम हुए हैं, उन लोगों को मजदूरी मिली है और आज उसके मुकाबले में इस वर्ष जो भी बात हो रही है, उसके लिए जहां भी जाते हैं जनता उसके लिए चिल्लाती है। आज उस बात के लिए कहते हैं, आप उनको पानी नहीं दे सकते, मजदूरी नहीं दे सकते, अनाज नहीं दे सकते, जहां तक पाली जिले का सवाल है वहां मजदूरी तो दूर रही मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में तो पानी का भी प्रश्न आ जाता है। इसके लिए हमारे वहां के लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले वहां के रूपावास के सरपंच भवानीसिंह ने भूख हड़ताल की तो उसके बाद में वहां पर पीने का पानी दिया गया। जहां पानी के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती है वहां मजदूरी की बात तो बाद में आती है। जवाई बांध की खींचातानी में पानी जोधपुर जाये और पाली को नहीं दे पायें। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। मैं कहना चाहूंगा कि वह समस्या तो हम अपने आप हल कर लेंगे। आपने भी कुछ किया है इसको भी स्वीकार करेंगे। इसके लिए मैने चिट्ठी लिखी और कुछ हुआ। पानी की व्यवस्था हुई—इसको मैं मानता हूं लेकिन आज भी जहां टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था है उस ओर मैं, राज्य मन्त्री जी, आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने जो बन्धन लगा रखा है दो मील का कि वहां पर टैंकरों से पानी नहीं दिया जायेगा और जहां पांच मील स्थान है वहां आप पानी देते हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आदमी पांच मील से पानी लेकर आये? आप टैंकर नहीं दे सकते। आपको आज कहना चाहूंगा कि जो आपने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि आप पाली जिले के लिए 10 टैंकर पा. डब्लू. डी. को दे रहे हैं लेकिन जो भी टैंकर आये हैं शायद आपको पता नहीं होगा कि जितने भी टैंकर हैं उनमें आधे से ज्यादा टैंकर तो खराब हैं और आज वह खराब टैंकर कारखाने के बाहर पड़े हुए आपको मिलेंगे और उनको कहते हैं तो कह दिया जाता है कि टैंकर खराब हैं हम क्या करें। आप नहर से पानी दे नहीं पाये, टैंकरों से पहुंचाने की बात है तो वह रिपेयर में पड़े हैं और प्राइवेट टैंकर्स के लिए आप इजाजत देते नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि

(श्री शंकरलाल)

वहां पर आप राज्य के टैंकरों से पानी दो, अगर आप राज्य के टैंकरों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो प्राइवेट टैंकर्स से आपको पानी देना पड़ेगा। आपको देना चाहिए। आपको इजाजत देनी चाहिए जिला प्रशासन को। हम उनसे कहते हैं तो जिला प्रशासन वाले कहते हैं कि ऊपर से स्वीकृति नहीं आई हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा।

साथ ही आपने उदयपुर के अन्दर 3 हजार कुओं की बात बताई। मैं नहीं कहता कि उदयपुर में नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि वहां पर 50 हजार मजदूरों की संख्या आपने बताई, वह काम कर रहे हैं सो नहीं करने चाहिए। ठीक है वहां भी काम है लेकिन हमारे यहां पर भी जो सुझाव हमने दिये हैं चाहे वह कुओं के हों, पुलियाओं के हों, तालाबों के हो, चाहे सॉइल कन्जर्वेशन के हों और वह काम नहीं होते हैं और उसमें लापरवाही बरती जाती है तो हमें महसूस होता है कि यह क्यों किया जा रहा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब समस्या के स्थाई हल करने की बात कही जाती है तो कम से कम जैसा मैंने निवेदन किया कि पी. एच. डी. की स्कीम है पाली जिले की फेमिन कमेटी ने, वहां की प्लान कमेटी ने 25 लाख रुपये की योजना का सुझाव करके भेजा और मन्जूर हुआ 36 लाख रुपया। अब प्रश्न यह है कि 36 लाख रुपयों को किन योजनाओं पर खर्च किया जाये क्योंकि योजना कमेटी ने 75 लाख के काम सुझाये थे। मैं कहता हूं आप कम से कम यह तो देखें कि आज जब आपके जवाई के पानी को देने में दिक्कत आ रही है, जोधपुर और पाली जिले में रस्सा कसी हो रही है, पानी पांच-पांच मील से लाने की बात आती है, टैंकर्स से यह पानी पहुंच नहीं पाता है वहां पी. एच. डी. की स्कीम लागू कर दें। वहां पर जिस प्रकार से दीगोद की स्कीम लागू की है, भाखरीवाड़ा में स्कीम है, चाहे 36 लाख की ही स्कीम है पी. एच. डी. विभाग की स्कीम सुझायें। उस इलाके में पी. एच. डी. की स्कीम लागू कर देते हैं तो आपकी समस्या हल हो सकती है। इससे जोधपुर को राहत मिलेगी, पाली जिले को राहत मिलेगी, लेकिन क्या आप कर सकेंगे? अगर पी. एच डी. की रकम नहीं है तो आप अपने पास से रकम लगा दें। आपको हमेशा के लिए बहुत कुछ हल मिल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कह करके यही कहूंगा यह आपने जो कुछ भी आंकड़े दिये हैं उनकी पालना हुई कि नहीं इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आपने पशुपालन केन्द्र पाली जिले में खोले। हमें तो पता ही नहीं कि किस तरह से पशु-पालन केन्द्र खोले, कपड़ा वितरण की बात कही, किसने कपड़ा वितरण किया या आपकी केवल योजना थी जिसके आधार पर आपने यह बात बताई है। असहाय लोगों को, कुछ लोगों को जरूर कहीं-कहीं पर सहायता मिली है, लेकिन यह जो आंकड़े दिए हैं उसमें मुझे इसके बारे में बहुत शक है। साथ ही आपने यह भी कहा है कि बुनकरों को रोजी देने के लिए 25 लाख रुपया खादी बोर्ड को स्वीकृत किया गया है। वह काम भी कहां किया गया यह भी मैं जानना चाहूंगा। मैं सुझाव

(श्री शंकरलाल)

देता हूं कि यह पशुपालन केन्द्र और खादी बोर्ड की दूसरी स्कीमों को आप छोड़ दीजिए और केवल मजदूरी पर आप अपना पैसा खर्च करें । जैसा मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने कहा कि पैसा नहीं है लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए, आप इसलिए दूसरी योजना मत पकड़िये । आज घास की, चारे की इतनी समस्या नहीं है, पशुओं के आहार की, खादी बोर्ड की इतनी समस्या नहीं है, आज की समस्या लोगों को रोजगार देने की है । मई और जून, इन दो महीनों में राज्य मन्त्री महोदय, हमारी तो बहुत ही मुश्किल हो गई है, हमारा वहां जाना मुश्किल हो गया है । हम जाते हैं तो लोग कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, हमारे सामने पेट पीटते हैं । लोगों के घरों में जाकर देखते हैं, जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घरों में कुछ नहीं हैं, केवल कसारी ही नजर आती है, धान का पता नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि आप ध्यान केन्द्रित करें और सारी फॉर्मेलिटीज को छोड़ करके और बहुत गंभीरतापूर्वक अगर आप अकाल की इस गम्भीर स्थिति को लेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की ग्रामीण जनता बच पायेगी और राज्य सरकार भी अपना जो कर्तव्य है वह पूरा कर पायेगी अन्यथा राजस्थान के ऊपर एक बड़ा भारी कलंक होगा, राज्य मंत्री जी, आपके समय के अन्दर और हमारे समय में भी, चूंकि हम भी इसके एक भागीदार माने जायेंगे । लोग हमको कहते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कि पहले तो इतने काम हुए थे अब काम नहीं हो रहे हैं । तो राज्य मंत्री महोदय, हमारी हालत, जनता की हालत और आप सबकी हालत बड़ी खराब हो रही है । इसलिए आप इसको गंभीरता से लें और यहां पर आज केबिनेट के मिनिस्टर्स को, मुख्य मंत्री महोदय को स्वयं होना चाहिए था । मुझे खेद है कि वे स्वयं नहीं हैं, फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि सारे दूसरे खर्चों को कम करके जितना भी खर्चा इस अकाल पर सरकार करे तो इस समस्या का हल होगा । केवल फार्मेलिटीज में जाने से कुछ नहीं हो सकेगा ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष जी, दूसरे जिलों के मुकाबले जिला जालौर की जो स्थिति

श्री **मोहरसिंह** (सादुलपुर) : मुझे बहुत देर हो गई है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : मुझे मालूम है । आप बिराजिये ।

श्री **मोहरसिंह** : मुझे बहुत देर हो गई है, आपको मुझे समय देना चाहिए ।

श्री **उपाध्यक्ष** : मुझे मालूम है । आप अभी बिराजिये ।

श्री **मोहरसिंह** : मुझे बहुत देर हो गई है आप मुझे मौका दें । मुझे जाना है ।

श्री **उपाध्यक्ष**: इसका मेरे पास इलाज नहीं है । आप बिराजिये ।

श्री **मोहरसिंह** : इलाज तो करने की आपकी जिम्मेदारी है ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, (व्यवस्था सूचक घन्टी) आप तशरीफ रखिए। श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्षजी, अन्य जिलों के साथ जिला जालौर अकाल से भयंकर रूप से पीड़ित है। पिछले महीने की बीस तारीख के पहले तक कार्य बहुत कम थे और मैंने माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि लोगों की हालत बहुत गंभीर है। बहुत से लोग गुजरात की साइड में वहां पर काम जो खोले गये हैं उधर मजदूरी की तलाश में हजारों की संख्या में चले गये हैं। बाद में मुख्य मंत्रीजी ने कुछ कार्य खोले हैं परन्तु ज्यादातर कार्य सड़कों के, पक्के काम हैं और ठेकेदारों के काम हैं। तो ठेकेदारों के काम होने के नाते और दूर-दूर के इलाकों में जो जालौर जिले में विशेष रूप से सड़कों के काम कुछ खोलें हैं, इस कारण विशेष दिक्कत यह है कि जालौर जिले में जो पत्थर की, मेटल वगैरह की क्वेयरी हैं वह दो-तीन जगह पर हैं, वहां पचास-साठ मील से लाया जाय और वहां पर लगाया जाय यह संभव नहीं है। तो, उपाध्यक्षजी, हमने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और पहले जब मुख्य मंत्री महोदय का जालौर, बाड़मेर की तरफ दौरा हुआ तो उनको वहां की विशेष परिस्थिति बताई। उसके बाद कार्य तत्परता से शुरू जरूर किए गए, कुछ ग्रेवल रोड्स पर मजदूर लगाये, तीन-चार बांधों के काम भी शुरू किए, उस पर रुपया भी खर्च किया लेकिन बाद में जानकारी मिली कि ग्रेवल के ऊपर मजदूर नहीं लगाने चाहिए, उनको वहां से हटा देना चाहिए और मेटल रोड्स पर लगायें इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन्स मिले हैं। इससे हमको बहुत दिक्कत हो रही है। किसने किस तरह से यह इन्स्ट्रक्शन्स दिए हैं। क्योंकि चीफ इंजीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. भी जालौर की स्थिति को जानते हैं, ऐसे इंटीरियर में हैं जो रोड्स स्ट्रेटेजिक पोइन्ट्स पर हैं, आवागमन की वहां की हालत को देखेंगे····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : घन्टी बजाइये।

(गणपूरक घण्टी)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी····

श्री उपाध्यक्ष : अभी कोरम पूरा नहीं हुआ।

(गिनती करने के पश्चात्)

हो गया, अब शुरू कीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि जो रोड के काम आपने जालौर जिले में खोले हैं और उसमें जो मैटल्ड राड्स पर मजदूरों को लगाने की लिमिटेशन आपने रखी है उसको हटाकर सर्वप्रथम अगर यह ग्रेवल रोड्स पर मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ायेंगे तो आपकी रोड्स बनना असम्भव है। ऐसी हालत में हालांकि यहां पक्की रोड्स जालौर जिले में बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल में पक्की रोड्स दो-तीन महीने में बनना तो असम्भव है। हम चाहेंगे कि आप ग्रेवल खोद कर रोड पर डाल दें तो कम से कम साल भर तक तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सरवाईव कर जायेंगी। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी में आपसे आग्रह करूंगा कि इस रूप में जो रेस्ट्रिक्शन लगाये हैं कि ग्रेवल पर नहीं लगाएं और वहां पर ग्रेवल पर नहीं लगा कर जो अर्थ वर्क किया गया है वहां मजदूर लग नहीं सकते। इस ओर माननीय मंत्रीजी विशेष रूप से ध्यान दें।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा अब तो समय बहुत कम रह गया है, बड़े काम आप शुरू नहीं कर सकते। इसके लिए हमने सुझाव दिया था कि जो नवाई टैंक हैं पीने के पानी के वहां तो कम से कम गांवों में पहले दस मील के रेडियस में काम करने की बात कही है। मैं आग्रह करूंगा कि दस मील के अन्दर, पांच मील के रेडियस में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां काम नहीं है, तो कम से कम बीस-पच्चीस हजार के काम खोलने का अधिकार पहले भी जिला राहत कमेटी को दिया हुआ था कि पच्चीस हजार तक के काम जिले की स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए कर सकते हैं। अब भी राज्य सरकार ऐसी समस्या को देखते हुए जब कि मजदूरों की ऐसी हालत खराब है, उनकी भुखमरी की हालत हो चुकी है, उनके कार्य करने की शक्ति कम हो चुकी है, अनाज महंगा है, ऐसी हालत में स्थानीय अधिकारी जिला एडवाइजरी कमेटी की सलाह से बीस-पच्चीस हजार के काम स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए खोल दें तो अब तो समय बहुत कम रह गया है इसमें कौनसा मिसयूज हो जायगा, कौनसी गड़बड़ हो जायगी? आवश्यकता के अनुसार मजदूर काम पर लगें तो इसमें बहुत देरी लग जाती है अभी तक जो मजदूर काम पर लग चुके हैं, वहां जो काम शुरू हो चुके हैं वे तो हैं ही, इसके अलावा अब भविष्य में मेरे ख्याल से नवाई टैंक से, जहां पीने के पानी की समस्या है वहां के टैंकों पर काम मजूर कर दें तो दो-ढाई महीने काम चल सकता है। और इससे वहां की जो आवश्यकता है, कठिनाई है, वह दूर हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पानी की व्यवस्था जिला जालौर में विशेष कर सांचोर और भीनमाल कस्बों में नहीं है। वहां पर पानी की कठिनाई है। इसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पंचायत समिति ने सांचोर में एक टैंकर दिया है और वह महीने में 15 दिन ही चलता है। कभी ड्राइवर चला जाता है और कभी कोई। अभी अकाल सहायता विभाग से आदेश दिये गये हैं कि स्थानीय टैंकर्स को लगा सकते हैं परन्तु वहां पर टैंकर उपलब्ध नहीं हैं। पहले भी टैंकर लगाने की कोशिश की किन्तु पैसा समय पर नहीं मिला। कोई भी टैंकर लगाना नहीं चाहता है। जहां भी टैंकर उपलब्ध हैं और आपने मन्जूर किये हैं उनके टैंकर लगा सकते हैं। स्थानीय हालात को देखते हुए टैंकर उपलब्ध नहीं हैं। गर्मी का समय आ रहा है। पानी की गंभीर स्थिति है। फेमिन वर्क्स पर, वहां के केम्प पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके अन्दर भी आपने टेण्डर इन्वाइट करने का एक क्लॉज रख दिया है। पहले का भी पेमेन्ट नहीं हुआ इसलिए कोई चलाने को तैयार नहीं है। इसलिए यह जो टेण्डर की व्यवस्था है उसको हटा दिया जाये। पानी की भयंकर स्थिति है। टैंकर पूरे जालौर में 8-10 ही उपलब्ध हैं और इसके अभाव में वहां पर पानी की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

स्थिति भयंकर होने वाली है। इसके अलावा, अभी जो पहले के कुछ काम सिंचाई विभाग के बांध के काम चल रहे थे, कुछ को मंजूर किया है और कुछ टूटे हुए बांध बाकी हैं और ये उपयुक्त काम हैं। इनकी मन्जूरी कृपा करके आप दे दें। सिंचाई विभाग के बांध की जो स्थिति है, पहले ढाई महीने मजदूरों ने काम किया और उसका पेमेन्ट नहीं हुआ। क्रेडिट लिमिट नहीं थी। मैंने भी इसके बारे में राज्य सरकार को लिखा है। दो-दो महीने से मन्जूरी नहीं मिली। इसकी क्रेडिट लिमिट फिक्स करें। सार्वजनिक विभाग की क्रेडिट लिमिट आ गई थी, सिंचाई विभाग की क्रेडिट लिमिट हो ताकि मजदूरों को पेमेन्ट नियमित रूप से मिलता रहे। कम से कम एक महीने में मजदूरों को पेमेंट हो जाये। अभी डेढ़-दो महीने में एक पेमेन्ट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पेमेन्ट के बारे में व्यवस्था करें। पेमेन्ट की अभी कोई व्यवस्था नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ पिछले फेमिन का भी एरियर था जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने यह मसला यहां पर उठाया है। पहले भी इस बारे में राज्य सरकार को निवेदन किया गया है। अभी काफी मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। इसलिए यह पेमेन्ट भी साथ-साथ कर दें तो लोगों को रिलीफ मिल सकता है। इन दिक्कतों को देखते हुए शीघ्र ही व्यवस्था होनी चाहिये। अभी भी दो-तीन महीने हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों पर आपने भिन्न-भिन्न केटेगरी रखी है। कहीं ज्यादा काम खोल दिये हैं, कहीं पर कम हैं। यह अलग-अलग कन्सीडरेशन है। इस प्रकार देखा जाना चाहिये वरना स्थिति खतरनाक हो जायेगी। अब आपको मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जहां जैसी स्थिति है, काम खोले जायें। कलेक्टर आपको स्थिति की रिपोर्ट भेजते रहते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए काम खोले जायें और भविष्य में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। युद्ध स्तर पर काम करने का आप प्रयत्न करें और अकाल सहायता के जितने भी काम हो रहे हैं उन्हें तत्परता से नहीं करेंगे तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे बदनामी हो सकती है। इस बारे में मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन है कि भविष्य में काम करने में वे कोई ढिलाई न करें और ये दिक्कतें भविष्य में नहीं आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कितनी दुखद स्थिति है। आज राजस्थान के पौने दो करोड़ प्राणी अकाल का एक-एक दिन गिन-गिन कर निकाल रहे हैं। इस तरह की बुरी हालत है कि उससे मुझे ज्यादा दुःख होता है। और ज्यादा दुःख तो इस बात पर होता है कि हमारी राजस्थान की सरकार करीबन 8-9 मास तक अकाल का जिक्र करते-करते किसी प्रकार से इन दिनों को निकाल रही है और उससे भी ज्यादा दुःख, उपाध्यक्ष

(श्री मोहरसिंह)

महोदय, इस बात पर होता है कि जिस भारत सरकार का गुणगान करते-करते हम नहीं थकते वही राजस्थान प्रान्त की बड़ी भारी जनसंख्या अकाल से पीड़ित है और उनकी तरफ से हमें न पैसा दिया जा रहा है और न सरकार की ओर से कोई उपाय हो रहे हैं और न मंत्री महोदय ही जानते हैं कि किस तरह इस दुःख से जनता को बचाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी दुखद स्थिति इस बात की है, कहना नहीं चाहिये, माफ करें मुझे, हमारी अकाल के प्रति, आज के अकाल की समस्याओं को हल निकालने के प्रति कितना प्रेम है, यह इस सदन में सदस्यों की उपस्थिति बता रही है। यह बात मैं ट्रेजरी बेन्चेज और विरोधी पक्ष, दोनों के लिए कह रहा हूं। आज वक्त है राजस्थान के प्राणियों को बचाने का, राजस्थान के पशुधन को बचाने का। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की हालत के जिये कौन जिम्मेदार है? विगत अधिवेशन में भी, उस वक्त भी अकाल पर गम्भीर चर्चाएं हुई थीं और इतने दिन निकल जाने के बाद भी आज भी उसी हालत में है। हमारे पास अकाल राज्य मंत्रीजी का बयान है कि इतने प्राणी अकाल राहत कार्यों पर लगे हुए हैं। परन्तु यह जनता का उपहास है, उसके साथ खिलवाड़ है। जिस जनता ने आपको वोट दिया है, उनका इवलपमेन्ट करना तो दूर रहा, उनके सांस लेने के लिए, जिन्दा रहने के लिए, उनकी इन भीषण समस्याओं पर चर्चा करने के लिए भी हमारे पास में वक्त नहीं है, समय नहीं है। इतनी दुखद स्थिति आज हमारे प्रान्त की है जिसको यहां पर महसूस नहीं किया जा रहा है। जहां एक तरफ आवश्यकता पड़े देश की रक्षा करने की, देश की लाज बचाने की आवश्यकता हो, उस वक्त हम 'जय किसान जय जवान' का नारा लगावें, और आज किसान की हालत को देखने के लिए हमारे मुख्य मंत्री गांवों में नहीं जाते हैं। आज किसान के प्राणों पर पड़ी है। यह किसान एक-एक सांस गिन-गिन कर निकाल रहा है। आज का दिन निकल गया, यह उसके लिये राहत की बात है। आज के बाद आगे का दिन कैसे निकलेगा, यह उसकी चिन्ता है, यह हालत है। किस प्रकार से वह जीवन को व्यतीत कर रहा है अगर एक-एक गांव की हालत बताऊं तो, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत देर लग जायेगी मुझे इस बात की बड़ी शंका है कि मैं जिस वक्त भी खड़ा होता हूं उस वक्त आपकी घन्टी बजने लगती है। मैं बराबर 30-30, 40-40 हजार लोगों के बीच में बोलने वाला आदमी हूं यदि बीच में एक बच्चा भी बोल जाता तो मुझे अखरता है यहां पर आपकी दया से बंधा हुआ हूं और सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इतनी मेहरबानी आप लोगों को रखनी पड़ेगी कि मैं लाखों किसानों से तीस सालों से सम्पर्क रख रहा हूं और मैं उन किसानों की समस्याओं का जिक्र कर रहा हूं तो समय आपको मुझको देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं गांवों की हालत को लेकर एक-एक जिले में चाहे वह चूरू जिला हो, चाहे वह नागौर जिला हो, और 26 जिलों में से 23-24 जिलों की हालत इस वक्त ऐसी हो रही है कि

(श्री मोहरसिंह)
उसका बयान करना जबान से परे है। उसका बयान करते समय दिल पसीज जाता है। हालत बहुत खराब हो चुकी है और वहां पर कोई किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। इस सदन को समझना चाहिए कि क्या हम अपने कर्त्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं? आप देखेंगे कि इन्सान वहां पर खटिया पर पड़ा हुआ तड़फ रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पिछले अधिवेशन में भी मैंने बतलाया था कि लोग खेजड़ी के छीलटों को खाने लगे हैं। वह उसके छीलटे आटे के साथ मिला-मिला कर अपने दिन गुजार रहे हैं। यह मेरा कर्त्तव्य हो गया है कि इस हालत को यहां पर बयान किया जाय, लेकिन आपका मन्त्रिमण्डल उसकी लीपा-पोती करके उसको दवा देना चाहता है और यहां पर अपने अधिकारियों के द्वारा उलटे सीधे बयान दिलवा देता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के बयान दिलवाने के बजाय हमारा सरकार और मन्त्रिमंडल को बहुत ज्यादा आवश्यकता है वहां के लोगों की जान बचाने की। अगर नहीं किया जाता है सेन्टर से कुछ तो वहां जाकर जोर देकर कहा जाना चाहिए कि इस प्रकार की हालत बन चुकी है। इसके लिए हमको इतना रुपया मिलना चाहिये था। आज हालत राजस्थान के अन्दर, आप जहां कहीं भी जायं, उपाध्यक्ष जी, बड़ी भयंकर हो रही है। मैं खास तौर से उन्हें बता देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ महीने के बाद में वर्षा होगी, और यह डेढ़ महीना निकालना कितना मुसीबतजदा होगा। 50 प्रतिशत किसान जमीन जोतने के काबिल हो सकेंगे। यह हालत उनकी होती जा रही है। उसके बाद में एक महीना वर्षा का बचता है उसमें दिन किस प्रकार से निकलेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति मैं आपको बतलाता हूं कि उस इलाके के अन्दर हरिजन, चमार, नायक हैं वह राजस्थान को छोड़ कर ज्यादातर बाहर चले गए हैं। कोई हरियाणा में गया है, कोई पंजाब में गया है, कोई दूसरी जगह मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। पशुओं को लेकर चले गए। वहां पर उनकी हालत बहुत खराब है। हरियाणा में जाने के बाद बन्सीलाल की गवर्नमेंट उन लोगों, जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, को वापिस कर देती है। मुझे राजगढ़ के किसानों का मालूम है। मानपुर गाँव के हरिजन 20-4-75 को वहां पर हरियाणा में भट्टों पर ईंटें बनाने के लिए गए। वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी तो उन पर कर्जा चढ़ गया है ठेकेदार का। कर्जा जब चढ़ा तब वे भागे। गांव में जाकर ठहरे तो ठेकेदार को मालूम होने पर वह उस गांव में पहुंचा और उसने हरिजनों की पांच औरतों को अपने पास में रोक लिया और महीने भर से वे 5 हरिजन औरतें उस ठेकेदार के पास में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह नाकाबिले बरदाश्त स्थिति है। हरिजन वर्ग के लिए हम कहते हैं उनकी जन कल्याण की रिपोर्ट पेश की जाय। मैं आपको सही स्थिति बतला रहा हूं कि हरिजन इस बुरी हालत में हैं कि जहां पर बहनों और बेटियों को एक-एक महीने के लिए दूसरे के पास में रख रहे हैं। यह हालत वहां की है और यहां हम लोग आंखें मीचकर बैठे हैं। मंत्री कहते हैं

(श्री मोहरसिंह)

कि पैसे की कमी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता को बचाने का फर्ज आपका है। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं कुछ उनके लिए तो आप इन कुर्सियों पर नहीं रह सकते हैं, और जनता हमें चुन-चुन कर खींचेगी। गांवों में जाने की हमारी नाक नहीं रहेगी। अगर आप इन्तजाम नहीं कर सकते तो मंत्रिमण्डल को छोड़ दें। यह बात मैं बड़े दुःख से कह रहा हूं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपोजिशन पार्टी का हूं और आप ट्रेजरी बेन्चेज के हैं। हम चूरू जिले के रिप्रजेन्टेटिव हैं और गांवों में जायेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं हमारे लिए? हमारी दयनीय हालत पर क्या आपके आंसू नहीं आते हैं? एक-एक एम. एल. ए. ने अपने-अपने इलाके की हालत बताई है इसके बावजूद आप आंख मीच कर बैठे हैं, यह आपके लिए शोभा की बात नहीं है। हमारा फर्ज है कि हम इन्तजाम करें। वर्षा होने वाली है और इतने दिनों में इतने मजदूर हम लगायेंगे तो 10 लाख की आबादी का अगर चूरू जिला है तो उस जिले के लिए मन्त्री जी कह रहे हैं कि 20 हजार लोगों को काम दिया है। 10 लाख की उसकी आबादी है तो 6 घरों में एक घर आता है। उसके बावजूद दो लाख आदमियों के लिए काम का इन्तजाम होना चाहिए। 2 लाख के बजाय आप दे रहे हैं 20 हजार को यानी 10 में से एक आदमी को आप काम दे रहे हैं। कैसे वे अपना गुजरा करेंगे? मैं समझता हूं कि तीन दिन भूखे रहने के बाद एक टाइम दो रोटी मिल जाय तो आदमी जिन्दा रह सकता है, लेकिन वह काम नहीं कर सकता है। आप यह कहेंगे कि मौत नहीं होगी, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या वह जिन्दा है? वह इन्सान जिन्दे के बराबर है क्या जिसको तीन दिन के बाद एक दफा दो रोटी मिलें? मैं गांवों में चला गया तो मैं बतलाता हूं कि वहां पर तीन-तीन दिन के बाद दो-दो रोटी एक दफा में उनको मिलती है तो वह कहते हैं कि आज का दिन तो गुजर गया और कल का दिन फाके में गुजार देंगे और फिर दो रोटी बनाकर किसी तरह से बच्चों को खिला देंगे। इसलिए हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, विचारना चाहिए और तहेदिल से विचार करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पैसे का इन्तजाम करके ज्यादा से ज्यादा काम खोलने चाहिए।

साथ ही मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि 200 करोड़ राजस्थान में खर्च किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह काम में आये क्या? कुछ काम में नहीं आया है हमारा पैसा, फिजूल गया है। जनता के एक-एक पैसे का, जो कि उनके खून से निकाला जाता है, ठीक तरह से उपयोग किया जाय। इसलिए हमें काम कराने के वक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पैसे का ठीक से यूज होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ आज जो हमारे फेमिन वर्क्स की हालत है उसके लिए याद दिला दूं कि किस प्रकार से थोड़े से आदमियों को काम मिलता है और काम मिलने के साथ-साथ फर्जी मस्टर रोल बनाने की तैयारी है। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि गरीब आदमियों के पेट पर लात मार कर 20-40 आदमियों पर

(श्री मोहरसिंह)

मेट वगैरह बैठा कर क्या प्रोग्रेस करना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब को इस बात पर गौर करना चाहिए। दूसरे काम और जोड़े जाते हैं 20-50 काश्तकारों के लिए और उनके लिये नये वकिंग इन्चार्ज और रोड इन्सपेक्टर नियुक्त किये जाते हैं और वे फर्जी मस्टर रोल तैयार करते हैं। अगर आप नहीं मानें तो दो दिन का टाइम निकालें। मैं बता दूंगा। मैंने अपने पार्टी के आदमियों को इस बात के लिए ख़बरदार कर दिया है कि इस काम के एक-एक पैसे का यूज हो। उनको बता दिया है कि किस तरह से इसका मिसयूज होगा और वे चौकसी रखें। टेक्निकल विषय है इसके बावजूद भी खबर आई है, वहां से सूचना आई है कि फर्जी मस्टर रोल खुलने लगे हैं, मोहरसिंह जल्दी करो और आओ। मन्त्री महोदय से मिलते हैं और फर्जी मस्टर रोल की शिकायत करते हैं तो ए. ई. एन. नाराज होते हैं क्योंकि जिनके मुंह में खून लगा हुआ है वह नाराज होते हैं। हमारी स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। कई तो यह प्रार्थना करते हैं कि अकाल पड़ें तो दुश्मनी निकालें, अकाल पड़े तो जेल जायं। ऐसे आदमी पैदा हो सकते हैं इस समाज के अन्दर। मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक आदमी वहां पर यह चाहते हैं कि हमको काम मिले। उन आदमियों को काम पर लगायें। काम लें तो उसका पूरा पैसा दें। साथ ही साथ एक दिक्कत है, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनिट हो चुके हैं। समाप्त कीजिये।

श्री मोहरसिंह : लोगों को आधा आधा घन्टा मिला है तो मैंने क्या गुनाह कर दिया है?

तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फर्जी मस्टर रोल न बनें, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा वहां पर काम करने वाले लोगों को औजार नहीं देते, तगारियां नहीं मिलतीं, तो लोग काम कैसे करेंगे ? इसका भी आपको इन्तजाम करना पड़ेगा। पीने का पानी भी आपको वहां उपलब्ध कराना होगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैंने परसों भी कहा था सदन में कि कच्चा सड़कों के बजाय पुख्ता सड़कें बनानी चाहिये। राजगढ़ तहसील में मतेजा से मन्डोर का रास्ता पुख्ता बनाया गया है, इस बात की मुझे खुशी है और राजगढ़ से भी पुख्ता सड़क बन कर तैयार हो गई। लेकिन सड़क ऐसी है कि जिस पर बस नहीं चल सकती और जीप नहीं चल सकती। हमारे गवर्नर साहब वहां से एक बार होकर निकल जायं, एक बार होकर चले जायं, और वह कहते हैं कि पुख्ता सड़क है, तो इससे नेशन का पैसा मिसयूज होता है। आप चालीस मील के बजाय आठ मील ही बनावें लेकिन सही ढंग से पैसा यूटिलाइज हो, इस सारी बात को ध्यान में रखना चाहिये। और कार्य ऐसे हाथ में लेने चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाये। अभी डेढ़ महीने बाद आपको खेती के लिए भी इन्तजाम करना पड़ेगा। डेढ़ माह बाद वर्षा में जाकर वह लोग खेती करेंगे जो दीवाली तक जाकर फसल होगी, तब तक उनका पेट आपको भरना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर सेन्टर आपको पैसा नहीं देता है तो आप हम सब को दिल्ली ले चलिये, हम चल कर कहेंगे कि हम जनता

(श्री मोहरसिंह)

को भूखों नहीं मरने देंगे। अगर यह भी आपसे नहीं होता है तो आप जनता के साथ गद्दारी करते हैं।

तो जो भी काम आप लें, वह ढंग से बने फर्जी मस्टर रोल नहीं बनें और मजदूरों को पूरा पैसा मिले, यह सभी बातें होनी चाहिये, हालांकि मैं जानता हूं कि यह सब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, सरकार कुछ नहीं करेगी, चाहे हम सत्याग्रह कर लें, जुलूस निकाल लें (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)। बार-बार हम यह मांग करते आ रहे हैं लेकिन आप नहीं मानते (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि सारे इलाके के अन्दर जनता को बचाने के लिए प्लान बनायें और हमसे जो भी सहयोग आप चाहते हैं वह हम देना चाहते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)। यह जनता की जान बचाने का सवाल है, राजस्थान की जनता को बचाने का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप समय लें तो थोड़ा आसन का भी ध्यान रखा करें। एक तरफ ता आप कहते हैं कि समय नहीं मिलता और फिर आप इतना समय ले लेते हैं।

श्री मोहरसिंह : आसन का भी थोड़ा ध्यान हमारा रखना चाहिये। एक आदमी को कभी-कभी तो ढंग से टाइम मिलना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो घण्टी बज जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आयन्दा से आपके आदेश का ध्यान रखा जायगा।

श्री मोहरसिंह : आदेश की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको आसन के आदेश पालन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिये।

श्री मोहरसिंह : मैं बहुत ध्यान रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीस बार खड़ा हुआ हूं।

श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम अकाल पर चर्चा करने जा रहे हैं, और इस समस्या में माननीय सदस्यों की कितनी दिलचस्पी है यह तो सदन की खाली मेजें ही बता रही हैं। इसकी सबसे बड़ी उपेक्षा हमारे विरोधी दलों द्वारा होती है। अकाल के मामले की चर्चा है और सारी की सारी बैंचेज खाली पड़ी हुई हैं।

श्री मोठालाल मीणा : अनुपात से हम ज्यादा हैं।

श्री लूणाराम सारण : आज अकाल के मामले पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, मैं भी अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आज हम ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों के लगाने पर सीमा लगा रखी है। उस सीलिंग के अन्दर जो मन्त्री महोदय ने आंकड़े चूरू जिले के लिए लगा रखे हैं उनके

(श्री लूणाराम सारण)

अनुसार चूरू जिले की सात तहसीलों में बीस हजार मजदूर बताये लेकिन मेरे क्षेत्र में केवल 340 मजदूर लगाये हुये हैं। हमारे जिले से दूसरे एक माननीय सदस्य भी अभी बोले हैं, उनके यहां भी मजदूर नहीं लगाये हुए हैं, तो फिर यह 20 हजार कहां हैं, यह देखने की बात है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों को जो काम दिया जाये वह उनके घरों के पास दिया जावे, ताकि आज जो लोग हरियाणा और मध्यप्रदेश तक गये हुये है, वह वापिस अपने घरों का आ जायं, और राजस्थान के भी जो अन्य हिस्सों में गये हुये है, वह अपने घरों के पास रह जायं।

आधे वैशाख के बाद किसी भी किसान का अपने खेत के सिवाय कहीं दिल नहीं लगता लेकिन मजबूरी से सड़कों पर काम करना पड़ता है। इसलिये जहां तक हो सके अधिक से अधिक किसानों को उनके गांवों के पास ही काम देना चाहिये ताकि वह अपने खेतों पर भी काम कर सकें। मजदूरों पर जो सीलिंग लगाई गई है वह भी नहीं होनी चाहिये और जो भी आदमी काम मांगे उसको काम मिलना चाहिये।

एक विषम स्थिति जो हमारे जिले के अन्दर है, वह यह है कि वहां पीने के पानी की समस्या है। पानी बहुत गहरा होने के कारण भी दिक्कत है। जो लोग काम पर चले गये हैं, उनकी गैरहाजरी में ऐसी विषम स्थिति है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। हम जब कभी भी जिला प्रशासन से किसी काम के लिए कहते हैं तो वह कहते हैं कि सरकार से मन्जूरी ले आइये, हम सब कुछ कर देंगे। और यहां जब सरकार से आकर कहते हैं तो जवाब मिलता है कि हमने तो आदेश दे दिये हैं, आप जिला प्रशासन से जाकर मिलिये। तो इस प्रशासन की भूल-भुलैया में हम एम. एल. एज. परेशान होते हैं। जनता के सामने जाकर कोई सही स्थिति का ज्ञान कराने की स्थिति में हम नहीं हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि डेढ़ सौ कुए खुदवाने की इजाजत दे दी है। अगर यह इजाजत देने से पहले हमसे कोई सूचना मंगवाते, तो हम सूचना भेजते कि कहां-कहां पर कितने कुए खुदवाने चाहिये, सूचना हमारे से मांगी जाती। फिर भी हम इसकी सूचना पहले से ही दे चुके हैं। हम इस बात को कभी सुनने को तैयार नहीं हैं कि हमारे यहां से, जिलाधीश के यहां से कोई सूचना नहीं आई है। मन्त्री महोदय चाहें तो वायरलैस से या टेलीफोन से सूचना मंगवा कर भी कुए खुदवाने की मन्जूरी दे सकते हैं। परन्तु उनको इस तरह की भूल-भुलैया में नहीं रखना चाहिए कि अभी तक जिले से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि एक परेशानी सरकार ने और कर रखी है और वह पानी के मामले में कर रखी है। वह यह है कि जहां पर पांच मील की दूरी पर एक से दूसरा गांव होगा वहीं पर पानी दिया जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार पांच मील के बीच में कोई इन्तजाम पानी का नहीं करेगी। एक आदमी पांच मील पानी लेने के लिए जाये और पांच मील वापिस एक घड़े पानी के लिये आये, दस मील एक घड़े के लिए आए तो

(श्री लूणाराम भारण)

उसको भी रास्ते में पसीना आयेगा और प्यास भी लगेगी। एक आदमी दिन भर यही काम करता रहेगा या दूसरा कोई और काम भी अपने परिवार के पेट पालन के लिए भी करेगा ? यह एक कैसी हास्यास्पद बात है ? इस प्रकार के आप नियम बनाते हैं। इससे जाहिर हो जायगा कि कैसी विडम्बना है। तो, उपाध्यक्ष महादय, हम चाहते हैं कि यह दूरी एक मील के लिए आने जाने की लगानी चाहिए, पांच मील तक के लिए आप इन्तजाम नहीं करोगे तो यह तो एक हास्यास्पद स्थिति ही है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक माल या एक मील से अधिक के लिए इसको लागू करके नियम बनाये जायें। पांच मील की जो आपने पाबन्दी लगाई है, यह कोई जंचने वाली बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जिले में जो भी टैंकर चलाने की बात है, जो टैंकरों से पानी उपलब्ध किये जाने की बात कही जाती है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। टैंकरों की जिले में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा कहा गया है और पूरे जिले के लिए 8 टैंकरो की घोषणा की गई है। मेरी तहसील में एक टैंकर अलॉट किया गया है परन्तु अभी तक वह टैंकर आया नहीं है। हो सकता है कहीं रास्ते में पड़ा हो। इसलिए अभी पानी का तो इन्तजाम होने का सवाल ही नहीं है। टैंकरों का पता ही नहीं है और कुओं में इन्जिन लगवाने के लिये इन्तजाम करवाना चाहते हैं। आखिर आप जिन लोगों के लिए इन्तजाम करवाना चाहते हैं उनके पास जहां थोड़े से लोगों का गांव है, उनके पास बैलगाड़ी भी है, गाय भी होगी और ऊँट गाड़ी भी होगी। आप कम से कम पांच-पांच आदमियों के घरों की गिनती करके चलें और जो भी हल हैं, ऊंटगाड़ी या बैलगाड़ी वगैरह के लिये उनकी सहायता से भी आप इन्तजाम करवा सकते हैं। पांच-पांच और 6-6 घरों के बीच में लागू करवा सकते हैं उससे बेकार मजदूरों को काम मिलेगा और गांव का पैसा गांव में ही रहेगा, किन्हीं दूसरों को नहीं देना पड़ेगा और न ही पैसा मिस्त्रियों के पास या मशीनों वालों के पास जायगा। इससे गांव वालों को मदद मिलेगी। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाय तो ठीक रहेगा।

दूसरी बात, जो पानी के बारे में मुझे कहनी है वह यह है कि इस चूरू डिस्ट्रिक्ट में कुए सूखते जा रहे हैं उनके लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था की जाना चाहिए। उनके लिये हैण्ड बोरिंग का इन्तजाम अगर कर दिया जाय तो दूसरे गांव जाने की भी नौबत नहीं आयेगी। मैं मानता हूं कि उसमें टेक्निकल मामले भी आ सकते हैं, आपके सामने कुओं की मन्जूरी की भी समस्या है, उनके एस्टीमेट भी बनते हैं। तो उसका उपाय यह भी हो सकता है कि मजदूरी की हालत में गांव वाले खुद भी खोदन के लिये तैयार हो जायेंगे। इसलिए उनको पम्प उपलब्ध कराये जाने चाहिए जो कि खोदने के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से अगर सरकार पाइप का इन्तजाम कर दे और एस्टीमेट बना कर भेज दे तो निश्चित तौर से उनकी दिक्कत दूर हो जायगी और उनको तत्काल इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

(श्री लूणाराम सारण)

तीसरी बात, मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अकाल के नाम से जिन गावों में ट्यूब वैल खोदने हैं, तो शीघ्र खोदे जायं। इसी प्रकार से दूसरी समस्या आज अनाज के बारे में भी है। अनाज जितना सरकार दे रही है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। सरकार जो अनाज देती है, वह अधिक है या कम है यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु दूसरे रूप में मेरा निवेदन यह है कि कम से कम जो भी व्यवस्था निश्चित है, जितना अनाज दिया जाता है वह तो कम से कम समय पर निश्चित रूप से मिल जाय। मैं कहना चाहता हूं कि नवम्बर, 74 से जो अनाज दिया गया है वह अभी तक नहीं पहुंचा है और सारा का सारा लैप्स हो गया है। इसी प्रकार से समय समय पर कई वार लेप्स होता है। कई महीने ऐसे गये हैं जिनके अन्दर हमको अनाज पूरा नहीं मिला है। बहुत थोड़े महीने ऐसे हैं जब अनाज पूरा मिला हो। इसलिए मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी से समय-समय पर निवेदन भी करता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं ....

एक माननीय सदस्य : इसके लिये मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री लूणाराम सारण : धन्यवाद तो मैं तब दूं जब उन्होंने कोई समस्या को हल कर दिया हो पूरी तरह से। तब वे धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे ही तो धन्यवाद कैसे दूं। हां उन्होंने मेरी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुना भी है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि नवम्बर से लेकर आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए धन्यवाद तो तब देता जब अनाज की व्यवस्था हो जाती। इसी महीने में भी अनाज लैप्स हो गया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में कि किसी के पास भी गेहूं नहीं है। इस बारे में कम से कम माननीय मन्त्री महोदय जिलाधीश को बुला कर और बात करके यह कह देते कि इनके पास गेहूं नहीं है नवम्बर से तो इनकी शीघ्र व्यवस्था की जाय। सरकार अनाज लैप्स करती है—एक किलो-दो किलो अनाज देती है वह भी लैप्स होता है, यह कैसी विडम्बना एवं व्यवस्था है? यह एक अकाल से सम्बन्धित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

दूसरा अनाज के बारे में, जहां पर एक फसली इलाका है और अकाल से भयंकर रूप से पीड़ित है, उस इलाके के लिये मेरा निवेदन है कि चाहे फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत व्यवस्था करें या और किसी अन्य तरीके से करें, कम से कम अनाज की जो क्वान्टिटी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और दूसरे जिलों में जो अनाज की मात्रा है उसमें फर्क नहीं किया जाना चाहिए। कहीं आप कम अनाज देते हो और कहीं ज्यादा देते हो। इससे स्थिति बहुत खराब होती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त कीजिये थोड़े में।

श्री लूणाराम सारण : आज, उपाध्यक्ष महोदय, अगर पहले से लोगों को सरकारी कार्यों में मजदूरी मिली होती तो लोग पेट भरने के साथ-साथ कुछ बचा कर कृषि के अन्दर भी लगाते और पोजीशन उनकी कुछ सभलती। पर आज स्थिति ऐसी है कि

(श्री लूणाराम सारण)
किसी भी प्रकार के किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बचाकर के खेती में लगा सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों में तकाबी की व्यवस्था खेती से 15 दिन पहले और 15 जून तक सरकार नहीं करेगी तो लोग खेती नहीं कर पायेंगे और फिर वही एक साल की गरीबी और बढ़ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। भीमसेन जी ने यह सारे पॉइन्ट्स कह दिये हैं, उनकी पुनरावृत्ति की क्या आवश्यकता है। कोई नया पॉइन्ट हो तो बताइये। बार-बार उसी को कह रहे हैं।

श्री लूणाराम सारण : तो इस बारे में इतना निवेदन है, भूमिहीनों को कुछ थोड़ी तकाबी सरकार दे, समय के बाद दे, हर साल की तरह सौ पचास दे—उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उसको बीज चाहिए और बीज के अलावा खाने के लिए चाहिए, पशुओं के लिए चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि पांच सौ रुपये जरूरतमन्द किसान को तकाबी का दिया जाय, जिससे आगे के लिए रास्ता दिखाये। हम कर्ज मांग रहे हैं, मजबूरी की स्थिति में मांग रहे हैं, दान नहीं मांग रहे हैं। वह इसलिए मांग रहे हैं कि पहले मजदूरी नहीं मिली। अगर पहले मजदूरी मिल जाती तो हम यह नहीं मांगते।

इसी प्रकार दूसरी चीज है, उपाध्यक्ष महोदय, पहले माननीय मन्त्री को दो बार निवेदन कर चुका हूं, हमारे जिलाधीश की माया अजीब है कि इस स्थिति के अन्दर दो-दो बार जमा न होने के बाद लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत वसूली की जा रही है। एक तरफ बात कर रहे हैं अकाल की, अकाल का यह ढंग है, दूसरी तरफ अकाल के वक्त वसूलियां की जा रही हैं। अकाल राहत मन्त्री, मैं निवेदन कर रहा हूं, आदेश देने के बाद आज भी जिलाधीश लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली कर रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी की ?

श्री लूणाराम सारण : लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत !

श्री परसराम मदेरणा : इरिगेशन वैल्स की तकाबी, उसके साथ पम्पिंग सैट और ट्रैक्टर—इन तीनों की तकाबियों को छोड़ कोई तकाबी वसूल हो रही है।

श्री लूणाराम सारण : पम्पिंग सैट का जिक्र नहीं है। इस बात का जिक्र नहीं है। जहां काम खोले गये हैं और अकाल है, काम बता दिये हैं उसके लिए कह रहा हूं। जो इन तीन के अलावा और तरह का कर्ज है।

श्री परसराम मदेरणा : कल ही वायरलेस मैसेज से कलेक्टर का एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहा हूं। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जो वसूली होनी चाहिए,- वह नहीं होनी चाहिए।

श्री लूणाराम सारण : बहुत धन्यवाद ! यह चीज हो जाय तो बहुत सुविधा हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री लूणाराम सारण : समाप्त कर रहा हूं।

(श्री लूणाराम सारण)

दूसरे आज ऊन कताई के मामले में जैसा शंकरलाल जी कह चुके हैं, खादी ग्रामोद्योग के नाम में जितने लाख रुपये मन्जूर किये हैं, कई काम गांवों के अन्दर खादी के दिये थे और इस प्रोग्राम के अन्तर्गत लोगों को राहत मिलने की सम्भावना थी। इस मामले में, खादी के मामले में काम अधिक नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि खादी के बारे में अधिक से अधिक काम हाथ में लिये जायं।

इन शब्दों के साथ जो आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय अकाल के बारे में चर्चा चल रही है, उसके बारे में मैं डूंगरपुर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अकाल राहत मन्त्री जी ने थोड़े समय पहले मजदूरों की संख्या जिलेवाइज दी थी। मुझे डूंगरपुर जिले के बारे में 22 हजार मजदूरों की संख्या बताई गई है लेकिन मुझे सूचना है कि पूरे 22 हजार नहीं लगे हैं। मजदूरों की संख्या के बारे में अभी थोड़े दिन पहले जिला एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी उस वक्त जिलाधीश महोदय ने बहुत कम संख्या बतायी थी। आज 22 हजार की संख्या बतायी गई है। डूंगरपुर जिले की हालत बहुत खराब और बहुत नाजुक है। मैं कई दफा निवेदन इस संबंध में कर चुका हूं, और आज आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, पहले जितने अकाल पड़े उनके मुकाबले इस समय जो अकाल की स्थिति चल रही है वह बड़ी भयंकर है। थोड़े दिन पहले डूंगरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में गया। वहाँ मजदूर मिले, उनमें से कई मजदूर तीन-तीन दिन से भूखे मिले। सरकार के ऑफिसर भी मेरे साथ थे। एक हरिजन महिला मिली, वह रो पड़ी। हमने उनको पांच-पाच रुपये दिये। ऐसी हालत डूंगरपुर जिले की खराब होती जा रही है। पिछले अकाल में माह मई के अन्दर डूंगरपुर में 70 हजार मजदूरों की संख्या थी, आज 22 हजार बता रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि डूंगरपुर जिले में जहां आदिवासियों का क्षेत्र है और पांच लाख की जनसंख्या है उसमें से 3 लाख 30 हजार आदिवासी हैं। उनकी स्थिति बढ़िया नहीं है, बहुत ही खराब है। इसके लिए हमने राज्य सरकार को समय समय पर निवेदन किया। माननीय मुख्य मंत्री अच्छी तरह जानते हैं एवं माननीय अकाल मंत्री भी जानते हैं कि डूंगरपुर जिले में आदिवासियों की आर्थिक हालत कैसी है। इस बार पिछले समय जो राहत कार्य खोले गये उनसे बहुत कम हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों को लगाने के लिए जिला राहत कमेटी ने प्रस्ताव भेजे हैं लेकिन वह प्रस्ताव अब तक मंजूर होकर नहीं गये हैं। इसी प्रकार डूंगरपुर जिले में सिंचाई योजनाओं के प्लान के बारे में सरकार बात करती है ... ...

श्री लूणाराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह एअर-कन्डीशन बन्द कर दिया गया है। यह आपके आदेश से बन्द कर दिया गया है, या अपने आप इसलिए किया गया है कि गर्मी के कारण सदस्य अधिक समय तक सदन न चलायें। इनमें से कौनसी बात सही है ?

श्री रामचन्द्र रोत : मैं सिंचाई विभाग के कुछ कार्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले सिसोद तालाब लम्बे समय से डी.पी. ए.पी. कार्यक्रम के अन्दर पड़ा हुआ है। अभी मोडली, अमरपुरा तालाब, जो प्लान में लिया गया है, जिस पर पूर्व में तीन लाख रुपया खर्च कर दिया गया है, एवं राहत कमेटी द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता रहा है। लेकिन राज्य सरकार तकनीकी अड़चन बताती है। लाखों रुपया खर्च कर दिया गया है जिसको उपयोग में लाया जाना चाहिए था। एक तरफ उत्पादन की बात करते हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार के प्लान में न जाने क्या अड़चन आती है जिससे उसे रोक देते है। और यह लम्बे समय से अधर में पड़ा हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में जो तालाब बांधे गये हैं। उनमें नहरें जो हैं वह खराब हैं, इसलिए पानी सीपेज हो जाता है, उनमें आधा पानी बहकर बेकार हो जाता है जैसे खानीमाल का बांध है, पिपलिया का बांध है, मौथरी का है। इनको ठीक करने के लिए एवं रिपेअर करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इससे उत्पादन की दृष्टि से अधिक फायदा हो सकता है और आदिवासियों का भी अधिक फायदा हो सकता है, साथ ही मजदूरी भी मिल सकती है। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में सड़कों के कुछ काम खोले हैं लेकिन एक ऐसा हिस्सा है, जहां दस पंचायतें हैं और आदिवासी जनता वहां रहती है। गुरालदांगड़ी रोड के लिए पत्र लिखा, निवेदन किया। वह क्षेत्र ऐसा है जो अकाल से पीड़ित है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दूसरा कोई काम नहीं है। अब तक जहां काम मंजूर नहीं हुए हैं। वहां काम खोले जायं इससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

धम्बोला से खड़दा रोड है, यह वह क्षेत्र है, जहां दस पंचायतें हैं, उनको कहा गया है कि वहां काम मंजूर हो गया है। लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार की मंजूरी निकल जाती है, लेकिन विभाग में जाने के बाद न मालूम क्या तकनीकी डिफिकल्टी पड़ती है, क्या होता है कि दस महीने तक मंजूरी पड़ी रहती है। मजदूर भूख से तड़पते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर में सभी विभागों के जो कार्य मंजूर किये गये हैं, उनके बारे में राज्य सरकार और अकाल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले की हालत नहीं सुधारी गई तो निश्चित समय आने पर लोग मर सकते हैं भूख से। इस दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए मेरा निवेदन है।

डूंगरपुर जिले का फॉरेस्ट है उसकी सारी लकड़ी कट कर गुजरात जा रही है। उसकी सुरक्षा के लिए परकोटा बनाने के लिए फॉरेस्ट का काम सुझाया है। दूसरे, भू-संरक्षण का काम डूंगरपुर जिले में खोला गया है। आदिवासी इस स्थिति में नहीं हैं कि 50 पर्सेन्ट ऋण पर काम करा सकें इसलिए अकाल राहत मंत्री से निवेदन है कि 75 पर्सेन्ट मजदूरी दी जाय और चार आने (25%) ऋण पर

(श्री रामचन्द्र रोत)
कराया जाय तो उत्तम होगा। यह मेरा निवेदन है।

डूंगरपुर जिले में पानी की बुरी हालत है। कुछ दिन पहले मैं विभिन्न गांवों में गया। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है और लोग प्यासे मरते हैं। मेरा निवेदन है कि वहाँ पानी की व्यवस्था की जाय।

कुछ समय पहले डूंगरपुर में घास के डिपो खोलने की व्यवस्था की गई है लेकिन अब तक घास की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर समय रहते घास की व्यवस्था नहीं की गई तो पशु मर जायेंगे। बैल मर जायेंगे इसलिए घास की व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरे एक और बात निवेदन करना चाहता हूं। पिछले समय राहत के काम चले वहां गरीब आदिवासियों ने गर्मी के दिनों में खून-पसीना बहाया लेकिन उनका पेमेन्ट बकाया है, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. हो, सिचाई विभाग हो, उनके द्वारा पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है। आज से थोड़े दिन पहले डूंगरपुर में मस्टर रोल्स का मामला आया था। मस्टर रोल्स थाने में भी गए, वहां कुछ एन्क्वायरी हुई। 100) रु. तक रिश्वत के दिए गये, और वैसे के वैसे मस्टर रोल आ गए। इस सारी स्थिति पर काबू रखने के लिए सतर्कता बरती जाय एवं सड़कों का काम शुरू किया जाय और इसके साथ ही अन्य जो काम हैं वे तत्काल स्वाकृत कर दिए जायं नहीं तो किसी भी आदिवासी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल राहत मन्त्री !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अकाल राहत मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। मुख्य मुद्दे जो उठाये गए हैं उस सम्बन्ध में मैं पहले स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मांग की कि वहां के लोगों को प्रति व्यक्ति 15 रु. माहवार दिये जायं जिसमें से आधा कर्जा हो और आधा सब्सिडी हो। इस प्रकार का लोन देना हमारे लिये संभव नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार से हमने चर्चा की और भारत सरकार का रुख इस प्रकार का कर्जा देने के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। इसलिये जो कर्जा देने की बात और सब्सिडी की बात कही जाती है, यह संभव नहीं लगता। आज केवल बाड़मेर जिले के एक लाख परिवारों को कर्जा दें तो कम से कम 3.40 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि हम कर्जे के सिलसिले में बाड़मेर से शुरू करें, और जैसलमेर, जोधपुर जिला, शेरगढ़ और फलोदी तक सीमित रखें तो राज्य सरकार को कम से कम 10 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता है इसलिए इस योजना पर विचार किया जाना संभव नहीं लगता।

अलग-अलग माननीय सदस्यों ने, जो विभिन्न क्षेत्रों से आए, इस बात की मांग की कि जो मजदूर आज के दिन विभिन्न जिलों में लगे हुए हैं, वे अकाल की स्थिति को देखते हुए बहुत कम हैं। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो मजदूर अभी भी जिन-जिन इलाकों में काम पर लगा पाये हैं वे वास्तव में कम हैं।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

हमारा इरादा सीमा बांधने के पीछे यह नहीं रहा कि जिनको काम की आवश्यकता है उनको न दिया जाय या जिनको राहत की आवश्यकता है, वह नहीं पहुंचाई जाए। कई स्थानों पर जो काम खोले गए हैं, उनमें कुछ देरी हुई है काम शुरू करने में, कुछ स्थानों पर जो काम शुरू किए गए हैं उनमें मजदूरों की संख्या कम लगी हुई है, उन सारी बातों को, जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं उस लाइट में देखेंगे और जो एजेन्सीज हैं उनको आदेश देंगे कि जो कार्य स्वीकार किए गए हैं और उनमें जिन पर ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगा सकते हैं, उन पर शीघ्र मजदूरों को लगायें और जिन कामों की अभी भी आवश्यकता है और कामों की स्वीकृति नहीं दी गई है और उन इलाकों में काम खोलकर, राज्य सरकार निश्चित राहत देगी।

कई माननीय सदस्यों ने और खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस तरह के आरोप लगाए कि जहां से मन्त्री चुन कर आता है या मुख्य मन्त्री आता है, वहां तो लोगों को अधिक काम दिए जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में उपेक्षा की जाती है। आज अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा लेबर एम्प्लॉय किया है तो वह हमारे पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला है जहां आज के दिन, माननीय सदस्य ने तो 4 दिन पहले का फिगर बताया, 46 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। न वहां से राजस्थान का मुख्य मन्त्री आता है, न राजस्थान का अकाल मन्त्री आता है। लेकिन राज्य सरकार का दृष्टिकोण कोई भेदभाव का नहीं बल्कि उस इलाके में राहत पहुंचाने का है जिसकी हालत गंभीर है, स्थिति खराब है। बाड़मेर वह इलाका है जहां केवल एक फसल पैदा होती है, अधिकांश वह हिस्सा है, जहां एक फसल पर लोगों का जीवन निर्भर करता है। इसलिए सरकार ने उस जिले को स्पेसिफिक प्रायोरिटी दी।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि आदिवासी की क्या परिभाषा है? मुझे मालूम नहीं आप भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं लेकिन आप डूंगरपुर को देखें कि वास्तव में आदिवासी कौन है तो वहां परिभाषा मिलेगी। जिसके पास खाने को अन्न नहीं—आप सेठ हैं मिल चलाते हैं, आपको परिभाषा समझना मुश्किल होगा—जो उस इलाके में रहते हैं जो गरीबी से लड़ते हैं वे समझ सकते हैं। डूंगरपुर में रहने वाले आदिवासी हैं, आज राजस्थान के किसी भी कोने से चले जाएं और उनकी हालत को देखें तो तरस आएगा। इसलिए आज बाड़मेर के बाद यदि कोई राजस्थान में राहत का अधिकारी है तो वह डूंगरपुर जिला है जहां पर केवल एक फसल पैदा होती है। बांसवाड़ा कुछ ठीक है। इसलिए आदिवासी की परिभाषा आज के दिन यह है—जिसके आर्थिक साधन कमजोर है, हैसियत कमजोर है, जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं, खेती योग्य जमीन नहीं है, जो भूखा सोता है। जयपुर का इलाका दो फसली इलाका है जिसमें इस धरती के नीचे काफी ग्राउण्ड वाटर एवेलेबल है। इस कारण रबी की फसल काफी अच्छी होती है। इसलिये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य अगर तुलना करना चाहते हैं, मानव पर आये हुए मुकाबले का, समान रूप से बंटवारा करना

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
चाहते हैं तो उन राजस्थान के हिस्सों के साथ अन्याय होगा। प्रश्न केवल मानवीय आधार पर हल किया जा सकता है।

श्री मीठालाल मीणा : थोड़ी गम्भीरता लाम्रो। आदिवासियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सभी के मिल नहीं चलती हैं। उन गरीब लोगों के लिए कहा है जिनकी स्थिति आदिवासियों जैसी है, उनकी अच्छी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बाद में पूछ लेना।

श्री मीठालाल मीणा : मैंने निवेदन किया था कि उस इलाके के सभी लोग मिल नहीं चलाते, मैं उन गरीब लोगों के लिए ..

श्री उपाध्यक्ष : बात तो दोनों तरफ से गरीब की होती है।

श्री मीठालाल मीणा : मंत्री जी को सोचना चाहिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिन माननीय सदस्यों ने डिबेट में हिस्सा लिया उन्होंने पानी की समस्या के प्रति भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जिन इलाकों में पीने के पानी की समस्या है वहां सरकार ने टैंकर्स लगाए लेकिन अगर वह खराब हो जाते हैं, रिपेयर्स में देरी की सम्भावना होती है तो राज्य सरकार ने जिलाधीशों को अधिकार दिये हैं कि प्राइवेट किराये पर टैंकर्स लगा सकते हैं और पानी की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह के आदेश राज्य सरकार ने करीब 20 दिन पहले ही जारी कर दिये, 19 अप्रेल को जारी किए और उनके तहत जिलाधीशों को जहां-जहां पर भी पीने के पानी की दिक्कत है और पानी पहुंचाने में कठिनाई है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। यदि किन्हीं जिलों में कठिनाई है तो माननीय सदस्य मुझे सूचित करें मैं इस मामले में व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और उचित व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहले राजस्थान सरकार के यह आदेश थे कि पांच मील के अन्दर अगर कहीं पर पीने का पानी नहीं मिले तो ही टैन्कर्स द्वारा पानी उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाय लेकिन अब वह प्रतिबन्ध भी नहीं रहा। अब उन क्षेत्रों में भी टैन्कर्स से पानी पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा जहां-जहां पर पानी कुओं में सूख गया है और उनमें पानी की सम्भावना है तो उन्हें और गहरा करने के लिये राज्य सरकार ने ऐसे आदेश कर दिये हैं कि जिलाधीश 500) रुपये तक प्रति कुए को ठीक कराने की स्वीकृति दे सकेंगे और बिना राज्य सरकार के आदेश से ठीक करा सकेंगे। उसमें राज्य सरकार से किसी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर 500) रुपये से ज्यादा की आवश्यकता हो तो उसके लिये राज्य सरकार से स्वीकृति लेने की जरूरत पड़ेगी और राज्य सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री मीठालाल मीणा : सारे राजस्थान के लिये यह आदेश हैं क्या? कहीं भी?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां-जहां भी आवश्यकता हो वहां के लिये है। जहां इसकी जरूरत नहीं हो वहां के लिये नहीं।

इसी तरह राज्य सरकार ने पशुओं के लिये पशु पोषाहार केन्द्र, डिपो भी खोलने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

का प्रावधान किया है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के अन्दर यह कहा था कि पाली के अन्दर जो घास रखा हुआ है, वह चारा वहां से नहीं हटाया जाना चाहिये और उसके लिये उन्होंने यह स्पष्ट आश्वासन चाहा है कि पाली जिले से बाहर वह नहीं जाना चाहिये। उन्होंने उसके अन्दर यह कहा कि चूंकि उधर से मवेशी गुजरते हैं इसलिये वहां उन मवेशियों के लिये घास रखा जाये। मैं उन्हें यह स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूं कि वहां पर जो घास पड़ा है वह पाली जिले से बाहर नहीं जायेगा और वहां पर अगर किसी प्रकार की घास की कमी पड़ी तो राज्य सरकार उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। वहां पर चारे की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी प्रश्न उठाया कि अकाल राहत कार्य जहां जहां भी चलते हैं वहां पर मजदूरों को समय पर पैसा नहीं चुकाया जा रहा है इसलिये वहां के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। माननीय सदस्यों के द्वारा इस प्रकार के समाचारों के बारे में जो सूचना आयी है कि वहां पर पेमेन्ट करने की ऑथोरिटी नहीं पहुंची है उसके लिये मैंने पता लगाया है कि पैसा पेमेन्ट करने की ऑथोरिटी पहुंची या नहीं, तो मेरे पास ऐसी खबर आयी है कि ऑथोरिटीज के पास पेमेन्ट के आर्डर पहुंच गये हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी जगह हो कि ऑथोरिटी नहीं पहुंची है तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऑथोरिटीज की वजह से कोई शिकायत नहीं आवेगी। अब ऐसे आदेश हो गये हैं कि 15 दिन के मस्टर-रोल के अनुसार पेमेन्ट हो जाना चाहिये ताकि लोगों को राहत मिले।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि सड़कों पर जो काम हो रहे हैं वहां पर लोगों के पास औजार नहीं हैं और उसकी वजह से वहां पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं खुद ध्यान से देखूंगा और जहां-जहां भी आवश्यकता औजारों की है वहां पर औजारों को पहुंचाने के लिये आदेश दूंगा।

इसके अलावा रेगिस्तानी इलाके में जहां काम चालू किये गये हैं वहां पर लोगों ने यह मांग की है कि वहां पर सिरकियों और पीने के पानी की कठिनाइयों को मिटाने की व्यवस्था की जाय। उसके लिये राज्य सरकार ने व्यवस्था करने के आदेश दे दिये हैं।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि रेगिस्तानी इलाके में जहां कि गर्मी अधिक पड़ती है वहां पर अकाल राहत कार्य चलने का समय मजदूरों के लिये प्रातःकाल 8 बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक का कर देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी का सवाल है राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिये हैं कि वहां पर व्यवस्था कर दी जाय। सिरकियों की व्यवस्था के लिये संबंधित विभागों को आदेश दे दिये हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था की जाय ताकि मजदूरों को इसकी कठिनाई नहीं हो। जहां तक सवाल समय परिवर्तन का है इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं जल्दी ही इस मुद्दे को मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ रखूंगा और मैं समझता हूं कि जल्दी ही मन्त्रिमण्डल इस मुद्दे पर निर्णय कर लेगा।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि चूंकि थोड़े समय बाद वर्षा होने वाली है तब लोग बुवाई का कार्य शुरू करेंगे। चूंकि राजस्थान में बहुत सी जगह अकाल है और लोगों के पास अकाल की वजह से पैसे नहीं होने के कारण उन्हें बीज के लिये ऋण दिलाया जाय। इसके अलावा काश्तकारों को तकावी भी दी जानी चाहिये। मैं मानता हूं कि उनकी यह मांग उन काश्तकारों के लिये वाजिब है जहां पर कि भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। तो इसके लिये मैं इस प्रश्न को केबिनेट के विचारार्थ रखूंगा और मैं समझता हूं कि इस बारे में जल्दी ही निर्णय लिया जायगा। मैं चाहता हूं कि इसके लिये काश्तकारों को राहत पहुंचे।

श्री मीठालाल मीणा : चारे के बारे में।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं आपको सभी बातों का जवाब दूंगा।

श्री मीठालाल मीणा : आप तो घड़ी की तरफ देख रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप चिन्ता नहीं करें। जब तक आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा तब तक आज की बैठक समाप्त नहीं होगी। आप बेफिक्र रहें।

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्दीय सरकार की तरफ से कितनी धनराशि हमें मिल सकेगी? इसके बारे में भी चिन्ता व्यक्त की, क्या इसके लिये भारत सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि अभी तक भारत सरकार की टीम आयी नहीं है, और राज्य सरकार इतने बड़े अकाल का मुकाबला कर ले उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत राजस्थान सरकार की नहीं है इसलिये भारत सरकार का क्या रुख है यह जानने की कोशिश की। इसके लिये मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि भारत सरकार का रुख अन्य सरकारों के साथ सहानुभूतिपूर्वक है उसी तरह हमारे साथ भी सहानुभूतिपूर्वक है। जैसे गुजरात के अकाल के इलाके में भारत सरकार मदद कर रही है उसी प्रकार हमारे यहां भी मदद करेगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान से भी भयंकर अकाल गुजरात में पड़ा हुआ है। मेरे पास अभी पिछले सप्ताह ही सूचना आयी है कि भारत सरकार का अध्ययन दल इस माह की 14, 15 और 16 तारीख को राजस्थान का दौरा करेगा और राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देगा। उस रिपोर्ट को देखने के बाद भारत सरकार सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करेगी। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल भी अकाल पड़ा था तब भारत सरकार ने हमारी मदद की थी और इस साल भी करेगी।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पिछले तीन माह फेमिन में जिन लोगों ने काम किया उनको भुगतान नहीं किया गया है। उसके लिये मैं यह

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
निवेदन करना चाहूंगा कि जनवरी, फरवरी, और मार्च के पेमेन्ट करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं। इसके अलावा पीने के पानी की बीकानेर में जहां-जहां भी किल्लत है वहां-वहां के संबंधित जिलाधीशों को यह आदेश दे दिये हैं कि वह इसके लिये तुरन्त कार्यवाही करें।

लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जयपुर जिले में कोई अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं किये हैं। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आपको यह तो शिकायत हो सकती है कि राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य कम खोले लेकिन जहां जरूरत है वहां पर जरूर खोले हैं। जयपुर जिले में 48 राहत कार्य खोले हैं और उसमें लालसोट व बैराठ तहसील में अकाल राहत कार्य खोले गये हैं। इसमें जो काम सिंचाई के लिये खुलने चाहिए वह सिंचाई के लिये खोले गये हैं। सिंचाई के कार्यों के लिये तो राज्य सरकार के यह स्पष्ट आदेश हैं कि जुलाई, 75 के पहले पहले सिंचाई के अन्तर्गत कार्य जो चल रहे हैं वह पूरे हो जाय और जो पूरे नहीं हो सकेंगे उन कार्यों को राज्य सरकार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करके, उन्हें निश्चित रूप से हाथ में लेकर पूरा करायेगी। उनकी स्वीकृति देंगे ताकि वे काम किये जा सकें।

कई माननीय सदस्य राजस्थान सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि पिछले फेमिन ने पैसा खर्च कर दिया और काम छोड़ दिये। वे ही काम हाथ में लिये जावेंगे जो कि असेट्स बन सकें और लायेबिलिटी नहीं हों। उन्हीं कामों को लिया जावेगा जो कि इस फेमिन में पूरे हो सकें और किसी योजना और काम में वे आते हों। ऐसे कामों में दिक्कत नहीं आवेगी।

श्री मीठालाल मीणा : आपको गलत रिपोर्ट मिली है। लालसोट तहसील में एक भी काम नहीं हुआ है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कहीं किसी स्तर पर कोई गलती हुई है तो उसको रेक्टीफाई किया जावेगा।

लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने दो मुद्दे और उठाये। 12 फरवरी के बाद राजस्थान सरकार चूरी न ले जाय और ग्वार भी बाहर न ले जाय भारत सरकार ने 31 मार्च तक की स्वीकृति दी थी। भारत सरकार ने फिर 29-7-75 तक की स्वीकृति दी है। नागौर का जिक्र किया कि इस प्रतिबन्ध के बाद चूरी वगैरह बाहर भेजा गया परमिट के जरिये। यह सही बात है। चूरी बाहर भेजी गयी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कहां भेजी गई?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गुजरात में भेजी गयी। किस तरह की चूरी भेजी गई? 12-2-75 को निकास पर प्रतिबन्ध लगाने से पहले ही जिन लोगों ने चूरी बुक कर ली थी, वैगन बुक करा लिये थे और स्टेशन पर चूरी डाल रखी थी····

श्री मीठालाल मीणा : क्या बिल्टियां बन चुकी थीं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बिल्टियों के बारे में नहीं कहता। स्टेशन मास्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर और तहसीलदार

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
के आधार पर कि चूरी पड़ी हुई थी स्टेशन पर यह बात कह रहा हूं।

श्री मीठालाल मीणा : बिल्टियां नहीं बनी थीं, फिर कैसे ले जाने दिया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान की दो फैक्ट्रीज को परमिट दिया। हम इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन भारत सरकार से प्रेसिंग आया कि अगर फैक्ट्रीज को ग्वार नहीं देंगे तो ग्वार से जो फॉरेन एक्सचेन्ज मिलने वाला है उसमें कमी आ जावेगी। भारत सरकार का मेरे पास पत्र पड़ा है 1500 टन का उन्होंने लिखा था। जब चाहें आप मेरे दफ्तर में तशरीफ लावें मैं आपको वह बता दूंगा। भारत सरकार के बार बार कहने पर और फॉरेन एक्सचेन्ज का सवाल होने से हमने 1500 टन का परमिट दिया—इससे इन्कार नहीं कर सकते।

माननीय सदस्यों को यह कहना है कि बड़े बड़े प्रलोभन थे ...

श्री मीठालाल मीणा : इसमें क्या शक है ! बाहर की फैक्ट्रियों के लिये तो सोच लिया कि बन्द हो जावेंगी। राजस्थान में फैक्ट्रियां हैं उनका माल खरीद लेते।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दो फैक्ट्रियों का नाम आया वह भारत सरकार से आया हमने नहीं दिया। माननीय सदस्यों की जानकारी में और कोई तीसरी फैक्ट्री हो और जिन्होंने मांग की हो और हमने नहीं दिया हो तो बता दें।

एक प्रश्न और रखा। ग्वार प्रोडक्ट्स बनती हैं उन पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। वे बाहर नहीं भेज सकते। यह प्रश्न मेरे सामने आया। ग्वार की प्रोडक्ट्स पर रोक नहीं है। जालौर, पाली में रुकावट थी उसको दूर किया गया और बाहर भेजने की इजाजत दी।

माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा। वे चाहते थे, चावल की भूसी से तेल निकलता है, यह बात सही है कि सवाई माधोपुर के गंगापुर मैं गया था तो यह सवाल रखा था कि भूसी से तेल निकलता है, इसका प्लांट राजस्थान में नहीं है इसलिये इसको बाहर भेजने की इजाजत दी जाय। मैंने कहा, राजस्थान सरकार को आप कन्विन्स कीजिये कि भूसी मवेशियों के खाने के काम में नहीं आती है और पड़ी हुई खराब हो रही है, मैं निश्चित रूप से विचार करके भूसी को बाहर भेजने पर विचार करूंगा। किसी ने भी मुझे कन्विन्स नहीं किया कि यह काम में नहीं आती है।

श्री मीठालाल मीणा : मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन कमेटी की मीटिंग में यह बात आ चुकी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह शंका प्रकट की कि 31600 मजदूर कहां पर लगे हुए हैं। इसकी विगत मेरे पास है। चूरू, तारानगर, राजगढ़ इत्यादि। तहसीलवाइज विगत मेरे पास है।

मैं माननीय सदस्यों का अधिक समय नहीं लेना चाहता और यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन इलाकों में भी काम की आवश्यकता है उन इलाकों में राजस्थान सरकार काम प्रोवाइड करेगी,

Page No 236

(236)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
चाहे टीम भारत सरकार का देर से आये, इसमें शंका नहीं होनी चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि विषमतायें हैं। आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान सरकार अपने स्तर पर उन इलाकों में प्राथमिकता देगी जहां पर आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं आपने जो अमूल्य सुझाव दिये उनके लिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये सधन्यवाद स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये रात्रि 9.10 बजे स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 33 व 44 की सूची)

जिला नागौर के राहत कार्य वर्ष 1974-75

क्र.सं.	रोड वर्क नाम	तहसील	दैनिक श्रमिक संख्या	राशि (लाख)	दिनांक स्वीकृत
1	2	3	4	5	6
	योजना सड़कें				
1.	सावर, नावा, डीडवाना रोड, नागौर रोड	नावा, डीडवाना, नागौर	सूचना उपलब्ध नहीं है	14.00	18-1-75
2.	नागौर-मुंडवा, मेड़ता-थानवाला, पुष्कर रोड।	नागौर, मेड़ता	—	2.00	18-1-75
	बाढ़ सड़कें				
3.	वी.टी. रोड कुचामन से नारायणपुर कि.मी. 0 से 11 कि. मी. तक	कुचामन	—	3.00	28-1-75
4.	नाशपनपुर, नावा, मेरोट रोड	नावा	—	3.00	28-1-75
5.	सांजू, तरनऊ रोड	जायल	—	3.00	28-1-75
	योजना सड़कें				
6.	वी.टी. मूण्डवा, खजवारा-रूप मेड़ता रोड	नागौर	1000	5.00	21-4-75
7.	वी.टी. तरनाऊ, खाटू	जायल	650	5.00	21-4-75
8.	वी.टी. डेगाना-पन्डलोटा-भरून्दा	डेगाना	800	5.00	21-4-75
9.	वी.टी. गोटन, हरसोलाव	मेड़ता	200	1.00	21-4-75
10.	वी.टी., खाटू-रानीगांव, तोरावड	डीडवाना	1500	5.00	21-4-75
	लघु सिंचाई				
1.	मकराना फ्लड प्रोटेक्शन वर्क	परवतसर	—	0.25	27-2-75
2.	मंगलाना बांध व नहर	,,	100	0.50	21-4-75
3.	भखरी बन्छ व नहर	,,	250	1.50	21-4-75

(238)

1	2	3	4	5	6
4.	पीरजी का नाका व नहर	परबतसर	100	0.50	21-4-75
5.	भैरून्दा बांध व नहर	डेगाना	100	0.50	21-4-75
6.	बंसालाव बांध व नहर	मेड़ता	100	0.25	21-4-75
7.	हरसौर	डेगाना	100	1.00	21-4-75
8.	डेडीयाना	मेड़ता	100	0.20	21-4-75
	सिंचाई (डी. पी. ए. पी.)				
9.	राताडूंढा बन्ध	डेगाना	42	0.20	21-4-75
10.	कडसीया बन्ध	परबतसर	41	0.20	21-4-75
11.	प्रतापसागर बन्ध	डेगाना	31	0.15	21-4-75
12.	माताजी का वाला बन्ध	,,	42	0.40	21-4-75
13.	पचरण्डा नहर व बान्ध	,,	33	0.25	21-4-75
	फेमिन अधूरा कार्य				
14.	रोई साडा बन्ध	डेगाना	30	0.50	21-4-75
15,	नानकपुर बन्ध	नागौर	88	0.86	21-4-75
			5,307	53.16	

नागौर जिले में श्रमिकों की अधिकतम सीमा मई में 15,000 और जून में 20,000 तक की गई है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 39 की सूची)

नीम-का-थाना में आवंटित कोयला उद्योगों को सूची

क्र. सं.	नाम इकाई मय पता	किस्म कोयला	खपत हुई 1-10-73 से 30-3-74	आवंटन, 1975 में
1.	मैसर्स ओरियन्टल टाल्क प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., नीम-का-थाना	स्टीम कोल	नया उद्योग स्थापित हुआ	1 वेगन प्रतिमाह
2.	मैसर्स वेस्ट केमीकल लाईम स्टोन इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., माउन्डा	,,	1164 मे. टन	9 वेगन प्रति माह
3.	मैसर्स श्री मोदी लेवी गेटेड मोलिन प्रा. लि., नीम-का-थाना	,	1610 ,,	9 वेगन प्रति माह
4.	मैसर्स श्री वेस्ट केमिकल लाइम इन्डस्ट्रीज, माउन्डा	,	1920 ,,	20 वेगन प्रति माह
5.	मैसर्स श्री मोदी मिनरल ग्राइंडिग मिल्स प्रा. लि.	,,	1000 ,,	4 वेगन प्रति माह
6.	मैसर्स जयनारायण लाइम इन्डस्ट्रीज रेल्वे स्टेशन के पास, नीम-का-थाना	,, ,,	नया उद्योग , स्थापित हुआ	$\frac{1}{3}$ वेगन प्रति माह

उपरोक्त कोयले के अतिरिक्त मिर्वलिंग कोक 3 वेगन फरवरी, 75 व अप्रेल, 75 हेतु प्रति माह व ब्लेक कोक 3 वेगन मई, 1975 के कलेक्टर द्वारा आवंटित करने हेतु सिफारिश की थी।

नीम-का-थाना लघु उद्योगों को सूची

क्र. सं.	नाम इकाई का मय पता	किस्म
1.	मैसर्स ओरियन्टल टाल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि., नीम-का-थाना	
2.	,, वेस्ट केमीकल लाइम स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., माउन्डा	
3.	,, श्री मोदी लेवीगेटेड केमोलिन प्रा. लि, नीम-का-थाना	
4.	,, दी वेस्ट केमीकल लाइम इण्डस्ट्रीज, माउन्डा	
5	,, श्री मोदी मिनरल ग्राइंडिग मिल्स प्रा. लि.	
6.	,, जयनारायण लाइम इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन के पास, नीम-का-थाना	
7.	,, कमल आइस फैक्ट्री	
8.	,, सोमानी कॉटेज इण्डस्ट्रीज औषधालय के पास	
9.	राजस्थान मिनरल एण्ड ग्राइंडिग मिल्स	
10.	मैसर्स चौधरी मिनरल, रेलवे स्टेशन पास	
11.	,, केमिकल लाइम स्टोन इण्डस्ट्रीज, पुंडवा	
12.	छोटूलाल मोहन कुमावट, शाहपुरा रोड	
13.	मैसर्स मारवल ब्रदर्स, नीम-का-थाना	
14.	,, शंकर ऑयल मिल्स, नीम-का-थाना	

Page No 240

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 41 की सूची)

अकाल राहत कार्यों की सूची

क्र. सं.	नाम अभिकरण	नाम कार्य	कार्य प्रारम्भ होने का दिनांक	श्रमिक संख्या
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1. शाहपुरा, चिरावा रोड	8-2-75	308
2.	सिंचाई विभाग	1. श्यामपुर बिहार बांध	16-4-75	92
		2. रायपुर जागीर बांध	11-4-75	69
		3. भूदोली बांध	20-4-75	4
		4. अपररेला बांध	20-4-75	9
		5. रायपुर बांध	16-4-75	64
3.	भू-संरक्षण कार्य	1. माला बंध, प्रीतमपुरी	14-4-75	37
4.	वन विभाग	1. चैक डैम डोकाना	18-4-75	50
	कुल कार्य	8	कुल श्रमिक संख्या	623

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

नागौर जिले के अभावग्रस्त गांवों में पानी व अनाज की व्यवस्था

44. श्री दीपंकर (लाडनू): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में सबसे ज्यादा गांव अकालग्रस्त हैं? अगर हां, तो अब तक कितने राहत कार्य किस-किस तहसील में खोले गये हैं और कुल कितने मजदूर प्रत्येक काम पर लगे हैं?

(2) क्या उक्त अकालग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते अनाज और पानी की उचित व्यवस्था की गई है?

(3) क्या यह सही है कि गत अकाल के समय अधूरी रही सड़कों को इस समय पूरा किया जायेगा? अगर हां, तो इन पर काम कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुदान प्राप्त संस्थाओं का पुनः वर्गीकरण

45. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अनुदान प्राप्त संस्थाओं का पुनः वर्गीकरण पूरा हो चुका है?

(2) पुनः वर्गीकरण के पश्चात् उस आधार पर अनुदान कब से प्राप्त हो सकेगा?

(3) जिन संस्थाओं को अनुदान नहीं मिलता है उनको अनुदान देने के लिए सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) अभी नई संस्थाओं को अनुदान सूची पर लिए जाने का कोई विचार नहीं है।

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सम्पत्ति की सूचना

46. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या अन्य राज्यों की भांति राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कि मन्त्रिमण्डल के समस्त सदस्य अपनी सम्पत्ति की सार्वजनिक रूप से घोषणा करें ? यदि हां, तो उस निर्णय की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं।

शिक्षा की नई नीति

47. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने शिक्षा में 10 प्लस 2 प्लस 3 की नीति को क्रियान्वित करने का निर्णय ले लिया है ? अगर नहीं, तो कब तक निर्णय लिया जावेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार निर्णय लेने के पूर्व राज्य के शिक्षा शास्त्रियों तथा विश्वविद्यालयों से राय जानने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने सिद्धान्ततः 10 प्लस 2 प्लस 3 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किया है। इसकी क्रियान्विति किस वर्ष से की जाय इस मामले पर अभी इसके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। जिसने इसके सभी पक्षों पर विचार किया है तथा वह अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे रही है।

(2) राज्य सरकार इस विषय पर शिक्षा शास्त्रियों की राय से ही निर्णय लेना चाहती है, इसलिए उच्च स्तरीय समिति में विचार विमर्श के लिए विभिन्न वर्गों से व्यक्ति लिए गये हैं।

राज्य को पावर लूम का आवंटित कोटा

48. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टैक्सटाइल उद्योग नीति में केन्द्रीय सरकार ने परिवर्तन कर पावर लूम लघु उद्योग के विस्तार को अवरुद्ध कर दिया है और भारी उद्योग टैक्सटाइल मिल्स को इसका स्थान देना चाहती है ?

(2) यदि नहीं, तो राजस्थान राज्य को कितने पावर लूम का कोटा विगत तीन वर्षों में आवंटित हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) पावर लूम व लघु उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिये राज्य सरकार ने क्या कोई कार्य-क्रम बनाया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कार्य-क्रम से अवगत कराने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) भारत सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पावर लूम उद्योग का और विस्तार आवश्यक नहीं समझती। इसके अलावा सरकार को और कोई जानकारी नहीं।

(2) विगत तीन वर्षों में राज्य के लिये कोई आवंटन नहीं हुआ है।

(उद्योग मन्त्री)

(3) भारत सरकार की नीति के अनुसार पावर लूम का आवंटन न होने के कारण विस्तार का कार्य-क्रम नहीं बनाया गया है।

लालसोट में नया मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय

49. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने लालसोट (जयपुर) कस्बे में नया मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

लालसोट, जयपुर में नया मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के बारे में अब तक निर्णय नहीं लिया गया है।

थानों में हरिजनों की पिटाई से मृत्यु

50. श्री दीपंकर (लाडनू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कई थानों में पिटाई से 3-4 हरिजन मारे गये हैं ? अगर हां, तो किस-किस थाने में किस-किस अभियोग में गिरफ्तारियां की जा कर पिटाई की गई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि अब भी हरिजन जाति के लोगों को ऊंट और घोड़े पर बरात लेकर चलने पर सवर्ण पिटाई करते हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार के ध्यान में ऐसी कितनी घटनायें आई हैं और वे कहां-कहां की हैं तथा ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया।)

शुष्क बन्दरगाह की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को पेश किया गया दावा

51. श्री बनवारीलाल (धौलपुर), श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार को यह पता है कि भारत सरकार निर्यात उद्योगों के लिए दिल्ली के आस-पास शुष्क बन्दरगाह स्थापित करने का विचार कर रही है ?

(2) क्या राजस्थान सरकार ने इस शुष्क बन्दरगाह की स्थापना के लिए अपना दावा पेश किया है ? यदि हां, तो किन सम्भावित स्थानों के नाम सुझाये हैं ?

(3) राजस्थान का पक्ष केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं और उनके क्या परिणाम सम्भावित हैं ?

(स्थगित किया गया)

(२५५)

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

रिपोट इत्तला अव्वल प्रथम सूचना

थाना दौसा, जिला जयपुर, राजस्थान

जुर्म सूची 92 तारीख और वक्त वकुआ 20-12-70

तारीख और वक्त जब इत्तला की मय रिपोर्ट रोजनामचा.	जाय वकुआ और फासला और से थाने में मय नाम, हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख और वक्त रवानगी थाने से
दिनांक 23-9-74 समय 2-30 पी. एम. रपट नं. 688	कस्बा दौसा जानिब दक्षिण व फासला 2 फर्लांग	हमरा डाक

नाम व नम्बर	हल्का	हल्का के अन्दर व मुकदमा सं.

नाम और सकूनत इत्तला कुनिन्दा और मुस्तगिस सूचना देने वाले अभियोग का नाम व निवास स्थान	नाम और सकुनत मुल्जिमान नि. स्थान अपराधी	मुस्तगीस हालात जुर्म मय अदा और माल अगर कोई गया हो	कार्यवाही तफतीश जो अमल में लाई गई हो देरी जो इत्तला करने में	नतीजा मुकदमा
श्री यू. आर. यादव मैनेजर स्टेट बैंक, जयपुर बीकानेर शाखा, दौसा		मुल्जिमान ने धोखा दे के गलत आदमी के नाम से ऋण प्राप्त किया धारा 467/468/420/120 बी. आई. पी. पी.	रिपार्ट प्राप्त होने पर बाद रहवरी अ. पु. शाखा के मुकदमा कायम कर व त. शुरू की गई	

दस्खत एसडी/दर्शनसिह एस. एच. ओ.

882 दौसा 24-4-74 श्रीमान एस. एच. ओ. साहब दौसा मान्यवर निवेदन है कि रघनाथ पुत्र हगुता मीणा कनवासी काली पहाड़ी ने आयल इन्जन खरीदने के लिये ऋण दिये जाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र अपने व खिलाड़ी पुत्र गोविन्दा मीणा काली पहाड़ी के नाम से रुपये अपने व खिलाड़ी पुत्र गोविन्दा मीणा के नाम से बैंक

की दौसा शाखा में दिनांक 20-2-70 का पेश किया और उसमें खिलाड़ी की आयु 20 वर्ष की बताई स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से उसे 3000/- ऋण स्वीकार हुआ इस ऋण में से ऋणीगण की कृषि भूमि का एक रहन नामा तारीख 20-5-71 सब-रजिस्ट्रार, दौसा से रजिस्ट्री हुआ इस रहन नामे में खिलाड़ी पुत्र गोविन्दा मीणा निवासी काली पहाड़ी को शनाख्तगी श्री मुन्शीलाल महावर पुत्र प्रभातीलाल महावर परसीय-मोहल्ला, दौसा ने की ऋण की किश्तों की वापसी न होने पर तारीख 11-3-73 को मैं व कृषि सहायक ग्राम काली पहाड़ी गये तो पाया। खिलाड़ी पुत्र गोविन्दा मीणा काली पहाड़ी तो एक नाबालिग बच्चा करीब 10-12 साल का है। अतः पता चला कि इस नाबालिग बच्चे के साथ स्थान पर रघुनाथ पुत्र हणुता मीणा साकिन काली पहाड़ी ने किसी अन्य बालिग व्यक्तियों को खिलाड़ी बता कर धोखादेही देकर रहननामा फर्जी बनाया है। तथा उस पर गलत शनाख्तगी कार्यवाही से यह धोखादेही सम्भव हो सकी है। इस तरह धोखादेही देकर बैंक को 3000/- रु. का नुकसान पहुंचाया गया है यह रकम 3000/- श्री मुंशीलाल महावर तत्कालीन प्रोपराईटर इन्जीनीयरिंग कम्पनी को बैंक द्वारा भुगतान किया गया है। इस तरह गलत फर्जी आदमी को धोखादेही देकर खिलाड़ी बना कर रहन नामे पर उसके दस्खत बनाकर उसकी रजिस्ट्री का जाली दस्तावेज बनाकर श्री रघुनाथ पुत्र हणुता मीणा साकिन काली पहाड़ी व श्री मुन्शीलाल महावर ने हमारे बैंक के नाम धोखादड़ी की है उसकी सूचना मुख्य कार्यालय को दी गई वहां से रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है भवदीय यू. आर. यादव एजेन्ट स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, दौसा शाखा।

कार्यवाही पुलिस:—

उपरोक्त रिपोर्ट तहमी को जरिये डाक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर, दौसा शाखा से तारीख 29-4-74 को प्राप्त हुई थी जिसकी रहवनी अनुसंधान शाला से ली गई, जो आज आदेश आई. पा. न. जयपुर/3 टी. एन./मिस/74/284, दिनांक 20-4-74 व ए. एस. पी. न. 2698 दि. 23-7-74 को प्राप्त हुआ कि उक्त रिपोर्ट के मुकदमा दर्ज कर तफतीस के जरिये अतः मुकदमा हाजा नं. 92015167/468/420/120 बी. आई. पी. सी. दर्ज रजिस्टर किया जाकर मय एस. एच. ओ. मशरूफ तफतीश हुआ।

एस डी/दर्शनसिंह एस. एच. ओ. दौसा

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

पशु मेलों की व्यय विवरण तालिका "क"
पशु मेला नागौर

नाम मद	1971-72	1972-73	1973-74
1. फरशिखाना	2333-00	2350-00	2349-50
2. पानी व्यवस्था	7250-00	9020-00	8553-93
3. पारितोषिक वितरण	3535-80	4000-00	3537-00
4. रोशनी	7473-00	9470-00	7971-05
5. खेल-कूद व सांस्कृतिक	1000-00	1000-00	1200-00
6. अस्थाई मजदूर व सफाई	3412-00	2000-00	2417-25
7. वाहनों का संधारण	2650-00	2500-00	2600-00
8. विविध	5100-00	1900-00	5190-00
9. अल्पाहार	300-00	300-00	300-00
कुल योगः—	33053-00	34040-00	34119-53

पशु मेला परबतसर (नागौर) की व्यय तालिका

नाम मद	1971-72	1972-73	1973-74
1. पारितोषिक वितरण	1941-00	3400-00	4000-00
2. वाहनों का संधारण	3045-00	4490-00	2715-00
3. फराशखाना	3550-00	6725-00	8910-00
4. रोशनी व्यवस्था व जल व्यवस्था	11,428-00	12,365-00	15,006-30
5. अस्थाई मजदूर व सफाई	2143-00	1880-00	3000-00
6. अल्पाहार	300-00	300-00	300-00
7. सांस्कृतिक एवं खेल-कूद	1000-00	1200-00	1000-00
8. विविध	2808-00	6350-00	4500-00
9. प्रिंटिंग एवं मुद्रणालय	—	—	1000-00
कुल योगः—	28,485-00	44030-00	34736-30

पशु मेला मेड़ता सिटी (नागौर) की व्यय तालिका

नाम मद	1971-72	1972-73	1973-74
1. पारितोषिक विवरण	2105-00	2920-00	3000-00
2. जल व्यवस्था	3560-00	3075-00	5716-00
3. रोशनी व्यवस्था	1692-00	4350-00	3422-00
4. अस्थाई मजदूर व सफाई व्यवस्था	2378-00	1905-00	2353-00
5. सांस्कृतिक कार्य-क्रम एवं खेल-कूद	427-00	500-00	550-00
6. एटहोम	300-00	300-00	300-00
7. वाहनों का संधारण	1395-00	1810-00	1550-00
8. स्टेशनरी एवं विविध	2077-00	3522-00	1658-00
9. फर्राशखाना	1719-00	1590-00	1426-00
कुल योग:—	15343-00	19972-00	19405-00

सूची ख

आय विवरण तालिका (पशु पालन विभाग)

पशु मेला	1971-72	1972-73	1973-74
(1) पशु मेला, नागौर	1,14,458.00	89,459.25	1,49,652.00
(2) पशु मेला, मेड़ता सिटी	58 966.00	67,235.50	53,929.25
(3) पशु मेला, परवतसर	3,32,049.50	1,95,339.41	1,99,731.65

वाणिज्य कर विभाग के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं। उनसे प्राप्त नहीं हो सके व मांगे जाने हैं।

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूची)

राजस्थान के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की सूची

		आवंटित
(1)	राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भरतपुर	175
(2)	,, ,, ,, मसूदा (अजमेर)	175
(3)	,, ,, ,, अन्तामहल (कोटा)	175
(4)	,, ,, ,, झालरापाटन	175
(5)	,, ,, ,, करोली (सवाई माधोपुर)	175
(6)	,, ,, ,, फलोदी (जोधपुर)	175
(7)	,, ,, ,, कुचामन सिटी (नागौर)	175
(8)	,, ,, ,, विद्याशाला (जोधपुर)	175
(9)	,, ,, ,, जैसलमेर	175
(10)	,, ,, ,, बाड़मेर	175
(11)	,, ,, ,, आबू पर्वत (सिरोही)	175
(12)	,, ,, ,, बनडी नगर (पाली)	175
(13)	,, ,, ,, साहपुरा (भीलवाड़ा)	175
(14)	,, ,, ,, डूंगरपुर	175
(15)	,, ,, ,, गोनेर (जयपुर)	175
(16)	,, ,, ,, नवलगढ़ (झुंझुनूं)	175
(17)	,, ,, ,, चूरू	175
(18)	,, ,, ,, जसवन्तपुरा (जालौर)	175
(19)	,, ,, ,, बेदला (उदयपुर)	175
(20)	,, ,, ,, बांसवाड़ा	175
(21)	,, ,, ,, गोवर्धन विलास, उदयपुर	100
(22)	राज. हस्तकला प्रशिक्षणालय, परशुराम द्वार, जयपुर	100
(23)	राज. अल्प भाषायी संख्यक शि. प्र. वि., अजमेर	
(24)	राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, बीकानेर	175
(25)	राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (महिला), जयपुर	175
(26)	,, ,, ,, अलवर	175
(27)	,, ,, ,, बूंदी	175
(28)	,, ,, ,, बीकानेर	175
(29)	,, ,, ,, जोधपुर	175
(30)	,, ,, ,, उदयपुर	175
(31)	मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, ग्रामोत्थान, संगरिया	200

(32)	मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, सरस्वती कॉलेज, अजमेर	175
(33)	,, ,, ,, ,, बुरोठ	120
(34)	,, ,, ,, ,, बजरंग, डीग	120

एस. टी. सी. विद्यालय में प्रवेश देने हेतु अध्यापकों का चयन मुख्य रूप से निम्न प्रकार किया जाता है :—

(1) सर्व प्रथम योग्य अध्यापकों/(छात्राओं) के आवेदन-पत्रों को अलग 2 किया जाता है।

(2) इन आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न योग्यता सम्बंधी प्रमाण-पत्रों की जांच एक समिति द्वारा की जाती है। जिसमें निम्न सदस्य होते हैं :—

(अ)	जिला शिक्षा अधिकारी	संयोजक
(ब)	सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी/ बालिका/उप जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(स)	सचिव जिला परिषद्	सदस्य
(द)	जिले में स्थित एस. टी. सी./उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य

(3) उपर्युक्त सदस्यों द्वारा आवेदन-पत्रों की छंटनी निम्न वरियता अनुसार की जाती है:—

(अ)	नैतिक योग्यता	—	15 अंक
(ब)	पाठ्येत्तर प्रवृत्तियां	—	6 अंक
(स)	अध्यापक के पुत्र/पुत्री	—	2 अंक

(4) उपर्युक्त विभाजन के अनुसार समस्त आवेदन-पत्रों को उस पर दिये गये अंकों के अनुसार वरीयता में कर लिया जाता है तथा एस.टी.सी. विद्यालयों को आवंटित स्थानों के अनुसार वरीयता क्रम में आशार्थियों का चयन किया जाता है।

उपर्युक्त समस्त कार्यवाही स्थाई आदेश 6/1968 संशोधन, 1974 को ध्यान में रखकर की जाती है।

एस. डी./-
निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

(250)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

तहसील सांचोर एवं भीनमाल के राहत कार्यों को सूची जो कि सम्वत् 2031 में स्वीकृत किये गये है

तहसील सांचोर	तहसील भीनमाल
1. कलापुरा डी. पी. ए. पी. कार्य	1. रानीवला तालाब का कार्य
2. सूथरी क्रोस बन्ध ,,	2. करडा तालाब ,,
3. सुराचन्द ,,	3. सुकड़ी नदी के घुमेरा गांव के स्पूर निर्माण कार्य
4. हाकेरा ,,	4. जोखाड़ा डी. पी. ए. पी. कार्य
5. होती गांव ,,	5. वड़गांव नाला ,,
6. मालासर ,,	6. भीनमाल ,,
7. खजोडियाली ,,	7. रोहित जालोर-भीनमाल-सांचोर रोड कार्य
8. चीतलवाना ,,	8. मण्डोर रानीवाड़ा सड़क कार्य
9. रतनपुरा ,,	9. आबू से रानीवाड़ा सड़क कार्य
10. गलीफा ,,	10. रानीवाड़ा मण्डोर सड़क पर तेजपुरा के निकट काज-वे का कार्य
11. कसूली ,,	11. करवाड़ सिंचाई कार्य
12. सूजा की खाल ,,	12. लाखावास सिंचाई कार्य
13. ताम्पी क्रोस बन्ध ,,	13. रेन्जिग ग्रॉफ बिठन बन्ध
14. रोहित जालोर भीनमाल-सांचोर रोड	14. सोमरवा-नाडिया-बागोरा-झोझानी भीनमाल सड़क
15. जसवन्तपुरा से भीनमाल सड़क	15. भीनमाल से देशपास सड़क
16. रेणीका सिंचाई कार्य	16. बड़ा बावडी बांध
17. देलवाड़ा गेजीपुरा सड़क	17. खानपुर टैंक
18 गोभी बान्ध सिंचाई कार्य	18. भीन्दपुरा टैंक
19. हेमा गुड़ा बान्ध	
20. गोलासन तालाब	
21. अरनाथ तालाब	
22. गण्डवल तालाब	

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 9 मई, 1975)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	नीचे से 9	प्रद्युमन सिंह	प्रद्युम्न सिंह
6	ऊपर से 2	को	का
13	ऊपर से 10	वे	वह
15	नीचे से 6	व्यस्थापक	व्यवस्थापक
17	ऊपर से 11	की	के
20	नीचे से 13	वहील	वहाल
40	ऊपर से 10	प्रोटेक्स्ट	प्रीटेक्स्ट
75	नीचे से 5	राजस्थान,ज यपुर	राजस्थान, जयपुर
111	ऊपर से 2	मोहृदय	महोदय
111	नीचे से 14	मी	भी
122	नीचे से 13	है	—
133	नीचे से 14	आप	आज
134	ऊपर से 3	यहां	यह
134	„ 8	भ्रटाच्चार	भ्रष्टाचार
134	„ 9	„	„
134	नीचे से 15	राज्यलाल	राज्यपाल
136	ऊपर से 1	उठाया	उठाना
137	नीचे से 20	की है	की जानी है
152	नीचे से 16	य ाननीय	माननीय
153	ऊपर से 1	भानुकुमार शा्त्री	भानुकुमार शास्त्री
153	नीचे से 7	245-73	24-5-73
171	शीर्षक	—मई	9 मई
187	नीचे से 12	मैं	मैंने
188	ऊपर से 3	श्री गमानमल लोढ़ा	श्री गुमानमल लोढ़ा
223	ऊपर से 1	त लाल काठारी	शांति लाल कोठारी
228	„ 1	नहीं	—
229	नीचे से 13	हटावा	हटाया
246	ऊपर से 4	तीन आद	तीन आदमी

Page No 252

252

1	2	3	4
307	नीचे से 7	चीधरी	चौधरी
342	नीचे से 7	ठमवस्था	व्यवस्था
349	नीचे से 15	माननीम	माननीय
352	नीचे से 14	डूंगरगढ़	डूंगरपुर
384	„ 1	हो ले	हौसले
395	नीचे से 5	कालायत	कोलायत
479	ऊपर से	गोटेवला	गोटेवाला
484	नीचे से	साहपुरा	शाहपुरा